राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] चतुर्थ विधान सभा के पंचम सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या 16

मंगलवार,

दिनांक 2 सितम्बर, 1969.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.2 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(पंचायत, यातायात, खाद्य, सिंचाई, चिकित्सा, वन, जन-स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार-नियोजन, अकाल-सहायता, देवस्थान, समाज-कल्याण, वित्त)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।
श्री रामकिशन।

कृषकों को ऋण एवं अनुदान

513. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पंचायती राज्य की स्थापना के बाद कुल कितनी धनराशि कृषकों के लिये ऋण व अनुदान के रूप में दी गई है ? पंचायत समितियों के अनुसार पूर्ण लेख सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त धनराशि जो ऋण के रूप में दी गई है वह कितनी वसूल करली गई है ? कितनी धनराशि बकाया है ? पंचायत समितियों के अनुसार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) कुल 37,93,75,301)50 रुपयों की राशि ऋण व 7,63,06,139) रु० की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) ऋण की राशि कुल 14,30,89,649)10 वसूल कर ली गई है व 23,62,85,652)40 पैसे की राशि बकाया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रामकिशन: इसमें से ओवरड्यू कितना है और एक्चुअल बकाया कितना है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 98,09,000)रु०

श्री रामकिशन : यह किन किन पंचायत समितियों पर ज्यादा हैं और वसूली की क्या कोशिश की गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पूरी डिटेल तो इस समय बताने में असमर्थ हूं। पर यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि हर पंचायत जिला स्तर पर एक अकाउन्टेन्ट की नियुक्ति की गई है जो ओवरड्यू की वसूली के हिसाब को देख कर वसूली की कार्यवाही में मदद करेगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : यह ओवरड्यू होने का क्या-क्या कारण है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : कहीं पर तो रिकवरी अकाल के कारण से स्थगित की गई है। कहीं कुछ और कारण हैं। ऐसा भी कारण हो सकता है नहीं दी हो।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

सहायक निरीक्षकों के रिक्त स्थान

514. **श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर)**: क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि यातायात विभाग में सहायक निरीक्षकों की जगह खाली है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जगहों को संचालक महोदय द्वारा भरा गया है, जब कि ऐसा करने का उनको पॉवर नहीं था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है और भविष्य में क्या प्रक्रिया होगी ?

(3) उक्त जगहों को किस ढंग से और कब तक भरेंगे ? अब तक जिन लोगों को उक्त पदों पर संचालक द्वारा लगाया गया है की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उपमंत्री, यातायात (श्री समरथलाल):

(1) सहायक निरीक्षकों का कोई पद स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में उप-निरीक्षकों के दो पद रिक्त हैं।

(2) यह सही नहीं है। संचालक, यातायात नियुक्ति हेतु सक्षम अधिकारी हैं।

(3) दो स्थान जो रिक्त हैं वे राजस्थान ट्रांसपोर्ट सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1963 के अनुसार भरे जावेंगे अथवा यदि कोई सरप्लस कर्मचारी को लगाने का राज्य सरकार आदेश देगी तो वह लगाया जायेगा। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री शीशराम पूनिया : जो सहायक निरीक्षक लगाये जाते हैं उनका ?

श्री समरथलाल : सहायक निरीक्षक नहीं लगाये जाते। उपनिरीक्षक लगाये जाते हैं। और उनकी नियुक्ति जब करनी होती है तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है।

श्री शीशराम : आज तक तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा।

श्री समरथलाल : आवश्यकता होती है तब किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 515

श्री सुरेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री शम्भूराम।

विनोरी सागर की नहर

516. **श्री शम्भूराम** (लालसोट सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार को विदित है कि विनोरी सागर से जो नहर ग्राम लिपाली एवं तहसील वामनवास के अन्य ग्रामों में जाती थी उसको विनोरी के नाले ने काट दिया है जिससे नहर का पानी भी पिपलाई की नदी में चला जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि गत वर्ष सरकार ने तथा जनता ने लगभग पच्चीस हजार रुपया लगाकर उस नहर का पानी लिपाली आदि ग्रामों में जाने की व्यवस्था करवाई थी ?

(3) क्या यह सही है कि स्थानीय जनता ने सिंघटोली बांध बन्धवाने के लिए निवेदन किया था ?

(4) क्या सरकार को विदित है कि सिंघटोली बांध बन्ध जाने से वामनवास तहसील के 100 ग्रामों को फायदा पहुंच सकता है ?

(5) यदि हां, तो इस ओर क्या कदम उठाया जा रहा है ? तथा यह कार्य कब तक पूरा हो सकेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लढ़ढा) :

(1) जी हां।

(2) छः हजार रुपये की लागत से विनोरी सागर नहर की मरम्मत का कार्य करवाया गया था। जनता ने किसी प्रकार की मरम्मत का कार्य सरकारी नहर पर नहीं किया।

(3) जी हां।

(4) सर्वेक्षण के बाद ही कहा जा सकता है कि कितने ग्रामों को फायदा पहुंच सकता है।

(5) योजना के सर्वेक्षण के बाद यदि वह उपयुक्त पाई गई व धन की व्यवस्था हुई तो कार्य किया जावेगा।

श्री शम्भूराम : उपाध्यक्ष महोदय, यह बांन्ध पूरो भरोड़ो छो। नालो टूट गयो। बामनवास तहसील में गांवों में पानी नहीं जा सकियो। अब उणरी अक्टूबर से पेली पेली मरम्मत करा दो तो लाभ हो सके है। सिंघटोली बान्ध के वास्ते पेली दर्खास्तां दियोड़ी हैं। नादोती की जनता ने ईंसे फायदो हो सके है। ईंसे 200 गांवों में पीलाई हो सके है। शिवडोली बन्ध का नाला नहीं बान्धा। वह बान्धने से फायदा हो सकता है।

पृथ्वीराज का कहणा से सिंघटोली बान्ध नहीं बन्धाया। मैं इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखे। एक पृथ्वीराज का कहना से नहीं रुके।

श्री रामप्रसाद लढढा: माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। विनोरी सागर की नहर का हिस्सा टूट गया है वह अक्टूबर तक हो जावे तो आगे सिंचाई में सुविधा हो सकती हैं। इसके लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी मरम्मत जल्दी ही करा दी जावेगी ताकि आइन्दा सिंचाई में सुविधा हो।

अब जहां तक सिंघटोली बान्ध के बनाने का प्रश्न है, तो इसके लिये जैसा उत्तर मैंने निवेदन किया इसका सर्वेक्षण नहीं हुआ है अभी इसलिये यह सर्वेक्षण कराये जाने के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बाद ही इसकी क्या स्थिति बनती है इसके बारे में कहा जा सकता है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि गांववाले कई बार परेशान हो चुके हैं पर सरकार ध्यान नहीं देती ? इसकी पक्की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य मुझसे मिले थे। जबानी भी इन्होंने कहा था। मैंने भी उनसे निवेदन किया था और अब भी कह रहा हूं कि इसकी मरम्मत ऐसी कर देंगे कि जिससे मजबूत भी हो और आने वाले सिंचाई के दिनों में बन्द न हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या जानकारी है कि सिंघटोली बान्ध को जहां बान्धने का कहा जा रहा है वहां गांव के पास दो पहाड़ हैं, और इन दोनों पहाड़ों के पानी का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि दूसरे बान्ध में से जो पानी की नहर बनी हुई है वह टूट जाती है। सिंचाई की नाली को हर वक्त तोड़ देता है। यह कारण है तो यह कारण दूर किया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सर्वेक्षण कराया जा रहा है कि क्या इसमें इतना पानी है कि जिसको स्वतन्त्र रूप से रोक दिया जावे और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था कर दी जावे और साथ ही साथ इस बान्ध से नुकसान दूसरी नहर के टूटने का होता है तो उससे भी बचा जा सके।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर): प्रश्न यह इतना महत्वपूर्ण है कि सिंघटोली गांव के पास छोटी सी दीवार से छोटा बान्ध बन रहा है तो दोनों बान्धों की यह योजना हो जावेगी। सारी नहर प्रवाह से बच जावेगी और सरकार बहुत कम खर्चे में दोनों बान्ध एक बनाकर आगे सिंचाई करा सकती है। यह जानकारी ये दे रहे हैं आपको।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह जानकारी मुझे भी इन्होंने दी थी और इसी आधार पर मैं इसका सर्वेक्षण करा रहा हूं।

श्री विजय सिंह : यह कब तक हो जावेगा ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : यह प्राकृतिक घटना है। नेचुरल फेनोमेना है। हर साल इससे ब्रीच होता है और टूट जाता है। सर्वेक्षण के लिये मुझे आशा है कि आपने करा लिया होगा और आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। यह उत्पादन की महत्वपूर्ण समस्या है। मैं आशा करता हूं सरकार इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाकर नेचुरल फेनोमिना की कमी को दूर करेगी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वे कराना अभी बाकी है। माननीय सदस्य ने अभी 4–5 दिन पहले ही कहा था उसके आधार पर सर्वे कराया जा रहा है।

प्रश्न सं० 517

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री मोतीलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विद्यासागर।

Page No 5

कन्डक्टरों तथा ड्राइवरों की डेली वेजेज पर नियुक्ति।

518. **श्री विद्यासागर** (खेरवाड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन में कन्डक्टरों और ड्राइवरों को अस्थायी तौर पर डेली वेजेज पर एपॉईन्टमेंट दिया जाता है ?

(2) यदि हां, तो ऐसे एपॉईन्टमेंट देने का राजस्थान राज पथ परिवहन निगम का क्या उद्देश्य है ?

(3) क्या यह सही है कि अस्थायी कन्डक्टरों व ड्राइवरों को अस्थायी होने से ड्यूटी में लगाने के लिये पक्षपात किया जाता है या कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है ?

(4) क्या कन्डक्टरों व ड्राइवरों को डेली वेजेज पर रखने की पद्धत्ति को खत्म करके स्थायी सर्विस पर रखने का इरादा है ?

(5) राजस्थान राज्य पथ परिवहन में इस समय कितने ड्राइवर व कितने कन्डक्टर स्थायी व अस्थायी तथा डेली वेजेज पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि डेली वेजेज के ड्राईवर तथा कन्डक्टर होने से टिकट काटने में चोरियां अधिक की जाती हैं ? यदि हां, तो 1जनवरी,1967 से 30 नवम्बर, 1968, तक कितने केसेज पकड़े गये तथा क्या कार्यवाही की गई ? तथा किन-किन कन्डक्टरों द्वारा टिकट नहीं काटे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उपमंत्री, यातायात (श्री समरथलाल):

(1) जी हां।

(2) अस्थायी तौर पर एम्पलॉयमेंट स्थायी चुनाव के होने तक परिवहन की आवश्यक सेवा को चालू रखने के हित में किये जाते हैं।

(3) जी नहीं।

(4) परिवहन सेवाओं के हित में स्थायी सर्विस व डेली वेजेज पर रखने की पद्धत्ति साथ-साथ रखनी पड़ती है।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं। दैनिक वेतन पर नियुक्ति किये गये चालकों व परिचालकों की सेवा के साथ यह शर्त होती है कि ईमानदारी और ठीक ढंग से काम करने पर ही उन्हें सेवा में स्थायी किया जायेगा। इस भय के कारण बिना टिकट सवारियां ले जाने की संख्या में कमी हुई है। 1 जनवरी, 67 से 31-11-68 तक 3200 मामले बिना टिकट ले जाने के पकड़े गये हैं। इन मामलों में जो गंभीर मामले थे उन परिचालकों को सेवा से अलग कर दिया गया है। सूची संलग्न है।

जिनके मामले अधिक गंभीर नहीं थे, जो अनजाने में गलतियां हुई उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनियां दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विद्या सागर : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो कन्डक्टर्स ड्यूटी पर लगाए जाते हैं वे आर्थिक

Page No 6

(श्री विद्यासागर)

लाभ प्राप्त करने के लिए लगाए जाते और आर्थिक लाभ न होकर टिकट की चोरियां करते हैं।

श्री समरथलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है।

श्री विद्या सागर : इस सूची से साफ जाहिर है कि 9 महीनों मे 3200 मामले पकड़े गये हैं। नाजायज पैसे लिये जाते हैं उसके लिये चोरिया करनी पड़ती हैं।

श्री समरथ लाल : मैंने निवेदन किया यह बात नहीं है। अगर कोई इस तरह के मामले हों तो आप हमें दे, हम उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री विद्या सागर : माननीय मंत्री महोदय ने इनको स्थायी सर्विस में लेने के लिये नियम या विचार करने के लिये कहा है।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (यातायात मंत्री): इन सर्विसेज को अस्थायी से स्थायी करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है.........

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री विद्या सागर : कब से चालू है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि ड्राइवर और कन्डक्टर की स्थायी पदों के अगेन्स्ट अस्थायी एपॉइन्टमेंट की गई है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : यह तहकीक तौर पर नहीं कहा जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि अस्थायी एपॉइन्टमेंट्स काफी 6–6 महीने से अधिक अर्से तक लगातार उतने ही पदों की जो संख्या है 6-6 महीनों से भी अधिक अस्थायी पदों पर नियुक्त रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : ऐसे मामले हो सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार की नीति यह है कि जो स्थायी पद हैं उन पर अस्थायी नियुक्ति न की जाय जब तक आकस्मिक कार्य न हो, लेकिन आप स्थायी हैं उनके अगेन्स्ट में अस्थायी क्यों करते हैं ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा: माननीय सदस्य, तीन तरह की सर्विसेज होती हैं, परमानेन्ट, टेम्परेरी और केजुअल। केजुअल सर्विसेज जैसे रामदेव का मेला आ गया जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा अरेन्जमेंट्स करने पड़ते हैं उसके अन्दर केजुअल ड्यूटी के आधार पर ले लेते हैं जो अस्थायी हैं, और हमारे परमानेन्ट स्ट्रेन्थ के अन्दर हैं, 10–5 अवश्य होंगे लेकिन इसको रेगुलेराइज करने की दृष्टि से, व्यवस्थित रूप देने की दृष्टि से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जयपुर डीपो में और अलवर डीपो में कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स की जितनी स्थायी स्ट्रेन्थ है उसमें मेजोरिटि अस्थायी रूप से नियुक्त किये हुये हैं ?

श्री राम प्रसाद लढ्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, शायद शिड्यूल माननीय सदस्य ने नहीं देखा है, चालक और परिचालक स्थायी और अस्थायी हैं। उस

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

अलावा ड्यूटी डीपों में चालक 27 और परिचालक 90 हैं जबकि स्ट्रेन्थ 400 और 425 से अधिक है। बाकी के सब अस्थायी हैं, अब जो स्थायी और अस्थानी केडर स्ट्रेन्थ है उसमें कुछ कमी है उसको रेगुलेराईज करने की दृष्टि से हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न और है, उपाध्यक्ष महोदय। जो अस्थायी है उसको कितने समय बाद स्थायी बनाते हैं?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : समय का सवाल नहीं है। केसेज स्क्रीनिंग हो रहे हैं। हम उस दिशा में कदम उठा रहे हैं कि यह कार्य जल्दी पूरा हो। इस बारे में हम चेष्टा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

रेवीन ऐरिया में वन लगाने की योजना।

519. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेवीन एरिया में वन लगाने की सरकार की क्या योजना हैं व कोटा जिले में किन-किन स्थानों पर कितने-कितने क्षेत्र में वन लगाने का प्रोग्राम है?

(2) क्या यह सही है कि तहसील साँगोद, जिला कोटा में भूमि-कटाव को रोकने व वन को विकसित करने हेतु करीब 50 गांवों की मार्जिनल लैण्ड वन विभाग को हस्तान्तरित की गई है? यदि हां, तो इन स्थानों का वन विभाग द्वारा अब तक क्या उपयोग किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह सही है कि सांगोद के ग्राम डाबरी व इससे लगते हुए क्षेत्र में एफॉरेस्टेशन किया गया था? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में, कब से और उस पर अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है? इस रकबे से कितनी लकड़ी उपलब्ध होने लगी है?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) कृषि कार्य के अनुपयुक्त कन्दरा भूमि पर भू-संरक्षण की दृष्टि से वन तथा घास उत्पन्न करना प्रस्तावित है। चतुर्थ योजना में कोटा जिले में केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 8000 हैक्टर क्षेत्र में कन्दराओं के पुनरावन (रिक्लेमेशन) का कार्य एक पाइलट योजना के अन्तर्गत करने के प्रस्ताव है जिन्हें केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति तथा वित्त व्यवस्था प्राप्त होने पर क्रियान्वित किया जा सकेगा। स्थान तथा क्षेत्रफल का चुनाव बजट प्रावधान के अनुसार किया जावेगा।

(2) जी हां, 49 गांवों की 5770 बीघा भूमि हस्तान्तरित हुई है। जिसमें से 52 हैक्टर क्षेत्र में 1966 व 1967 में प्लान्टेशन लगाया गया है। प्लान्टेशन कार्य हेतु वित्त-व्यवस्था के अभाव में अभी शेष क्षेत्रफल में प्लान्टेशन नहीं लगाये जा सके हैं।

(3) जी हां, ग्राम डाबरी वन खण्ड डाबरी, रेन्ज खानपुर में 1961-62 से 1964 तक 140 है० में प्लान्टेशन किया

(श्री नारायणसिंह)

गया। इस पर 39006 रु० सन् 1968-69 तक खर्च किया। अभी लकड़ी काटने योग्य नहीं है। 52 हैक्टर में 1966 में भू-संरक्षण कार्य तथा फेन्सिग और 1967 में प्लान्टेशन लगाया गया। इस कार्य पर निम्नानुसार व्यय हुआ:—

सॉइल वर्किंग एवं भू-संरक्षण कार्य	6023.95,	66-67
बाढ़ लगाई (फेन्सिग) बुआई,	9237.97	
एवं पौधा-रोपण।	5247.17,	67-68
योग	20,509.09	

इस क्षेत्र से अभी लकड़ी उपलब्ध नहीं हो रही है। प्लान्टेशन क्षेत्र में लगाये गये वृक्ष बड़े होने पर ही लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के एक तरह से तीन प्रश्न हैं-एक सॉइल कन्जर्वेशन से सम्बन्धित है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या आपका एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम है और उसी रेवीन एरिया में राजस्व विभाग एलॉट कर रहा है तो क्या राजस्व विभाग और फॉरेस्ट विभाग में कौन-कौन सा काम होगा, इस बारे में योजना बनाली है ?

श्री नारायणसिंह : मैं जैसा निवेदन कर चुका हूं कि यह स्कीम सेन्ट पर्सेन्ट सेन्टर स्पोन्सर्ड है और अभी केन्द्र में भेजी गयी है। इसकी अनुमति प्राप्त होना अभी बाकी है, और जो यह रेवीन रिक्लेमेशन का असेसमेंट कराया गया था, सेन्टर भी इसमें जागरूक है, उसके अनुसार काफी बड़ा भारी क्षेत्र रेवीन रिक्लेमेशन के लिए है, और रेवीन की सर्वे इत्यादि करा रहे है, और उसके अनुसार एक कमेटी बैठाई थी जिसने जी-1, जी-2, और जी-3 तीन टाइप के रेवीन बताये थे, और उनके अन्दर भी जी-2 और जी-3 इसके अन्दर से जी-3 अधिक गहरा 15 फुट का रेवीन आता है, वह तो वन विभाग को देने का था और जी-2 है वह हाउस इत्यादि के रिक्लेमेशन के लिए देने का था, और इसके अन्दर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी का प्रस्ताव हुआ, और उसके साथ ही साथ ग्राम-सभा के पास से भूमि उपलब्ध करना और निजी भूमियों को उपलब्ध करके उनको इस रेवीन रिक्लेमेशन के कार्य में लेने की योजना बनाई गई जिसमें यह भी तय किया गया कि निजी भूमि जो ली जायेगी उसको तो पहले उन्हीं व्यक्तियों को वह भूमि तैयार करके शर्तों पर दी जायेगी और जो अलग तौर से दी जायेगी उसको अलगतौर से व्यवस्थित किया जायेगा। तो यह सारी व्यवस्था की है। और इसी के अनुसार जब यह केन्द्र से अनुमोदित होकर स्कीम आ जायेगी तो 8 हजार हैक्टर के अन्दर रिक्लेमेशन का काम समारम्भ करने के लिए एक करोड़ का प्रावधान है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं आया है। मैंने पूछा था कि रेवीन रिक्लेमेशन का सर्वे हो चुका है और उसके बाद में इनके पास रिपोर्ट भी आ चुकी है। उस रिपोर्ट के आने के बाद रेवेन्यू विभाग से मिलकर क्या यह तय कर लिया है कि कौन कौनसा एरिया फॉरेस्ट में रहने वाला है और

(श्री जुझारसिंह)

कौन-कौन सा एरिया रिक्लेमेशन के लिए प्राइवेट पार्टीज को देना है; यह रिपोर्ट आ गयी है क्या ?

श्री नारायणसिंह : इसके विषय में अभी 8 हजार हैक्टर भूमि का अनुमान लगाया गया है और विगतवार कौनसी भूमि इसके अन्दर कुछ प्राइवेट आयेगी और कुछ पंचायतों की भूमि भी आयेगी और दूसरी भी आयेगी। मैं इस समय छांटकर नहीं बता सकता कि कौनसी भूमि राजस्व की आयेगी और कौन सी नहीं, लेकिन मैं केवल बुनियादी स्कीम के अनुसार बता सकता हूं कि जी-1, जी-2 और जी-3-तीन प्रकार की हैं। उसमें जी-3 प्रकार की भूमि रेवीन होगी वह जंगल के साथ में आयेगी और दूसरी भूमि को दूसरे विभाग द्वारा कराया जायेगा।

श्री जुझारसिंह : जो जी-1 टाइप की है वह 80 पर्सेन्ट के करीब पर्सनल आकुपेशन में है और जो 13 या 14 पर्सेन्ट है वह स्केटर्ड बीड्स में है तो उनमें किसी तरह का काम नहीं किया है, ऐसी सूचना है, आपके पास ?

श्री नारायणसिंह : जी-1 की बहुत गहरी रेवीन नहीं है इसलिए वह इस अर्से में जब कि लेण्ड हंगर की समस्या भी हमारे सामने मौजूद है और दनादन एलॉटमेन्ट भी हो रहे हैं, और प्रेशर से हो रहे हैं उस समय में इस प्रकार की भूमि दी भी गयी है। यह भी असान्य नहीं किया जा सकता लेकिन जी-3 जो भूमि है जो कि साधारणतया किसी व्यक्ति से सुधारी नहीं जा सकती उस जी-3 के लिए ही वन विभाग की जिम्मेदारी ज्यादा आती है। स्केटर्ड भी है और स्केटर्ड होने के कारण ही माननीय सदस्य को मालूम है कि सांगोद या दूसरी तहसील है उसको वन विभाग ने लेने के लिए इन्कार इसलिए कर दिया था कि अलग-अलग भूमि को किस प्रकार से व्यवस्थित की जायेगी और क्या किया जायेगा, लेकिन उस मसले को भी अब हल करना है कि अलग अलग भूमि को किस प्रकार से लिया जाये और किस प्रकार से की जाये और उसकी व्यवस्था का सारा ढांचा किस प्रकार से बैठाया जाय ?

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कम्प्लीकेटेड ववेचन है। आपको करीब 6 हजार बीघा भूमि इसलिए ट्रान्सफर हुई कि उसमें जो बढ़ता हुआ इरोजन है उसको रोकने की आप व्यवस्था करें। आपके नाम पर जो भूमि ट्रान्सफर हुई है उसमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री नारायणसिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि उसके अन्दर से 52 हैक्टर भूमि में प्लान्टेशन किया गया है। 5770 हैक्टर भूमि दी गयी थी और 5770 में से 52 हैक्टर ही की गयी और अब बाकी सारी व्यवस्था उसके अन्दर करनी है। मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि उसके अन्दर जो रेवीन के रिक्लेमेशन के लिए बाकायदा काम जो चलना चाहिए यह योजना आने पर और धन की प्राप्ति होने पर ही हो सकता है। उसके अन्दर अभी कोई इस प्रकार से काम हाथ में नहीं लिया है।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन सॉइल कन्जर्वेशन के काम के लिये

(श्री जुझारसिंह)

इन्हें ट्रान्सफर हुई हैं । वहां पर सॉइल इरोजन की प्राब्लम बड़ी सीरियस है, और इसलिए गांव वालों ने वालेन्टरीली यह सोच कर कि वन विभाग को ट्रान्सफर होने से इसका कटाव कम हो जायेगा और वह काम कर सके, इसलिए इस जमीन को ट्रान्सफर किया है । मैं मंत्री महोदय से जानकारी चाहता हूं कि आपके पजेशन में आने के बाद इस जमीन पर ट्रेसपासिंग का क्या हुआ है ? क्या आपने व्यवस्था की है कि इस जमीन को कम से कम अनधिकृत कब्जे से बचाया जा सके, ताकि इसका सॉइल इरोजन नहीं हो और कटाव से बच सके और आपने 52 हैक्टर के लिए बताया है कि इसमें प्लान्टेशन किया है तो आपने किया होगा, लेकिन जहां नहीं कर पाये हैं वहां ट्रेसपासिंग नहीं हो और जमीन पर पेड़ नहीं कटें और सॉइल इरोजन नहीं हो इसके लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री नारायण सिंह : मैं निवेदन कर चुका हूं कि 52 हैक्टर जमीन जिसके ऊपर प्लान्टेशन किया गया उसके अन्दर फेन्सिंग किया गया और उसका खर्चा भी बताया और अब बाकी 5 हजार हैक्टर भूमि बचती है। उसके फेन्सिंग की प्राब्लम है और दूसरी प्राब्लम्स भी हैं । फेन्सिंग करने से ही उसके अन्दर अतिक्रमण रुक सकता है और वह तभी हो सकता है जब कि योजनागतरूप से हमारे पास में अर्थ की प्राप्ति हो । मैं मानता हूं उसके अन्दर अतिक्रमण होता होगा और वांछित लाभ जो होना चाहिए वह भी नहीं हुआ और उसमें देरी हुई है, लेकिन जब तक स्कीम पूरी नहीं आ जाय और धन की प्राप्ति नहीं हो जाय तब तक माकूलरूप से व्यवस्था नहीं की जा सकती ।

श्री जुझारसिंह : फिर आपके महकमें में लेने से क्या फायदा है ? आप फेन्सिग भी नहीं कर रहे हैं और ट्रेसपासिंग को भी नहीं रोक पा रहे हैं । दूसरी योजना भी नहीं बना रहे हैं तो पांच-सात साल से आपके कब्जे मे लेने से क्या फायदा ?

श्री नारायणसिंह : यह 1966-67 में कब्जे में आई है और दो तीन साल हुए हैं, और मैं मानता हूं देरी हुई है, लेकिन जब तक स्कीम पूरी तरह से नहीं आये तब तक कैसे हो ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : यह स्कीम कब तक आ जायेगी ?

श्री नारायणसिंह : इस साल या अगली साल तक आ जानी चाहिए । अतिक्रमण भी समस्या है । यह मैं कह रहा हूं । अपनी जानकारी के अनुसार अगर मेरे ख्याल में है तो इसको भी एडजस्ट करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री जुझारसिंह : एक पर्टीकुलर प्लान्टेशन के लिए मैंने पूछा है प्रश्न ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इससे हल निकलने वाला नहीं है । या तो आप विचारगोष्ठी रख लें कोटा के अन्दर और मंत्री महोदय वहां आ जायें ।

श्री जुझारसिंह : जो पर्टीकुलर प्लान्टेशन के बारे में मैंने निवेदन किया है मन्त्री महोदय, आपके विभागीय ऑफिसर को भेजकर बतायें कि 40 हजार रुपये खर्च करने के बाद इस प्लान्टेशन की क्या दशा है और 8 वर्ष के बाद भी आपने कहा कि उनकी उम्र ज्यादा बतायी है । पेड़ काटने

(श्री जुझारसिंह)

का साल दो साल में काम करेंगे लेकिन, 40 हजार रुपया खर्च करने के बाद उसकी जांच तो करवालें कि उन प्लान्ट्स का क्या हुआ? मैं यही निवेदन करूंगा कि आप जांच करवा लें कि वहां पर कोई पेड़ भी है या नहीं?

श्री नारायणसिंह : प्लान्टेशन राजस्थान के अन्दर कई जगह पर काफी एकड़ में हुआ है और प्लान्टेशन की जांच के लिए कमेटी भी बैठाई है। बीच में मान लिया गया था और प्लान्टेशन निरर्थक रहा है इसलिए बन्द कर दिया जाये। उसके कारण प्लान्टेशन होना भी बन्द हुआ, लेकिन मैं इसको महसूस करता हूं कि जितने प्लान्टेशन मैं देख पाया हूं उनमें ज्यादा खराबियां भी हुई हैं, परन्तु एज ए होल प्लान्टेशन काफी अच्छा हुआ है और इतना प्रयत्न करने के बाद भी छोड़ना उचित नहीं है। इसलिए कमेटी बनाई गई है कि वह रिपोर्ट पेश करे।

श्री जुझारसिंह : इसके बारे में देख लें.........

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, माननीय सदस्य। काफी समय ले लिया है इसने।

श्री भैरोंसिंह : उसकी कम से कम जांच तो करा लें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : Sir, heavy questions, short time and long replies, how will it be managed?

श्री उपाध्यक्ष : Next, Shri Krishana Kumar Goyal.

अन-हैल्दी लोकेलिटीज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भत्ता

520. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा):** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार अनहैल्दी लोकेलिटीज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता अथवा वेतन दिया जाता है? अगर हां, तो कहां-कहां, किन-किन को कितना-कितना?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सुविधा मिनिस्टीरियल स्टाफ को नहीं दी जाती? अगर हां, तो क्यों?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (स्वास्थ्य मंत्री) :

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि टी० बी० अस्पताल के अन्दर अनहैल्दी सर्विसेज के कारण लोगों को स्पेशल भत्ता दिया जाता है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने अनहैल्दी लोकेलिटीज का जिक्र किया है, हैजार्ड्स वर्क का जिक्र नहीं किया है। टी० बी० अस्पताल में स्पेशल एलाउन्स मिलता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार से टी०बी० अस्पताल के अन्दर जो एलाउन्स देते हैं वह एलाउन्स किन-किन व्यक्तियों को दिया जाता है?

Page No 12

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टी० बी० अस्पताल में टेक्निशियन्स को और जिनका रोगियों से सम्पर्क होता है उन सबको दिया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या आप यह उचित नहीं समझते हैं कि टी० बी० अस्पताल में जो मिनिस्टीरियल स्टाफ के लोग हैं वे भी उसी वातावरण में काम करते हैं और टी० बी० के पेशेन्ट्स के सम्पर्क में आते हैं तो उनको इस प्रकार का एलाउन्स दिया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टी. बी. अस्पताल में जो मिनिस्टीरियल स्टाफ आता है उसमें क्लेरिकल स्टॉफ भी है और चपरासी भी हैं। जो रोगियों के सम्पर्क में आते हैं उनके बारे में है जैसे कि टैक्निशियन्स जो कि रोगियों को देखते हैं और जो रोगियों से सम्बन्ध रखते हैं, उनको स्पेशल एलाउन्स दिया जाता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि टी० बी० अस्पताल शहरी आबादी के बाहर केवल इसी ख्याल से बनाये जाते हैं कि टी० बी० पेशेन्ट्स से दूसरे व्यक्तियों का सम्पर्क न हो और वह बीमारी न फैले ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह धारणा पुराने जमाने के अन्दर थी। आजकल जो टी. बी. क्लिनिक और सेनिटोरियम बनाये जाते हैं उसमें इस बात की आवश्यकता नहीं है कि टी. बी. अस्पतालों को बहुत दूर शहर से रखा जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आप भी बीमार हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि जिन परिस्थितियों में वहां का मिनिस्टीरियल स्टाफ और दूसरे कर्मचारी काम करते हैं और रोजाना जो मरीजों के सम्पर्क में आते हैं और रोजमर्रा काम पड़ने के कारण उनका उनसे कॉन्टैक्ट काफी हो सकता है तो इस कारण से उनको भी एलाउन्स दिया जाना चाहिए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं ऐसा समझता हूं कि जो टी. बी. एक्सपर्टस हैं उन्होंने इस तरह का सजेस्ट नहीं किया है कि वहां के जो क्लास फोर्थ सर्वेन्ट्स हैं वे भी रोगियों के सम्पर्क में आते हैं इसलिए उनको टी० बी० हो जाने का अंदेशा है।

श्री भैरोंसिंह (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या इस·····

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप वार्ड बोय्ज (Ward boys) को भी देते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे खयाल से वार्ड बोय्ज को भी मिलता होगा। अगर नहीं मिलता होगा तो विचार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मेहतर को देते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेहतर का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सारी लेट्रिन्स वगैरह फ्लश की बनी हुई हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या मेडीकल एक्सपर्टस् ने आपको यह ओपीनियन दी है कि इनको एलाउन्स दिया जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : टी० बी० अस्पताल के स्टाफ को एलाउन्स देने का प्रश्न जब आया था तो उन्होंने ये प्रोपोजल्स दिये थे।

श्री भैरोंसिंह : कब से आप कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : राणावत पे कमीशन के बाद में यह विचार चला था। राणावत कमीशन के बारे में जब स्पेशल पे की चर्चा हुई थी तब उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की थी।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने उनसे बात करने के लिए बुलाया तो मिनिस्टीरियल स्टाफ के बारे में विचार नहीं किया होगा तो क्या यह कहें कि उन्होंने अपनी ओपीनियन में इस बात को स्पष्टरूप से एक्सप्रेस किया है कि मिनिस्टीरियल स्टाफ को किसी प्रकार का एलाउन्स देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्रश्न जिस तरह का आपने पूछा है उसमें अनहैल्दी लोकेलिटीज का है, उसमें अगर आप विशेषरूप से टी० बी० अस्पताल का जिक्र करते तो शायद मैं देख कर बता सकता।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और है। क्या इस प्रकार का एलाउन्स जो आइसोलेशन वार्ड्स अलग-अलग हॉस्पिटल्स में हैं वहां के वार्ड बोय्ज़ या वहां के स्टाफ को भी दिया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं इस बारे में जानकारी हासिल करके बता सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री भगवानदास शास्त्री।

शरणार्थी शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु

521. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 1-7-67 को 55 वर्ष पूरे करने पर राजस्थान के शिक्षकों को रिटायर्ड किया गया था ? यदि हां, तो सारे राज्य के शरणार्थी शिक्षकों को 55 वर्ष से अधिक आयु तक सेवा करने का अवसर दिया गया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा 4-8-67 को घोषणा की गई थी कि शरणार्थी अध्यापक व अध्यापिकाएं 60 वर्ष तक सर्विस कर सकती हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने शिक्षक वापिस 16-8-67 को सर्विस में लिये गये ?

(3) क्या यह सत्य है कि वापिस लिये गये शिक्षकों के सम्बन्ध में 'कन्टीन्यू' शब्द का प्रयोग किया गया था ? यदि हां, तो सिर्फ अजमेर में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स द्वारा पुरानी सर्विस काट कर नये रूप में लिया जाना कहां तक उचित है ?

(4) क्या यह सत्य है कि जयपुर व जोधपुर नगरों के अध्यापकों को 17-8-67 के दिनों की पे का भुगतान भी सरकार कर चुकी है ? यदि हां, तो अजमेर के अध्यापकों को राजस्थान के अन्य शरणार्थी शिक्षकों की भांति सर्विस कन्टीन्यू करके व अगस्त, 1967 के दिनों की पे देने का विचार है ?

(5) एक ही राज्य में भेद क्यों बरता गया है, आई० ए० ए० अजमेर के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जावेगी ?

Page No 14

उप-मन्त्री, शिक्षा (राव धीरसिंह) : (1) यह सही है। पाकिस्तान के विस्थापित अध्यापकों को 55 वर्ष की आयु के पश्चात् 60 वर्ष की आयु तक पुन: नियुक्ति साल के साल दी जाती है। यदि ये मानसिक व शारीरिकरूप से स्वस्थ हों तथा राज्य सेवा में 1952 से पूर्व के हों।

(2) यह सत्य है। वापस लिये गये शरणार्थी शिक्षकों की संख्या नियमानुसार है।

वि० नि० जयपुर	7
वि० नि० जोधपुर	4
वि० नि० अजमेर	50

(3) जी हां, विद्यालय निरीक्षक, जयपुर द्वारा ऐसा किया गया था। पाकिस्तान से विस्थापित अध्यापकों को 55 वर्ष के पश्चात 60 साल की आयु तक साल के साल पुन: नियुक्ति पर रखा जाता है। अत: उक्त विषय में वि. नि. अजमेर द्वारा की गई कार्यवाही राज्यादेशानुसार ही है।

(4) जी हां, अजमेर जिले के पुन: नियुक्त विस्थापित अध्यापकों को जब तक पुन: नियुक्त वेतन स्थिरिकरण राजस्थान सेवा नियम 337 के अन्तर्गत निर्धारित नहीं होता तब तक शिक्षकों को वेतन शृंखला का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है।

(5) विस्थापित अध्यापकों की पुन: नियुक्ति नियमानुसार की गई है इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं बरता गया है। विद्यालय निरीक्षक, अजमेर ने विस्थापित अध्यापकों के मामलों में राज्य सरकार के आदेशानुसार ही कार्यवाही की है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या 'कन्टीन्यू' सर्विस के बारे में जो राज्यपाल महोदय के आदेश हैं– एज्यूकेशन/767/4 अगस्त 1967 का ऑर्डर है गवर्नमेंट का वह इस प्रकार से स्पष्ट ऑर्डर है—

"Governor is hereby pleased to order that the displaced teachers from Pakistan employed as teachers in Government Schools in Rajasthan may be allowed to continue in the Govt. service upto sixty years."

तो अजमेर में जितने भी शरणार्थी अध्यापक जो 55 वर्ष पर रिटायर होने वाले थे और यहां इसी सदन में शायद मुझे याद है कि जुलाई 67 को माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न पर उन्होंने बताया था कि मामला बहुत गम्भीर है और शरणार्थी जो सिर्फ एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में हैं उनको 60 वर्ष की सहूलियत दी गई थी। तो हमें तो अत्यन्त श्रद्धा हुई सभी को सुनने से कि माननीय मन्त्री जी एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में शरणार्थियों को सहयोग दे सकते हैं। तो यह जो "कन्टीन्यू" शब्द है और आपने यह कहा कि इंसपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने भेद नहीं बरता है तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि अजमेर जिले में 55 पर रिटायर हुए तो उनको नया एपाइंटमेंट क्यों मिला जब कि यह दूसरे जिलों में नहीं है ?

श्री धीरसिंह : मैंने प्रश्न के उत्तर में अर्ज कर दिया है कि 9-11-67 को उस की एमेंडमेंट निकला है तो पहले वाले आर्डर में से 'कन्टीन्यू' शब्द को हटाकर उसकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक हो यह जोड़ दिया है। यह एमेंडमेंट निकाला है हम ने 9-11-67 को उसके बाद इन्सपेक्टर्स जो पहले वाले ऑर्डर के तहत में कन्टीन्यू कर रहे थे उन्होंने भी उस ऑर्डर में एमेंडमेंट कर लिया है, तो यह एमेंडमेंट कर दिया है 9-11-67 के ऑर्डर के बाद। इस प्रकार से सब-इन्स-पेक्टोरेट में जब भी नियुक्त किये जाते हैं तो इस तरह से जाते किये हैं। इसके बाद फिक्सेशन आर० एस० आर० के रूल (33) के तहत जब तक नहीं होता है फाइनल और जब तक रूल्स के अन्दर वे फिक्स नहीं हो जाते हैं तब तक न्यूनतम वेतन जिन पर उनको रिएम्प्लॉय किया गया है वह मिल रहा है, और जो उनको एक्चुअली मिलना चाहिए वह फाइनल फिक्सेशन होने पर दे दिया जायेगा। और इसके अन्दर दूसरे इन्सपेक्टो-रेट्स में अलग-अलग नीति नहीं है। अजमेर में अलग नीति नहीं बरती गई है। सभी इन्सपेक्टोरेट में एक जैसी नीति बरती गई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : विशेष-तौर से जब उनको सर्विस में ले रहे हैं तो सिर्फ अजमेर वालों को ही नया एपॉइंटमेंट मिला है या जयपुर वालों को भी मिला है?

श्री धीरसिंह : जयपुर में ऑर्डर निकला है, वह 4-8-67 को निकला है लेकिन 9-11-67 को एक दूसरा ऑर्डर निकालकर उसमें एमेंडमेंट कर दिया गया है, और उसके बाद में अजमेर और जयपुर में सभी जगहों पर इस प्रकार से रिएम्प्लॉयमेंट किया गया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : बाकी के ऑर्डर्स के बारे में जब तय होगा तब बाकी का पैसा मिलेगा तो उसका वह कब तक डिसाइड करेंगे ?

श्री धीरसिंह : उनके लिए कार्यवाही हो रही है और पे स्केल फिक्स करने के व पैन्शन वगैरह के मामले हैं उनको जल्दी करवा दिया जायेगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : जहां तक मेरा विश्वास है, आप मुझे क्षमा करेंगे, आपके पास जब भी अजमेर का कोई भी शिक्षक आया है, किसी ने माथुर साहब के लिए शिकायत नहीं की, लेकिन आपके लिए कहा गया है कि आप उनको इस तरह से कहते हैं कि आपने कांग्रेस को तो जिताया नहीं अजमेर में।

श्री धीरसिंह : आपका कहना बिल्कुल गलत है।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह मुझे बिल्कुल सही सूचना मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भगवानदास शास्त्री : यह आपके विचार हैं। माननीय माथुर साहब के नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ये माथुर साहब हैं जो इस प्रकार धोखा करते हैं। कांग्रेस वाले ट्रांसफर कराते हैं तो ये करते हैं। ये माथुर साहब हैं जिनकी चर्चा हो रही है।

श्री धीरसिंह : इस प्रकार की बात जो आप करते हैं यह बिल्कुल गलत है।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री रामानन्द अग्रवाल।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न संख्या 522।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मैं तो यह बरदाश्त नहीं करूंगा कि कांग्रेस वाले दूसरों को ऐसा कहें। क्या हम नहीं आते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कहना नहीं चाहिए, कर दें तो और बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : करना चाहिए, कह दें तो और बात हैं।

भ्रमणशील स्टरलाइजेशन इकाई के चिकित्सक को विशेष वेतन

522. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या परिवार–नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है, कि परिवार-नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करने वाले भ्रमणशील स्टरलाइजेशन इकाई के चिकित्सक को 50 रुपया प्रति माह विशेष वेतन नहीं दिया गया हैं, जबकि भ्रमणशील आई० यू० सी० डी० इकाई में कार्य करने वाली महिला चिकित्सक को 50 रुपया प्रतिमाह विशेष वेतन दिया गया है। यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मई, 1969 से पूर्व पूरे समय परिवार-नियोजन के अन्तर्गत कार्य करने वाले चिकित्सकों को नसबन्दी करने के लिए 3 रुपया प्रति नसबन्दी दिया गया है। जबकि दूसरे चिकित्सकों को प्रति नसबन्दी 5 रुपया दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्यमन्त्री, परिवार नियोजन (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां। राज्य महिला चिकित्सकों की कमी तथा भ्रमणशील आई० यू० सी० डी० इकाइयों में लूप प्रविष्टी के लिए उनकी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए यह अतिरिक्त विशेष वेतन महिला चिकित्सकों को इस कार्यक्रम में आकृष्ट करने की दृष्टि से स्वीकृत किया गया है।

(2) जी हां। इसका कारण यह है कि परिवार-नियोजन में पूरे समय कार्य करने वाले चिकित्सकों को आरम्भ में प्रत्येक नसबन्दी पर कोई प्रेरक धनराशि नहीं दी जाती थी जबकि दूसरे चिकित्सकों को 5रु. प्रति नसबन्दी दिये जाते थे। पूरे समय कार्यक्रम में नियुक्त चिकित्सकों को 75 रुपया विशेष वेतन दिया जाता था ? फिर राज्य सरकार ने कार्यक्रम के हित में यह उचित समझा कि विशेष वेतन के बजाय प्रति नसबन्दी पर इतनी प्रेरक धनराशि दी जावे कि वह विशेष वेतन की राशि से अन्ततोगत्वा प्रतिमाह कम न हो और साथ ही नसबन्दी कार्य भी अधिक हो। चूंकि चिकित्सक जितनी अधिक नसबन्दी करेगा उतनी अधिक प्रेरक धनराशि उसको मिलेगी। इस सम्बन्ध में यह अनुमान था कि पूरे समय कार्यक्रम में नियुक्त चिकित्सक प्रतिमाह पचास से साठ के बीच नसबंदी अवश्य कर सकेगा और इस प्रकार वह प्रतिमाह 150-200 रुपये प्रेरक धनराशि प्राप्त कर लेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो पहले प्रश्न का आपने उत्तर दिया कि महिलाओं को इसलिए देना पड़ा कि वह उपलब्ध नहीं थीं तो 'equal pay for equal work' के अनुसार पुरुष डाक्टरों को भी देने में क्या था ? क्या महिलाओं ने आपत्ति की है कि यदि पुरुषों को भी दिया तो हम काम नहीं करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे मोबाइल चिकित्सा इकाई में महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए 50 रु० विशेष वेतन देना पड़ा था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह पूछ रहा था कि एक किस्म का काम करने वालों को, एक किस्म की योग्यता वालों को एक को आप कुछ नहीं देते हैं और एक को आप 50 रु० देते हैं। और विशेष वेतन बिना आने के लिए महिलाए तैयार नहीं हैं तो उनको 50 रु० दिया गया। योग्यता एक हैं। काम एक तरह का है।

श्रीमती सुमित्रा : चूंकि महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं थीं, क्योंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर्स की कमी है। बाहर के दौरों में जाने के लिए महिलाएं तैयार नहीं होती हैं। स्टेट फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ने यह निर्णय लिया था। जिससे कि महिलाएं आकृष्ट होकर आ सकेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह तो उससे पूरा हो सकता था। सबका बढ़ा देते। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर पुरुषों को अधिक दिया जाता तो हम फाइट करते। महिलाओं को दिया जाता है तो यह यह पुरुषों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्या महिलाएं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन को उचित समझती हैं। तो क्या वह यह उचित नहीं समझती हैं कि पुरुष डाक्टरों को भी 50 रु. दे दें। महिलाएं भी आकर्षित हो जाती और पुरुष भी महिलाओं के कृतज्ञ हो जाते।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि महिलाएं पैसे से ही अधिक आकर्षित होती हैं, यह कहना गलत है।

श्री रामकिशन : यह शब्द उपयुक्त नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : इसके सम्बन्ध में किसी डॉक्टर ने रिप्रेजेण्टेशन दिया नहीं है। ख्वाहमख्वाह माननीय सदस्य बढ़ावा दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे हिस्से का जो आपरेशन टाइम में, प्राइवेट इन्स्टीट्यूट में 5 रुपये देते हैं। तो आप सब को 5 रुपये कर दें। मेरा निवेदन यह है कि आपने अगर गलत स्वीकार कर लिया तो 67–69 के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जिनको 3 रुपया मिला है, उनका जो वाजिब है, वह उनको क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उत्तर दे रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदया।

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष समय में उनको विशेष वेतन मिलता था। उसको रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से देना टैक्निकल तौर से असम्भव था। इसलिए

(श्रीमती सुमित्रा)

यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि किसी का कर दिया गया तो सब कर दिया जाना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह दुरुस्त नहीं है। 75 रुपये कम हुए तब आपने पर आपरेशन देना शुरू किया है।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य को मैं जानकारी दूं कि परिवार-नियोजन का उनको नॉन-प्रैक्टिस अलाउन्स मिलता है। इसलिए जब यह विशेष वेतन किया गया तो यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। तब फिर ऐसा महसूस करते हुए 3 रुपये के बजाय 5 रुपये कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में विज्ञान विषय की कक्षाओं में प्रवेश

523. **श्री नाथूदास** (फलासिया सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों में केमिस्ट्री, बोटेनी, बॉयोलोजी, फिजिक्स में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने के निमित कितने-कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ?

(2) क्या यह सत्य है कि प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से चयन के लिए राजस्थान के विद्यार्थियों के लिये प्राप्तांक अंकों के प्रतिशत अधिक रखे गये व अन्य प्रान्तों के लिये कम ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो राजस्थान के विद्यार्थियों को किस प्रतिशत अंक तक प्रवेश दिये गये व अन्य प्रान्तों को किस प्रतिशत तक ? प्राप्त प्रार्थना पत्रों के अनुपात में प्रवेश पाने वाले छात्रों का क्या प्रतिशत रहा ? प्रान्तवार सूचना देने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि राज्य सरकार ने स्वीकृत स्थानों पर प्रवेश के निमित्त प्रान्तवार कोटा निश्चित किया है ? यदि हां, तो इसी प्रकार की सुविधा क्या राजस्थान के छात्रों को अन्य प्रान्तों में भी दी गई है ? यदि हाँ, तो कहां-कहां ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने का विचार रखती है ?

(4) जिन छात्रों को प्रवेश नहीं मिल सका उनके सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध कृषि विभाग से है। कृषि मंत्रीजी इस सम्बन्ध में उत्तर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री नाथूदास : उपाध्यक्ष महोदय ···

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी उत्तर दे देंगे। अगला प्रश्न।

सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स को सुविधाएं

524. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई मानसिंह हॉस्पीटल तथा मेडिकल कॉलेज जयपुर के किन डॉक्टर्स को

(श्री भैरोंसिंह)

मुफ्त बिजली, पानी, मकान एवं टेलिफोन को सुविधा प्राप्त है ?

(2) सन् 67-68 व 68-69 में किस-किस डॉक्टर का उपरोक्त पदों में प्रत्येक में प्रति माह कितना-कितना खर्चा हुआ ? टेलीफोन में ट्रंक काल का कितना-कितना खर्चा हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि यह खर्चा बहुत अधिक हो रहा है ? यदि हां, तो इस को कम करने सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज में टेलिफोन के अतिरिक्त डॉ० एल० एम० सांघवी, प्रधानाचार्य को मुफ्त बिजली, पानी एवं मकान की सुविधा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक सवाई मानसिंह अस्पताल होने के कारण प्राप्त हैं। उनके अतिरिक्त सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में टेलिफोन के अतिरिक्त यह तीनों सुविधाएं डॉक्टर हैलिक, डॉ० जैकब, डॉ० उदावत एवं डॉ० जे० पी० मेहता को ही प्राप्त है। डॉ० जैकब को गर्ल्स होस्टल की वार्डन होने के कारण व इसी प्रकार डॉ० उदावत को बॉयज होस्टल व डॉ० जे० पी० मेहता को चीफ वार्डन होने के कारण मुफ्त मकान व बिजली व पानी की सुविधा दी गई है। डॉ० हैलिक आनरेरी कन्सलटेंट हैं, जिन्हें यह सुविधाएं दी गई हैं।

(2) 1967-68, 1968-69 में जिन जिन डॉक्टरों का टेलिफोन पर प्रति-माह जो खर्चा हुआ उसकी सूची संलग्न हैं। राज्य सरकार के निर्णय अनुसार जिन डॉक्टरों को मुफ्त टेलिफोन की सुविधा उपलब्ध है उनको 6 लोकल काल प्रति दिन के हिसाब से खर्चा राज्य सरकार देती है एवं इस अतिरिक्त काल करने पर स्वयं सम्बन्धी डॉक्टर को अतिरिक्त काल के लिए भुगतान करना पड़ता है। ट्रंककाल यदि सरकारी कार्य से किया जाय तभी सरकार उसका बिल चुकाती है। व्यक्तिगत ट्रंक-काल का खर्चा वह स्वयं उठाते हैं।

(3) जी नहीं। जो खर्च हो रहा है नियमानुसार वह निश्चित सीमा में किया जा रहा है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : बिजली पानी के खर्चे पर राज्य सरकार ने कोई सीलिंग निर्धारित की हुई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेरे ख्याल में नहीं की हुई है।

श्री भैरोंसिंह : इसके नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कारण मैं नहीं बता सकता हूं। मैं समझता हूं कि जितना बजट प्रॉविजन है उससे अधिक नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह सवाल नहीं है, क्या सरकार सीलिंग निर्धारित करना चाहती है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे प्रश्न के उत्तर में जो टेलिफोन का स्टेटमेंट दिया है, क्या इसमें ट्रंक काल भी शामिल हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं, ट्रंक काल का रजिस्टर के मुताबिक वेरीफाई करना पड़ता है और अगर गवर्नमेंट के लिए ट्रंक-काल रजिस्टर में दर्ज होते हैं तो उनका खर्चा सरकार वहन करती है।

श्री भैरोंसिंह : ट्रंक काल का वेरीफिकेशन कौन करता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हैड आफ दी डिपार्टमेंट।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि हैड आफ दी डिपार्टमेंट, जो इस टेलिफोन की सुविधा का उपयोग करते हैं, उसमें स्वीकार करते हैं कि यह ट्रंक काल राज्य के काम के लिए किये गये हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके अलावा जरिया क्या है, उनके वेरीफिकेशन के ऊपर ही विश्वास करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसके लिए टेस्ट चैकिंग करना चाहती है जिससे पता चल सके कि ट्रंक काल सरकारी आधार पर हुए या प्राइवेट आधार पर हुए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यदि कोई ऑडिट आब्जेक्शन हो जाय तो सवाल पैदा होता है। वैसे इतनी बड़ी तनख्वाह पाने वाले व्यक्ति पर विश्वास करना चाहिए, कि जो वह लिखते हैं वह सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऑडिट आब्जेक्शन आया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसका इल्म नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह बड़ी तनख्वाह प्राप्त करने वालों पर विश्वास कर सकते हैं और छोटी तनख्वाह पाने वालों पर नहीं कर-सकते इसका क्या आधार है ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : डाक्टर हेलिक को जो आप कन्सलटेशन के कारण सुविधा दे रहे हैं, क्या आप यह बता सकते हैं कि सरकार ने उन्हें कितने केसेज में कन्सल्ट किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आगे प्रश्न आ रहा है। एक सवाल आगे आ रहा है इसके बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय सिंह।

बांदीकुई की फर्म से अनाज की खरीद

525. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह मई-जून, 1968 में भगवानसहाय श्री नारायण बांदीकुई की फर्म से अनाज खरीदा गया ? अगर हो, तो अनाज की किस्में क्या थीं, उसके भाव क्या थे और भुगतान कितने रुपयों का किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह अनाज श्री पाण्डे, पर्चेजिंग ऑफिसर के नाम से खरीदा गया और इस खरीद के बाद वे विकास अधिकारी बना दिये गये हैं ? अगर हां, तो किन कारणों ?

उप मंत्री खाद्य (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, अनाज खाद्य निगम के माध्यम से खरीदा गया है। श्री पाण्डे को दिनांक 4-8-69 को विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। कारण कृषि प्रसार अधिकारियों में से भी विकास अधिकारियों के पद भरे जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि पर्चेजिंग आफिसर श्री पाण्डे ने इस धान को एप्रूव किया था, अनाज को ?

श्री रामदेव सिंह : जी।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि यह जो अनाज था, यह सड़ा गला था ?

श्री रामदेव सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजय सिंह : अलग से नहीं है, इसमें यह पूछा गया है। इसमें पूछा गया है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): धान कैसा खरीदा गया ? अलग से कैसे हो जायगा ? धान एप्रूव किया गया है तो अलग से प्रश्न क्या होता है ?

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि यह धान मैसर्स भगवान सहाय श्रीनारायण से खरीदा है, उन्होंने इस धान को कीलपुर से खरीदा जाना बताया है ?

श्री रामदेव सिंह : यह अनाज खरीदा गया है, उसकी सूची दे दी गई है।

श्री विजय सिंह : कहां से खरीदा है ? उन्होंने कीलपुर से खरीदा गया बताया है। क्या यह सही है कि मैसर्स भगवान सहाय की फर्म ने उसको कीलपुर ग्राम से खरीदा गया बताया है ?

श्री रामदेव सिंह : इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि इस धान की खरीद के अन्दर एक लाख रुपये उप मंत्री श्री समर्थलालजी को दिये गये ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री विजयसिंह : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको प्रूव करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बताइये तो।

श्री रामदेव सिंह : यह बिल्कुल निराधार बात है।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि जिन दिनों में यह धान पर्चेज हुआ उस वक्त उप मंत्री श्री समर्थलालजी वहां पर थे ? इस बात का पता गाड़ी की लॉग बुक से चल सकता है।

श्री रामदेव सिंह : पिछले सत्र में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी और माननीय सदस्य ने जो चार्ज लगाया है वह लगाया गया था, लेकिन वह कहीं प्रूव नहीं हुआ।

उप मंत्रीजी का इसमें हाथ था-यह निराधार बात है।

Page No 22

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि पर्चेज ऑफिसर को बी.डी.ओ. विकास अधिकारी इसलिए बनाया गया क्योंकि समर्थलालजी के कहने के अनुसार उसने धान एप्रूव किया था ?

श्री रामदेव सिंह : कृषि प्रसार अधिकारियों को विकास अधिकारी और बी.डी.ओ. बनाते हैं, इसलिए इनको बनाया गया है।

श्री विजय सिंह : फिर ऐसे कितने लोग हैं जिनको विकास अधिकारी बनाया गया है ?

श्री रामदेव सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजय सिंह : क्या यह सही है कि वह धान इतना सड़ा गला था कि उसको कबूतर भी नहीं खा सकते थे ?

श्री रामदेव सिंह : ऐसी बात नहीं है। पाण्डे के खिलाफ कई शिकायतें पिछले सत्र में की गईं, उनके बारे में जांच करने के लिए चार्जशीट दी गई है और अब इन्क्वायरी चल रही है।

श्री विजय सिंह : चार्जशीट में क्या लिखा है ?

श्री रामदेव सिंह : यह अलग से प्रश्न है। मैंने कहा कि चार्जशीट दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत घोटाला हुआ है, यह मेरा निवेदन करना है....

श्री उपाध्यक्ष : इसमें घोटाला नहीं हुआ है, यह मैं कहां कह रहा हूं ? मेरा कहना है कि अलग प्रश्न है, इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री विजय सिंह : अलग से नहीं है, इससे यह साबित हो रहा है कि उप मंत्री जी का इसमें हाथ है, इसमें पैसा खाया है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसके सम्बन्ध में प्रश्न पूछें। अगला प्रश्न।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनाज खरीदा गया था, वह सड़ा गला था या अच्छा था-यह माननीय सदस्य जानना चाहते हैं। कम से कम आप उत्तरदायी मंत्री हैं, आपको यह जानकारी तो होनी चाहिए कि सड़ा अनाज खरीदा या अच्छा ? अगर सड़ा अनाज खरीदा तो उसके सम्बन्ध में दरियाफ्त क्यों नहीं करते हैं ?

श्री रामदेव सिंह : यह खाद्य निगम ने खरीदा था। जो शिकायत आई उसकी जांच करने के लिए चार्जशीट दी गई है और अब जांच हो रही है। जब तक उस जांच का नतीजा सामने नहीं आता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह उत्तर संतोषजनक नहीं है। यह जनता से सम्बन्धित समस्या है, जनहित की समस्या है, अगर सड़ा अनाज खरीदा तो आप क्या इन्क्वायरी कर रहे हैं ? इन्क्वायरी करने में इतनी देर क्यों लगती है ? क्या आपकी आंखें फूटी हैं ? आप देख सकते हैं कि अनाज सड़ा है या अच्छा है।

Page No 23

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि इस मामले में इन्क्वायरी से क्या पता चलेगा ? इसमें कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं कराते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : इन्हें अपनी खुराक मिल जाती है, इनका पेट भर गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में जांच कौन अधिकारी कर रहा है, कब से कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है ?

श्री रामदेव सिंह : इसकी जांच एक वी.एम. त्रिवेदी, डिप्टी डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसके खिलाफ जांच कर रहे हैं ?

श्री रामदेवसिंह : श्री पांडे के खिलाफ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐं ? किसके खिलाफ ? यह चार्जशीट पांडे को दी गई है या श्री समर्थलालजी को दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please, माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस जांच में यह प्रश्न नहीं था कि इस खरीद में उप मंत्री समर्थलालजी शामिल थे ?

श्री रामदेव सिंह : जी नहीं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रीमियम के ऊपर प्रीमियम है, एक तो दल-बदलू, फिर उनको संतोष देने के लिए उप मंत्री बनाया और फिर उप मंत्री के पद पर रिश्वतखोरी और करेंगे और आप चुपचाप बैठे हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please, उप मंत्री महोदय ।

उप मंत्री (श्री समर्थलाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इससे जो सम्बन्धित प्रश्न है उसके अन्दर माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया हैं । इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह नाम आपने किस आधार पर लिया है ?

श्री विजय सिंह : क्या आप......

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : पैसा खाया है उस आधार पर ।

श्री विजय सिंह : आप इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं ? क्या आप इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : On a point of order Sir, जब किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाय तो उसका पहले नोटिस देना चाहिए ।

श्री नत्थोसिंह : नोटिस देकर कहते हैं तो होता क्या है ? आपके खिलाफ आरोप लगाये, उनका क्या हुआ ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : नोटिस दिया जाय, मंत्री महोदय, यह तो नीयत से सम्बन्धित प्रश्न हैं। नीयत साफ है तो इन्क्वायरी इस बारे में निष्पक्षरूप से करवानी चाहिए। यह मेरी मांग है, वरना मुझे यह कहने का अधिकार है कि यह सरकार भ्रष्टाचारी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : क्या आप आश्वासन देंगे कि आप जांच करवायेंगे। मैं समझता हूं कि आपको आश्वासन देना चाहिए।

श्री वित्त मंत्री (श्री मथुरा दास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय की हम बहुत इज्जत करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। उनको जो दर्द है इस बात का, इस बात की जांच होनी चाहिए तुरन्त, इसको हम महसूस करते हैं और यह कहा है कि कार्यवाही की जायगी। जिस बी.डी.ओ. ने धान खरीदा है उसके मामले में अधिकारी के द्वारा जांच होकर, उसकी रिपोर्ट तैयार होकर हमें जानकारी मालूम होगी। उस पर हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं एक माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हों, चाहे पदासीन हों, बगैर पदासीन हों-उसके ऊपर सरसरी आधार पर आरोप लगाना अच्छा नहीं है। अगर वह कन्विन्स्ड हैं तो वह मुख्य मंत्री जी या हममें से किसी से बात कर सकते थे, और उसके ऊपर बात की जा सकती थी। लेकिन यहां पर उठ कर सदन में इस प्रकार के आरोप लगाना कम से कम विरोधी दल के नेता महोदय के लिए तो शोभाजनक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में चार्जशीट दी गई है और जो ऑफिसर इन्क्वायरी कर रहे हैं उनको विभाग से हिदायत दे दी जायगी कि जल्दी से जल्दी जांच करके रिपोर्ट दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय का उत्तर है उससे मुझे संतोष है। मैं ऐसी छिछलेपन और गैरजिम्मेदारी की बात नहीं करना चाहता। मैं अपनी खुद की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह निवेदन है कि मैं तो सिर्फ इन्क्वायरी कराने के लिए उत्सुक हूं। इन्क्वायरी जारी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अनाज खराब था या अच्छा था? इसमें क्या इन्क्वायरी होगी? इस सम्बन्ध में तो इन्क्वायरी में महीने नहीं बिताने चाहिएं। अगर यह सरकार की व्यवस्था है तो यह संतोषजनक नहीं है-ऐसा मुझे कहने का अधिकार है। जब मुझे असंतोष हुआ, जब मुझे आशंका हुई, मैं प्रूव नहीं कर सकता कि इसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन मुझे आशंका है, इसलिए यह चीज ऐसी है जो मोहताज निष्पक्ष इन्क्वायरी की है। मैं यह मांग करता हूं तो कौनसी अनुचित मांग मैंने की है, उपाध्यक्ष महोदय!

(12 मध्यान्ह)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्षजी, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है, नीति सम्बन्धी मामला है, अगर भ्रष्टाचार या अनाचार के आरोप लगाये जायं तो क्या इस सदन के अन्दर उनका फैसला बहुमत के

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

आधार पर किया जायगा ? अभी माननीय बृजसुन्दरजी ने एक बात कही कि पहले नोटिस दिया जाना चाहिये, मैं नीति सम्बन्धी बात कहता हूं कि नोटिस पहले दिया भी जाय तो उसका बनता क्या है । आपके खिलाफ आरोप लगाये, उनका क्या हुआ ?

(अनेक माननीय सदस्यों की आवाज : गलत गलत, शोरगुल)

प्रजातन्त्र में इस सदन में आरोप लगाये जाते हैं, बहुमत के आधार पर इस सदन में उनके सम्बन्ध में कुछ भी कर लिया जाय पर जनता के सदन में आयेंगे तो ये लोग लड़खड़ाते नजर आयेंगे । ये लोग जनतन्त्र को नीचा दिखा रहे हैं, यदि जनतन्त्र से इनका इलाज नहीं हुआ तो जनता हिंसक क्रान्ति करेगी....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order, Please. प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : इस प्रकार बहुमत के आधार पर जो सही बातें सदन में रखी जाती हैं, उनके रखने में इस तरह से बाधा डाली जाती है । जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं उनके लिये तो राज्य सरकार में हिम्मत नहीं कि उनकी जांच करवा सके । इसके विपरीत बाधा डाली जाती है । जो सही तथ्य सदन के सामने रखे जाते हैं, बहुमत के आधार पर उसमें बाधा डाली जाती है और सदन के डेकोरम को बिगाड़ा जाता है, यह लोकतन्त्र पर सदन की गरिमा पर आघात है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले की जांच करवाई जाय और सदन के उपनेता महोदय आश्वासन दें कि जो समर्थलालजी पर आरोप लगाये गये हैं, जो तथ्यपूर्ण हैं और जो प्रमाणिक हैं, उनकी जांच करवाई जायगी ...

(शोरगुल)

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सही बात कहने से इस तरह दबा नहीं सकते । बासोतियाजी को सही बात कहने के कारण मोअत्तिल कर दिया । मैं यहां बैठा हूं तो मौअत्तिल होने थोड़े ही बैठा हूं । मोअत्तिल तो आप हो सकते हैं । सदन के सदस्य आत्मा की आवाज के आधार पर बोलते हैं तो आपकी आत्मा गिरती है, सही बात कहने पर लोगों को आपके यहां मोअत्तिल कर दिया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 547 बहुत ही आवश्यक है, इसको लिया जाय, यह गये साल सदन में आया था ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान नहर और पोंग डैम का 526 नं. का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ ।

श्री हीराभाई : 547 क्यों नहीं लिया जाता ? इसमें बहुत घोटाले हैं, इसलिये सरकार की ओर से इसे बार बार दबाया जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष : 527 तक आ गये हैं, इसलिये इसको अगर शान्ति से सुनना चाहते हैं तो इसका उत्तर दिलाया जा सकता है। वरना प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ।

प्रश्न समाप्त हुए।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगित प्रश्न नहीं लिये जायेंगे ? स्थगित प्रश्न तो लिये जाने चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(16-8-69 व 22-8-69)

भूतपूर्व जैसलमेर स्टेट की कस्टम ड्यूटी की राशि।

124. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के समय जागीरदारों को स्टेट की कस्टम ड्यूटी का कुछ हिस्सा दिया जाता था और स्टेट के मर्जर के समय 18,000 रु० की राशि बाकी थी और वह राजस्थान सरकार में आज भी बाकी है ? अगर हां, तो आजतक राज्य सरकार ने जागीरदारों को भुगतान क्यों नहीं किया और भविष्य में कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार भुगतान के समय इन बीस वर्षों से पड़ी राशि पर ब्याज देने की भी व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

उपमंत्री वित्त (श्री बृज प्रकाश गोयल): (1) जी हां। भूतपूर्व जैसलमेर रियासत के राजस्थान में विलीनीकरण के समय जागीरदारों के 17,022 रु० 11 आने 9 पाई कस्टम ड्यूटी के अमानत जमा हैं। इसका भुगतान जागीरदारों को न करने के कारण ये हैं कि महाराज हुकमसिंह द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किये गये मुकदमे एवं उसकी अपील के निर्णय की करीब 13 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी तथा इस पुराने मामले की बेसिक जांच करवानी पड़ी है। इसके अतिरिक्त इस रकम का यह सत्यापन (वेरीफिकेशन) नहीं हो रहा है कि विलीनीकरण के समय किस विभाग के बजट हैड में यह रकम जमा हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि राजस्थान के लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी राय राज्य सरकार को दे दी है कि इनको भुगतान कर दिया जाय ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : लॉ डिपार्टमेंट का तो कह नहीं सकता पर हमारे विभाग की यह राय जरूर है कि इन्डेम्निटी बोण्ड लिये जा कर पेमेंट किये जाने के बारे में विचार किया जाना चाहिये, वह विचार किया जा रहा है। किस हैड में जमा हैं, यह पुराने रेकार्ड से वेरिफाई नहीं हो रहा है। पुराने जैसलमेर राज्य के टाइम का मामला है। उसमें अगर आवश्यकता हुई तो इन्डेम्निटी बोण्ड्स लिये जाकर इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि कमिश्नर, जोधपुर ने राज्य सरकार को यह

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

लिख दिया था कि यह रकम मेरे यहां डिपोजिट हुई है और सेपरेट रेवेन्यू है। यह लैटर कस्टम्स कमिश्नर, जोधपुर ने लिख दिया था क्या ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : अकाउन्ट से यह पाया जाता है कि जागीरदारों को कस्टम्स की बकाया थी, वह जमा है। पर किस हैड में जमा है, यह नहीं है यह जागीरदारों की रकम हैं, किसी को पेमेंट तो नहीं हो गया है, कहीं पेमेंट दुबारा नहीं हो जाय इसलिये इन्डेम्निटी बोन्ड का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट को रकम देने से पहले काफ़ी कॉशियस होना पड़ता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि कलेक्टर जैसलमेर ने राज्य सरकार को लिख दिया है कि इस रकम का भुगतान नहीं हुआ है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विभागीय कागजों में मुझे ऐसी राय नजर नहीं आई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि यह जागीदार जो रकम क्लेम कर रहे हैं, सरकार की बकाया तो नहीं है ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : रुपया दिये जाने से पहले इस प्रकार की जांच होगी और बकाया होगी तो डिडक्ट हो सकती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह पुराना तो अवश्य है, मैं मानता हूं पर इसमें सिद्धान्त का, बंटवारे का मामला है, बंटवारे का, पार्टनरशिप का मामला है, सरकार के पास यह रकम जमा हुई है तो सरकार इसकी ट्रस्टी है। जिस तरह अन्य राज्यों में व्यवस्था की है विलीनीकरण के पूर्व, इसी तरह जैसलमेर के जागीरदारों का पार्टनर बेसिस के ऊपर जो रुपया निकलता है सरकार में, उसका सरकार के द्वारा भुगतान होना चाहिये। क्योंकि सरकार उत्तरदायी सरकार है, भूतपूर्व जैसलमेर सरकार की उत्तरदायी सरकार राजस्थान सरकार है इसलिये कानून और वैधानिक दृष्टि से लागू होता है। राज्य सरकार पर कि जो भुगतान बकाया है, पुराना है, तो भी उसका भुगतान कर देना चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके जरिये बता देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय को कहने दें।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : मैं विरोधी दल के नेता महोदय से सहमत हूं। यह रकम हमारे यहां जमा है, 57 जागीरदारों की रकम है और बहुत थोड़ी रकम है। इसमें एकाउन्टेन्ट जनरल के ऑफिस से रकम जमा होना पाया जाता है। मगर रकम दे दी गई है या नहीं इसका रिकार्ड नहीं मिल रहा है और न कलेक्टर जैसलमेर के यहां पर भी इसका कोई ब्यौरा मिल रहा है कि पता नहीं पेमेन्ट कर दिया गया है या नहीं। जहां तक इस रकम का मामला है, यह हजारों रुपयों का ही है और राज्य सरकार की

(श्री मथुरादास माथुर)

यह इच्छा नहीं है कि रकम का पेमेन्ट न किया जाये। इन्डेम्निटी बोंड लिख कर दे दें राज्य सरकार रकम का पेमेन्ट कर देगी। परन्तु 57 आदमी इसमें इन्वाल्व्ड हैं। पहले तो आपस में मुकदमा चलता रहा। 13 वर्षों तक यह कोर्टों में चला। 62-63 में इसका फैसला हुआ है। अब यह प्रूव हो जाये कि पेमेन्ट नहीं हुआ है तो पेमेन्ट कर दिया जायगा किन्तु किसको पेमेन्ट किया जाय यह पता नहीं है। पुरानी लाइबिलिटीज को यह स्टेट नहीं देना चाहती हो ऐसी बात नहीं है। 17 हजार रुपयों का सवाल है। कहीं डबल पेमेन्ट न हो जाये, यह देखने के लिये इसकी जांच करवा रहे हैं और यह जांच होने के बाद इसका पेमेन्ट कर दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह : आगे सरकार ने ऐसी जो रकम है, उसका पेमेन्ट कर दिया है। वह इससे कई गुनी ज्यादा है। फिर इसमें ही सरकार क्यों डिले कर रही है? तीन पीढ़ियों की रियासत का पेमेन्ट हो चुका है फिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है?

श्री मथुरादास माथुर : मुद्दा तो यह है कि श्री हुकुमसिंह जी अदालत में चले गये थे और 13 वर्ष तक यह मुकदमा चलता रहा इसलिये पेमेन्ट नहीं हुआ। अब 62-63 में यह खत्म हुआ है। यह मालूम नहीं है कि किस जागीरदार को इसका पेमेन्ट कर दिया जाये। एक मुश्त रकम 17 हजार देने को तैयार हैं किन्तु किसे दें?

श्री मदनसिंह : इकजाई रकम दे दें आप जागीरदारों को, वे आपस में बांट लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : ऐसा 57 ही जो जागीरदार हैं, लिख कर दे दें कि राज्य सरकार फलां सार्वजनिक कार्य पर यह रकम खर्च कर दे तो मैं दे दूंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपने प्रश्न 2 के उत्तर में कहा है प्रश्न ही नहीं उठता। क्या यह सही है कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट के अन्दर प्रॉवीजन है कि जागीर की कोई रकम बाकी है तो उसका 2॥ परसेन्ट इन्ट्रेस्ट राज्य सरकार देगी?

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रॉवीजन है रिजम्प्शन एक्ट के अन्दर। आपका ही बनाया हुआ है। परन्तु इसमें इन्ट्रेस्ट देने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि यह रकम इन्ट्रेस्ट के लिये जमा नहीं हुई थी। हमारे और उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है इसलिये रकम का इन्ट्रेस्ट देने का सवाल पैदा नहीं होता। यह रकम इस बिना पर दे सकता हूं कि 57 व्यक्ति यह लिख कर दे दें कि 17 हजार रुपये इस काम के लिए दे दिये जावें तो मैं दे दूंगा।

श्री मदनसिंह : जो रकम गवर्नमेन्ट को लेनी होती है, उसका इन्ट्रेस्ट गवर्नमेन्ट लेती है। खण्डेला आदि से वसूली मय इन्ट्रेस्ट के की गयी है।

श्री मथुरादास माथुर : वसूली तो करनी ही होती है। वसूली जागीर रिजम्प्शन एक्ट के अन्तर्गत नहीं होती है।

श्री विजयसिंह : क्या सरकार इस रकम का इन्ट्रेस्ट नहीं कमाती?

श्री मथुरादास माथुर : कागजों में है। पता नहीं है।

Page No 29

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट । प्रश्न संख्या 185.

सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासियों के लिये सुरक्षित भूमि।

185. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जैसलमेर, बाड़मेर व बीकानेर जिलों के उन गांवों के लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार का कोई विचार है जिनका जीवन आधार मवेशी था और प्रकृति के प्रकोप के कारण वह नष्ट हो गया है ? अगर हां तो वह क्या है और उसे कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ? अगर ऐसा विचार नहीं है तो क्यों ?

(2) क्या राजस्थान नगर क्षेत्र में इन रेगिस्तानी जिलों के लोगों के लिये ये भूमि सुरक्षित रखी गई है ? यदि हां, तो कितनी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के एक भी आदमी को भूमि का आवंटन नहीं किया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या भविष्य में राज्य सरकार के ऐसी योजना विचाराधीन है जिसमें सीमावर्ती जिलों के निवासियों को भूमि दी जावेगी ?

उपमंत्री राजस्व : श्री गंगाराम चौधरी : (1) यह सही नहीं है कि जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर जिलों के पशुपालकों का पशुधन नष्ट हो गया है एवं ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके पुनर्वास के लिये व्यवस्था आवश्यक हो। अतः पुनर्वास की योजना का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में जिला आधार पर कोई भूमि का आरक्षण नहीं दिया गया है। अतः जिलेवार सूची का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। आवंटन न होने के निम्न कारण हैं:—

(अ) जैसलमेर राजस्थान नहर योजना के अन्तर्गत अन्तिम चरण में आता है और अब तक केवल प्रथम चरण यानी गंगानगर जिले तक का ही आवंटन किया जा रहा है।

(ब) जैसलमेर जिले तक नहर के पहुँचने की अवस्था में अभी काफी समय लगने की सम्भावना है।

(स) प्राथमिकता के हिसाब से वर्तमान में जैसलमेर चतुर्थ क्रम में आता है और वर्तमान में जैसलमेर चतुर्थ प्राथमिकता में जाता है और वर्तमान में प्रथम व द्वितीय प्राथमिकता के प्रार्थना-पत्रों पर ही आवंटन कार्य चालू है।

(4) ऐसी कोई योजना इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा: क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले की सब-तहसील रामगढ़, सम, शिव तहसीलों के गांवों में 90 परसेंट से ज्यादा मवेशी मर गई हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी: यह सही नहीं है।

Page No 30

श्री बालसिंह सोढ़ा: किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष: आप जिस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री बालसिंह सोढ़ा: मैं गांव गांव गया हुआ हूं। अगर माननीय मन्त्री जी गये हों तो बता दें।

श्री गंगाराम चौधरी: पहले निवेदन किया जा चुका हैं कि पशुओं के मरने के सम्बन्ध में आज तक राज्य सरकार कोई सूचना पूर्णतः एकत्रित नहीं कर पाई है। माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण: माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही नहीं है और माननीय मन्त्री जी जो कह रहे हैं, वह सही है जबकि आप सूचना एकत्रित नहीं कर पाये हैं तो कैसे वह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष: इन्होंने यह कहा है कि हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है और जो ये यह कह रहे हैं, वे गांव गांव जाकर सूचना एकत्र नहीं कर सकते, इसलिये उनके पास साधन उपलब्ध नहीं है इसलिये ये भी सही नहीं हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: कल मैंने ध्यानपूर्वक मुख्य मंत्री का उत्तर सुना अकाल की बहस के सम्बन्ध में। उन्होंने जो कहा और जिन मुद्दों पर चर्चा की, उसके साथ मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मवेशी कहां पर गई, कितनी मरी, इसका कोई अनुमान यहां पर बैठकर नहीं लगाया जा सकता। किन्तु मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आखिर आपका कोई तखमीना, अन्दाज तो होगा ? 90 प्रतिशत माननीय सदस्य कहते हैं तो 75, 60 या 70 प्रतिशत का अन्दाज है। कितनी मरी है उस क्षेत्र के चुने हुए लोग यहां यह बात कह रहे हैं, उनका यह अनुमान है। तो कम से कम 75 प्रतिशत अवश्य मर चुकी हैं। जैसलमेर की हालत समस्त राजस्थान में सबसे खराब थी। उस क्षेत्र में गौ-वंश के संरक्षण की एक महत्वपूर्ण समस्या थी। ऐसी स्थिति में सरकार को कम से कम यह अनुमान होना चाहिये कि 90 परसेंट या आखिरकार कितनी मवेशी मरी है ? इसमें सरकार का क्या अनुमान है ?

श्री गंगाराम चौधरी: इस सम्बन्ध में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि परिगणना के बाद ही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। पशुपालक बहुत से पशुओं को लेकर बाहर चले गये हैं। वे अलग अलग प्रान्तों में गये हैं। राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार 10 प्रतिशत पशु मरे हैं।

श्री दौलतराम सारण: क्या यह सही है कि कानून के प्रावधान के अनुसार पशुओं की गणना करनी चाहिये थी ?

श्री गंगाराम चौधरी: यह राजस्व विभाग किया करता है। प्रतिवर्ष करे, यह तो मुमकिन नहीं है और फिर बहुत से पशु पालक जैसा कि आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं अपने पशुओं के साथ बाहर गये हैं। इसलिये भी यह सम्भव नहीं है। अगले वर्ष गणना की जा सकेगी और यह गणना होने के बाद ही पता चल सकेगा कि कितने पशु मर गये हैं ?

Page No 31

श्री रघुनाथ विश्नोई: क्या गणना में यह लिखते हैं कि यह मवेशी बाहर है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा: क्या बाढ़ से हुई क्षति का राज्य सरकार मुआवजा देती है ?

श्री गंगाराम चौधरी: राज्य सरकार के नियम मुआवजा देने के तो नहीं हैं। हां, उसको कुछ सहायता अवश्य दी जाती है।

श्री बालसिंह सोढ़ा: अकाल भी एक प्राकृतिक प्रकोप है और उसमें जो मवेशी मरी हैं, उनकी क्षतिपूर्ति सरकार देगी ?

श्री गंगाराम चौधरी: यह जो 50 करोड़ रुपया खर्च किया है, यह सहायता के रूप में ही खर्च किया है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा: 50 करोड़ जो खर्च किया है, वह मवेशी के मरने की क्षतिपूर्ति के लिये नहीं किया है। मेरा अनुरोध है कि जिन लोगों की मवेशी मर गई है, क्या राज्य सरकार सहायता के रूप में कोई राशि देने का विचार कर रही है या नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी: क्षतिपूर्ति किसी भी प्राकृतिक प्रकोप पर देने की बात नहीं है। ऐसी स्थिति में सहायता दी जाती है। चारे की जो सहायता दी गई थी, वह इसी रूप में ले सकते हैं। इसको देने में कितना ही अनुदान राज्य सरकार ने लगाया है।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा प्रश्न नं. 526 है।

श्री **विजय सिंह :** जो बैलों के धनी हैं और जिनके बैल मर गए हैं, क्या उनको सहायता देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : नाम पुकार दिए गए थे—

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील खारची में चीनी का वितरण

515. **श्री सुरेन्द्रसिंह (खारची):** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील खारची में सन् 1969 में किन किन महीनों तक की चीनी किन किन गांवों में वितरण के लिए दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि माह मई,69 से प्रतिव्यक्ति माहवार 200 ग्राम चीनी देने का सरकार का आदेश है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार हर माह में चीनी नहीं दी जाती है और कई बार 150 ग्राम ही दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

1. माह मार्च, 1969 तक की चीनी तहसील खारची के समस्त ग्रामों में वितरण हेतु दी जा चुकी है। माह अप्रेल, 1969 में 8 रिटेलरों ने चीनी नहीं उठाई है जो माह मई की चीनी के साथ दी जावेगी। रिटेलरों को दी गई चीनी की मात्रा की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(उत्तर)

2. जी हां।

3. जी हां, जब चीनी मिलों से समय पर चीनी प्राप्त नहीं होती है तब समस्त जनसंख्या में चीनी का समान वितरण हो, इस आधार से कभी कभी चीनी के वितरण की मात्रा 150 ग्राम कर दी गई थी।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

सिरोही में चिकित्सालय के विकास के लिए प्रस्तावित राशि

517. श्री मोतीलाल (रेंवदर सु.): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सिरोही में चिकित्सालय के विकास हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य विभाग के संचालक के पत्र संख्या जी 28/प्लान 3/60 दिनांक 27 जून, 1960 में निम्नलिखित योजनायें प्रस्तावित की गई थीं :—

(क) टी.बी.क्लीनिक धनराशि	1.80 लाख
(ख) टी.बी.मरीजों के लिए अलग 20 रोग शैया के वार्ड का निर्माण	1 65 लाख
(ग) दांतों का क्लीनिक	0.50 लाख
(घ) सिरोही जनरल चिकित्सालय में 30 रोग शैया के वार्ड का निर्माण महिला सिरोही चिकित्सालय में 20 रोग शैया के वार्ड का निर्माण	3.50 लाख
योग	7.45 लाख

(2) उपरोक्त प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत तृतीय पंच वर्षीय योजना में किस किस योजना पर कितना कितना रुपया व्यय किया गया? यदि कोई रुपया व्यय नहीं किया गया तो क्यों?

(3) क्या यह सच है कि सरकार सिरोही राज्य का राजस्थान में विलीनीकरण होने के पश्चात् एवं तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद आज दिन तक सिरोही के चिकित्सालयों के विकास हेतु एक पैसा भी व्यय नहीं किया गया है?

(4) सिरोही चिकित्सालयों के विकास हेतु इस वर्ष किस किस योजना पर कितना कितना व्यय करने का सरकार का विचार है?

उत्तर

1. जी हां। तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रस्तावों में सिरोही के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे किन्तु प्लान सीलिंग में कमी होने के कारण तथा सालाना बजट में प्रावधान न मिलने के कारण इन प्रस्तावों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

2. उपरोक्त योजनाओं में सिरोही जनरल चिकित्सालय में 14 रोगी शैयाओं की वृद्धि पर निम्न प्रकार व्यय किया गया है:—

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	योग
1961-62	31,600	28,708	60,308
1962-63	10,692	7,544	18,236
1963-64	15,130	83	15,213
1964-65	16,000	—	16,000
1965-66	17,400	—	17,400
योग	90,822	36,335	1,27,157

(चिकित्सा मंत्री)

अब 1966-67 से इस आइटम पर खर्चा नोनप्लान बजट से हो रहा है अन्य योजनाओं पर कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित 825 लाख रुपये की योजना सीमा को कम करके 767.29 लाख रुपये की राशि रख दी गई थी और सालाना बजट में इन योजनाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं हुआ।

3. यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिरोही चिकित्सालय में 14 रोगी शय्याओं की वृद्धि की गई थी जिन पर उपरोक्त विवरण के अनुसार 1,27,157 रुपये का खर्चा किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य राष्ट्रीय योजनाओं मलेरिया, चेचक, उन्मूलन योजना, परिवार नियोजन आदि पर बराबर खर्चा और जिलों के अनुसार इस जिले में भी किया जा रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी खर्चा होता रहा है।

4. इस वर्ष (1969-70) में सिरोही में एक क्षय रोग निवारण केन्द्र की स्थापना करने का लक्ष्य है इसके अतिरिक्त चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में धन उपलब्ध होने पर अन्य योजनाओं के लिए भी आवश्यक सुविधा प्राप्त कराई जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़-भीलवाड़ा जिले के आबकारी अधिकारी

792. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़, भीलवाड़ा जिले के आबकारी अधिकारी चित्तौड़ में रहते हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष कितने नाजायज शराब निकालने, अवैध अफीम, भंग आदि के केसेज पकड़े हैं ? कितने दर्ज रजिस्टर हुए, कितने आपसी समझौते पर तय हुए हैं ? सूची तारीखवाइज व व्यक्तियों के नामों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन मुकदमें दर्ज करने, केस चलाने, नाजायज धर पकड़ में कौन अधिकारी का टारगेट ज्यादा रहा है ? नाम बताने की कृपा करें।

उत्तर

1. जी हां। चित्तौड़ व भीलवाड़ा जिले के जिला आबकारी अधिकारी का मुख्यालय चित्तौड़गढ़ में ही हैं। इस वर्ष अप्रेल, 1969 से जुलाई 69 तक भीलवाड़ा व चित्तौड़ में नाजायज शराब निकालने के 68 व अवैध अफीम के 2 केस पकड़े गए। भंग का कोई केस नहीं पकड़ा गया। ये सभी केस दर्ज रजिस्टर किए गए और इनमें से कोई भी आपसी समझौते द्वारा तय नहीं हुआ। सूची संलग्न है।)

2. भीलवाड़ा में श्री अशोक कुमार व चित्तौड़गढ़ में श्री सोहनलाल आबकारी निरीक्षकों का टारगेट सर्वाधिक रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

जिला सवाई माधोपुर में शराब के ठेके

793. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाई मधोपुर में शराब बेचने का ठेका 1969-70 का किस किस

Page No 34

(श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल)

स्थान का किस किस ठेकेदार को दिया हुआ है ? कृपया नाम, पता सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) क्या ये ठेकेदार जिले के अन्य स्थान व गांवों में बिना लाइसेन्स शराब ले जाकर सप्लाई कर सकते हैं ? अगर हां, तो कितनी कितनी ? अगर नहीं, तो सारे जिले के गांव गांव में ठेकेदारों द्वारा शराब बेची जा रही है उसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है ?

उत्तर

1. वर्ष 1969-70 में जिला सवाई माधोपुर में देशी शराब की दुकानों की सूची मय ठेकेदारों के नाम सहित संलग्न है।

2. जी नहीं। अनधिकृत स्थान पर शराब बेचने पर ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई माधोपुर जिले के शराब के ठेकेदारों पर बकाया

794. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर): क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

सवाई माधोपुर जिले के किन किन शराब के ठेकेदारों पर कितना कितना रुपया कब से बकाया है तथा उन व्यक्तियों से वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ? बकाया की लिस्ट मय ठेकेदारों के वल्दियत व पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सवाई माधोपुर जिले के शराब के ठेकेदारों पर रुपया 1,75,789.64 राजस्थान बनने के पूर्व से 1966-67 तक दिनांक 31-3-69 को बकाया थे। इस बकाया में से 1,69,163.93 की वसूली के लिये राजस्व विभाग में मामले भेजे गये हैं। शेष की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। बकाया की नामवार सूची संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिल्डिंग फण्ड के नाम से काटी गई राशि

795. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेडली, जिला अलवर के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति से बिल्डिंग फण्ड के लिए 20) रु. प्रति छात्र (जिनको छात्रवृत्ति मिली है) से काटा गया है ? यदि हां, तो कुल कितने छात्रों से व कितनी धनराशि काटी गई है ?

उत्तर

जी नहीं।

अपीलों पर फैसला

796. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शिक्षा संचालक, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अपीलों का फैसला

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

करने का कोई समय निर्धारित किया हुआ है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या यह सही है कि शिक्षा निरीक्षक, अलवर में अपने पत्र संख्या आई. एस. इपी. । केम्प 50-19-64 दिनांक 14-8-64 द्वारा श्री मनोहरलाल सिंगल पी टी.आई. रा. उ. मा. वि. परतापुर की अपील शिक्षा संचालक को भेजी थी जिसका निर्णय अभी तक नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि यह अपील प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा कई बार उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर को टिप्पणी के लिए भिजवाई गई है। यदि हां, तो बताए किस किस तारीख में भिजवाई गई और उसका उत्तर क्या क्या मिला ?

(4) क्या उप निदेशक, शिक्षा विभाग, जयपुर ने अपनी टिप्पणी भेज दी है। यदि हां, तो किस तारीख को ? यदि नहीं तो बतायें कि अप्रेल, 67 के बाद इस टिप्पणी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1 जी नहीं।

2 सही है।

3 सही है। विवरण तालिका संलग्न है।

4 उप निदेशक शिक्षा विभाग, जयपुर को टिप्पणी प्राप्त हो गई है जैसा कि संलग्न तालिका में वर्णित किया गया है। अपील निर्णयार्थ राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

जैसलमेर जिले में अध्यापकों के अभाव में बन्द स्कूलें

797. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में कई प्राथमिक स्कूलें इसलिए बन्द पड़ी हैं कि अध्यापक नहीं हैं। अगर हां तो भविष्य में कब तक अध्यापक लगा दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने अध्यापकों की नई नियुक्ति पर बन्धन लगा रखा है ? यदि हां, तो फिर इन प्राथमिक शालाओं में अध्यापक कहाँ से आ सकेंगे ?

उत्तर

1 जी नहीं। अकाल के कारण बच्चों की संख्या में कमी होने के कारण शालाएं नहीं चल पा रही हैं।

2 जी नहीं।

केकड़ी नगर में जनसंख्या के आधार पर उच्च माध्यमिक शाला

798. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केकड़ी नगर की जनसंख्या के आधार पर वहां एक उच्च माध्यमिक पाठशाला खोला जाना आवश्यक है ?

Page No 36

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) और इस विषय में जनता द्वारा अनेक आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ? और शाला कब तक खोलने का विचार है ?

उत्तर

1 केकड़ी में एक राजकीय उच्च माध्यमिक शाला मौजूद है। इसके अतिरिक्त केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में दो उच्च माध्यमिक शालायें और हैं।

2 इस वर्ष कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अधीनस्थ अधिकारियों से कोई प्रस्ताव नहीं मांगे गए थे। अगले वर्ष यदि प्रावधान उपलब्ध हुआ तो औचित्य के आधार पर विचार किया जावेगा।

केकड़ी में उच्च माध्यमिक शाला के भवन निर्माण के लिए अनुदान

799. **श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु.)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सच है कि राजस्थान शिक्षा विभाग के विद्यालय विकास समितियों द्वारा जन सहयोग से विद्यालयों में भवन निर्माण या सुविधा विस्तार का सुझाव दिया था और राज्य सरकार द्वारा भी आर्थिक सहयोग का आश्वासन दिया था ?

(2) अगर हां, तो केकड़ी नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जन सहयोग द्वारा लगभग 20000) बीस हजार के निर्माण कार्य सम्पन्न कराने के पश्चात् भी राजकीय अनुदान क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि उक्त विद्यालयों को दो पारियों में चलाने के उपरान्त भी अध्ययन कक्षों का अभाव है ?

उत्तर

1 यह सच है।

2 केकड़ी के ग्रामवासियों ने वहां उच्च माध्यमिक शाला में दो कमरे बनाये हैं वह प्रधानाध्यापक द्वारा चाहा गया अनुदान का पत्र जिलाधीश महोदय को लाइसेंस कमोडिटिज फण्ड से देने हेतु भेजा हुआ है।

मिडिल स्कूल ग्राम जटवाड़ा

800. **श्री कन्हैयालाल (बस्सी सु.)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जटवाड़ा, तहसील बस्सी में एक राजकीय मिडिल स्कूल है। यदि हां, तो वह कब से है तथा उसमें वर्तमान में कुल कितने छात्र हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जटवाड़ा, मिडिल स्कूल पुरानी होते हुए व उसमें अधिक छात्र होने पर भी उनको सेकण्डरी स्कूल नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो बस्सी तहसील में सत्र 1968-69 में किस किस मिडिल स्कूल को सेकण्डरी स्कूल बनाया गया तथा उनमें उस समय कितने कितने विद्यार्थी थे ? तथा जटवाड़ा स्कूल में उस समय कितने थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1 जी हां। यह सन् 1948 से उच्च प्राथमिक विद्यालय है एवं वर्तमान में कुल छात्र संख्या 379 है।

उत्तर

2 यह सत्य है कि जटवाड़ा मिडिल स्कूल पुराना है तथा छात्र संख्या भी ठीक है किन्तु सेकण्डरी स्कूल बनाने हेतु केवल उक्त दो बातें ही होना पर्याप्त नहीं हैं। बस्सी तहसील में सत्र 1968-69 में मिडिल स्कूल बांसखो को सेकण्डरी स्कूल बनाया गया था। उस समय उसमें 401 छात्र संख्या थी तथा जटवाड़ा स्कूल में उस समय 359 छात्र थे।

ट्रेण्ड अध्यापक

801. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में ट्रेण्ड अध्यापक काफी तादाद में बेकार घूम रहे हैं ? यदि हां, तो मैट्रिक, एफ. ए. बी. ए. व बी. एड. कितने कितने हैं ? जिले-वाइज सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कितने स्थान ग्रेड-वाइज अध्यापकों के अभी खाली हैं ? जिले-वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) खाली स्थानों पर अध्यापक कब तक नियुक्त किये जावेंगे ?

उत्तर

1 जी हां। इस प्रकार की सूची शिक्षा विभाग में नहीं संजोयी जाती। सूची संजोये जाने का कार्य नियोजन कार्यालय का है।

2 कोई स्थान रिक्त नहीं है।

3 प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियुक्तियां

802. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर कोई भी सहायता प्राप्त स्कूल या कालेज की संबंधित कमेटी किसी अध्यापक, प्राध्यापक या प्रिंसीपल को अधिकतम कितने वर्ष तक की उम्र तक संबंधित स्कूल या कालेज में सेवा में रख सकती हैं ?

(2) क्या ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के अनुसार वर्तमान में किसी स्कूल-कालेज में कोई अध्यापक, प्राध्यापक या प्रिंसीपल (ग्रालरेडी) सेवा में हैं उनमें से प्रत्येक को 58 वर्ष की उम्र तक सेवा में संबंधित स्कूल या कालेज की कमेटी सरकार की पूर्व स्वीकृति बिना रख सकती है ?

(3) ग्रान्ट-इन-एड रूल्स के अनुसार सहायता प्राप्त स्कूलों या कालेजों के अध्यापकों, प्राध्यापकों या प्रिंसीपलों के रिटायर होने की उम्र 58 वर्ष है तो क्या कोई सहायता प्राप्त स्कूल या कालेज की संबंधित कमेटी अपने किसी भी अध्यापक, प्राध्यापक या प्रिंसीपल के साथ सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही ऐसा कोई एग्रीमेंट कर सकती है जिसके फलस्वरूप संबंधित अध्यापक, प्राध्यापक या प्रिंसीपल को 58 वर्ष से अधिक उम्र तक संबंधित स्कूल या कालेज में सेवा में रखा जा सके ?

(4) यदि सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये बिना उपर्युक्त (1) के अनुसार 58 वर्ष से अधिक रखने का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो सरकार उस संबंधित एग्रीमेंट वाले

(श्री फूलचन्द बाफणा)

अध्यापक, प्राध्यापक या प्रिंसीपल के वेतन पर संबंधित स्कूल या कॉलेज को सहायता देगी कि नहीं ?

उत्तर

1 अनुदान नियम, 1963 के नियम 3(16) में अनुदान प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति आयु 58 वर्ष रखी गई है। निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा किन्हीं विशेष कारणों पर अध्यापकों का सेवाकाल 60 वर्ष आयु पर्यन्त बढ़ाया जा सकता है किन्तु इसके वाद की आयुमें वृद्धि का अधिकार राज्य सरकार को है।

2 जी हां।

3 कोई भी प्रबन्ध समिति विभाग की पुर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्यापक के साथ समझौता करती है तो उसे नियमों के उल्लंघन की संज्ञा दी जाकर उस कर्मचारी पर होने वाले व्यय को अनुदान हेतु अमान्य कर दिया जाता है।

विभाग संबंधित कर्मचारी के वेतन की राशि पर अनुदान नहीं देता। लेकिन अगर मामला विचारणीय हो तथा संस्था द्वारा ऐसी कार्यवाही विभागीय आदेशों की उपेक्षा करने की दृष्टि से नहीं की हो तो उस पर अनुदान नियम 3(16) के अन्तर्गत मामला नियमित करने की कार्यवाही की जाती है :

पोलीटेक्निक स्कूल

803. श्री ओमदत्त भाटी (सरदार पुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(अ) इस सत्र में कितने पोलीटेक्निक स्कूल बन्द किये गये ?

(ब) यदि बन्द किये गए तो, क्या उन स्कूलों के छात्रों को अन्य चालू पोलीटेक्निक स्कूलों में प्रवेश दिया गया ?

(स) यदि हां, तो उन छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया छात्रों व छात्राओं को दी गई छात्रवृत्ति की सूचना दें।

उत्तर

क— कोई नहीं।

ख— प्रश्न ही नहीं उठता।

ग— प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

804. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला चितौड़ के कपासन बी. एस. टी. सी. स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरुद्ध भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग किये जाने सम्बन्धित लिखित शिकायतें शिक्षा विभाग के पास आई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या सरकार ने उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करवाई है ?

यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

1 जी, हां। विद्यालय निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ ने, स्वयं जाकर इसकी जांच की। शिकायत पूर्णतया निराधार पाई गई शिकायतकर्ता को सबूत देने के लिये कई बार लिखा लेकिन सबूत न दे सके और न ही समय पर उपस्थित हुए।

2 जी हां, स्वयं विद्यालय निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ ने की। विभिन्न सूत्रों से जानकारी की गई किन्तु शिकायत निराधार पाई गई।

हरिश्चन्द्र सागर से सिंचाई

805. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "हरिश्चन्द्र सागर" पिक-अप वेयर से तहसील खानपुर व सांगोद के कितने कितने क्षेत्र में सिंचाई किये जाने की योजना है ?

(2) इस साल उपरोक्त पिक-अप वेयर की मरम्मत व नहरों को पक्का करने हेतु कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उसमें से कितनी खर्च की जा चुकी है ? इस मरम्मत के फलस्वरूप सिंचाई के रकबे में कितनी बढ़ोतरी हो जाने की सम्भावना है और किन-किन गांवों में ?

(3) क्या यह सही है कि हरिश्चन्द्र सागर पिक-अप वेयर से छः मील आगे तक नहर चट्टानों में काटी गई है और इसको पक्का नहीं किये जाने से करीब 50 पर्सेन्ट पानी सीपेज होकर नदी में चला जाता है ? यदि हां, तो पानी को बह जाने से रोकने का कब तक प्रबन्ध कर दिया जावेगा ?

(4) हरिश्चन्द्र सागर बांध पर अब तक कुल कितनी रकम खर्च की जा चुकी है और इसको पूर्ण उपयोगी बनाये जाने तक और कितना खर्च हो जाने की सम्भावना है ? यह भी बतावें कि यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा व ओरीजिनल प्लान में लिये गये रकबे से कितना कम या ज्यादा रकबा सिंचित करेगा ? मय नये लियेजाने वाले व छोड़े गये गांवों के बताने का कष्ट करें ?

उत्तर

1 हरिश्चन्द्र सागर से अभी तक पूर्ण की गई नहरों के अनुसार खानपुर व सांगोद तहसील क्रमशः 9482 व 10978 अर्थात कुल 20468 एकड़ वर्ग वर्गीकृत क्षेत्र को सिंचित करने की योजना है।

2 पिक-अप वेयर की मरम्मत नहरों को पक्का करने हेतु वित्तीय वर्ष 69-70 में 5,25,000) रु० स्वीकृत किया गया है, जिसमें से जुलाई सन् 69 तक 3,70,562) रु० व्यय हो चुके हैं ? अभी काफी कार्य होना शेष है। कार्य पूरा होने पर सिंचाई का लक्ष्य पूर्ण होने की पूरी सम्भावना है। लक्ष्य के अनुसार सिंचित होने वाले गांवों की सूची (ब) संलग्न है।

2 जी हां, सीपेज से होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिये चट्टानी हिस्से को लाइन करने की योजना है। इसका पूर्ण होना इस कार्य हेतु वांछित धनराशि प्राप्त होने पर निर्भर है।

Page No 40

(श्री सिचाई मंत्री)

3 हरिश्चन्द्र सागर बांध व नहरों पर जुलाई सन् 69 तक 49,88,525) रु० व्यय किये जा चुके हैं योजना के पूर्ण करने के लिये करीब 22,00,000) रु० का व्यय अभी होना शेष है। शेष कार्यों का पूर्ण होना उसके लिए आवश्यक राशि की उपलब्धि पर निर्भर है ओरीजिनल प्लान के अनुसार इस योजना का वर्गीकृत क्षेत्र 48,000 एकड़ रखा गया था और उसमें से सिंचाई का लक्ष्य 30,000 एकड़ रखा गया था। योजना के पूर्ण होने पर योजना में वर्णित सभी गांवों में सिंचाई होना सम्भव होगा।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इन्डस वाटर ट्रिटी और राजस्थान को पानी

806. प्रोफेसर केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1 इन्डस वाटर ट्रिटी के अनुसार पानी में राजस्थान का हिस्सा कितना है ?

(2) इस हिस्से में से गंग कैनाल भाखरा व राजस्थान नहरों में किस आधार पर बंटवारा किया है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

भरतपुर नहर की मरम्मत

807. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर नहर पर स्वामित्व किस विभाग का है ?

(2) क्या इस नहर की मरम्मत कराने का सरकार का कोई इरादा है ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को भरतपुर की जनता की ओर से कोई पत्र (स्मृति-पत्र) प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में आजतक सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

1 इस नहर का स्वामित्व सिंचाई विभाग का नहीं है।

2 प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

बांध और सिंचाई की क्षमता

808. श्री गंगासहाय कोली (कठूमर सु.) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में गत 15 वर्षों में कितने बांध बने हैं ? प्रत्येक पर बनाने में कितना खर्च हुआ है ? प्रत्येक की सिंचाई क्षमता कितनी है ? क्या इन बांधों से सिंचाई टारगेट के अनुसार हो रही है ? कितने बांधों से सिंचाई टारगेट से कम हो रही है ? सम्पूर्ण जानकारी देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) नये बांधों में से कितने बांध टूटे हैं ? टूटे बांधों की मरम्मत पर कितना धन अवतक खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या बांधों के टूटने के कारण सरकार ने किसी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) विस्तृत जानकारी की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी है।

(2) नये बांधों में 11 बन्ध टूटे हैं उनकी मरम्मत पर 21,38,553/- रुपये की धनराशि खर्च हुई है। सूची 'ब' संलग्न है।

(3) जी हां,

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिंचाई योजनाओं पर व्यय और उनसे आय

809. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 67-68 के अन्त तक भी ऐसी कौन कौनसी सिंचाई योजना हैं जिनसे राज्य सरकार को अभी तक भी आमदनी होना प्रारम्भ नहीं हुआ है, और ऐसी कौन कौनसी सिंचाई योजना है जिन पर लगायी गई पूंजी पर दिया जाने वाला ब्याज उनसे होने वाली आमदनी से ज्यादा है ? इसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गंग नहर को छोड़ कर अन्य किसी भी सिंचाई परियोजना से उसकी लागत पर देय ब्याज के बराबर भी आमदनी नहीं हुई है ? यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना पर लगायी गई पूंजी उस पर दिया ब्याज और उससे हुई आमदनी की तालिका 31 मार्च, 68 तक की सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जो योजनाएं इस विभाग द्वारा पूर्ण की गई हैं उनसे अधिकतर आय प्रारम्भ हो गई है। जो सिंचाई योजनाएं कॉमर्शियल घोषित कर दी गई हैं व जिनके कैपिटल अकाउन्ट्स रखे जाते हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में अंकित कर दिया गया है।

(2) जी हां, वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है। ब्याज के आंकड़े योजना अनुसार नहीं रखे जाते।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जालोर जिले में सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण

810. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जालोर जिले में सिंचाई हेतु इस वर्ष कौन कौन से बन्धे बांधना शुरू किया गया है और उन पर कितनी धनराशि खर्च हो रही है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस जिले में सांचोर तहसील के दुठवा गांव में बान्ध का कार्य शुरू कराने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष पंचायत समिति सांचोर व जिला परिषद् ने भेजा है ? यदि हां, तो

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उस पर क्या कार्यवाही की गई है और उस बान्ध को कब तक सरकार चालू कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(2) तहसील सांचोर के दुठवा गांव में बान्ध का कार्य शुरू करवाने का पंचायत समिति सांचोर व जिला परिषद् द्वारा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बान्ध का कार्य विस्तृत सर्वे करने के पश्चात धन की उपलब्धि पर ही शुरू किया जा सकता है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम किशनपुरा में उंदालू की फसल को पानी

811. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील मांगरोल के ग्राम किशनपुरा के किसानों ने सरकार को शिकायती पत्र देकर यह मांग की थी कि सिंचाई के लिए तालाब में जो पाइप लगे हुए थे उनको कर्मचारियों ने निकाल दिया है जिसके कारण उंदालू की फसल को पानी नहीं मिल रहा है, अतः पानी दिये जाने के लिए पाइप लगाये जायं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने करीब 600-700 बीघा भूमि को सिंचित करने के लिए उक्त तालाब से धोरे व सूतले बनाएं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त तालाब से सिंचाई होने से किसानों से 2-3 वर्षों का पानी पिलाई का पैसा लिया गया था ?

(4) क्या यह सही हैं कि अयाना भूंडला माइनर नहर से तालाब में पानी भरने के लिए पाइप लगाए हैं ?

(5) क्या यह सही है कि नहर से तालाब में पानी देने वाले पाइपों को भी निकाल दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

अजगरा बांध की कैनाल

812. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अजगरा बांध की कैनाल का अजमेर-केकड़ी रोड पर पानी का निकास कम होने से आगे कैनाल में बहुत कम पानी जाता हैं ?

(2) क्या इस रोड पर चौड़ी करने का एस्टीमेट मंजूर हो चुका है ? अगर हां

(श्री देवीलाल बुरासिया)

तो इसको अभी तक वहां से चौड़ी करने का कार्य क्यों नहीं हुआ ?

(3) क्या वहां की स्थानीय जनता की परेशानियों को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र इस कैनाल को चौड़ी करवाने का विचार है ?

(4) क्या इसी कैनाल का राजपुरा को निकास नीचा दिया गया है जिससे कि पानी का बहाव आगे बहुत कम हो जाता है ?

(5) क्या इस निकास को भी राज्य सरकार सही करवायगी ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

3. जी नहीं।

4. जी नहीं।

5. निकास नीचा नहीं है अतः राज्य सरकार द्वारा सही करवाने का कोई प्रश्न नहीं है। केवल मिट्टी जो नहर में आयी हुई है उसे साफ करवाने का तखमीना तैयार करा लिया गया है।

जयपुर–दौसा मार्ग की बस का गेयर बाक्स टूटने का मामला

813. **श्री कन्हैयालाल** (बस्सी सु.): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि तारीख 20-7-69 को राजस्थान पथ परिवहन की गाड़ी जयपुर से दौसा जा रही थी और जटवाड के पास ही उसका गेयर बॉक्स टूट गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह की दुर्घटना पहले भी हो चुकी थी और उसका गेयर बॉक्स टूट कर नीचे गिर गया था ?

(3) अगर हां, तो क्या यह ड्राइवर की गलती के कारण गिरा या मैकेनिक की ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गेयर बॉक्स का लीवर उलझ गया था, टूटा नहीं था।

(2) जी नहीं। इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

केकड़ी-शाहपुरा मार्ग की बसें

814. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.): क्या यातायात मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:—

(1) केकड़ी से शाहपुरा खादेड़ा होती हुई कितनी गाड़ियों के परमिट हैं और कितनी गाड़ियां चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पिपलाज वालों की शिकायतें हैं कि गाड़ी कभी आती है और कभी नहीं आती ?

(3) क्या सरकार उक्त परमिट धारियों का परमिट कैन्सिल कर ऐसे दूसरे व्यक्तियों

(श्री देवीलाल बुरासिया)

को परमिट देने का विचार रखती है जो समय पर गाड़ी चलाने और जनता को आराम दे सकें ?

उत्तर

(1) वर्तमान समय में दो परमिट हैं और दो गाड़ियां चल रही हैं ।

(2) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) किसी परमिटधारी के विरुद्ध शिकायत नहीं हुई है इसलिए दूसरे व्यक्तियों को परमिट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

बीकानेर के सिनेमागृहों के कर्मचारियों को सुविधाएं

815. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बीकानेर सिनेमा गृहों के कर्मचारियों को वेतन महंगाई तथा ओवर टाइम छुट्टी आदि की सुविधा मिलती है या नहीं ? यदि हां, तो क्या किसी लेबर ऑफिसर ने इसकी जांच की और उसकी क्या रिपोर्ट है ? और यदि नहीं, तो सरकार उन कर्मचारियों को कानूनन सुविधा दिलाने की क्या व्यवस्था करती है ?

उत्तर

बीकानेर में 3 सिनेमागृह हैं और ये संस्थान राजस्थान शॉप एन्ड कामर्शियल एस्टेब्लिशमेन्ट एक्ट के तहत आते हैं तथा इस एक्ट की अनुपालना उद्योग विभाग के निरीक्षकों द्वारा कराई जाती है । सिनेमा गृह के कर्मचारियों को वेतन एवं महंगाई एकत्रित (Consolidated) दी जाती है । महंगाई भत्ता अलग से नहीं दिया जाता है । ओवर टाइम का भुगतान @ $1\frac{1}{2}$ के हिसाब से शॉप एक्ट के अनुसार दिया जाता है इस एक्ट के तहत ही सिनेमा कर्मचारियों को वर्ष में 30 छुट्टियां सवैतनिक दी जाती हैं ।

प्रादेशिक सहायक श्रम आयुक्त, बीकानेर के समक्ष पिछले एक साल में सिनेमा गृह के कर्मचारियों से कोई भी विवाद या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई शिकायत विचाराधीन है ।

यदि सिनेमा गृह के कर्मचारियों को ओवर टाइम या छुट्टियों सम्बन्धी कोई शिकायत हो तो उद्योग विभाग द्वारा तथा वेतन, महंगाई सम्बन्धी कोई मांग प्रस्तुत की जावेगी तो इस विभाग द्वारा उस पर उचित कार्यवाही की जावेगी ।

नवाब टोंक पर बकाया

816. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) नवाब साहब टोंक में देवस्थान विभाग की किस किस वर्ष की कितनी कितनी किस किस प्रकार की रकम बकाया है ?

(ख) इस रकम की वसूली के लिए विभाग द्वारा अब तक क्या क्या और कब कब कार्यवाही की गई और इन कार्यवाहियों का क्या परिणाम निकला ?

(श्री देवस्थान मन्त्री)

उत्तर

(1) नवाब साहब टोंक में केवल 1 किश्त 4 जनवरी 69 वाली लेना शेष है जो राज आज्ञा द्वारा अंतिम किश्त के बाद वसूल की जायगी। इसके अलावा बाकी किश्तें समय पर जमा हुई है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों में हिन्दी में कार्य

817. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य का समस्त कार्य हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में करने के निश्चयानुसार न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग कहां तक प्रारम्भ हुआ है ?

(2) न्यायालयों का कार्य हिन्दी में हो इसके लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्थायें की हैं ?

(3) कब तक समस्त न्यायालयों में हिन्दी में ही सम्पूर्ण कार्य होने लगेगा ?

(4) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट जजों, एडीशनल सेसन जजों और सिविल जजों, अपेलेट कोर्ट और राजस्व मण्डल के न्यायालयों में अभी तक अंग्रेजी में ही कार्य होता है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कहां कहां कितना कितना हिन्दी का प्रयोग होता है ?

उत्तर

(1) हाई कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों को छोड़कर राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों में 26–1–68 से अधिकांश कार्य हिन्दी में प्रारम्भ हो गया है।

(2) इस सम्बन्ध में विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) समस्त न्यायालयों में अभी संपूर्ण कार्य हिन्दी में नहीं हो सकता क्योंकि केन्द्रीय विधायी आयोग ने अभी विधि शब्दों व अधिनियमों का प्राधिकृत अनुवाद पूर्णतः तैयार नहीं कराया है।

(4) जी नहीं, बहुत कुछ कार्य हिन्दी में भी होता है। विस्तृत सूचनाएं विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त कर बाद में पेश की जा सकेंगी।

देवस्थानों की सम्पत्ति का सर्वे

818, **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या देवस्थान विभाग ने राज्य के सभी देवस्थानों तथा इनके अधीन सम्पत्ति का सर्वे कराया है ?

(2) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या देवस्थान विभाग ने यह भी जांच की कि देवस्थानों की सम्पत्ति को उनके प्रबन्धक अथवा पुजारियों ने खिलाफ कानून हस्तान्तरित तो नहीं कर दी हैं ?

(4) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले विभाग के विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) सब मंदिरों का सर्वे नहीं हुआ है। प्रयत्न जारी है।

(देवस्थान मन्त्री)

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) ऐसे मामलों की शिकायत आने पर अथवा नोटिस में आने पर जांच की जाती है।

(4) 26 मामले विचाराधीन हैं।

उदयपुर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध शिकायतें

819. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर मेडिकल कालेज के वर्तमान प्रिंसिपल के विरुद्ध कालेज के लिये सामान की खरीद फरोख्त के सम्बन्ध में की गई अनियमिततायें, गोलमाल एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायत राजस्थान सतर्कता आयोग को एवं अन्य विभाग को की गई हैं? यदि हां, तो किन किन आरोपों को लेकर किस किस तारीख को शिकायतें हुईं?

(2) क्या सतर्कता आयोग ने एवं अन्य विभाग ने इन शिकायतों पर जांच की है? यदि हां, तो उन जांच रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? और जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। सचिव राजस्थान सतर्कता आयोग ने प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज उदयपुर के विरुद्ध श्री बी. एस. आखड़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद दिनांक 26-1-98 के उद्धरण इस विभाग को भेजे थे। अन्य कोई शिकायत यहां प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त उद्धरण में मैकेनिकल ड्रम्स को इलेक्ट्रीकल ड्रम्स में बदलने के सम्बन्ध में अनियमितता तथा एक कर्मचारी से दो दिन घर पर ही कार्य कराने के आरोप हैं।

(2) इस विभाग को यह जानकारी नहीं है कि सतर्कता आयोग ने उक्त परिवाद की जांच करवाई है या नहीं। इस विभाग ने महालेखाकार के ऑडिट दल द्वारा लेखों की जांच पूर्ण हो जाने के बाद ही विभागीय जांच कराना उपयुक्त समझा है। महालेखाकार की ऑडिट पार्टी ने जांच कर ली है एवं प्रधानाचार्य ने भी उत्तर दे दिया है। अब इस विषय पर राज्यस्तर से कार्यवाही की जा रही है।

केकड़ी सावर तथा सरवाड़ के अस्पतालों में बैडों की संख्या

820. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केकड़ी, सावर और सरवाड़ के अस्पतालों की बैड संख्या कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पतालों में सन् 60 से अब तक आउट-डोर व इन-डोर मरीजों की कितनी संख्या रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अस्पतालों को सन 60 से अब तक कितना कितना रुपया किस किस मद के लिए दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(4) उक्त अस्पतालों को कितनी कितनी मेडीशन दी और क्या यह मैडीशन उक्त ग्राम और आस पास के ग्रामों के लिये काफी है ?

उत्तर

(1) केकड़ी, सावर एवं सरवाड़ के अस्पतालों में क्रमश: 24, 8, 6 बैड्स का प्रावधान है।

(2) उक्त अस्पतालों का सन 1960 से अब तक उपचार किये गये रोगियों का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(3) उक्त संस्थाओं को सन् 1961 व 62 से अब तक स्वीकृत बजट का ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(4) उक्त संस्थाओं को स्वीकृत बजट के अनुसार ही दवाइयां दी जाती रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बाड़मेर, जैसलमेर तथा जोधपुर क्षेत्र में सहायता कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

821. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर व जैसलमेर व जोधपुर क्षेत्र में अकाल सहायता विभाग द्वारा सन् 1968-69 में अकाल सहायता विभाग द्वारा कितनी सड़कें आरम्भ की गईं ? इनमें से कितने मील लम्बी सड़कें बनीं, कितनी सड़कों पर ग्रेवल डाला, कितनी सड़कों पर मेटलिंग किया और कितनी सड़कों पर डामर किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रतिमील सड़क निर्माण का खर्च अकाल सहायता विभाग द्वारा बनी सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनी अन्य सड़कों के निर्माण से बहुत अधिक है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और खर्च कितना प्रति मील अधिक है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अकाल सहायता विभाग द्वारा भी कार्य नाप से कराया गया है और मजदूरों की मजदूरी में कटौती की गई है ?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

2. जी हां, अकाल सहायता विभाग द्वारा बनी सड़कों का खर्चा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनी सड़कों से अधिक होने के निम्न कारण हैं :—

(1) फेमिन कोड के अनुसार प्रत्येक मजदूर से कम काम लिया जाता है।

(2) इसके अलावा मजदूरों द्वारा फेमिन कोड के अनुसार तय किया गया कार्य पूर्ण न करने की हालत में भी पानी व छाया व निवास का पूरा प्रबंध करना पड़ता है। अत: कार्य कम होने पर भी अन्य खर्चा अधिक हो जाता है जो कि कुल मिलाकर सड़क के खर्च को बढ़ा देता है जो लगभग 80 से 100 प्रतिशत तक है।

3. जी हां। सहायता विभाग द्वारा भी कार्य निर्धारित नाप से करवाये जाने के

(अकाल सहायता मन्त्री)

प्रयत्न किये जा रहे हैं । काम निर्धारित मात्रा में न होने के कारण कटौती की जाती है ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

अकाल सहायता केन्द्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों द्वारा की गई शिकायतें

822. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में अकाल सहायता केन्द्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों के भुगतान के सम्बन्ध में मजदूरों की कई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? अगर हां, तो कहां कहां की कितनी कितनी शिकायतें और इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या शिकायत करने वाले मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अब तक कर दिया गया है ? अगर हां, तो कितना कितना ? अब कितना भुगतान करना शेष है ? वह भुगतान कब तक करा दिया जावेगा?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

झालावाड़ तथा कोटा जिले के अभावग्रस्त गांव

823. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ व कोटा जिलों में किन किन तहसीलों के कितने कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) अभाव-ग्रस्त घोषित किये गये अलग अलग क्षेत्रों में कुल कितना कितना खर्च किस किस कार्य पर किया गया है ?

(3) अलग अलग अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में कितने कितने मजदूर लगाये गये थे ?

(4) अकाल के सिलसिले में चालू किये गये कार्यों में से कितनों को आगे चलाने का प्रावधान है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) अकाल-ग्रस्त घोषित किये गये अलग अलग क्षेत्रों में जो खर्चा किया गया है, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) कोटा की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है, एवं झालावाड़ की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(4) अकाल के सिलसिले में चलाये गये कार्यों में से किन कार्यों को योजना के अन्तर्गत लिये जाकर पूरे किये जायं, यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल सहायता कार्य के अन्तर्गत खोदे गये नलकूप

824. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में इस वर्ष अकाल सहायता के अन्तर्गत कितने नलकूप कहां कहां पर कब कब खुदे हैं और उन पर कितना कितना खर्चा हुआ तथा उनको कब कब चालू किया गया ? कौन कौन नलकूप असफल रहे ?

(2) भविष्य में इन कूपों का क्या क्या उपयोग किया जायेगा ?

(3) यह योजना कहां तक सफल रही और आगे इस योजना को किस रूप में चालू रखा जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष अकाल सहायता के अन्तर्गत 60 नलकूप खुदवाये गये थे जिन पर रु० 47,56,006-09, 21 मार्च,69 तक व्यय हुए थे। जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) यह नलकूप मूलतः पेयजल के लिए खोदे गये हैं और अभी इनको पेयजल के उपयोग में लिया जा रहा है। जिन नलकूपों की कुल क्षमता अधिक है उन्हें बाद में सिंचाई के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है।

(3) यह योजना पेयजल की उपलब्धि के लिए बनाई गई थी और इस दृष्टि से यह पूर्णतः सफल रही है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

अभाव-ग्रस्त ग्राम

825. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बतायेंगे :—

(1) राजस्थान में इस वर्ष कुल कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं और कब कब ? जिलेवार गांवों की प्रभावित जन संख्या तथा पशु संख्या भी बतावें।

(2) कुल कितना लगान स्थगित किया गया है और टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार कुल कितनी छूट लगान में दी जाने का विचार है ? जिलेवार सूची दें ?

(3) राजस्थान में कुल कितने सहायता कार्य, स्थाई और अस्थाई स्वीकृत किये गये हैं ? स्वीकृति का दिनांक और उस कार्य के चालू करने का दिनांक व लागत देते हुए जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कार्यों की स्वीकृति और काम चालू करने के लिये क्या आधार रखे गये हैं ? स्वीकृति के कितने समय बाद काम चालू किये जाते हैं ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जिलाधीशों को गोपनीय आदेश दिये हैं जिनमें जिलों में मजदूरों की संख्या निर्धारित कर दी गई है ? निर्धारित संख्या से अधिक अकाल पीड़ित मजदूरों को काम पर नहीं लिया जाता है ? क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां तो कहां कहां से और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(6) कितने काम स्वीकृत करने के बाद रद्द किये गये या उनमें तब्दीली की

(अकाल सहायता मंत्री)

गई किस किस कार्य में ? जिलेवार सूची दें। क्यों परिवर्तन किया गया यह भी बतावें ?

(7) प्रत्येक काम पर लगे मजदूरों की संख्या भी काम के आगे अंकित की जाय।

(8) मजदूरी कितने दिन में चुकाई जाती है ? क्या मजदूरी 25 व 30, 40 दिन में चुकाने की सूचनाएं हैं ?

(9) क्या मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम चुकारा भी किया गया है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

उत्तर

स्थगित किया गया।

जिला जालौर में सहायता कार्यों के अन्तर्गत सड़कों पर कार्य

826. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या अकाल-सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जालौर जिला में अकाल सहायतार्थ कौन कौनसी सड़क का कार्य शुरू कराया गया व उस पर कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।)

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

चूरू जिला अकाल राहत सलाहकार समिति की बैठकें

827. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिला अकाल राहत सलाहकार समिति की मीटिंग अगस्त, 1968 से अबतक कितनी बार बुलाई गई ?

(2) कितनी मीटिंगें कब-कब हुई और कितनी मीटिंग पोस्टपोन की गई और क्यों?

(3) किस किस मीटिंग में किन 2 कार्यों के प्रोपोजल्स स्वीकार किये जाकर मंजूरी हेतु राज्य सरकार को भेजे गये ? उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत होकर राज्य सरकार से आये ?

(4) क्या राज्य सरकार से डाइरेक्ट भी कुछ कामों की स्वीकृति दी गई? यदि हां, तो ऐसे कार्यों की सूची उनके लिये स्वीकृत धनराशि विवरण सहित सदन की मेज पर रखी जाये।

(5) क्या यह सही है कि जिला एडवाइजरी कमेटी की सलाह के भी कुछ कार्य कलेक्टोरेट से डाइरेक्ट भिजवा कर स्वीकार करवाये गये ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में किया गया ? ऐसे कामों की सूची काम के मूल्यों सहित दी जावे।

उत्तर

(1) चूरू जिला अकाल राहत सलाहकार समिति की मीटिंग अगस्त, 68 से अब तक पांच बार बुलायी गयी।

(2) ये मीटिंगें, दिनांक 30-10-68, 19-3-69, 4-6-69, 11-6-69 को हुई। दिनांक 9-10-68 को मीटिंग स्थगित की गई, क्योंकि गिरदावरी की पूर्ण सूचना

Page No 51

(अकाल सहायता मंत्री)

दिनांक 20-10-68 से पूर्व प्राप्त होना सम्भव नहीं था और उसके बिना पूर्ण स्थिति की जानकारी सम्भव नहीं थी।

(3) जी हां, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी हां, सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(5) जी हां, अकाल स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए कुछ कार्य तत्काल प्रारम्भ करना आवश्यक होने से बिना मीटिंग बुलाये करवाये गये। ऐसे कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़ के सरपंच के विरुद्ध मामला

828. श्री हरजीराम बुरड़क(लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जसवन्तगढ़, पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के सरपंच के खिलाफ सरकार ने कोई फौजदारी मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? यदि हां, तो कब और किसकी प्रार्थना पर? उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस प्रकार के मामलों में स्वीकृति देने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इस सम्बन्ध में कोई नियम व राज आज्ञा प्रसारित की हुई हो तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इससे पूर्व के कई मामले ऐसे भी विभाग के पास स्वीकृति के लिए पड़े हैं जिनमें पुलिस ने जांच करके चालान की स्वीकृति मांगी है? और उनमें स्वीकृति नहीं दी गई यदि हां, तो कौन 2 से मामले कब कब से पड़े हैं और उनमें किस 2 अपराध में चालान करने की स्वीकृति चाही थी और उनको स्वीकृतियां क्यों नहीं दी गई?

(5) क्या फौजदारी मामलों में जिनमें पुलिस जांच कर सकती है उनमें स्वीकृति देने के पूर्व पुलिस की जांच होनी आवश्यक है यदि हां, तो इसमें पुलिस से जांच क्यों नहीं करवाई गई?

(5) उक्त मामले की प्रथम सूचना पुलिस व अदालत को कब दी गई और प्राथमिक जांच किसने की और वह किस अधिकारी ने अपनी जांच से कब सिद्ध किया कि यह अपराध सिद्ध होता है?

उत्तर

1 जी हां। दिनांक 19-2-69 को श्री खूबराम की प्रार्थना पर।

आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

2 कोई विशेष नियम अथवा राज-आज्ञा नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रत्येक मामले के गुण

(पंचायत मंत्री)

दोषों पर विचार करने के उपरान्त स्वीकृति देने, न देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है।

3 सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

4 जी नहीं।

5 प्रथम सूचना पुलिस व अदालत को कब दी गई इसकी जानकारी नहीं है। प्रारंभिक जांच उप जिला विकास अधिकारी, नागौर द्वारा दिनांक 24-7-68 को की गई।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत ध्यावा के पंच के विरुद्ध गबन के आरोप

829. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ध्यावा; पंचायत समिति लाडनूं, जिला नागौर के पंच श्री चन्द्राराम को कलेक्टर नागौर ने रक्षा कोष की राशि के गबन के आरोप में निलम्बित किया था? यदि हां, तो कब कितनी राशि के दुरुपयोग में?

(2) उक्त पंच को निलंबित करने के बाद आगे क्या कार्यवाही की गई और गबन की गई राशि जमा हुई या नहीं? अगर जमा हुई तो कब?

क्या इसे निलंबित करने के बाद मामला तत्काल पुलिस को सौंपना चाहिये था? यदि हां, तो क्या मामला पुलिस को सौंपा गया और नहीं तो क्यों?

उत्तर

1 जी हां। दिनांक 30-11-67 को 179) रु० के गबन के आरोप में निलंबित किया गया।

2 निलम्बन के उपरान्त राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 21 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच करवाने की कार्यवाही की जा रही है। रकम जमा होने की सूचना नहीं है।

3 दिनांक 30-11-67 को प्राथमिक जांच की प्रतिलिपि उप महानिरीक्षक, पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर दी गई।

ग्राम पंचायतों की समय अवधि

830. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायतों के अन्तिम चुनाव जनवरी, 1965 में हुए थे कि जनवरी, 1966 में?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायत की समय मर्यादा तीन वर्ष से पांच वर्ष करने जा रही है? यदि हां, तो पांच वर्ष की समय मर्यादा वर्तमान ग्राम पंचायतों की जनवरी, 1970 में समाप्त होगी कि जनवरी, 1971 में?

(श्री फूलचन्द बाफणा)

(3) क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश निकाला है जिसके अनुसार वर्तमान ग्राम पंचायतों के चुनाव जनवरी, 1971 में करवाये जाने को है ?

(4) ग्राम पंचायतों की समय मर्यादा पांच वर्ष समाप्त हो जाने पर कारण-वश यदि ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये जा सकें तो क्या सम्बन्धित एक्ट में सरकार को प्रदत्त अधिकारानुसार सरकार ग्राम पंचायतों की समय मर्यादा एक वर्ष और आगे बढ़ा सकेगी ? यदि हां, तो उस परिस्थिति में फिर वर्तमान ग्राम पंचायतों के चुनाव क्या छः वर्ष की समाप्ति पर होंगे ? वैसी परिस्थिति में क्या विधान सभा या लोकसभा के पांच वर्ष के कार्यकाल से ग्राम पंचायतों का कार्यकाल एक वर्ष अधिक नहीं होगा ?

उत्तर

1 जनवरी, 1965 में ।

2 मर्यादा 3 वर्ष से 5 वर्ष की कर दी गई हैं जो जनवरी, 1970 में समाप्त होगी ।

3 जी नहीं ।

4 जी हां । वैसी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों का कार्य-काल विधान सभा या लोक सभा के कार्य-काल से एक वर्ष अधिक होगा ।

अध्यापक की बकाया का भुगतान

831. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि श्री केशाराम अध्यापक, पंचायत समिति, लाडनूं, जिला नागौर का देहान्त हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या पंचायत समिति में उक्त अध्यापक का भुगतान बकाया था ? यदि हां तो कितने रुपयों का ?

(3) क्या यह भुगतान अभीतक पंचायत समिति ने उनके उत्तराधिकारियों को नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) अब उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा और इस प्रकार से अनियमित-रूप से भुगतान में की गई देरी के लिये किन किन के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्तर

1 जी हां। देहान्त दिनांक 24-1-65 को हुआ ।

2 जी हां । 365.32 पैसे का ।

3 बकाया भुगतान अध्यापक के उत्ताधिकारियों को कर दिया गया है ।

4 प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

ग्रुप सचिवों की स्कीम

832. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्रुप सचिवों की स्कीम लागू करने से पंचायतों के पूर्व सचिव बेकार हो गये हैं ? यदि हां, तो कितने ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No 54

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने उनको ग्राम सेवक बनाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो उसका कहां तक पालन हुआ ?

(3) बेकार हुए उक्त सचिवों को किस कार्य में कब तक लगा दिया जाएगा ?

(4) इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

1 जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2 सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि आगे सरकार विचार कर रही है कि जो मौजूदा सचिव हैं उनमें जो निर्धारित योग्यता में आते हैं उनको दो साल की ग्रुप सचिव की ट्रेनिंग दी जाय और जिन जिन पंचायत समितियों को जरूरत है उनको ग्रुप सचिव के रूप में लगाया जाय। बाकी जो सचिव निर्धारित योग्यता में नहीं आते हैं, सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं, यदि पंचायतें चाहें तो अपनी निजी आय से ऐसे लोगों को उप सचिव के रूप में रख सकती है। राज्य सरकार ने पंचायतों के पूर्व सचिवों को ग्राम सेवक बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

3 प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

4 बेकार पूर्व पंचायत सचिवों को ग्राम सेवक बनाने के प्रस्ताव पर वित्तीय एवं उपयोगिता के दृष्टिकोण से विचार किया गया तथा उसे अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति उनियारा द्वारा भेड़ पालन के लिये दिया ऋण

833. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि रामरतन गूजर पुत्र ऊंकार गूजर गाडोली को पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक द्वारा भेड़ पालन हेतु कोई ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त ऋण की राशि श्री रामरतन को ही भुगतान की गई न कि किसी अन्य व्यक्ति को ?

(3) क्या यह सत्य है कि मोडूलाल, सरपंच खातोली ने इस पैसे को प्राप्त किया है और उसी के द्वारा यह ऋण स्वीकृत किया गया ?

(4) क्या यह सत्य है कि श्री रामरतन ने पंचायत समिति उनियारा के विकास अधिकारी को निवेदन किया है कि उसने यह रकम प्राप्त नहीं की है और श्री मोडूलाल ही ने प्राप्त की है ? यदि हां, तो कब ?

(5) क्या यह सत्य है कि श्री मोडूलाल द्वारा उक्त व्यक्ति को धोखा देकर रकम प्राप्त की है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(पंचयात मंत्री)

उत्तर

1. जी नहीं। ऋण नहीं दिया गया। केवल 250) रु० भेड़ खरीदने हेतु अनुदान दिया गया है।

2. इस राशि का भुगतान श्री रामरतन को चैक द्वारा उप कोष उनियारा से किया गया है।

3. जी नहीं। चैक श्री रामरतन के नाम पर जारी किया गया है।

4. ऐसी शिकायत श्री रामरतन ने मौखिक विकास अधिकारी को की थी।

5. जी नहीं। रकम श्री रामरतन द्वारा प्राप्त की गई थी जिसकी पुष्टि उसके हलफनामे से होती है अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

चाकसू पंचायत क्षेत्र में चीनी का वितरण

834. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चाकसू पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों, ग्रामीणों अथवा अन्य किन्हीं से राज्य सरकार जिलाधीश, जयपुर और सम्बंधित एस. डी. ओ. को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इस क्षेत्र की पंचायत से ग्रामीणों को कोटे की चीनी वितरण नहीं की जाती और वह चीनी तहसीलदार चाकसू और डीलर मिलकर वर्षों से काला बाजार में बेचते आ रहे हैं ?

(2) यदि हां, तो उन शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें और यह भी बतलायें कि वे कब कब प्राप्त हुई ?

(3) उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या शिकायत-कर्त्ताओं से पूछताछ की गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

1 जी हां।

2 1. शिकायत नागरिक चाकसू दिनांक अंकित नहीं।

2. शिकायत जनता खेडारानीवास तहसील चाकसू दिनांक 29-6-69।

3. शिकायत जनता चाकसू मारफत श्री नारायण चतुर्वेदी, जयपुर, दिनाक अंकित नहीं।

4. शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत नीमोडिया विरुद्ध प्राइवेट डीलर श्री महावीर कुमार जैन दिनांक—

3 1. शिकायत नागरिक चाकसू गुमनाम थी जांच से विदित हुआ कि शिकायत निराधार थी।

2. यह शिकायत विक्रेता श्री सूरजमल शर्मा के विरुद्ध थी। जांच तहसीलदार के द्वारा की जा रही है। जांच परिणाम प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायगी।

3. शिकायते जनता चाकसू मार्फत श्री नारायण चतुर्वेदी जिला रसद कार्यालय में

(खाद्य मंत्री)

दिनांक 22-6-69 को प्राप्त हुई। जांच हेतु एस. डी. ओ. को लिखा गया है जांच परिणाम प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी।

4. डीलर को हटा दिया गया है और अस्थाईरूप से सहकारी समिति निमोड़िया को चीनी वितरण का कार्य दिया गया है।

राजकीय छात्रावास पीपाड़ को सामान की सप्लाई

835. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पीपाड़ राजकीय छात्रावास को न्यू रमेश बुक डिपो द्वारा 19-8-68 को सामान सप्लाई किया गया था? अगर हां, तो क्या इसके बिल का भुगतान हो गया है?

(2) क्या इस फर्म ने बार बार लिखा है व नोटिस भी दिया हैं?

(3) क्या इस फर्म के बिल का जल्दी भुगतान करने का सरकार विचार रखती है? बिल का भुगतान समय पर न होने के क्या कारण है?

उत्तर

1. हां, भुगतान हो चुका।

2. बिल प्राप्त हुआ एवं पत्र स्मरण पत्र छात्रावास अधीक्षक को दिनांक 14-1-69 को दिया।

3. एफ. सी. बिल 19-12-68 को बना कर भुगतान कर दिया।

राजकीय छात्रावास पीपाड़ में भोजन की व्यवस्था

836. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पीपाड़ राजकीय छात्रावास में राशन की सप्लाई के लिये ठेकेदार नियुक्त हैं?

(2) क्या पीपाड़ राजकीय छात्रावास के छात्रों के लिये भोजन की पूर्ण व्यवस्था है? क्या ठीक व्यवस्था न होने की कोई शिकायत आई है?

(3) क्या ऐसी भी शिकायत है कि भोजन की ठीक व्यवस्था नहीं होने के उपरान्त भी राशन का पूरा बिल बनाया जाता है?

(4) नवम्बर, दिसम्बर, 1968 में बाजरी का आटा, मूंग की दाल और गुड़ के सरकारी बाजार भाव क्या थे?

(5) क्या सरकार को विदित है कि इन्ही महीनों में बाजरी का आटा 120) रु. प्रति क्विन्टल, मूंग की दाल 2 रु. प्रति किलो, गुड़ 3.40 न. पैं. प्रति किलो की रेट से बिल बनाये गये थे? यदि हां, तो बिल में दर्ज की गई रेट में व बाजार के भाव में कोई फर्क है?

(6) क्या जिस फर्म द्वारा बिल बनवाये गये हैं वह अनाज बेचने के लिये भी रजिस्टर्ड है और क्या वह फर्म पीपाड़ में है और पीपाड़ में ही व्यापार करती है? अगर नहीं है, तो इस फर्म से बिल क्यों बनवाये गये?

(7) क्या पीपाड़ शहर में कोई दूसरी अनाज के बेचने के लिये रजिस्टर्ड फर्म है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां कोई शिकायत नहीं आई।

(3) जी नहीं।

(4) नगर पालिका पीपाड़ द्वारा प्रमाणित भाव निम्न प्रकार हैं:-नवम्बर, 68 बाजरी का आटा 120 प्र.कि.मूंग की दाल 2.00 प्र.कि. गुड़ 3.50 प्र. कि. दिसम्बर, 68 बाजरी का आटा 120.00 प्र.कि. मूंग की दाल 2.00 प्र. कि. गुड़ 3.50 प्र कि.

(5) जी हां। किलों में कोई फर्क नहीं है?

(6) मेसर्स घेवरचन्द जिनसे बाजरी का आटा खरीदा गया था रजिस्टर्ड फर्म नहीं है परन्तु पीपाड़ में ही धन्धे करते हैं अन्य सामान में बाल किशन हरिकिशन जाजू तथा मेसर्स शाहप्रकाश चन्द्र एण्ड.को पीपाड़ शहर से क्रय किया गया था। ये दोनों किराने के व्यापारी हैं।

(7) जी हां 20,000 की आबादी वाले शहर में अन्य दुकाने हैं।

आदिम जाति सेवा संघ

837. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आदिम जाति सेवा संघ का गठन कब हुआ? इसके कौन कौनसी संस्था व व्यक्ति सदस्य हैं, पदाधिकारी कौन कौन हैं तथा वैतनिक कर्मचारी कौन कौन हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त संस्था के आय का स्रोत क्या है तथा सरकारी अनुदान किस उद्देश्य को लेकर कितना कितना रुपया गत पांच वर्षों में दिया गया? उस रुपये का किस प्रकार से खर्च किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राजस्थान आदिम जाति सेवा संघ के गत पांच वर्षों के आय व्यय का हिसाब सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर का गठन 14 नवम्बर, 1957 को हुआ था। संचालक मन्डल के सदस्यों, पदाधिकारियों तथा वैतनिक कर्मचारियों की सूची संलग्न है।

(2) संस्था के आय का स्रोत सरकारी अनुदान तथा जनता से चन्दा, अर्थ सहायता है। कुछ अनुदान खादी ग्रामोद्योग आयोग बम्बई से प्राप्त होता है। समाज कल्याण विभाग, राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ जयपुर मुख्य कार्यालय का खर्च, 2 आश्रम स्कूलों के संचालक के लिये अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त 1964,65 में सीमावर्ती 3 छात्रावासों के लिये भी अनुदान दिया गया था। गत पांच वर्षों में किस किस प्रकार रुपया खर्च किया गया इसकी सूचना संस्था की 63-64 से 67-68 तक की आय व्यय विवरण तालिका से विदित होगी। जिसकी प्रतिलिपियां संलग्न हैं। वर्ष 1968-69 की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(3) गत पांच वर्षों में से वर्ष 68-69 की आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है

Page No 58

(समाज कल्याण मंत्री)

अन्य चार वर्षों के आय व्यय विवरण संलग्न है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कर्मचारियों के स्थानान्तरण

838. श्री लादूराम सुलानियां (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग जयपुर ने जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति की तारीख के पश्चात से अब तक कुल कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण व प्रति नियुक्तियां (डेपूटेशन) किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर कर्मचारी का नाम, पद व नियुक्ति स्थान के सहित रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त अधिकारी की नियुक्ति के बाद इस विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति, व विमुक्त जातियों के व्यक्तियों की नियुक्तियां दी गई है? यदि हां, तो किन व्यक्तियों को सूची मय नाम व पदों सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त अधिकारी की नियुक्ति के पश्चात् से कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं दिया जाता है? 1 जनवरी 68 तक ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्हें बकाया देना शेष है? ऐसे कर्मचारियों की सूची उनके नाम व पद, नियुक्ति स्थान, बकाया राशि तथा कारण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर की नियुक्ति दिनांक 1-7-67 के बाद उक्त कार्यालय में जिन जिन कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये उनकी सूची संलग्न कर दी गई है। इस कार्यालय का कोई कर्मचारी प्रति नियुक्ति पर नहीं गया।

(2) जी हां। सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं, वेतन नियमानुसार समय पर ही दिया जाता है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला समाज कल्याण विभाग, जयपुर का कार्य

839. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सत्य है कि 1 जुलाई, 67 से की गई नवीन व्यवस्था के पश्चात जयपुर जिला समाज कल्याण विभाग का कार्य सन्तोषप्रद रहा है? यदि हां, तो किस प्रकार?

(2) क्या जिला जयपुर नवीन व्यवस्था के पश्चात दोनों अधिकारियों को समान अधिकार है या भिन्न भिन्न अधिकार है? यदि भिन्न भिन्न है तो किस किस अधिकारी को क्या क्या अधिकार हैं? और नहीं, तो क्यों नहीं? पूर्ण विवरण मय अधिकारी का नाम, अधिकारी सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री लादूराम सुलानियां)

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति के बाद इस कार्यालय के कर्मचारियों में असन्तोष है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य के विषय में किसी प्रकार की शिकायत न प्राप्त होने के आधार पर।

(2) भिन्न भिन्न अधिकार व कार्य क्षेत्र हैं। अधिकारों की सूचि संलग्न है। प्रश्न ही नहीं उठता। अधिकारी निम्न है :—

(1) श्री प्रहलादराय उपाध्याय, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी।

(2) श्री गणपतसिंह महनोत समाज कल्याण अधिकारी, जयपुर। आदेश की सूची संलग्न हैं।

(3) जी नहीं। कोई शिकायत नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

जयपुर जिले के छात्रावासों का कार्य संचालन

840. श्री लादूराम सुलानिया (फागी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि समाज कल्याण विभाग राजस्थान के जयपुर जिले में विभागीय छात्रावासों के कार्य संचालन हेतु एक सलाहकार बोर्ड बना हुआ है ? यदि हां, तो इस बोर्ड में विभाग की ओर से प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर जिले में परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पृथक पृथक हैं ? यदि हां, तो उक्त दोनों अधिकारियों का कार्य विभाजन मय उनके अधिकारों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि विभागीय छात्रावासों की देख रेख करने वाले अधिकारी जिला समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की में भाग लेते हैं ?

(4) क्या विभागीय छात्रावासों की संचालन व्यवस्था 1 जुलाई 67 से अब तक सन्तोषप्रद रही है ? यदि हां, तो 1 जुलाई 67 से अब तक प्रत्येक छात्रावासों में किये गये खर्चे का पूर्ण लेखा जोखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सत्य है कि विभागीय छात्रावासों के ठेकेदारों के बिल जिला कार्यालय में बकाया है ? यदि हां, तो किस किस ठेकेदार के कब कब से तथा कितनी कितनी राशि के और क्यों ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि 1 जुलाई 67 के पश्चात जिला कार्यालय में कोई खरीद की गई है ? यदि हां, तो किस किस फर्म से क्या क्या वस्तु किस दर पर क्रय की गई तथा उनका भुगतान हुआ कि नहीं ? सूची सदन की मेज पर पूर्ण विवरण सहित रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विभागीय छात्रावासों के कार्य संचालन हेतु जिलों में कोई सलाहकार बोर्ड नहीं है। बल्कि प्रत्येक छात्रावास के लिये प्रवेश तथा प्रबन्ध समिति विभाग द्वारा गठित की गई है। जिसमें छात्रावास अधीक्षक की ओर से प्रतिनिधि हैं।

(2) जी हां। यह एक पद जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी का तथा दूसरा पद समाज कल्याण अधिकारी का है, जिसे दिनांक 1-9-69 से कार्यवाहक परिवीक्षा एवं कारागृह अधिकारी का नाम दिया गया है।

(3) जिला समाज कल्याण बोर्ड की बैठक में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी भाग लेते है।

(4) जी हां। अनुसूचित जाति में 47423 विमुक्त जाति में 24747.31 पैसे अनुसूचित जन जाति के छात्रावास व्यवस्था में 153252.56 पैसे का व्यय हुआ है। लेखा वित्तीय नियम के अनुसार छात्रावास संधारण के नाम से रहता है। छात्रावासों के नाम से पृथक 2 लेखा नहीं रहता है बल्कि लेखा योजना वार रहता है।

(5) चालू वर्ष के अतिरिक्त अन्य भुगतान के बिल जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में बकाया नहीं है।

(6) 1-7-67 से क्रय किये गये सामान की सूची, जो जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिये क्रय किया गया संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

पटवारी के साथ छुआछूत का मामला

375. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सूरतगढ़ राजस्थान नहर पटवारी प्रेम कुमार से छुआछूत करने के विषय में तहसीलदार के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीज हुआ और राज्य सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाया है ?

उत्तर

जी नहीं। तहसीलदार के विरुद्ध पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज होना नहीं पाया जाता है। बल्कि घटना इस प्रकार है कि श्री प्रेमकुमार ने दिनांक 6–5–68 को थाना सूरतगढ़ में रिपोर्ट नम्बर 43 दर्ज कराई थी। दिनांक 17–4–68 को जीवनलाल वरिष्ठ लिपिक राजस्थान नहर योजना नं० 3 सूरतगढ़ ने जुर्म दफा 3/4 छुआछूत का अपराध किया। बयान कार्यवाही में पुलिस में श्री उत्तमसिंह तहसीलदार, कोलोनाईजेशन, को जीवनसिंह की भांति मुलजिम नहीं बनाया गया और चलान अदालत में पेश कर दिया गया। बाद में पी० एस० आई० ने दरख्वास्त पेश की कि श्री उत्तमसिंह तहसीलदार भी जीवन लाल की भांति अपराधी है। अतः इन्हें भी मुलजिम बनाया जावे। बहस की तारीख

Page No 61

(समाज-कल्याण मंत्री)

7-2-69 रखी गई लेकिन बहस नहीं हुई। पी० एस० आई० ने उच्च अधिकारियों से परामर्श लेने के लिए समय चाहा और इस पर प्रार्थना पत्र पेन्डिग रह गया इसी परम्यान पी० एस० आई० का स्थानान्तरण हो गया और नये पी० एस० आई० की नियुक्ति अभी नहीं हुई अतः मुकद्दमा विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(20-8-69)

समाज कल्याण अधिकारी नागौर द्वारा ग्रामों का दौरा

377. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, नागौर ने इस वर्ष तहसील लाडनू के किन्हीं गांव का दौरा किया था ? यदि हां, तो किस किस गांव का कब कब किस किस कार्य हेतु दौरा किया ? मय दौरे के पूर्व निश्चित कार्यक्रम की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त दौरे के समय समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही किन किन प्रवृत्तियों का किस किस गांव में निरीक्षण किया और निरीक्षण के समय क्या क्या त्रुटियां, अच्छाइयां पायी गयीं ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है। यह दौरा सहायक निदेशक (मुख्यावास) समाज कल्याण विभाग जयपुर के निर्देश पर किया गया था।

(2) समाज कल्याण विभाग की कोई प्रवृत्ति इन ग्रामों में नहीं है दौरे का उद्देश्य संलग्न सूची में दर्शाये अनुसार है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(25-8-69)

जागीर पेन्शनरों को भुगतान

516. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी सु०) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले की केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में कितने जागीर पेन्शनरों को कितनी पेन्शन दी जाती है ? ठिकानेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सब पेन्शनरों को राजस्थान सरकार के पत्र संख्या एफ. 1 (29) एफ. डी. (व्ययनियम) 66, दि. 16-1-67 के तहत पेन्शन दी जाती है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त आदेश के तहत सब पेन्शनरों को न्यूनतम, पेन्शन का भुगतान करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जिला अजमेर के केकड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में 46 जागीर पेनशनरों को

(वित्त मंत्री)

रु० 684.95 माहवार पेनशन दी जाती है :-

नाम ठिकाना	तादाद पेन्शन	रकम
1. सावर	19	340.90
2. जूनियां	13	162.90
3. देवगांव बदोरा	7	112.95
4. महरुकलां	7	68.20
	46	684.95

(2) अजमेर के ठिकाने के कर्मचारियों की पेनशन अजमेर मध्यस्थ उनमूलन एवं भूमि सुधार (मध्यस्थों के कर्मचारियों को पेनशन) नियम 1962 के तहत ही स्वीकार की जाती है।

(3) यह मामला विचाराधीन है।

उत्तर

स्थगित प्रश्न

(25-8-69)

अकाल राहत कार्य और भ्रष्टाचार के मामले

524. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सन् 1968-69 एवं 1969-70 वर्ष में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितने भ्रष्टाचार के मामले राज्य सरकार के समक्ष आये? राज्य सरकार द्वारा इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई विस्तृत सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(26-8-69)

झालावाड़ जिले में अकाल राहत कार्य

628. श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग सु.): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले को किस-किस तहसील के कितने-कितने व क्या-क्या तथा कितनी कितनी लागत के अकाल राहत कार्य किन ठेकेदारों अथवा किसके संरक्षण में चल रहे हैं? ये कब तक पूरे हो जायेंगे? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? अब तक उन पर कितना पैसा खर्च हो गया और शेष कितना खर्च और होगा? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिले को कुल कितना पैसा अकाल राहत कार्यों के लिये मिला है व कितना और मिलना है या मांगा गया है, अथवा चाहिए?

(3) कितना-कितना सामान, क्या क्या व कहां-कहां से किस-किस रेट से पर्चेज कियां व शेष कितना और किया जाना है? क्या इन सबके लिए टेन्डर काल किये? अगर हां, तो बाकी टेन्डरों की रेट क्या थी व किस-किस ने टेन्डर दिये जिनके टेन्डर मन्जूर नहीं हुए उनके क्या कारण थे? बताने का कष्ट करें।

(4) गत 1 वर्ष में अकाल-राहत एवं गैर अकाल-राहत कार्य जो सरकारी स्तर पर

(श्री लछमण तांमीवाल)

किये गये हैं, उनकी सूची देने का कष्ट करें। व ये सब किनके द्वारा किये जा रहे हैं व कब तक पूरे होंगे व किन ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं ?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदारों की कुछ श्रेणियां सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं ? क्या योग्य ठेकेदारों को ही ठेके दिये जायं इस बात का ख्याल रखकर टेन्डर मन्जूर किये जाते हैं ? अगर हां, तो किन्हीं ठेकेदारों के सम्बन्ध में जो शिकायतें आई कि ये योग्य नहीं हैं अथवा अपने निर्धारित एग्रीमेंट बौन्ड के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं ? ऐसी कितनी शिकायतें सामने आई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(26-8-69)

शिक्षा प्रसार अधिकारियों का कार्यकाल

636. **श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर):** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिन शिक्षा प्रसार अधिकारियों का कार्यकाल पांच वर्ष से अधिक हो गया है, क्या उन्हें पंचायत समिति सेवा से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या पंचायत समितियों के शिक्षा कार्य को उपर्युक्त सरकारी कदम के कारण हानि नहीं पहुंचेगी ?

(3) क्या सरकार का विचार शिक्षा विषय को पंचायत समितियों से वापस लेने का है और उपर्युक्त कार्यवाही क्या उस विचार के कार्यान्वयन की पूर्व भूमिका है ?

(4) क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां, क्योंकि शिक्षा प्रसार अधिकारियों को अध्यापन अनुभव होना आवश्यक है इसी के अभाव में उनको माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक तथा हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर लगाया गया जो कि वेतन श्रृंखला के अनुसार बराबर के पद हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(19-8-69 व 26-8-69)

अनुसूचित जाति एवं जनजाति की दशा में सुधार

308. **श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डौली):** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की दशा सुधारने में अलग अलग कितनी कितनी धनराशि खर्च कर चुकी है ?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(2) इसमें कितनी रकमें इन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए खर्च की गई और कितनी कर्मचारियों पर तथा कितनी प्रचार पर व अधिकारियों के टी. ए. व डी. ए. पर ?

(3) इन दोनों जातियों के लिए भवनों के निर्माण, अनुदान छात्रवृति पर अलग अलग जिलेवार कितना व्यय किया गया है ?

(4) सरकार तीन पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इन दोनों पिछड़ी जातियों की दशा सुधारने में कहां तक कामयाब हुई है ?

(5) चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकार इनकी दशा सुधारने के लिए कितनी धनराशि खर्च करने का अनुमान रखती है ? और किस प्रकार ?

(6) चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास सम्बन्धी कौन-कौन सी योजनाएं चालू की जावेंगी ?

(7) क्या सरकार ने कोई समिति बना रखी है जो इनके कल्याण कार्यक्रम का ध्यान रखती है और अपने सुझाव सरकार को देती है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र । पंचायत मंत्री ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा (उपमंत्री पंचायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखती हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ 4/एल–जे/2(5) 66/6466 दिनांक 11 अगस्त, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 15 में संशोधित किया गया है ।

(2) अधिसूचना संख्या एफ 4/1/पी० एस०सी०/8/68/6718 दिनांक 19 अगस्त, 1969 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् (स्थाई समितियों में रिक्त की घोषणा) नियम, 1969, जारी किए गये हैं, तथा

(3) अधिसूचना संख्या एफ० 4/एल/पी०एस०/ए०आर० (1) 69/6748 दिनांक 20 अगस्त, 1969, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा (संशोधन) नियम, 1969 जारी किये गए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : उद्योग मंत्री । हाई-टेक प्रेसिजन ग्लास लि० धौलपुर ।

श्री मथुरादास माथुर (उद्योग मंत्री की ओर से) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाई-टेक प्रेसिजन ग्लास लि० धौलपुर का 30-9-1968 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन तथा लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं ।

विधायी कार्य

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य । श्री रामकिशोर व्यास । राजस्थान ग्रामदान विधेयक 1969 ।

श्री गंगाराम चौधरी (उप राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान विधेयक 1969 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1969, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री विजयसिंह : गांवों की सत्यानाश हो जायगी।

श्री गंगाराम चौधरी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बी०एन० जोशी।

श्री बी० एन० जोशी (राज्य मंत्री समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान बालक विधेयक 1969 को मैं पुरः स्थापित कर चुका हूं। केवल निर्णय लिया जाना है कि प्रवर समिति को सुपर्द किया जाय या नहीं। अगर स्वीकार हो जाय तो मैं नामों की लिस्ट पेश कर दूंगा।

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान बालक विधेयक 1969 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, यह प्रस्ताव मंत्री महोदय कर रहे हैं। विचार पहले किया जा चुका था और माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मंत्री महोदय प्रस्ताव करते हैं कि सुपुर्द किया जाय।

प्रश्न यह है कि राजस्थान बालक विधेयक 1969 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना आपको दी थी ......

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जा रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बालक विधेयक या बबुआ विधेयक ?

स्थगन प्रस्तावों पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिए जाकर मैं सदन को सूचित कर दूंगाः—

(1) श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य, विधानसभा, ने अपने स्थगन प्रस्ताव में पंचायत समिति क्षेत्र श्री माधोपुर जिला सीकर में बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए करीब 34 ट्रान्सफारमर्स में से 26 ट्रान्सफारमर्स ओवरलोड होने व एल०टी० लाइन 2 से तीन मील दूरी तक होने से कृषकों को बिजली न मिलने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(2) श्री भैरोंसिंह शेखावत ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह बतलाया है कि कल दिनांक 1-9-69 को केन्द्रीय सरकार के

(श्री उपाध्यक्ष)

एक उपमंत्री अजमेर गए थे। उनके साथ अन्य देश के कुछ नागरिक भी थे जिनके पास वीसा न होने पर भी उनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस एवं जिलाधीश द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा, ने बारां, अन्ता, मांगरोल अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ोद एवं सांगोद तहसील क्षेत्र में बिजली की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, श्री प्रेमसिंह व श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा, से प्राप्त हुई है, जिसमें जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम लक्ष्मीपुरा में कुछ वर्ष पूर्व एक महिला को जबरन उड़ा कर पंजाब ले जाने से सम्बन्धित अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय से मुकदमा उठा लिया जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

इनके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:—

श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें पंचायत समिति दूदू के प्रधान के विरुद्ध एक अध्यापक को निलम्बित करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है। यह एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध शिकायत है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी इन्हीं माननीय सदस्य द्वारा दी गई है, जिसमें जयपुर जिले में वर्षा के अभाव में फसल जलने, काफी संख्या में मजदूर किसान बेकार होने तथा राज्य सरकार द्वारा कोई उचित प्रबन्ध नहीं किये जाने आदि का उल्लेख किया है। राज्य में अकाल की स्थिति पर दो दिन से चर्चा हो रही है और आज राज्य सरकार की ओर से बहस का उत्तर दिया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य, विधान सभा, ने भी अकाल की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, अकाल की स्थिति पर दो दिन से चर्चा चल रही है।

इन्हीं माननीय सदस्य ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में बाहर से चराई के लिए आने वाली भेड़ों द्वारा चरागाहों को बरबाद कर दिया है और कुछ दिन पूर्व भोपतपुरा के पास एक व्यक्ति को जान से मार दिया गया था यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह व श्री बालसिंह सोढ़ा, सदस्य विधान सभा, ने जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है, उसमें यह कहा है कि फागी तहसील में राहत कार्यों के मजदूरों के खाने के लिए ज्वार की बोरियां जिन व्यक्तियों को दी गई थीं, उनके द्वारा वह ज्वार मजदूरों को न देकर बाला बाला जयपुर में अन्य व्यक्तियों को बेच कर मुनाफा कमाया गया है तथा फर्जी जमा खर्च किया जाकर ज्वार का वितरण दिखा दिया गया है। इसकी सूचना कलेक्टर, जयपुर, को भी देना बतलाया गया है, किन्तु यह मामला दबा दिया गया है।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री महेन्द्रसिंह व श्री बालसिंह सोढ़ा, सदस्य विधान सभा, ने कोटा जिले के ग्राम इटावा के हायर सैकेण्डरी स्कूल के हैड मास्टर को एक लड़के द्वारा पीट देने तथा उस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने से संबंधित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

श्री श्रवणलाल व श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसमें हिंडौन में हायर सैकण्डरी स्कूल की मांग के संबंध में जनता व विद्यार्थियों में असन्तोष होना बतलाया है। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना, सदस्य विधान सभा ने अपने स्थगन प्रस्ताव में यह कहा है कि पाली जिले में फार्म की 3 किलो की शंकर बाजरे के बीज की थैली 24) रु० में बेची जाती है जब कि फार्म पर ऐसी ही थैली 5-6 रुपये में बेची जाती है और यह अंतर मुनाफा खोरी बतलाया है।

श्री भगवान दास शास्त्री ने अपने स्थगन प्रस्ताव में अजमेर नगर की बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए अजमेर में एक और अतिरिक्त अधीक्षक आरक्षी की नियुक्ति करने का सुझाव दिया है। यह विषय स्थगन प्रस्ताव का नहीं हो सकता।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामकुमार नंदवाना, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है, जिसमें राणा प्रताप सागर बांध के अन्तर्गत डूब में आई भूमि के कारण 80-90 परिवारों को भूमि आवंटन न करने की शिकायत की गई है। यह विषय स्थगन प्रस्ताव का नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था ··

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दिये जाने के बाद कोई चर्चा नहीं होती माननीय सदस्य नियमों से परिचित हैं।

श्री मदनसिंह : आपने जो मेरे स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है कि इसका राजस्थान सरकार से ताल्लुक नहीं है····

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य। बिना आसन की सहायता के भाषण नहीं कर सकेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करिये।

श्री श्रवणलाल : हिन्डोन के सम्बन्ध में किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है ··

श्री उपाध्यक्ष : हिन्डोन के बारे में कल भी आपने काफी कह दिया था नियमों के प्रतिकूल जितना कहना था कह दिया अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : मैं उस गोली काण्ड की चर्चा नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : हिन्डौन जो 35-40 हजार की आबादी का कस्बा है वहां पर विद्यार्थियों की 1700 के करीब संख्या है।

(श्री श्रवणलाल)

1944 में वह हाई स्कूल था आज पच्चीस साल बाद भी हाई स्कूल ही बना हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ की जनता ने एक लाख रुपये की लागत से बिल्डिंग खड़ी की है। मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि चालीस हजार की आवादी वाले ···

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी से सम्बन्धित है मुख्य मंत्री क्या कहेंगे ?

श्री श्रवणलाल : इसके खास कारण मुख्य मंत्री ही हैं। शिक्षा मंत्रीजी की तो इच्छा है लेकिन मुख्य मंत्रीजी उसके बीच में रोड़ा अटकाये हुए हैं। इसके अलावा आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस चालीस हजार की आबादी वाले कस्बे में एक भी मिडल स्कूल तक नहीं है। इस प्रकार से पक्षपात पूर्ण नीति से चल रहे हैं मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा।

श्री मदनसिंह : आसन की तरफ से यह व्यवस्था दी गई है कि बंगाल में जो महात्माओं को मारा गया उसके बारे में यहां सवाल नहीं उठा सकते। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या राजस्थान में उस मत के मानने वाले हैं नहीं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मामला क्या है ?

श्री मदनसिंह : बंगाल में कुछ महात्माओं को इन लाल चाइना के एजेन्टों ने मार दिया यह पहला ही काण्ड नहीं है। रवीन्द्र सरोवर का पहला काण्ड हो चुका जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आज महात्माओं पर यह आपत्ति आयी है उनको मारा गया है जिन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। आज, जब कि सब को अपने अपने धर्म की पालना करने की आजादी है वहां इस तरह के कुछ कम्युनिस्ट गुण्डों ने मिलकर महात्माओं को मार दिया। हमारे देश में कम्युनिस्टों द्वारा इस प्रकार के अत्याचार होते हैं तो यह व्यवहार एक सरकार के एजेन्टों द्वारा हो क्या यह अच्छी चीज होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री मदनसिंह : इस तरह से धर्म के जो प्राण हैं, महात्मा हैं उनको, धार्मिक गुरुओं को मारा जाता है इस प्रकार का अन्याय वहां की जनता सह रही है। मैं चाहता हूं राजस्थान सरकार वहां की सरकार को लिखे कि इस प्रकार से महात्माओं के साथ दुर्व्यवहार होता है यह हमारे संविधान के प्रतिकूल है। हमारे संविधान में सब लोगों को अपने अपने धर्म के प्रचार की सहूलियत है।

काश्मीर में एक मुसलमान गुरु का बाल गुम गया उसका तो इतना हल्ला हुआ और हमारे धर्म गुरुओं को जहां मार दिया जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि आप इस बात को यहां उठा नहीं सकते। संविधान में सब को अपने धर्म के पालन की, अपने धर्म के प्रचार की आजादी है। आज भारतवर्ष एक व्यक्तिवाद के आधार पर चल रहा है। आज पार्टियां अपने अपने उसूल पर न चलकर एक व्यक्ति के पीछे हो रही हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में इन्दिराजी ने कम्युनिस्टों को साथ लेकर जो सफलता हासिल की है वह उसका ज्वलन्त उदाहरण है। आज के इस प्रजातंत्र के युग में किन्हीं

(श्री मदन सिंह)

महात्माओं के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होता है, हम उसको कभी सहन करने वाले नहीं हैं। इसलिये राज्य सरकार का कर्तव्य है कि भारत सरकार को लिखे और बंगाल सरकार को इसके लिये वाध्य करे ताकि इस प्रकार के निन्दनीय कार्य भविष्य में न हों।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्डौन में हाई स्कूल उन्नत करने के विषय में मुख्य मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : वहां राजनैतिक कारणों से उस स्कूल को उन्नत नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी गई है आप इस विषय की चर्चा नहीं कर सकते।

श्री श्रवणलाल : आपकी व्यवस्था को मानते हुए मैं नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं वहां जो स्कूल को उन्नत करने की बात है उसको माना जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय सदस्यों को नियम के अन्तर्गत ही बोलना चाहिये।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मुख्य मंत्रीजी दें क्योंकि इसमें मुख्य मन्त्रीजी स्वयं लिप्त हैं। अब या तो वहां काम करावें या साफ कह दिया जावे कि कोई काम नहीं कराया जावेगा। चम्मालीस हजार की आबादी है। हायर सेकण्डरी स्कूल होनी चाहिये। इतनी मिडिल स्कूलों पर एक हायर सेकण्डरी स्कूल होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : गाड़ियाजी आप भी चालू रखिये। अपनी बात कह दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के लोग राजस्थान से एक महिला को जबरन उड़ाकर पंजाब ले जाए बन्दूक के बल पर और बारां के न्यायालय में मुकदमा चले। पर कुछ न हो। मुलजिमों को यहां लाया न जा सके। पंजाब में पुलिस का थानेदार गया। उसको पीटा गया। दुबारा मोकमसिंह गये। पैसे वाले उन लोगों ने उसको भी पीटा। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि आई. जी. पी. वारन्ट लेकर गये। उनकी जमानतें हुई। पर कहते हुए दुख होता है कि राजस्थान की सरकार ने उन पैसे वाले पंजाबियों को माफ कर दिया जिनको कि कोर्ट में बारां में हाजिर होना चाहिये था। राजस्थान की सरकार ने कोर्ट को लिखकर दिया है वह केस उठा लिया जावे। अध्यक्ष महोदय, 366 का केस। जो अपराधी हमारी बहन को उड़ाकर ले जावें हमारे थानेदारों को पीट कर निकाल देते हैं उनके लिये सरकार ये आदेश जारी करती है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से सूचना मंगाई गई है। जानकारी प्राप्त होने पर व्यवस्था दे दी जावेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 366 का केस का मुलजिम। उस पर से मुकदमा उठा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

लिया जावे मैं इस मामले पर सरकार का तुरन्त वक्तव्य चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जानकारी चाही गई है।

श्री श्रवणलाल : मैं व्यवस्था चाहूंगा। मेरे स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था आपने दी।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैंने पढ़कर सुना दी।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : On a point of order Sir, मैंने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये जो ज्वार दी गई थी उसके गबन पर एक प्रस्ताव रखा था पर उसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री महेन्द्रसिंह : अकाल मन्त्रीजी से इस पर वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इस पर हुई चर्चा में हिस्सा लेना चाहिये था और यह मुद्दा तभी उठाना चाहिये था।

श्री जयनारायण।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दस बारह दिन पहले दी थी उस पर आपने यह फरमाया था कि जानकारी चाही गई है। शिक्षा से सम्बन्धित वह मामला था पर उसको इतने दिन बाद भी नहीं लिया जा रहा है न सरकार कोई उत्तर दे रही है। एटलस में गलतियां हैं, गणित की पुस्तकों में जो चौथी क्लास में पढाई जाती हैं उनमें गलतियां हैं। इनमें कम से कम सौ गलतियां हैं। डिविजन, तहसील, जिला सब का नाम तक गलत है तो सरकार ने इतने महत्व-पूर्ण प्रश्न पर अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं यह मामला काफी पुराना है। शिक्षा उप मन्त्रीजी सदन में उपस्थित भी हैं। तो जो एटलस और गणित की चौथी किताबों में गलतियों के लिये कहा जा रहा है, उसे आप देख लीजिये। कल तक इसका उत्तर दिया जा सकता है।

राव श्री धीरसिंह : यह पाठ्य मंडल की पुस्तक नहीं है, प्राइवेट है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य मन्त्री महोदय से उनके चेम्बर में मिल लें और जो जानकारी लेनी हो, ले लें।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये एटलस और गणित की पुस्तकें आज भी स्कूलों में चौथी क्लास में पढ़ाई जा रही हैं। बोर्ड अगर नहीं है तो फिर क्यों पढ़ाई जाती हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका कल स्पष्टीकरण करेंगे माननीय मन्त्रीजी।

श्री भगवानदास शास्त्री : आपने जो व्यवस्था स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में दी उसमें मेरे प्रस्ताव को आपने पढ़ा उसमें दो चार पंक्तियां और थीं जो आपने नहीं पढ़ीं। सदन में माननीय गृह मन्त्रीजी उपस्थित नहीं हैं। जब से श्री पर्नेसिंह अफसर बनकर

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अजमेर में आये हैं मैंने आज तक उसकी शकल नजदीक से नहीं देखी है। बाहर कभी एक आध बार दूर से देखा है। वह अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। एडीशनल मानसिंह छोटे छोटे कामों में लिप्त रहते हैं। तीन लाख की आबादी वाले अजमेर में इससे काम नहीं चल सकता। एक अतिरिक्त एस. पी. और रक्खा जावे।

आपको सुनकर आश्चर्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी व्यवस्था दे दी गई है।

श्री भगवानदास शास्त्री : एक लखपती पार्टी है। सुन्दर पत्नी घर में। पुलिस ने 420 का केस बनाकर छ: पुलिसमैनों ने मिलकर उस नारी का सतीत्व हरण किया है। यह राजस्थान के लिये और सब के लिये कलंक की बात है। क्या एक लखपति घर का आदमी 420 कर सकता है? कॉलेज चलाने वाले। शर्म की बात है यह सरकार के लिये शर्म के मारे सरकार को डूब मरना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मेहताजी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में, वर्षा बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ नहीं होने से मवेशी मर रहे हैं। मैंने सरकार से सूचना चाही थी।

श्री उपाध्यक्ष: अकाल सहायता मन्त्रीजी उत्तर देंगे तब पूछ लीजिये। वे कुछ कह सकेंगे इस पर।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां, अन्ता, मांगरोल आदि क्षेत्र में 25 रोज से बिजली नहीं है। अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ोद, सांगोद में भी यही हाल है और कोटा जाने वाली सड़क पर 14/14 फीट मिट्टी आटी पड़ी है। रास्ता यथावत आज कई दिनों से अवरुद्ध है। इसलिये निवेदन करूंगा कि इस पर तुरन्त कार्यवाही की जावे। बिजली के बिना हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं, लघु उद्योग बन्द हो गये हैं। रास्ता चलते चोरियां और डकैतियां हो रही हैं।

काली सिंध नदी पर पुल टूट गया है और सड़क पर 14/14 फीट मिट्टी है। सारा यातायात अवरुद्ध है। यह कब तक साफ कर दी जावेगी।

इस बारे में आश्वासन चाहता हूं। एक वक्तव्य दिलाया जावे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मांडलगढ़ तहसील की सबसे अधिक महत्व की सड़क पर लाखों भेड़ें पड़ी हैं। उन भेड़ पालकों में से किसी ने गांवों में जाकर एक आदमी को जान से मार डाला, 8 आदमियों के हाथ तोड़ दिये। पांच हजार आदमी बिजौलिया में इकट्ठे हो गये हैं पांच छः दिन पहले। तो वहां की स्थिति तनावपूर्ण है। सैकड़ों आदमियों की जानें खतरे में हैं। चरागाह बरबाद हो रहे हैं वहां के मवेशी भूखों मर रहे हैं। भेड़ों ने सारे क्षेत्र को चौपट कर दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उधर से भेड़ें आई हैं उनको जल्दी से जल्दी निकलवाने की कार्यवाही की जावे।

श्री फूलचन्द बाफणा : शंकर बाजरा 6) में मिलता है। चार गुना मुनाफा

(श्री फूलचन्द बाफणा)

सरकार कमा रही है। यह कतई उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है। ऑर्डर प्लीज।

श्री उपाध्यक्ष : आध घन्टे की चर्चा, श्री देवीदत्त गाड़िया।

(कई माननीन सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

माननीय गाड़ियाजी आप शुरू कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष मदोदय, एक सूचना चाहता हूं।

मैंने एक ऐडजोर्नमेंट मोशन आज से 10 रोज पहले माननीय सदस्य मानसिंहजी के सम्बन्ध में दिया था – 14 तारीख को उसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है और यह कहा गया था – कि इस सदन के पहले-पहले उत्तर आ जायगा और उसे ऐडजोर्नमेंट मोशन को ले लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आज निर्णय ले लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : मैंने एक ऐडजोर्नमेंट मोशन दिया था, प्रश्न बहुत छोटासा है उसके बारे में निवेदन करना है। मामला बड़ा इम्पोरटेन्ट है। उसमें कोई ज्यादा सामग्री एकत्रित नहीं करनी है। अच्छा हो माननीय गृह मंत्रीजी आज ही इस सदन में एक वक्तव्य दे दें।

गृहमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय भैरोंसिहजी का जो ऐडजोर्नमेंट मोशन है उस पर मैं कल वक्तव्य दे दूंगा।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी स्वयं इसको इम्पोरटेन्ट स्वीकार करेंगे। आपको तो थोड़ी सी जानकारी करनी है। एक उप मंत्रीजी का मामला है। दिल्ली की सरकार को जानकारी पहुंच जाय और राजस्थान की सरकार को यहां की यहां जानकारी न हो, यह कैसे हो सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जानकारी मैं दूंगा, जितनी मेरे पास जानकारी है, उसमें सवाल जवाब नहीं होगा तो मैं सदन में आज ही वक्तव्य दे दूंगा।

श्री भैरोंसिह : आपका जवाब ठीक होगा तो मैं सवाल जवाब नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह शर्त के साथ है।

श्री गाड़िया।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने हिन्डौन के दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कहा था तो मुख्य मंत्रीजी यह कहते हैं कि वहां से विरोधी जीतकर आते हैं इसलिये वहां प्रगति नहीं हो सकी मैं पूछना चाहता हूं जो कार्य अभी तक नहीं किये गये हैं, जिस प्रकार उनकी मांगें हैं और जिस प्रकार कार्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ चाहे वह मिडिल स्कूल का हो, चाहे हायर सैकेन्डरी

(श्री श्रवण लाल)

स्कूल का हो चाहे कोई कार्यक्रम हो, मैं यह जानना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी इस बात को कह दें कि वहां पर कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जायगा जब तक वहां से विरोधी आयेंगे तब तक या यह कह दें वहां पर कार्य खोलने के लिये जिस प्रकार दूसरी जगह जितनी पॉपूलेशन है, उस बात को लेकर छोटे छोटे कस्बे में हो गये हैं, वहां हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं किया गया है, उसका क्या कारण है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, श्री गाड़ियाजी की चर्चा पर इस सदन में विचार हो उससे पहले मैं यह निवेदन करूंगा....

श्री भैरोंसिंह : आध घन्टे की चर्चा कर चुकें फिर समय दे रहे हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कल अध्यक्ष महोदय ने दो विशेषाधिकार प्रस्तावों के बारे में इस सदन में यह सूचित किया था कि अकाल राहत कार्यों पर विचार करते हुए 29 तारीख की हाउस में श्री परसरामजी मदेरणा और श्री बासोतियाजी के मध्य जो इस सदन में तू-तू मैं-मैं हुई और जो स्थिति पैदा हुई सदन की कार्यवाही स्थगित होने से पहले और सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद और फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई और उसमें श्री बासोतियाजी को निलम्बित किया गया उनसे माफी मांगने की बात कही गई। यह अध्यक्ष महोदय ने कल कहा था कि इसमें तीन स्टेजेज हैं - पहली स्टेज सदन की कार्यवाही के दौरान उनमें झड़पें हुई और बाद में सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गाली-गलोज हुई। इसके बाद में लाबी में जाकर इसकी चर्चा हुई। इन तीनों प्रश्नों के

(12.55 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष पदासीन)

सम्बन्ध में विचार......नमस्कार, चल रहा था...तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था जो विशेषाधिकार के प्रश्न हैं मैंने और श्री भैरोंसिहजी ने प्रस्तुत किये हैं। अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत महत्वपूर्ण है– विशेषाधिकार भंग होने के प्रस्ताव हैं इसके सम्बन्ध में शीघ्रातिशीघ्र सदन में विचार किया जाना चाहिये और इनको टाप प्रायोरिटी मिलती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं–तीन स्टेजेज के मामले हैं। सदन की कार्यवाही 29 तारीख को स्थगित नहीं होती तो चर्चा उसी समय उठाई जा सकती थी और आपकी स्वयं की व्यवस्था और परम्परायें हैं हाउस ऐडजोर्न होने से पूर्व ही इमीजियेटली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न उठ सकता था लेकिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई इसलिये यह मोशन सोमवार को प्रस्तुत किया गया अन्यथा 29 को औरली विदाऊट इन राइटिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव कर सकते थे और हाउस-काग्निजेन्स ले सकता था और जो दोषी होता उसके अगेन्स्ट कार्यवाही की जा सकती थी।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दोषी कौन है या कौन नहीं है, मैं उसके मेरिट में नहीं जाना चाहता। किसी ने क्या कहा और किसी ने क्या कहा वह सब हाऊस की कार्यवाही में अंकित है और कई समाचार-पत्रों में अंकित हुई है। वह तू-तू, मैं-मैं झड़पें, दुर्व्यवहार या गाली गलोंज सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जो कुछ हुई-किसने क्या कहा और किसने क्या कहा यह स्पष्टीकरण का सवाल है, मैं मेरिट्स पर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अध्यक्ष महोदय मामला बड़ा गंभीर है। सदन के प्रांगण में पहले इस प्रकार की स्थिति और सदन स्थगित होने पर दूसरे प्रकार की स्थिति यह धारा 194 के अन्तर्गत जो सदस्यों को मौलिक अधिकार दिये गये हैं-फ्रीडम आफ स्पीच उस पर यह कुठाराघात होगा, हनन होगा। मामला गंभीर मसला है इस पर विचार करने के लिये दो प्रस्तावों की सूचना—एक तो कांग्रेस पार्टी जिसमें मुख्य मंत्रीजी आते हैं उन्होंने ससपेन्ड किया with regard to his conduct and with regard to freedom of his speech in the House.

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये वे इसमें इन्वाल्व होते हैं। सदन में जो कुछ हुआ उन दो स्टेजेज में अकाल राहत मंत्रीजी और कांग्रेस पार्टी में जो कुछ हुआ उसमें आते हैं मुख्य मंत्रीजी। इसलिये अध्यक्ष महोदय इसको तुरन्त अनुमति प्रदान करके प्रीविलेज कमेटी को रेफर कर दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भैरोंसिहजी और श्री सतीशचन्द्रजी ने प्रस्ताव विशेषाधिकार के मेरे सम्मुख प्रस्तुत किये हैं, जैसा मैंने कल निवेदन किया था वह प्रश्न स्वीकृति दिये जाने के आधार पर मेरे पास विचाराधीन हैं। यह इस आसन की कहीं आकांक्षा नहीं है कि उस पर देरी की जाये। ज्योंहि विशेषाधिकार प्रश्न मेरे सम्मुख प्रस्तुत हुआ मैंने सम्बन्धित मंत्री महोदय एवं सम्बन्धित विधायक महोदय दोनों को उसकी सूचना दे दी थी। सूचनाओं का उत्तर आ चुका है, एक सूचना और अवशेष है। उसकी सूचना आते ही मैं प्रस्ताव पर स्वीकृति दी जाना चाहिये या नहीं इस प्रश्न पर कल व्यवस्था दे दूंगा। आसन की मंशा नहीं है कि यह व्यवस्था न दी जाय और विलम्ब किया जाय। नियम का हवाला देते कहा है। रूल 161 के अन्तर्गत उसके पहले की प्रक्रिया सम्पन्न होने के बाद तीन स्थितियां रहती हैं। अगर हाउस चाहे तो विवाद कर ले लेकिन हाऊस का विवाद करना भी आसन की स्वीकृति पर है और प्रिविलेज कमेटी को सुपुर्द किया जाय यह भी आसन की स्वीकृति पर है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं जैसा निर्णय होगा इस आसन की ओर से दे दिया जायगा। इसलिये इसमें विलम्ब का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(1 म. प.)

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय......

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : एक निवेदन और करना था....

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,""

श्री अध्यक्ष : वह बदल गये हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : I am sorry, अध्यक्ष महोदय; मैंने इस मन्त्रि-मण्डल के एक सदस्य और सदन के माननीय सदस्य श्री अमृतलाल यादव के लिए एक प्रस्ताव की सूचना दी थी। वह प्रस्ताव आपने स्वीकार भी कर लिया और उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने कल 1 तारीख को चर्चा भी निर्धारित कर दी थी परन्तु एक दूसरा महत्वपूर्ण मसला याने अकाल राहत के सिलसिले में चर्चा चल रही थी और उसमें समय काफी लग गया और वह विषय कल नहीं लिया जा सका। इसके अलावा आज जो सप्लीमेंटरी लिस्ट आफ बिजनेस प्रसारित की गयी है उसके एजेन्डा में वह विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार का कार्य निर्धारित है उसके अनुसार सदन की कार्यवाही कल समाप्त होगी और इस संबंध में हम सदस्यों का आग्रह है कि कार्य-वाही आगे बढाई जाये। यह तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विचार किया जा सकता है। मुझे उसके लिए कुछ नहीं कहना है। मेरी स्वयं की धारणा ऐसी है कि कार्यवाही आगे बढाई जानी चाहिए लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मोशन एक टाप प्रायोरिटी का मोशन है और टाप प्रायोरिटी का मोशन होने के कारण से मैं यह तो नहीं कह सकता कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सिलसिले में जो डिबेट होने वाली है उसको कर्टेल किया जाये। या तो उसके लिए समय बढ़ाया जाये या इसके लिए दूसरा समय निर्धारित किया जाये। उसका कारण यह है कि पिछले तीन सत्रों से मैं यह मोशन देता चला जा रहा हूं और हर बार इसको रिपीट करता हूं और यह लैप्स हो जाता है और इस बार भी एडमिट होने के बाद लैप्स की स्थिति आ जायेगी। इसलिए यह मोशन लैप्स नहीं हो और डिबेट हो जाये और विशेषकर उस परिस्थिति में मैं समझता हूं कि बड़ा गम्भीर मामला है और मैं तो लिखकर देने वाला हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने पिछली बार मोशन दिया उससे लेकर आज तक इस मोशन में लगाये गये आरोपों के सिलसिले में जितने मसले हैं जैसे मैंने यू० आई० टी० का मसला उठाया। जिसमें माननीय अमृत लाल जी ने जमीन पर अनआथोराइज्ड कब्जा किया, एन्क्रोचमेन्ट किया और मामला पिछले डेढ़ साल से चला आ रहा है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस सारी जमीन के एन्क्रोचमेन्ट को रेगुले-राइज करा लिया गया है। आरोप हम यहां सदन में लगाते हैं, हाउस ने काग्नीजेन्स ले लिया, आपने उसको एडमिट कर लिया और उसके बाद में यह रेगुलेराइज करा लेते हैं…

श्री अध्यक्ष : आपकी आशंका का ही तो प्रश्न है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कहता हूं कि रेगुलेराइजेशन का प्रश्न चलता रहा तो यह तो सदन के अधिकारों का बड़ा भारी एन्क्रोचमेन्ट हो जायेगा।

उसी तरह से जो गोचर भूमि को दबाया उसको भी रेगुलेराइज करने की कार्यवाही की जा रही है, इसमें मंत्री महोदय को डेप्यूट किया गया है….

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस प्रकार से सारे रेकार्ड में तब्दीली करके और रेगुलेराइज करके अमृतलालजी को सारे संकट से बचाया जाये यह गम्भीर मसला है। इसके ऊपर विवाद का सवाल आज तय करें कल तय करें या परसों तय करें मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन सदन स्थगित होने से पूर्व ही इस पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, यह तो माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि विधायी कार्य की अधिकता के कारण ही कल यह मुल्तबी हुआ और आज इस लिए नहीं लिया जा सकता था कि जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं ने महसूस किया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स से सम्बन्धित जो रिपोर्ट है उस पर भी विवाद बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई समय नहीं था कि वह आज लिया जा सकता था। जो मोशन माननीय सदस्य ने उठाया है उसमें कम से कम तीन-चार घन्टे का सदुपयोग या उपयोग जो कुछ होने का था, वह आवश्यक था। अब मेरे पास दूसरा उपाय नहीं था। आज नहीं रख सकता था, कल रखना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक कि मैं विधायी कार्य को पूर्णतया नहीं देख लूं। इस मोशन को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता हूं...

श्री मुकुट बिहारी लाल : कम से कम मूव कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा कि आज ही इसको कैसे एजस्ट लिया जाये और एजस्ट नहीं किया जा सकता है...

श्री सतीश चन्द्र अगवाल : यह मत कहिये।

श्री भैरोंसिंह : आपके मुंह से शोभा नहीं देता।

श्री अध्यक्ष : आपके और हमारे मुंह से बारबर शोभा देते हैं शब्द वह आज आ जाते हैं इसलिए मैं विचार कर लूंगा कि इसकी स्थिति को कैसे निपटाया जाये। इस पर मैं विचार कर लूंगा।

आधा घन्टे की चर्चा। श्री देवीदत्त गाड़िया प्रश्न संख्या 104 पर.

आधा घन्टे की चर्चा (प्रश्न संख्या 104 पर)

श्री देवीदत्त गाड़िया: माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 16 अगस्त को मैंने एक तारांकित प्रश्न रखा था। उस प्रश्न के क्रमांक (2) में मैंने जो सूचना चाही उसके अन्दर मैंने यह मांग की थी और यह पूछा था कि बारां की फर्म मेसर्स नारायण हरीशंकर जो कि गल्ला का व्यापार करती है और उसने लेवी पेड ज्वार का जिस प्रकार से अनैतिक काम करते हुए उसका दुरुपयोग किया उसके सम्बन्ध में मैंने पूछा था कि क्या इस फर्म की कोई जांच हुई थी और अगर हुई थी तो किस किस अधिकारी ने जांच की और फर्म के पार्टनर श्री रामगोपाल के क्या बयान हुए और कोटा के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने अपनी क्या रिपोर्ट दी वह सारी जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाये। यह मैंने जानकारी मांगी थी लेकिन अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर जो माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया वह बिलकुल अधूरा दिया और उन्होंने उस जांच

(श्री देवी दत्त गाड़िया)

रिपोर्ट को और उन बयानों की नकलों को सदन की मेज पर रखने से इन्कार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जानबूझकर उन बयानों की नकल को और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर कोटा की जांच रिपोर्ट को सदन में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उस फ़र्म के मालिक जो हैं वह कांग्रेसी हैं और मेरा स्पष्ट आरोप है कि फर्म के सेठ श्री रामगोपाल जो कि कांग्रेस के नेता हैं और बारां के निवासी हैं और उन्होंने जो लेवी पेड ज्वार सन् 65 के अन्दर जो गल्ला खरीदा और राजस्थान फ़ूड ग्रेन्स लाइसेन्सिग एक्ट के अन्तर्गत यह है कि जो व्यापारी जितना ज्वार या गल्ला खरीदे और लेवी पेड का नियम है कि 1/4 स्टाक का सरकार को दे, बाकी 1/4 का परमिट लेकर राजस्थान के बाहर भेज सकता है और बाकी 50 परसेन्ट ज्वार जो बचता है उसको उसे वहीं पर बेचना पड़ेगा। यह नियम है लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उस फर्म ने राजस्थान की सरकार को और जनता को धोखा दिया। 1/4 लेवी पेड ज्वार उन्होंने दी उस आधार पर परमिट ले लिया लेकिन 50 परसेन्ट जो बची करीब 4000 बोरियां उसको उन्होंने इस ढंग से जमा खर्च किया कि उन्होंने उसको पहले तो कोटा ले जाना बताया और फिर वापिस बारां लाना बताया। इस तरह से उन्होंने बारां से कोटा और कोटा से बारां—इस तरह से चार बार लाना और ले जाना बताया। इस बात की सूचना राजस्थान के खाद्यान आयुक्त को मिली तो इन्होंने एक आदेश जारी करके एक एन्फोर्समेंट आफिसर को जांच के लिए भेजा। मैंने वह जांच रिपोर्ट मांगी थी लेकिन राजस्थान की सरकार ने जान बूझ कर उस जांच रिपोर्ट को नहीं पेश किया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को उस जांच रिपोर्ट का थोड़ा सा हवाला और कोटा के डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ने जांच की उसका एक उद्धरण देना चाहता हूं और उसकी नकल मेरे पास है और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि उक्त फर्म ने कितनी चार सौ बीसी और गोलमाल की है....

श्री अध्यक्ष : यह प्रतिलिपि है क्या? सर्टीफाइड कापी है?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे पास तो सर्टीफाइड नहीं है लेकिन वैसे मेरी जानकारी के अनुसार जो मेरे पास सूचना है वह वास्तव में सही है। मैं नम्बर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन सर्टीफाइड कापी नहीं है और आप प्रस्तुत नहीं करते हैं तो मैं मान्यता नहीं दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं सर्टीफाई कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आप अपने भाषण में ही बोल लीजिए बजाय इसके कि कागज का उद्धरण पढ़ें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार यह डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने अपनी जांच की है। उस जांच का फैसला 22-8-66 को दिया है। जिसमें उन्होने लिखा है कि खाद्य आयुक्त महोदय, राजस्थान, जयपुर की एन्फोर्समेंट पार्टी द्वारा मेसर्स नारायण हरिशंकर, कोटा के कागजात की जांच करने पर पाया गया कि इस पार्टी की दो नाम से दुकानें हैं,

(श्री देवीदत्त गाड़िया,

एक बारां में दुकान हैं और एक कोटा में दुकान हैं लेकिन वहां पर आव जाव हुआ नहीं केवल कागजी कार्यवाही हुई है जो कि 50 पर्सेंट लेवी में राज्य सरकार को ज्वार तुलाने के लिए की गई है जिसमें लिखा गया है कि कोटा की दुकान से दिनांक 28-6-65 को 441-75 क्विन्टल ज्वार बारां की दुकान से भेजना बताया है और उसी तादाद के अन्दर 29-6-65 को कोटा दुकान से बारां दुकान पर भेजना बताया है। इसके आगे लिखा है कि इस प्रकार फर्जी इन्द्राज करके अनाज का रोजाना का सही 2 हिसाब नहीं रखे जाने पर दिनांक 28-6-65 को 25 प्रतिशत लेवी जमा करा कर 25 प्रतिशत ज्वार को बाहर भेजना आदि के कारण इस फर्म को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि क्यों न फूड ग्रेन्स आर्डर (कोर्स ग्रेन्स) आर्डर 1964 की क्लॉज (3) की अवहेलना के आरोप में इस कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय। उक्त नोटिस के जवाब में फर्म के पार्टनर श्री रामगोपाल ने 25-6-66 को नोटिस का जवाब पेश किया उसमें कहा कि लेवी पेड ज्वार की कोई ज्वार नहीं है...

श्री अध्यक्ष : भाषण शुरू करें। इसमें हस्ताक्षर किसी क्लिर्क के हैं? जिन्होंने कापी दी है उसके हस्ताक्षर तो होंगे?

श्री देवीदत्त गाडिया : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि फैसला हुआ है। उसकी तारीख और आर्डर नम्बर बता सकता हूं। उस आदेश के नम्बर यह हैं, फैसला दिया हैं 22-8-66 को और आदेश नम्बर प्रतिलिपि निर्णय व इजलास वी. पी. सूद, कलेक्टर कोटा मिसल नम्बर 93 अपील आर्डर 431/17/66 न्यू ग्रेस मंडी, बनाम जिला रसद अधिकारी कोटा।

श्री अध्यक्ष : अब नाम भी बता दें जिन्होंने नकल दी है उन्होंने अपना नाम तो लिखा होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय मेरे पास जो जानकारी है और मैंने इसके बारे में पूरा विवरण दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने उक्त फर्म के मालिक श्री रामगोपाल को जांच के लिए बुलाया तो उनसे जब पूछा कि आपने यह ज्वार जो चार बार कोटा से बारां और बारां से कोटा भेजी है वह किस माध्यम से भेजी है तो पहले तो उन फर्म के पार्टनर ने इन्कार कर दिया कि हमने किसी माध्यम से नहीं भेजा और जब दोनों जगहों की फर्में एक ही हैं तो एक जगह की फर्म दूसरी जगह की फर्म पर लेवी पेड ज्वार तुला सकती है। बारां की फर्म के नाते कोटा की फर्म लेवी पेड की ज्वार तुला सकती है। आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि दोनों फर्में एक ही हैं बारां और कोटा की, लेकिन लाइसेन्स अलग अलग हैं। अलग-अलग लाइसेन्सिग आथोरिटीज ने अलग 2 लाइसेन्स दिये हैं इसलिए दोनों को एक चीज मानकर लेवी पेड ज्वार तुलाने का अधिकार नहीं है और यह जो जमा खर्च इन्होंने किया है वह फर्जी है। उसके बाद जिलाधीश ने इनको बुलाया और उन्होंने, अध्यक्ष महोदय, बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने यह ज्वार ट्रक के द्वारा भेजी थी, और ट्रक के द्वारा भेजी तो एन्फोर्समेंट आफिसर ने पूछा कि क्या आपने कोटा म्युनिसिपलिटी में चुंगी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चुकायी और कोटा से बारां ज्वार लेगए तो म्युनिसपेलटी बारां को चुंगी चुकाई ? और माननीय अध्यक्ष महोदय, उस एन्फोर्समेंट आफिसर ने कोटा म्युनिसिपलिटी के नाकेदार और बारां के चुंगी के नाकेदार को बुलाया और बयान लिया। उनके कागजात देखे तो दोनों जगहें इस फर्म ने कोई न कोई चुंगी नहीं चुकाई। उस आधार पर उनके बयानों की और जांच की गई और एन्फोर्समेंट आफिसर ने जो फैसला दिया उसमें, अध्यक्ष महोदय, सारे कागजात को फर्जी बताया और उन्होंने उसको पकड़ लिया। उसके बाद खाद्यान्न आयुक्त ने इस फर्म के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया। लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि कोटा के अन्दर 65 के अन्दर जिन व्यापारियों ने भावों की सूचियों नहीं टांगी उनको डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया, फूड ग्रेन के कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया और पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करवाया गया और उनके हाथों में हथकड़ियां डलवाई गई और उनका अदालत में चालान किया गया और उनको 8-8 रोज तक जेल में रखा है सिर्फ भावों की सूचियां न टांगने पर और समय पर जमाखर्च न करने पर उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस फर्म ने फर्जी जमाखर्च किया चार हजार बोरियों को बाहर भेजा उस व्यक्ति के खिलाफ इसलिए कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वह इस सदन में बैठे हुए माननीय मंत्रीजी से सम्बन्धित है, और इसी नाते इस व्यक्ति को बचाया जा रहा है।

इतना ही नहीं, एक छोटे से रूप में यह कहकर समाप्त करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस फर्म ने 420 की कार्यवाही की, म्युनिसिपेलिटी की चुंगी नहीं चुकाई, ट्रक का नम्बर नहीं बताया, ट्रकों का जमाखर्च नहीं बताया कि किस ट्रक से ले गये, और चुंगी का हिसाब नहीं बताया, सेल्स टैक्स नहीं चुकाया, सेल्स टेक्स के रिटर्न्स नहीं भरे, और बोगस जमाखर्च करके 50 प्रतिशत लेवी पेड ज्वार जो बारां की जनता को बेचना चाहिए था, जो कोटा की जनता को बेचना चाहिए था उसको वहां पर न बेचकर फर्जी कार्यवाही करके एक चौथाई लेवी में ज्वार तुलाकर बाकी का परमिट लेकर उसको एक्सपोर्ट कर दिया जिसमें उन्होंने लाखों रुपया कमाया इसलिए अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट आफिसर ने अपने निर्णय में यह दिया है कि इसके लाइसेन्स रद्द कर दिये जांय 31–3–67 तक के लिए। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि जब डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर ने यह निर्णय लिया कि उसके ऊपर 250 रुपया जुर्माना किया और 31-3-67 तक के लिए लाइसेन्स रद्द कर दिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि उस आदेश की पालना नहीं की गई और लाइसेन्स रद्द नहीं हुआ 31-3-67 तक के लिए और उसी लाइसेन्स के अन्दर वह कार्य करता रहा। मैं यह पूछना चाहूंगा कि उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई ? उस लाइसेन्स को रद्द क्यों नहीं किया गया अभी तक ?

इतना ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि इस फर्म ने 420 का ही धन्धा नहीं किया जब जिला बन्दी थी और गल्ले का

Page No 80

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

एक जिले से दूसरे जिले में जाना मना था तो इस फर्म ने 100 बोरी गेहूं बारां से मेसर्स शर्मा ट्रांसपोर्ट कम्पनी से सिरोही को भेजी और बिल्टी मेसर्स नारायण हरिशंकर के नाम से कटी लेकिन बही खाते में जमा खर्च नहीं किया गया। जब देवली के नाके पर चुंगी और चैकपोस्ट ने इसको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि सैल्स टैक्स कहां, परमिट कहां ? जब एन्क्वायरी हुई तो, माननीय अध्यक्ष, उस एन्क्वायरी को वह कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उस का क्या हुआ ? उसने डी० आई० आर० का उल्लंघन किया, उसने खाद्यान्न के कानून का उल्लंघन किया उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि यदि यह कहा जाय कि वह कांग्रेस का सदस्य है और मंत्रीजी का लाडला है तो अत्युक्ति न होगी। इन्होंने कितने खाद्यान्न कानून की अवहेलना की यह मैं पूछना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन्होंने किन किन कानूनों की अवहेलना की है, अध्यक्ष महोदय, यह बताते हुए समाप्त करूंगा। इन्होंने डी० आई० आर० के कानून की अवहेलना की है। फूड ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर नम्बर 6, राजस्थान कोर्स ग्रेन्स आर्डर 1964 की क्लाज (3) की अवहेलना की। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, जब डी० एस० ओ० ने फैसला दिया तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि उक्त फर्म ने उनके कानूनों की अवहेलना की है, लेकिन वे सब कानून एक तरफ धरे रह गये और माननीय खाद्य मंत्रीजी यह कहते हैं कलेक्टर ने एक फैसला कर दिया इसलिए कुछ नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने डी० आई० आर० का उल्लंघन किया, खाद्यान्न के कोर्स फूड ग्रेन्स के आर्डर का उल्लंघन किया तो क्यों न इस मामले को जांच के लिए सेशन्स के सुपुर्द किया जायं ? क्यों न न्यायाधीश के द्वारा इसकी जांच कराई जाय जबकि इस व्यक्ति ने चार सौ बीसी का काम किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

म्युनिसिपैलिटीज की चुंगी नहीं चुकाई ट्रक से लाना और लेजाना नहीं बताया ...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस तरह की जो कार्यवाही की गई है तो इसकी जांच कराने का आश्वासन देंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री रामदेव सिंह (उपमंत्री खाद्य) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल उठाया गया है, यह बात सही है कि उसके खिलाफ एक शिकायत आयी है। उस पर 9-7-65 को भंवरलाल शर्मा को भेजा गया। कोटा से बारां और बारां से कोटा 1965 में 22-6-65 को 425 क्विंटल, 19·6-65 को 441·75, 22-6-65 को 446·40, 19-6-65 को 446-40 क्विंटल भेजा गया बताया गया। उसके बाद में यह बताया गया कि यह उसने फर्जी किया। 22-8-66 को इस पर यह निर्णय दिया गया। कि उस लाइसेंस नं० 264 को निलम्बित किया जाता है। 250 रु० जमानत के जो थे वह जब्त किये जाते हैं। इसके बाद में इसकी अपील की गई। यह

Page No 81

(श्री रामदेवसिंह)

कह कर दिल्ली अधिकारियों के पास भेजा गया। दिल्ली अधिकारियों ने जिस प्रकार सुनवाई की जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया। लेकिन कहीं ये सफल नहीं हुए। ट्रक से सामान गया है। जो भी इन्द्राज किये गये हैं वह फर्जी हैं। 250 रु० जमानत के जब्त कर लिये गये हैं। उस केस को वहां समाप्त कर दिया। इस मामले को राजस्थान फूड ग्रेन रेगुलेशन, 1964 के तहत राज्य सरकार का ऐसा मानना है कि जो भी सजा उस फर्म को दी गई है वह अपर्याप्त है और सरकार यह चाहती है कि इस मामले में अगर हम दूसरा चालान करें तो चालान करने से पहले लॉ डिपार्टमेंट से राय ले ली जाये ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं आये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य सरकार ने यह निर्णय कब लिया ? जो कुछ सजा उसे दी गई है वह कम है और अगली कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही की जावे।

श्री रामदेवसिंह : मैंने यह कहा है कि यह अपर्याप्त है। लॉ डिपार्टमेंट में एग्जामिन करवाने के बाद, लॉ डिपार्टमेंट की राय आ जाये तो कार्यवाही की जाएगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या राज्य सरकार पहले ही ऐसा निर्णय ले चुकी है, या लॉ डिपार्टमेंट की राय ले ली गई है।

श्री रामदेवसिंह : मेरे पास तारीख नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कार्यवाही कब तक हो जाएगी ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसमें आपने डेटाज दिये होंगे। कोई लम्बा चौड़ा मामला नहीं है। किस प्रकार अधिक मुनाफा कमाया गया है, राज्य सरकार ने आज तक कोई निर्णय नहीं लिया है। आज आप यह कह रहे हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट भाषा में बतायें कि कब तक निर्णय कर लेंगे ?

श्री रामदेवसिंह : जैसे ही रिपोर्ट में आ जायेगी, एक दिन की भी देरी नहीं की जायेगी।

श्री प्रेमसिंह : क्या यह सही है कि 1 लाख 20 हजार' ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक तो मन्त्री महोदय यह बतावें कि लॉ डिपार्टमेंट की राय लेकर एक महीने में यह कर दिया जाएगा। देवली चैकपोस्ट में जांच से इस सारे मामले की जांच एक महीने में करायेंगे या नहीं ?

श्री रामदेवसिंह : जितनी जल्दी लॉ डिपार्टमेंट की राय आ जायगी, उतनी ही जल्दी कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात कही है उसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह टोटली पार्टी के······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

सरकार की ओर से राज्य की अकाल स्थिति पर उत्तर।

श्री ओमदत्त भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पत्र ......

श्री अध्यक्ष : आपका पत्र हमें प्राप्त हो गया था। उसका प्रश्न नहीं है। मैंने अकाल स्थिति पर उत्तर के लिए समय निर्धारित कर दिया था। मन्त्री महोदय उत्तर देंगे उसके बाद अनुसूचित जाति सम्बन्धी रिपोर्ट है।

श्री ओमदत्त भाटी : मुझे, अध्यक्ष महोदय.........

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दे सकूंगा।

माननीय मन्त्री।

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेतर विचार

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य की अकाल स्थिति के सम्बन्ध में 24 माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव अपने वक्तव्यों द्वारा इस सदन में पेश किये हैं। माननीय सदस्यों ने जो भी मुद्दे सदन में उठाये हैं, उसका उत्तर देने के पूर्व राजस्थान की जनता को जो 1 करोड़ 31 लाख के करीब अकाल से प्रभावित थी, इस भयंकर अकाल में जो राजस्थान का सबसे बड़ा अकाल आजादी के बाद था, उस अकाल में राजस्थान की उस जनता ने दृढ़ मनोबल और साहस का जो परिचय दिया, इस सदन की मार्फत मैं उन अकाल पीड़ित लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों और एडवर्स सरकम्स्टांसेज में जो मनोबल बनाये रखा है, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। यहां पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी ....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : संभवतः वह आपको सुनाई दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : अकाल के सम्बन्ध में जोरों से चर्चा की है। मैं भी उनकी भावना के साथ अपनी भावना को जोड़ता हूं। और मैं भी उन चार जिलों में से एक का रहने वाला हूं। किस प्रकार की स्थिति से वह गुजर रहे हैं? यहां पर कहा गया कि जो फेमिन पर खर्च किया गया है, व सड़कों पर काम लगाया गया है। सड़कों की युटीलिटी कम नहीं की गई है। अगर नहीं करते तो जब कभी अकाल पड़ता तो हम इस स्थिति में नहीं होते। इण्टेन्सिटी और सीवियोरिटी कम नहीं की गई है। जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा युटीलिटी कम नहीं की जाये। जो खर्चा 1 करोड़ 30 लाख के आसपास 68-69 में हुआ, वह खर्चा रोड पर किया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले हम जब कभी काम लेते थे, जो भारत सरकार चाहती थी कि वह ग्रेवल रोड लेनी चाहिएं, पक्की रोड प्लान में लेनी चाहिये, लेकिन हमने उनको लिख कर भेजा क्योंकि ग्रेवल रोड हम इसी लिए कम नहीं ले सकते थे क्योंकि मैटल काम में नहीं ला सकते थे। यह पहला काम था जब कि हजारों मील मैटल सड़क ली है। मैं बिल्कुल अच्छी तरह से तो नहीं बता सकता क्योंकि आंकड़े अभी आये नहीं हैं। 3 हजार मील लम्बी सड़क लेने का मतलब है कि लाखों लोग मैटल का काम कर रहे हैं। मैटल ऐसी चीज है। उन लोगों को लगा दिया है। हमने करवाया है और छः सौ कुल मील के आस पास राजस्थान के अन्दर और इस कार्य का राजस्थान फेमिन के अन्दर कन्सोलिडेशन किया है और 100मील के आसपास

Page No 83

(श्री परसराम मेदेरणा)

डामर बिछवाया है। इसमें जो मैटल का काम करवाया है वह इस दृष्टि से करवाया है कि कच्ची सड़कें रेगिस्तान के अन्दर उड़ जाती हैं। ज्योग्राफिकल और फिजियो ज्योग्राफिकल कन्डीशन्स ऐसी हैं कि पन्द्रह बीस दिन तक गर्मियों में जबरदस्त आंधियां चलती हैं और सड़क पर रेत आजाती है। और रोड बन्द हो जाती हैं। इस साल इतनी आंधियां चलीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जोधपुर से जो रेल बाड़मेर जाती है वह कई दिनों तक वहां नहीं पहुंच सकी क्योंकि रेल की पटरी पर रेत के बड़े टीबे जमा हो गये। इस स्थिति को सोचते हुए, इसको, ध्यान में रखते हुए हजारों मील लम्बी तीन हजार मील लम्बी—आयन्दा के साल मैटल की सड़कों को लें-इसका मतलब यह था अगर मैटल रोड को फेमिन में कन्सोलिडेट नहीं कर सकते और फेमिन में मैटल रोड पर धन खर्च नहीं हो सकता तो यह मनी वेस्ट होता। अगर इनका काम पूरा फेमिन में नहीं हुआ तो प्लान में जो पैसा होगा, उससे इस काम को करेंगे। प्लान में पैसा है भी। जैसा वित्त मंत्रीजी ने कहा था कुछ सड़कों को पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोवीजन बजट में रखा है, पचास लाख या उससे कुछ आसपास इसमें से पन्द्रह या अठारह लाख दूसरे काम के लिए था। जो सड़कों के लिए रखा है, अगर अकाल न भी पड़े तो उससे उस काम को किया जायेगा। वैसे आज स्थिति बड़ी भीषण है, आज पश्चिमी राजस्थान में अकाल के बादल मंडरा रहे हैं, मैं नहीं कह सकता, परवरदिगार ईश्वर क्या सोचता है यह हमारे वश की बात नहीं है लेकिन यदि बरसात नहीं होती है तो तो भी मैटल के काम का कन्सोलिडेशन का काम हाथ में लेंगे और अगर बरसात हो जाती है तो प्लान में कुछ सड़कों का कन्सोलिडेशन करवाया है उसमें करेंगे। इसलिए यह कहना कि रेत ही रेत फेंकी है— यह बात सही नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पिछले तीन प्लान के अन्दर जितना पी. डी. प्लान कलवर्ट और ब्रिजेज और दूसरे काम का है, वह 1907 कलवर्ट और सी. डी. वर्क उसमें लिए हैं। यह इस मकसद से लिये थे क्योंकि यह पक्का काम है, जो सड़कें कच्ची होती हैं वह पहाड़ी इलाके में और दूसरी जगह टूट जाती हैं बरसात के पानी से टूट जाती हैं और नदी नालों के पानी के उन पर बहने के बाद वह नजर नहीं आती है। इसलिए इन पुलियाओं का पहले बनाना मैं आवश्यक समझता हूं। कुशलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा कहा इस साल पुलिया बनाई हैं, जोधपुर डिवीजन में पुलिया बनाई हैं, उदयपुर डिविजन में पुलिया बनाई हैं, दूसरी जगह जहां जरूरत थी वहां पुलिया बनाई हैं। इस प्रकार जो 1907 सी. डी. के वर्क किये हैं उनमें से 1173 वर्क तो पूरे हो चुके हैं। जो तीस करोड़ का खर्च किया है उसमें आप देखेंगे कि मैटल के कन्सोलिडेशन वर्क पर खर्च किया है। इसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने कच्ची सड़कों का काम हाथ में नहीं लिया है, पक्की सड़कों का काम लिया है और केवल मैटल का कन्सोलिडेशन ही नहीं करवाया है बल्कि डामर को भी फेमिन में बिछवाया है ताकि आवागमन के साधन मुकम्मिलतौर पर हो सकें।

यहां यह भी कहा गया कि पंचायत समितियों को कहीं काम दे दिया है और

Page No 84

(श्री परसराम मदेरणा)

कहीं नहीं दिया है। यह दोहरी नीति क्यों रखी है ? पंचायत समिति को वहां काम दिया है जहां छोटे छोटे पंचायत समिति बांध बना सकती हो या उनकी रिपेअर कर सकती है, या जहां उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की या उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। जिन जिलों में इस प्रकार की संभावनायें थीं वहीं पंचायत समिति एजेंसी को इस काम में लिया गया। जहां छोटे बांध नहीं बन सकते हैं वहां पंचायत समिति एजेंसी को काम में लेने में असमर्थ थे। राज्य सरकार ने जो 6202 काम सेंक्शन किये हैं, मैं नहीं कह सकता आंकड़े सही हैं या नहीं, दो चार ऊंचे नीचे हो सकते हैं लेकिन करीब करीब जो मेरे पास स्थिति है, उसमें रिलीफ वर्क सेंक्शन किये हैं रिलीफ डिपार्टमेंट द्वारा वह 6202 है,हो सकता है ज्यादा या कम हों इस विचार में कुछ तरमीम हो। मेरे पास जो लेटेस्ट फिगर हैं उसके आधार पर मैं आपको बताऊं कि सिंचाई के 1348, सिंचाई के साथ सोइल कन्जर्वेशन के युटीलिटी के वर्क के तहत 716 लिये, फारेस्ट के 309, रेवेन्यू के 1352 लिये हैं, इसमें वह काम हैं जो तालाब खोदने के हैं क्योंकि रेगिस्तान में रहने वाले व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि रेगिस्तान में पीने के पानी के तालाब की कितनी इम्पोर्टेन्स है, इस इम्पोर्टेन्स को ध्यान में रखते हुए, और जहां पर पानी कड़वा है, उसको ध्यान में रखते हुए तालाब खुदवाये हैं, जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की बात माननीय सदस्य कह रहे थे, इस रिपोर्ट में भी यह लिखा हुआ है ऐसे तालाब जो हैं कुछ इलाकों के अन्दर जहां नीचे का पानी कड़वा है, वह खुदवाने चाहिए। माननीय सदस्य पाताल लोक पहुंचने की बात भी कह रहे थे। पाताल लोक में सरकार पहुंचने की कोशिश करे तो यह राजस्थान सरकार तो क्या, भारत सरकार भी पाताल लोक तक नहीं पहुंच सकती, अमेरिका भी नहीं पहुंच सकता, रूस भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन पाताल लोक में जाने की कोशिश भी करें तो माननीय सदस्य देखेंगे कि पाताल में कड़वा पानी हो सकता है अब वह पाताल में राज्य सरकार को क्यों भेजना चाहते हैं यह तो पता नहीं है लेकिन वर्किंग ग्रुप ने स्पष्ट लिखा है, वैसे तो मैंने ही इस वर्किंग ग्रुप को बैठाया था, जिसका जिक्र मैंने किया था पिछली साल, उसके और प्लानिंग कमीशन के बताये हुए जो आइटम्स हैं उनमें अफारेस्टेशन, पास्चर डवलपमेंट, ट्यूब वैल्स, सोइल कन्जर्वेशन, इरिगेशन वर्क, डेजर्ट में तालाब खोदने की बात खासतौर से कही है। मैं निवेदन करूं कि तालाब के सम्बन्ध में जिन जगहों के नाम लिये हैं, शेरगढ़, पचपदरा, वहां सब तालाबों को खुदवाया है और उनमें पांच सात हजार ही नहीं एक लाख रुपया खर्च किया है ताकि वहां के लोगों को यदि पाताल से मीठा पानी नहीं मिले तो वहां के लोगों को जिन्दा रहने के लिए कुछ पानी मिल सके। यह कुदरत का पानी होता है, और इस इलाके में खास बात यह है कि यह तालाब डेजर्ट में होते हुये भी वहां की मिट्टी इस तरह की है कि जो मिट्टी पानी को रोक लेती है और यह केवल बारह बारह महीने ही नहीं रह जाता है बल्कि दो दो साल तक रहता है। लेकिन कई तालाब पचपदरा में हैं जिनमें यदि बरसात नहीं होती है तो पानी नहीं आता है और अगर आता है तो ज्यादा सिल्ट बह कर आती है, और

(श्री परसराम मदेरणा)

सिल्ट जम जाती है और पानी की कैपेसिटी कम होती जाती है। उनको भी खुदवाया है, इसके अलावा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यहां प्लानिंग नहीं था, प्लानिंग करना चाहिये। हर एक मेम्बर ने यह बात कही है प्लान के बारे में। शुरू शुरू में फेमिन पड़ते ही हमने कलेक्टर्स को कहा था कि प्लान कीजिये। कलेक्टर्स ने बताया कि ज्यादातर युटीलिटि के काम इरिगेशन और दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, जो टेक्निकल काम हैं और हमारे पास में सर्वे के लिये इतने आदमी नहीं हैं। उसके बाद में चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई कि काम मिलना चाहिये, काम मिलना चाहिये। इस सदन के भी माननीय सदस्य, चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, राज्य सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि काम नहीं दिया तो लोग भूख से मर सकते हैं। इस परिस्थिति में, एमर्जेन्सी में बिना सर्वे के जो काम हो सकते थे, जो लोगों को रोजी दे सकते थे, वह प्रारम्भ किये और उनको प्रारम्भ करने में, मैं निश्चिततौर से कह सकता हूं कि जो पक्षपात की ओर दूसरी बातें कही हैं, मैं उनके विश्लेषण में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात जरूर है और उस बात को मैं सदन के अंदर कन्फेस करना चाहता हूं-उधर बैठने वाले माननीय सदस्य खासतौर से कह रहे थे, जो बजट सैशन की प्रोसींडिग्स पढ़ी हैं उनसे मुझे यह मालूम पड़ता है कि सरकार ने इस मामले को युद्धस्तर पर नहीं लिया है और नहीं ले रही है। जब युद्धस्तर पर सरकार को यह काम लेना है तो इसका मतलब यह है कि मैं कमाण्डर-इन चीफ हूं और युद्धस्तर पर इस काम को लेना चाहता हूं, अगर रेड टेपिज्म के हिसाब से काम हाथ में लिये जाते तो हो सकता है कि आज जो एक भी आदमी भूख से नहीं मरा है, उससे विपरीत स्थिति खड़ी हो सकती थी तो काम सेंक्शन करने में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य के टेक्निकल ऑफिसर हैं वह सब बैठते थे, मैं कोई काम छुपा कर नहीं खोलता था, मैं डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वार्टर पर ऑफिसरों की मीटिंग बुलाता था, और उसमें टेक्निकल ऑफिसर बैठते थे उनकी सलाह से काम होता था, इसके अलावा मुझे भी जानकारी इस इलाके की है, ज्योग्राफी की मुझे जानकारी है कि कहां टीबे हैं, कहां गड्ढे हैं, कहां क्या है, इसलिए मैं ऐसे काम खोलता था जो कि आसपास के व्यक्तियों के लिये नजदीक में रहें और लोगों को जिससे रोजी मिल जाय तो इस प्रकार के काम खोले गये हैं।

माननीय सदस्य कहेंगे कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिये था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, जिन इन्जीनियर्स ने ट्वेन्टी ईयर रोड़ प्लान बनाया था, एक्चुअली स्पीकिंग, उन इन्जीनियर्स ने कहा कि ट्वेन्टी ईयर रोड़ प्लान हमने तो बना दिया पर वास्तव में इस तरह यह सड़क जायगी तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी इसलिये इसको इस तरह से बदल देना चाहिये। 20 ईयर रोड प्लान के लिये बीस साल के अन्दर 200 करोड़ रुपये के खर्च का सवाल था। एक प्लान पर 50 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिये। ट्वेन्टी ईयर रोड हमारी पांचवी पीढ़ी आयेगी, तब तक भी इसे पूरी कर सकेंगे इसमें मुझे शक

(श्री परसराम मदेरणा)

है। पर मैंने जो भी काम सेंक्शन किये, उनमें कोई राजनैतिक आधार नहीं था; यही देख कर किया कि उस क्षेत्र में उसकी तत्काल आवश्यकता है।

एक तरफ आप कहते हैं कि यह शख्स राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का प्रतीक है, सरकारी कर्मचारियों की तरफ से इनफॉर्मेशन आती है तो आप कहते हैं कि उन्होंने मिसलीड किया है। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि कलेक्टर तुम्हारे हुक्म को नहीं मानते हैं। तो एक तो यह हो सकता है कि कलेक्टर कहे उसी तरह कार्य करें। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कल रात को सेप्टेम्बर, 1968 की जैसलमेर की फाइल आई थी। उस में कलेक्टर ने रिकमण्डेशन की थी कि मैं 14 खड़ीन लेना चाहता हूं। फाइनेन्स डिपार्टमेंट का, चीफ सेक्रेटरी का ऐतराज था कि इस सम्बन्ध में न एस्टीमेट भेजे हैं, न टैक्निकल सर्वे हुआ है, इसलिये इस कार्य का सेंक्शन नहीं किया जाय। कल जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य मेरे पर आरोप नहीं लगाते तो मैं कोई पर्वाह नहीं करता ....

श्री भैरोंसिंह : यह आप गवर्नमेंट की जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी के नाते भाषण दे रहे हैं या केवल अकाल राहत मंत्री के नाते?

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो पोजिशन बता रहा हूं। जो टेक्निकल राय से आवश्यक है वह अवश्य किया जाना चाहिये। इमर्जेन्सी को मीट करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं। विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में युटिलिटी वर्क की आवश्यकता है, वहां युटिलिटी वर्क हो। जितने वर्क हमें बताये गये थे, उनको हमने लिया है, यह संख्या 67 के आसपास है। अगस्त के महीने में मैं वहां गया था, मुख्य मंत्री मेरे साथ थे तो पोकरण में ऑफीसर्स की मीटिंग करके जिन एरियाज में खड़ीन का काम नहीं होना था, वहां एक दो सड़कें खोली थीं, बाकी जगहों पर खड़ीन को काम चालू कर दिये थे। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें सर्वे के लिये इन्जीनियर्स नहीं मिले, काम युटिलिटी के करवाना चाहते हैं, 8 महीने में जो सड़क होती है उसको 4 महीनों में करवाना चाहते हैं, एक डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करना था, मैन-पावर की लिस्ट में जितने आदमी थे पी. डब्लू. डी. ने और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एम्प्लोय कर लिये थे, इसलिये हमको मिले नहीं। शुरू में यह रखा गया था कि 1500 आदमियों पर एक ओवरसीयर रहेगा, फिर आदमी नहीं मिले तो यह किया कि 2000 पर एक ओवरसीयर रहेगा और हमें आदमी मिल नहीं रहे थे इसलिये जो मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर थे, उन आदमियों को हमें एम्प्लोय करना पड़ा। डिविजन क्रियेट करके, 13 डिविजन पी. डब्लू. डी. में क्रियेट किये। 149 असिस्टेन्ट इन्जीनियर, 13 एक्स. ई. एन. और 988 ओवरसीयर लगाये। इसी तरह इरिगेशन के दो डिविजन क्रियेट किये उनमें 2 एक्स. ई. एन, 20 असिस्टेन्ट इन्जीनियर, और 100 ओवरसीयर लिये। इस तरह करीब 1100 के आसपास ओवरसीयर जो राजस्थान में अवेलेबल थे उनको लगा दिया, पर उनको लगाने के बाद भी कमी पड़ी। वाटर वर्क्स में भी

Page No 87

(श्री परसराम मदेरणा)

डिवीजन क्रियेट करने पड़े, फोरेस्ट डिपार्टमेंट में भी एक सौ और कुछ लोगों को लगाना पड़ा। डेढ़ दो हजार आदमी लगाये गये, बीस साढ़े बीस लाख के करीब मजदूर राजस्थान में काम करते हैं, वहां कुछ कमियां रह सकती हैं। उन कमियों को दूर करने की मैंने कोशिश की, उस वक्त वायरलेस से आर्डर भेजे कि मजदूरों की केवल सकूनत ही नहीं होनी चाहिये जाति भी लिखी जानी चाहिये, हालांकि लोगों ने ऐतराज किया कि जाति नहीं लिखी जानी चाहिये पर मैंने कहा कि जाति लिखी जानी चाहिये, जिससे कि किसी प्रकार की गड़बड़ न हो, कोर्ट में भी जाति लिखी जाती है तो, इनकी जाति लिखी जानी चाहिये। इसके अलावा हमने काम में किसी प्रकार की स्लेकनेस नहीं हो इसके लिये टाइम फिक्स कर दिया कि ओवरसीयर को एक सप्ताह में इतनी बार, असिस्टेन्ट इन्जीनियर को एक सप्ताह में इतनी बार और एक्स. ई. एन. को एक सप्ताह में इतनी बार हर काम को चैक करना पड़ेगा।

अब मेरे सामने एक सबसे बड़ा मसला अनपेड वेजेज का मसला है, इसको माननीय सदस्य अगले सत्र में लायेंगे। अनपेड वेजेज का लेप्स फार्म वाला पैसा जमा हो जाता है। यह भी एक बड़ी प्रोब्लम है, क्योंकि लाखों आदमी काम कर रहे थे। पी. डब्लू. डी. इन्जीनियर्स ने, रिलीफ डिपार्टमेंट ने सर्कुलर भेजे हैं, केबिनेट ने अगस्त के महीने में 19 अगस्त को निर्णय लिया है, 23 अगस्त को सर्कुलर निकाला था कि अनपेड वेजेज की लिस्ट पी. डब्लू. डी. इन्जीनियर्स, कलेक्टर्स को देंगे और उनका पेमेंट करवायें, सरपंच, प्रधान, विकास विभाग के अधिकारी और दूसरे लोगों को भी उनके साथ रखें और फिर डिस्बर्समेंट किया जाना चाहिये। जितने लोग रिप्रेजेन्टेटिव्स हैं, सरपंच, प्रमुख, प्रधान, एम. एल. एम. और दूसरे लोग जो भी अनपेड वेजेज की लिस्ट देखना चाहें, कोई भी आदमी जा कर उस लिस्ट को इन्स्पेक्ट कर सकता है। किसका रहा, किसका नहीं रहा, यह लोगों को जानकारी नहीं रहती है, साल डेढ़ साल बाद लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा अनपेड पैसा रह गया।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। आपने यह आदेश दे दिये थे कि विधायक, सरपंच, प्रमुख, प्रधान जा कर देख सकते हैं पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नावां के हमारे माननीय विधायक हैं श्री किशनलाल शाह, उन्होंने ओवरसीयर को रेकार्ड दिखाने को कहा पर क्योंकि वह रेकार्ड फर्जी था इसलिये उनको वह रेकार्ड नहीं दिखाया, तीन चार दफा कहा पर उसने नहीं दिखाया।

श्री परसराम मदेरणा : इसी 23 तारीख का सर्कुलर है, इसमें यह लिखा गया है :

"They can also associate in the works of the Development Department" ... "and they"

(श्री परसराम मदेरणा)

include B. D. O., Pradhan, etc. etc.

लेकिन इसका मैंने अमेंडमेंट कर दिया है। इन्स्पेक्शन वाली बात का सर्कूलर है वह आज ही पास किया है, सर्कूलर निकाल दिया, मैं उसमें अमेंडमेंट करवाना चाहता था। 10 दिन पहले दिया था वह सर्कूलर निकल नहीं सका है। कल ही उसमें अमेंडमेंट किया है। 31 तारीख तक कलेक्टर्स के पास अनपेड वेजेज की लिस्ट पहुँच जानी चाहिये।

श्री दुर्गालाल बादवार : मन्त्री महोदय, आपने सर्कूलर की बात कही, जो सर्कूलर आज जारी किया है तो उसका कोई सिग्निफिकेन्स नहीं, वह तो उसी समय ऑन दी स्पोट होना चाहिये। अब आपका यह सर्कूलर जारी करना न करना बराबर है।

श्री परसराम मदेरणा : आप बाहर के रहने वाले हैं, आपको पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, जो क्वेरीज हों, वह आप नोट कर लें और आखिर में सब का जवाब दें ताकि इन्टरप्शन न हो।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि डिस्ट्रिक्ट प्लान बननी चाहिए। जैसा मैं प्रारम्भ में निवेदन कर रहा था, हमने कलेक्टर को लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट प्लान बनाएं। कुछ कारणों से नहीं बनाया। इसलिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में निर्णय लिया था व जुलाई महीने में लिखा था और कलेक्टर को लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट प्लान उनको जल्दी से जल्दी बनानी चाहिए और बराबर राज्य सरकार के पास भेजनी चाहिए ताकि आगे अगर स्थिति कहीं खराब हो जाय और हमें अकाल के समय कुछ काम खोलने पड़ें तो डिस्ट्रिक्ट प्लान के अनुसार चल सकें। हमने रिमाइन्डर भी दिया है 5 अगस्त को कि यह प्लान जल्दी टेक्नीकल आदमियों को साथ लेकर बनवायें ताकि सीनियर ऑफिसर्स कान्फरेन्स जो हो रही है उसमें हम डिस्ट्रिक्ट प्लान को डिस्कस करना चाहते थे। हम खुद चाहते हैं कि प्लान के अनुसार काम किया जाय।

एक बात और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि आपके सबसे अच्छे काम डूंगरपुर जिले में हुए....

श्री भैरोंसिंह : युटिलिटी पॉइन्ट ऑफ व्यू से।

श्री परसराम मदेरणा : प्लान भी आप युटिलिटी पॉइन्ट ऑफ व्यू से बनवाना चाहते थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर डिस्ट्रिक्ट प्लान बनायेंगे, इनकी कोआरडीनेशन के लिए तय किया है कि एक स्पेशल आफिसर होना चाहिए और वह आफीसर सिर्फ यह काम ही नहीं देखेगा लेकिन हम राजस्थान कैनाल पर जहां कुछ लोगों को ले जाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, राजस्थान कैनाल पर हम जल्दी कर सकें। उसके लिए भी एक सीनियर आफीसर श्री मेहता जिसकी प्रशंसा आप कर रहे थे, उन्हीं का नाम

(श्री परसराम मदेरणा)

मंत्रिमंडल में पेश किया और मुख्य मन्त्री ने एक सेकंड में स्वीकार किया···

श्री भैरोंसिंह : कौन ?

श्री परसराम मदेरणा : श्री मेहता, कलेक्टर, डूंगरपुर, उसी को ही हमने स्पेशल आफिसर फोर प्लान कोआरडीनेशन कर दिया है और मुझे जानकारी मिली है कि राज्य सरकार शायद कल आदेश भी निकाल चुकी है कि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रक्ट लेविल पर राजस्थान के रिलीफ विभाग में प्लान बने, उनका कोआरडीनेशन होकर प्रायरिटी आफ यूटिलिटी में वर्क्स लिये जायं और उस ओर राज्य सरकार ने पहले ही कदम उठा लिया है।

श्री मदनसिंह : अब तो राज्य सरकार हमारी चल रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात कही गई कि काम यूटिलिटी से नहीं लिए और जिस राजा सागर की बात माननीय सदस्य कह रहे थे कि दस हजार कुएं बनवाने के लिए मैंने कहा। ऐसा मैंने नहीं कहा, लेकिन यूटिलिटी वर्क्स की है या नहीं, जनता पूछती है और क्योंकि कि जनता का प्रतिनिधित्व यह सदन करता है तो जब जनता मिलती है तो पूछती है तो मैंने उनसे कहा था कि दो हजार के आसपास कुएं बनाये जायेंगे और कुओं को गहरा करने का काम हाथ में लिया है और ड्रिंकिंग वेलस जहां हैं, आधे खुदे हुए हैं उनके रिलीफ वर्क्स के नंबर 4 पर प्राथमिकता पर रखेंगे। पहले ऐसा था कि डीपनिंग सब का था लेकिन आधे खोदने हैं, रिलीफ विभाग ने नहीं लिया था। इसलिए प्रायरिटी नं० 4 पर डीपनिंग एण्ड कन्सट्रक्शन में नए कुएं लिए हैं। दूसरी तरह के जो काम किए हैं उनकी संख्या करीब दो हजार से ऊपर की है ! इसलिए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ऐसी दंड कथा चलती है कि राजा सागर ने 500 कुएं बनवाने के लिए कहा था लेकिन जनता के राज में दो हजार कुएं खोदे गए है, यह बात जरूर कही है।

श्री दौलतराम सारण : सागर के लड़के 1001 थे, वह 1001 कुएं रोज खुदवाते थे।

श्री परसराम मदेरणा : सागर के 1001 लेकिन जनता के बेटे 20 हजार कुएं···

श्री विजयसिंह : मुख्यमंत्री के बेटे 37 हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सदन में जनरल बात के अलावा कुछ मुदे उठाए थे जैसे लैप्स फार्म के बारे में। पैसा लैप्स नहीं होता लेकिन अम्पेड रहते हैं तो तीन महीने तक ए०ई०एन० के पास रहते हैं उसके बाद डिपोजिट करते हैं। तो हैंड रिसीट का प्रोसीज्यर है। अनपेड बिल्स लैप्स होने नहीं। इन्डवीज्यूअल रिसीट्स का मतलब इन्डीवीज्यूअल रिसीट्स बननी चाहिए। उस संबंध में हमने कलेक्टर्स पर छोड़ दिया है कि इन्डवीज्यूअल रिसीट्स बननी चाहिए। मस्टर रोल्स पर आइडेन्टीफिकेशन करके सैटिसफाई हो जायं···

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने जो लैप्स फार्म का कहा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और एक्सप्लेनेशन दिया, वह संभवतः गलत नहीं हो सकता लेकिन उस लैप्स फार्म्स का जो मैंने जिक्र किया, उसके साथ साथ मैंने कहा कि कच्चे और पक्के फार्म्स होते हैं। तो कच्चा फार्म वहां पर तालाब और सड़कों पर हाजिरी वगैरह भरने के लिए काम में लेते हैं और कहा गया कि पक्का फार्म उनके घर पर जाकर पक्का करते हैं। मैं नहीं कह सकता कि कहां तक वह सत्य है या नहीं लेकिन मुझे आशंका है घोर आशंका है कि, इसके अंदर भ्रष्टाचार है, कच्चा फार्म भरना, फिर पक्का फार्म भरना और जो कुछ लैप्स फार्म के अन्दर पैसा बचता है, इधर उधर कर खा जाते हैं। आप इसको कैसे रोक सकते हैं ? यह तो सब्टिल फार्म आफ करप्शन है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सही है कि पहले कुछ कच्चे मस्टर रोल पर हाजिरी लेते थे और फिर पक्के पर कर देते थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : करोड़ों रुपयों का जहां खर्च है, वहां भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। मैं तो आपसे सिर्फ यही कहता हूं कि एक हद तक आप रोक सकते हैं, अगर उचित समझें तो एक हद तक रुकावट करने के लिए हमारी कन्सट्रक्टिव प्रोपोजल्स को सुनिए।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे तारीख या महीना याद नहीं लेकिन राज्य सरकार ने आदेश दिए हैं कि कच्चे मस्टर रोल पर अटेंडेंस नहीं ली जायगी, पक्के पर ही ली जायगी। फार्मों की कमी थी तो रातों रात गवर्नमेंट प्रेस से ज्यादा फार्म्स छपवाए, उनमें नंबरिंग किया ताकि पक्के फार्म्स पर अटेंडेंस ली जाय। भविष्य में देखा जायगा कि यह गल्ती रिपीट न हो और हमेशा हाजिरी पक्के मस्टर रोल पर ली जाय, इस निर्णय की पाबंदी पहले कमी रह गई थी तो भविष्य में कही भी काम कराए जायं तो पक्के फार्म पर अटेंडेंस की जाय।

माननीय श्री मनोहरसिंह मेहता : बालोतरा से आने वाली माननीय सदस्या व ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने फोडर बैंक के संबंध में एक बात कही है कि फोडर बैंक स्थापित करनी चाहिए, जब कभी अकाल पड़े तो मवेशियों के लिए चारा सुरक्षित रखा जा सके लेकिन राज्य सरकार को चारा खरीदने से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो कठिनाई आती है, अगर फॉरेस्ट विभाग को यह राय दी जाय कि वह जब कभी घास कलेक्ट करे तो उससे फोडर बैंक स्थापित करे, राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, बजट में इस बात का प्रावधान रखा है कि 25 लाख रुपए फोडर बैंक को स्थापित करने के लिए खर्च किए जायेंगे, उस दिशा में कदम भी उठाए गए हैं और यह आदेश फारेस्ट विभाग को दिए हैं कि कहीं पर घास की नीलामी न करें और अगर नीलामी के टेन्डर्स इन्वाइट कर लिए हैं और बिड आ गई है तो बंद करदें हम फोडर बैंक की स्थापना करना चाहते हैं। अगर दुर्भाग्य से अकाल पड़ता तो हमें घास की और आवश्यकता होगी।

(2 म. प.)

यहां पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, वे जिक्र कर रहे थे कुओं के सम्बन्ध में, उन्होंने खड़े

(श्री परसराम मदेरणा)

होकर एक बात कही, आपने इसको राम बना दिया, यह तो रावण है। म्युनिसिपल एरिया में काम करने का निर्णय मन्त्री मण्डल का निर्णय था। फलोदी, पोकरण, जैसलमेर म्युनिसिपल एरिया में होते हुए भी वहां पर फैमिन का कार्य किया गया। वहां पर पब्लिक इकट्ठी थी, फीडिंग सेन्टर या और राजस्थान का अकाल की दृष्टि से सबसे खराब क्षेत्र था। इसलिये यह निर्णय लिया था कि इन तीन म्युनिसिपल एरियाज में भी राहत कार्य किये जायें। इसलिये हमने वहां राहत कार्य खोले हैं। अब चाहें तो मुझे रावण कहें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

मैं एक बात आपसे कह दूं। हालांकि हेमावास का पानी आप पीते हैं। जिस जगह का, जिस क्षेत्र का रिप्रिजेन्टेशन आप करते हैं। जोधपुर के लिये हेमावास बांध बांधने के बाद पानी की किल्लत नहीं रही। 1½ करोड़ के आस पास खर्चा करके हमने हेमावास को जंवाइ से जोड़ा है। शायद हिन्दुस्तान में कोई शहर ऐसा नहीं। है जहां कि पीने का पानी 100 मील से आता है।

श्री विजय सिंह : यह आपकी स्कीम थी ? किस की थी ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं सब का जिक्र कर रहा हूं। जो बांध बना वह जोधपुर स्टेट के वक्त का था। जोधपुर से हेमावास स्टेट टाईम का था और जो बड़ी नहर हमने बनाई थी...

श्री मदन सिंह : सरकार ने बनायी है।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने किया है, यही मैं कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के लिये नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस सरकार ने किया है, यह कह रहा हूं। आज हेमावास से लेकर जंवाई तक 45-50 मील तक जो नहर बनी है, वह कांग्रेस के शासन में बनी है। एक और बात कह दूं इसके बाद पानी की किल्लत रहती थी। सो उसको दूर किया है। इस अकाल में इस नहर से 100 गांवों को पानी दे रहे थे। कई गांवों को पानी पहुंचाना था। 25, 25 मील तक पानी का काम नहीं था, वहां पहुंचाते थे जोधपुर और जोधपुर में रहने वालों का ध्यान रखते हुए। कई ऐसे गांव है कि उनके पाताल में कड़वा पानी है और गांव गांव में ऐसा बेल्ट आया है कि वहां पर राइट एरिया है, पश्चिमी इलाके में, जोधपुर तहसील में 200, 250 ऐसे गांव हैं जहां पाताल में पहुंच जायं तो भी पानी मीठा नहीं है। ज्योलोजिकल सर्वे ने भी यह बात कही है। ग्राउन्ड वाटर बोर्ड ने दुबारा सर्वे करवा ली है वहां पानी कड़वा है। स्टेट के समय 30 फीट क्यूसेक था। इसको हमने रेज किया है और इसकी केपेसिटी डबल कर दी है। अब 60 फीट क्यूसेक की बनाई है। 16-17 लाख का खर्चा हुआ है इस फेमिन के अन्दर। इसलिये सेंक्शन किया था कि पीने के पानी की जोधपुर में असुविधा है और उसके आस पास जो गांव आते हैं उनको भी पानी मुहैया कर सकें। आप कहते हैं कि आप के साथ पक्षपात क्यों किया है। यह बात नहीं थी। पानी की जो किल्लत है, वह आप जानते हैं। बालसमंद और कायलाना में ज्यादा पानी भर जाये तो हेमावास और

(श्री परसराम मदेरणा)

जंवाई के अन्दर कमाण्ड एरिया बढ़ जायेगा और अकाल के वक्त भी वहां अनाज और चारा पैदा कर सकते हैं। जो चैनल स्टेट के वक्त की बनी हुई थी, वह जगह जगह से टूटी हुई थी। हालांकि वह म्युनिसिपल एरिया में थी परन्तु हमें पानी का इन्तजाम करना था इसलिए हमने ढ़ाई लाख रुपया खर्च किया है। इसका आधा हिस्सा म्युनिसिपल एरिया में आता है और आधा गांव में आता है। म्युनिसिपल एरियाज में हमने काम नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : इसमें जोधपुर में क्या है ?

श्री अध्यक्ष : प्रारम्भ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर में आपके पास गाय होगी। दूसरों के पास एक-दो गाय हो सकती हैं। एक-दो गायों के लिये तो चारा नहीं ला सकते। वहां घासियों को चारे की आवश्यकता थी। जिनके पास में राठी की बढ़िया किस्म की गायें हैं, वे जोधपुर के घासी हैं। उनको मैंने एज गवर्नमेंट नामीनी मुकर्रर किया था, उनको सैंकड़ों डिब्बे राईका बाग स्टेशन से पहुंचाये थे। रेल्वे के जो सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, रेल्वे के जो जनरल आफ़िसर हैं जो वेस्टर्न रेल्वे को कन्ट्रोल करने वाले थे, उन लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट को चारा कम जा रहा है इसलिए दूसरी प्राइवेट एजेन्सी को एज नामीनी मुकर्रर कीजिये। अगर जोधपुर क्षेत्र की कहेंगे तो वहां घासियों को चारे की आवश्यकता थी, उनकी मांग थी। हमने दूसरी तरफ से रतलाम की तरफ से एक दूसरा सेक्शन दिया। सैंकड़ों डिब्बे घासियों को दिये। घासियों की गाय का दूध तो आप खरीदते होंगे। आपको दूध मिल सके, इसलिए हमने उनको सहूलियतें दी हैं। सस्ते किराये के ऊपर हमने दिया था। इसलिए जोधपुर में इन्तजाम नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट एजेन्सी को सहूलियत दी है। इसके बाद क्या उम्मीद रखते हैं ? क्यों मुझे रावण की संज्ञा दी है, यह आप स्वयं सोचें। हेमावास की केपेसिटी ढ़ाई लाख रुपया खर्च करके बढ़ा दी, घासियों के पास घास गवर्नमेंट के बराबर एट पार ट्रीट करके, घास मंगवाने की सुविधा दी। उसके बाद आप सोच सकते हैं, यह आप के सोचने का तरीका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास काम खुलवाने की कमी है, तो जयपुर की गलियों में खुलवा दीजिये। जयपुर की गलियों में लगवा दीजिये, इससे इसका उपयोग हो जायेगा। यदि कहीं काम नहीं मिल रहा है तो जयपुर शहर में खुलवा दीजिये। इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : पीपाड़ सिटी नगरपालिका है। वहां फेमिन के नाम से पाइप लाइन क्यों लायी गयी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो पूछा है, सही है। पाइप लाइन लायी गयी है। लेकिन यह मेरी कान्स्टीट्यून्सी में तो नहीं है। पीपाड़सिटी से कई गांवों को पानी हम ट्रान्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वहां पानी कड़वा था। आसारनाड़ा से जोधपुर और बिलाड़ा तहसील में कई गांवों को पानी पहुंचा रहे थे।

(श्री परसराम मदेरणा)

पीपाड़सिटी में कोई ऐसा कुआ नहीं रह गया कि उसमें इतना पानी हो कि हमें पानी दे सके। इसलिये पानी लाने और पाइप लाइन लगाने की सख्त आवश्यकता थी। मैं यह निवेदन करूंगा की यह एक ऐसी स्कीम थी कि यदि पाइप लाइन इन्कम्पलीट रहती तो इसको प्लान में पूरा करा लिया जाता। कुछ प्लान में भी पैसा था। इसलिये इसको फेमिन में लिया ताकि इनकम्पलीट रह जायगी तो प्लान में पूरी हो जायगी, इसको प्लान में क्वाइन्ट कर देंगे। इसमें कोई राजनैतिक कारण नहीं है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि एक म्युनिसिपलिटी में जनसंघ के भी चेयरमैन दो साल तक रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी में सभी पार्टी के लोग रहते हैं। मैं एक आदमी को सुविधा नहीं दे रहा हूं। वहां सब लोग रहते हैं। सब पार्टीज के लोग हैं। रूरल एरिया में, पूरे के पूरे एरिया में जो बैल्ट चला गया है वह कड़वे पानी का आया है। वहां वाटर प्लान्ट मिल जाये, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाइप लाइन को स्वीकार किया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसमें आपके क्षेत्र के कितने गांव आते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी का इस बीच कोई गांव नहीं है। इसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। जैसा कि जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे कि फलौदी तहसील का रहने वाला हूं जो जैसलमेर से जुड़ी हुई है। हालांकि मेरी कोन्स्टीट्यूएन्सी दूर है इनको पता नहीं क्योंकि इनका बिलाड़ा आना जाना नहीं होता। बिलाड़ा श्री कालूरामजी की कोन्स्टीट्यूएन्सी है, मेरी नहीं।

एक मा० सदस्य : वे भी कांग्रेस के ही सदस्य हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कल एक बात कही थी कि बनियाना गांव है इसमें सड़क निकाली है और भी कई जगह बताई है जिनमें राजनैतिक आधार पर काम किया गया। मैं नहीं जानता क्या राजनैतिक कारण थे। सड़कें निकाली हैं। मैंने यह भी मालूम किया है और मेरे पास नक्शा भी है इस प्रकार के मिटिंग पोइन्ट एक ही नहीं, एक जगह ही नहीं बनाये बहुत सी जगह ऐसे पोइन्ट्स बनाये गये हैं। इस तरह के पोइण्ट करीब सात जगहों पर बने हुए हैं।

उजला से पोकरण, उजला से पदवाड़ा, उजला से चान्दणा और उजला से बनियाना।

श्री भैरोंसिंह : इसमें आप एक जगह पर गलत बता गये उजला से बनियाना वाली बात।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मैं जब इनके टुकड़े करके बताने लगा तो ऐतराज कर दिया लेकिन जब आपने इस प्रश्न को उठाया था उस समय भी टुकड़ों में ही संख्या सात बता दी। मैं जब टुकड़े कर बात करता हूं तो आपको ऐतराज है। आप स्टेण्डर्ड एक रखिये अलग अलग मापदंड मत रखिये। फलसाणा सड़क है वह सात सड़कों से जोइन होती है। राजमथाह, बीकानोद,

(श्री परसराम मदेरणा)

भैंसड़ा, उडूं ये तीन जोइन्ट होते हैं भैंसड़ा से बर जोइन्ट होता है सेंदरा से बर जोइन्ट होता है छायणा से नाचणा से 5 फतेहगढ़ से 5 कुडी मान से भी जोइण्ट होता है। ऐसी हालत में बनियाना के लिये ही कहा जाना कहां तक उचित है।

जैसलमेर के पूरे डिस्ट्रिक्ट में तीन सेकेण्डरी स्कूल्स हैं एक तो प्रोपर जैसलमेर दूसरा पोकरन और तीसरा बनियाना। इसी प्रकार मारवाड़ में कई जगह इस तरह के स्कूल हैं जहां बायोलोजी, मैथेमेटिक्स और फिजिक्स की पढ़ाई होती है।

श्री भैरोंसिंह : ये स्कूलें क्या सरकार ने खोली हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार इसके लिये खर्चा देती है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार सभी खर्चा नहीं दे रही है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां कोई सेठ नहीं, महाजन नहीं। सरकार ने बिल्डिंग बनाई है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो खुद ने यह मन्जूर किया जैसलमेर ही एक ऐसा स्थान है जहां हाई स्कूल है। मेरा आरोप था कि इस गांव में सबसे ज्यादा पोपूलेशन है यहां रोड्स बना रहे हैं। आपने इसको मन्जूर कर लिया।

श्री परसराम मदेरणा : कुड़ी में सड़क कैसे बनी ? बाड़मेर में जो नावणा गांव है जहां मैंने मीटिंग पोइंट बताया वहां पांच हजार की जनसंख्या है।

श्री बाल सिंह सोढ़ा : आप गलत बात कह गये फलसूण्ड में ज्यादा है।

श्री दौलतराम सारण : यह कोई विवाद की बात नहीं है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : केवल सच्चाई का आपने ठेका नहीं लिया। मैं कह रहा हूं फलसूण्ड की जनसंख्या ज्यादा है।

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर का जहां पहला नम्बर है वहां बनियाना का चौथा नम्बर है। फलसूण्ड की पोपूलेशन 5,800 है पोकरण की 5,224। फलसूण्ड में कई सड़कें निकाली हुई हैं। उसके बीच जो गांव आते हैं आज भी जो पोकरण फलसूण्ड की सड़क है वह इण्टर डिस्ट्रिक्ट रोड है। विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कल कहा था डिफेन्स रोड के पास पास ही सड़क बना रहे हैं। मैं तहकीक कह सकता हूं कि फलसूण्ड से शेरगढ़ रोड फेमीन में बन रही है।

श्री बालसिंह सोढा : फलसूण्ड से शिव यह रोड डिफेन्स रोड के साथ साथ नजदीक ही बन रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर एक बात कही गई है। मैं डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। बनियाना से शेरगढ़ सड़क बनाई वह राजनैतिक आधार पर बनायी गई यह कहा गया। मैंने आपके क्षेत्र में 6200 काम चलवाये उसमें से आपने दो तीन कामों के लिये कहा कि राजनैतिक कारणों के आधार पर इनको हाथ में लिया गया। रातड़िया से फलसूण्ड सड़क का कार्य एक मार्च को खोला है। मैंने इस बारे में कलेक्टर जैसलमेर को जोधपुर बुलाया

(श्री परसराम मदेरणा)

था। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने इस रोड पर काम करवाना प्रारम्भ कर दिया, मैंने रोड की मन्जूरी नहीं दी। मैंने बिनियाना से शेरगढ़ सर्वे कराने के लिए कहा था। यह बात मैंने आफिसर्स की मीटिंग में दो तीन दफा कही थी। यदि वहां पर काम नहीं करवाते हैं तो शेरगढ़ और बनियाना के बीच जो 19 गांव वाले हैं उनको काम नहीं मिल सकता इसलिये इसको शुरू करवाया गया ताकि इनके निवासियों को 19 गांव वालों को काम मिल जाय। जिस सड़क का राजनैतिक आधार बताया गया है उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि रातड़िया के लोगों का रिप्रेजेन्टेशन था कि हमें शेरगढ़ वाली रोड पर काम चाहिये और इस तरह से फलसूण्ड काम के लिये जाना नहीं पड़ेगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : रातड़िया गांव तो आलरेडी रोड पर है और फलसूण्ड और रातड़िया आलरेडी सड़क है ......

श्री अध्यक्ष : आप बीच में बाधा मत डालिये। बाद में पूछ सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 64 के अन्दर जो सड़क बन गई थी उस पर मेटल करवाना था और इसके साथ साथ उन लोगों को एम्पलोयमेन्ट देने का सवाल था इसलिये दूसरी जगह काम शुरु किया गया। दो दो मील के पास सड़कों को बना दिया गया। शेरगढ़ बनियाना सड़क जो राजनैतिक कारणों से बनाया जाना बतलाया जाता है जितने गांव इस सड़क के बीच में आते हैं उन सब को काम मिल जाय। इसको ध्यान में रख कर यह काम शुरू करवाया गया इसलिए फलसूण्ड से रातड़िया सड़क बनवाई है। 13 मील का फासला पड़ता है। उसके बीच में जो पचास से ज्यादा घर नहीं है। एक तरफ पापूलेशन की बात करते हैं दूसरी तरफ दूसरी बात करते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : फलसूंड से रातड़िया नजदीक पड़ता है। आप गलती भले ही करें। पर लोगों को गुमराह न करें। आपने बनियाणी में किया फलसूंड में बन्द करके।

श्री परसराम मदेरणा : आपने एक बात कही। इसलिये उसकी सच्चाई को साबित करने के लिये इस तरह जोर मत दीजिये। मुझे पूरा बोल लेने दीजिये। मैं गलत कह रहा होऊं तो बाद में पूछ लें।

मैं निवेदन करूं कि इन्टर डिस्ट्रिक्ट को खोलने से ज्यादा लोगों को एम्पलोयमेंट मिलता था इसलिये यह किया गया। फलसूंड से रातड़िया बहुत कम को काम मिलने वाला था। फलसूंड के आसपास जितने गांव थे उसमें आठ हजार लोग थे। फिर उधर तीन मील पर मैटल क्वेरी का, ग्रेवल की क्वेरी चल रही थी। फलसूंड के बीच में काम हो रखा था। दूसरी इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड है। क्लेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट की कह सकता है। पर यह इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड थी तो इसको मैंने यूटीलिटी के कई पोइन्ट से खोला था। राजनैतिक कोई बात इस में नहीं थी। कलेक्टर भी अगर किसी काम को खोलेगा और बैस्ट आफ जजमेंट में और इन्टेन्शन में और बिना किसी प्रीजूडिस के मेरे दिमाग में बैठता है कि यह

(श्री परसराम मदेरणा)

काम यहां खोलना चाहिये तो इतना डिस्क्रिशन तो सदन मुझे भी देगा। सदन में एन्सरेबल मैं हूं। तो मैंने सब एरिया में सबको काम मिले इसका पूरा ध्यान रखा है।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जानते होंगे। मई में मैं उधर गया था एक एरिया में जिला अकाल राहत समिति भी ध्यान नहीं दे रही थी और न कक्लेटर दे रहा था। मैंने पूछा इस एरिया का कोई नहीं कहता, तो इस एरिया का मालिक मैं हूं। इसके पच्चास मील रेडियस में कोई काम का सजेशन नहीं दे रहे थे। मैंने दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां यह महसूस हो जावे कि यहां काम खोलना जरूरी है तो मैं वहां के लिये सेंक्शन भी कर सकता हूं। अब गैर वाजिब कोई काम जंचता है तो रोक भी देता हूं। बणियाणी से शेरगढ़ सेंक्सन कर दी। मई में मैं गया रोड बन्द कर दी। उस पर थोड़ा काम हो गया है। पहले लेबर काम कर रही थी फलसूंड में उसमें कमी पड़ गई है। दो तीन काम और दे दिये। फूलासर से टार रोड से मिलाने की सेंकशन दी। क्योंकि उस पर पहले कुछ खर्च हो गया था। इसलिए दुबारा सेंक्शन दी गई। सिर्फ फूलासर तक दी गई।

एक दो बातें यहां पर जैसलमेर से आने वालों ने कहीं।

श्री अध्यक्ष : काफी समय ले लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : बस। पांच मिनिट और लूंगा।

दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को कह दूं कि आपके वहां पर 6 सड़कों का काम सेंक्शन किया गया था। जंगलात का काम भी सेंक्शन किया गया था। आप कलक्टर साहब से मिले थे। उनको बाढ़ पीड़ितों को राहत देनी चाहिये थी। टिन शेड भी देने चाहिये थे। अब किस कारण से नहीं दिये। कलक्टर को मैंने कल बुलाया था। माननीय सदस्य से भी उनसे बात करके मैंने कह दिया था कि एस. डी. ओ. को उनके साथ भेज दूंगा। टिन शेड के लिये भी कह दिया था। बाढ़ के प्रभावित लोगों को अगर देना जरूरी हुआ तो वे भी दे देंगे। फेमिन के टिन शेड हमारे पास पड़े हैं। वह दे सकते हैं। बाढ़ और फेमिन दोनों 164 'फेमीन' हैड के ही नीचे हैं। इसलिये इसमें मुझे दिक्कत आने वाली नहीं है।

श्री मदनसिंह : कोटि कोटि धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह : धन्यवाद देने से पहले एक बात पूछना चाहूंगा। गत वर्ष बाढ़ आई। इस वर्ष तक उनको राहत क्यों नहीं पहुंचाई गई? वे कागज कलक्टर के यहां ही क्यों रखे रह गये? उसके यहां नहीं सही, किसी के यहां रखे रहे हों। इस कार्यवाही को आप क्या उचित समझते हैं?

श्री परसराम मदेरणा : कार्यवाही उचित नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह : फिर एक्शन लेना चाहिये था आपको उसके खिलाफ जिसके पास पड़े रहे?

श्री परसराम मदेरणा : पर वह एलिजिबल है या नहीं यह जानकारी नहीं थी। कितना डेमेज हुआ है किसने असेसमेंट किया था क्या रिपोर्ट थी यह देख लीजिये। वे कह रहे थे कुछ इस तरह की बात होगी। कागज सरकार के पास भेज देना मैंने कह दिया है। टिन्स अलग से भेज देंगे। पर बाढ़ से वास्तव में जिनको नुकसान हुआ है उनको टिन मिलने चाहियें। अब किस अफसर ने गलती की है यह भी मैं देखूंगा।

श्री मदनसिंह : यह ऐसा इलाका है वहां दस दस पन्द्रह पन्द्रह सड़कें बनाईं। पर यह वह इलाका है जिसमें केवल 40 गज ही मैटल रोड बनी है। इसके सम्बन्ध में और फरमा दें। इसका क्या कारण ? और 40 लाख का घोटाला मुकनगढ़ सड़क पर हुआ है, इसकी जांच हो रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : टिन का मामला सम्पन्न हो गया है या नहीं ?

श्री मदनसिंह : इसको भी छोड़ें। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तीन मील पर 4½ लाख का खर्चा। इसमें घोटाला किया है एक शख्स ने। उसकी जांच के लिये कलेक्टर ने हां की या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : निर्माण मंत्रीजी जब जवाब देंगे तब पूछ लेना।

श्री मदनसिंह : वे क्या जवाब देंगे। आप ही दे दो। वे अभी घबरा जावेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : वहां तीन सड़कें हैं। एक मुकनगढ़ से लक्ष्मणगढ़। दूसरी फतहपुर से मांडर और तीसरी एक और रोड है। दो रोड के बारे में डिस्ट्रिक्ट रिलीफ एडवाइजरी कमेटी में चर्चा हुई थी। जैसा आप कह रहे हैं कलेक्टर ने यह कहीं नहीं कहा। कलेक्टर ने मुझ से यह कहा कि इसकी जांच करवा लूंगा। पूरे कागजों को मैंने अपने पास ले लिया है। एस. डी. ओ. को इसके लिये मुकर्रर कर दिया है। जांच के बाद जो दोषी पाया जावेगा उसे सजा दी जावेगी।

श्री मदनसिंह दांता : मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं। मन्त्रीजी भी यहां बैठे हैं, हरलालसिंहजी भी हैं, उधर के विधायक भी हैं। यहां खुद ने कहा है कि मेरे जीवन में ऐसे घोटाले, ऐसा करप्शन नहीं देखा। 4½ लाख का घोटाला किया है।

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दिया जा चुका है। जांच हो रही है।

आर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह दांता : एक सड़क पर एक घंटा लगा दिया। यहां 4½ लाख का घोटाला बर्दाश्त कैसे कर लूंगा। क्या यह भी आर्डर देते हैं कि 4½ लाख को एक आदमी खा जाय ?

श्री अध्यक्ष : जांच आरम्भ है, इसका आर्डर है।

श्री परसराम मदेरणा : जांच करवाई जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : एक बात क्लीयर करवा दी जावे। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के अन्तर्गत हैड में जो आरोप लगाये गये हैं उनका उत्तर क्या पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर देंगे या जो परसरामजी उत्तर दे रहे हैं यही सबका उत्तर देकर सन्तोष करावेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं पूछ लूंगा यह।

माननीय मन्त्री महोदय, यह प्रश्न थोड़ा रिलेवेन्ट है। आप जो उत्तर दें वह तो है ही। इसके अलावा जो प्रश्न रह जावेंगे क्या उनका उत्तर पी० डब्ल्यू० डी० मन्त्री देंगे ?

एक माननीय सदस्य : बोलो तो सही।

श्री अध्यक्ष : आप उनको बोलने दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो उत्तर दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो हम सुन रहे हैं

श्री परसराम मदेरणा : मेरे उत्तर के बाद कोई आप पी० डब्ल्यू० एम० से पूछना चाहते है तो पूछ लें। मैं उत्तर दे रहा हूं। प्रिलिमीनिरी एन्क्वायरी आने के बाद उस मामले को एन्टीकरप्शन को दे दूंगा। मैं नाम लेकर कह रहा हूं इस मामले को एन्टी-करप्शन को दे दूंगा। मुझे इस बात की निष्ठा है कि खर्चा ज्यादा हुआ है। किसने एम्बेजलमेंट किया है और मिस एप्रोप्रियेशन किया है उसको बचाने की कतई मंशा नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं ये पत्र सदन की मेज पर रखता हूं इसके आधार पर एन्क्वायरी कराई जाय।

श्री अध्यक्ष : आप तो रखते हैं, मैं उसको मंजूर नहीं करता हूं। मैं मंजूर करूं तब न ? वह बहुमूल्य है आपके लिये। आप रखिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय अकाल राहत मंत्री जी.पी.डब्ल्यू.डी. के जितने काम हुए हैं और उन कामों में जितनी अनियमित-तायें हुई हैं क्या विभागीय आधार पर सारी जिम्मेदारी वे स्वयं लेकर चलते हैं या सार्व-जनिक निर्माण विभाग की है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका जवाब मैं अन्त में दूंगा, जिम्मेदारी किसकी है, नहीं है। गवर्नमेंट की ज्वाइन्ट रेस्पान्सी-बिलिटि है। इसलिये अलग अलग लेकर यह कह सकूं मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो यह बात भी सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अकाल राहत काम के सम्बन्ध में कोई काम खुलवाया इसका डिसिजन तो आपने ले लिया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, फुल्ली इम्प्लीमेंट हो जाय, इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? माननीय मंत्री महोदय कई बार कह चुके हैं, वे भावावेश में भी कह जाते हैं। वित्त विभाग ने नहीं किया, निर्माण विभाग ने नहीं किया, निर्माण विभाग जब सेपरेट विभाग है तो कौन जवाब देगा ?

श्री दौलतराम सारण : मैं एक बात पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या मंत्री महोदय ने अपना वक्तव्य समाप्त कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। यह मुझ से पूछ रहे हैं यह ज्वाइन्ट। रेस्पान्सीबिलिटी है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा है। जहां तक उनको सम्पन्न करने का प्रश्न है वह ज्वाइन्ट हैं। घोटाले का प्रश्न दोनों के बीच में है, दोनों ही कह सकते हैं।

श्री मदनसिंह अध्यक्ष **:** महोदय, क्या फरमाया घोटाले का सम्बन्ध दोनों के बीच में है ...

श्री अध्यक्ष : यह उस अनुपात से देख लिया जायगा……

श्री हरिवल्लभ : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक अनुमति दें……

श्री अध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं देना चाहता हूं । भाषण समाप्त हो जाने के बाद ।

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि अकाल पर बहस चल रही है इसलिये फेमिन रिलीफ मिनिस्टर की हैसियत से जवाब दे रहा हूं । लेकिन एक्जीक्यूटिव एजेंसी ने क्या गड़बड़ की है वह जिम्मेदारी उसी डिपार्टमेंट की होगी । आप देखिये ऐक्शन लेने वाली बात है, वह उस डिपार्टमेंट के लोग करेंगे- एन्टीकरप्शन में देना है या क्या पनिशमेंट उस पर करना है । यह हैड आफ दी डिपार्टमेंट का वर्किंग है, वे करेंगे । रिलीफ डिपार्टमेंट नहीं कर सकेगा ।

श्री मदनसिंह : पी. डब्लू. एम. इसका जबाब दे देंगे- How many cases they have given to our Nawab Sahib ?

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में, कितने केसेज नवाब साहब को आलरेडी दे दिये हैं । आप (श्री मदेरणा) आरम्भ रखियेगा भाषण ।

एक माननीय सदस्य : पी. डब्लू. डी. के भी दो मिनिस्टर हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था जहां पर पी. डब्लू. डी. के कर्मचारियों की शिकायत अलग अलग जगह पर आई हैं, चाहे वे पुलिस में चल रही हों और चाहे एन्टीकरप्शन में चल रही हों । कुल शिकायतें जो चल रही हैं जिसमें इन्वेस्टीगेशन और एन्क्वायरी हो रही है सैकड़ों हैं लेकिन हमने जो ऐक्शन लिया है उसमें 5 जीनियर्स को ससपेन्ड किया है, 24 ओवरसियर्स को ससपेन्ड किया है । कई मामलों में ओवरसीयर जेलों में हैं । जो कुछ बात हमारे सामने आई है एन्टीकरप्शन को मामला दिया गया है, और ऐक्शन लिया गया है उसको छिपाया नहीं गया है । ओसियां के माननीय सदस्य ने कहा, वहां भी 6 ओवरसीयर ससपेन्ड हुये हैं, एक ए.इ एन. को भी ससपेन्ड किया गया है । मस्टररोल में जो फर्जी अंगूठे चिपकाये हैं, फर्जी नाम से पेमेन्ट उठाया है वे पुलिस में दे दिये गये हैं । दूसरे मामले उठाये गये हैं उसमें आप जानते हैं ऐक्शन लिया गया है, ऐक्शन लेने के बाद जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । मैं माननीय सदस्यों से फिर एक बात कह देना चाहता हूं-नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कई शिकायतें हैं । अगर कोई कम्प्लेन्ट-शिकायत है तो आप मुझे दीजिये उस पर ऐक्शन लिया जायेगा । दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही अवश्य की जायेगी । अनियमिततायें की हैं तो उसको बचाने का राज्य सरकार की बिलकुल मंशा नहीं है । मैं मानता हूं आखिर इतना बड़ा काम है, कमी उसमें कहीं रह सकती है लेकिन राज्य सरकार की इन्टेंशन में इस प्रकार का सवाल नहीं है । Ceasar's wife should not only be above suspicion, she should also appear to be above suspicion. And we have

(श्री परसराम मदेरणा)

always remained above suspicion.

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल सही है आपकी जानकारी। सदन की जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं पिछले सत्र में लगभग 100 दरख्वास्तें मैंने माननीय मंत्री महोदय को दी थीं। 100 दरख्वास्तें थीं, अध्यक्ष महोदय और मुझे जहां जानकारी मिली है, मैं भी पीछा करता हूं उसमें से लगभग 90 परसेन्ट एप्लीकेशन्स माननीय पी डब्लू. डी. मिनिस्टर को कार्यवाही लेने के लिये लिखकर भेज दी हैं; उसका जवाब कौन देगा ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने कोई भी एप्लीकेशन भेजी है मैंने कार्यवाही करने के लिये लिखा है। मैं आपको बता सकता हूं रजिस्टर में एक भी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें मैंने जांच के आदेश नहीं दिये हों। अब जांच तो, अध्यक्ष महोदय, जांच के तरीके से होती है।

श्री भैरोंसिंह मैंने पिछली बार इसी सदन में, सदन के बाहर अध्यक्ष-महोदय के चैम्बर में आपको एप्लीकेशन दी थी। बाद में पता चला कि वें सब एप्लीकेशन्स सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थीं, उस आधार पर आपने पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर के पास, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पास, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास कार्यवाही करने के लिए भेज दी कि कार्यवाही करें। इस प्रकार सारी एप्लीकेशन्स उस विभाग में चली गई। मेरी एप्लीकेशन्स के जवाब नहीं आये और आपने उन सबको पी. डब्लू. डी. के कूड़े में डालने के लिए भेज दिया।

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण हो जायगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अब तो मुझे अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त होने के बाद।

श्री परसराम मदेरणा : जोधपुर में चाडी की बात कही, जहां तक चाडी के राहत कार्य चल रहे हैं। पी. डबलू. डी. के आफिसर ने काम बन्द करा दिया और मैंने चालू करवा दिया यह बात सही नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा उस पर ऐक्शन भी लिया है। 14 मार्च को क्वेश्चन पूछा था, जो राय मेरे पास आई है लेकिन इसके बारे में मैं एक निवेदन कर दूं यह मुझे जोधपुर में 9-10 जनवरी को जानकारी मिली। चाडी 20 मील की दूरी पर एक कैम्प है वहां अटेन्डैन्स पूरी नहीं है। मैंने जोधपुर में जाकर डिप्टी डी. डी. ओ. को भेज दिया कि वहां जाकर जांच करो और एन्क्वायरी करो। उसकी जांच की रिपोर्ट आई है, 12 जनवरी को कैम्प में गया तो पता चला यहां पर अटेन्डैन्स नहीं हो सकती है। कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो रही है। ओवरसियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है। मैंने उस काम को 13 तारीख से बन्द किया इसलिये बन्द नहीं किया कि वहां 9-10 हजार लेबर लगी हुई थी वह कन्ट्रोल में नहीं आ रही थी। अटेन्डैन्स नहीं ले रहे थे। 50-50 की गैंग है इस तरह एक्स. इ. एन, ओवरसियर शिकायत कर रहे थे। पब्लिक के आदमियों को बुलाया और कहा इस तरह मामला चलने वाला नहीं है। इररेगूलरिटि चल रही है। मैंने उस काम को 13 तारीख को बन्द कर दिया। पी. डब्ल्यू.

(श्री परसराम मदेरणा)

एम. भी वहां पर आये थे। हमने कहा ओवरसियर का नम्बर बढ़ाना पड़ेगा, ओवरसियर का नम्बर कम है इसलिये सुपरविजन नहीं हो रहा है। मैं एक बात कह दूं, काम के बन्द होने के बाद जिन मस्टररॉल्स की शिकायत मेरे पास आई है उसकी जांच आज चल रही है। वह जांच किस स्टेज पर है पता नहीं लेकिन उसका पेमेन्ट इसलिए नहीं हुआ है कि उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां थीं और जो मैंने काम बन्द किया था और मैं गड़बड़ी की सुनूं और काम बन्द नहीं करूं और आंखें बन्द कर लूं तो सदन में दोषी पाया जाता हूं। एक काम को मैंने 12 जनवरी को बंद किया, दूसरा 19 जनवरी को। मेरे चचा लगते हैं, नजदीक में वह 18 तारीख की रात को मुझ से मिलने जयपुर आये थे लेकिन मैं उन्हें जयपुर नहीं मिला, क्योंकि मैं बाहर था। तो सुबह मैं उदयपुर जा रहा था तो वह मेरे साथ कार में बैठकर एरोड्रम गये तो उन्होंने कहा कि लोग पूरा काम नहीं करते और लोग कम आते हैं गैंग में, तो मैंने उदयपुर से, मुझे याद नहीं है तारीख की 20 थी या 21, लेकिन उदयपुर से मैंने कलेक्टर जोधपुर को टेलीफोन किया कि मैंने इस तरह की शिकायत सुनी है और चाड़ी कैम्प को चैक कराया जाये और मैंने टेलीफोन पर उनको वर्बल आर्डर्स दिये कि डिप्टी डी. डी. ओ. से चैक कराना चाहिए और 22 जनवरी 69 को कैम्प को चैक किया और रिपोर्ट आने के बाद शायद एक ही रिपोर्ट होगी कि पिछले दस महीनों में मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि वहां पर सुपरवाइजरी कन्ट्रोल नहीं है। पहले भी मुझे काम बन्द करना पड़ा था और इस काम को भी चूंकि गड़बड़ियां हैं तो मैंने कहा कि चीफ इंजीनियर को बुलाकर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए, और मैं निवेदन कर दूं कि मैंने उस में यह भी लिखा है कि जो इसमें इर्रेगुलेरिटीज की हैं और जो कलप्रिट्स हैं उनको सजा दी जाय, और उसका नतीजा यह हुआ कि गैंग में जो कम लोग थे उसमें भी कच्चे मस्टररोल को चैक करने गये थे वह पूरे भरे हुए नहीं थे तो एब्सेन्ट को वह मार्क नहीं कर सके और नतीजा यह हुआ कि सारे गैंग को 7 दिन के पैसे नहीं मिले। मैं दूसरे यह निवेदन कर दूं कि मैंने करप्शन को होने से बचाया है। मैं एक बात और निवेदन कर दूं चाड़ी के मामले में जब शिकायत आई फरवरी की 28 तारीख को मैंने एस. ई. से बात की और मैंने कहा कि लोगों ने इत्तला दी है कि वहां पर पूरी अटेन्डेन्स नहीं है, क्योंकि चाड़ी में काम चल रहा था उसके अन्दर नागौर डिस्ट्रिक्ट के 10 गांव थे और पास में ओसियां तहसील के पूनासर और दासूनी गांव के लोग भी थे और वहां पर कैम्प में कन्ट्रोल नहीं हो रहा था तो मैंने 24 तारीख को एस. ई. को लिखा तो वह कैम्प में गये और उन्होंने कहा कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए इनके पैसे कटेंगे। इसलिए मैंने टेलीफोन पर 28 फरवरी को रिलीफ डिपार्टमेन्ट को लिखकर भेज दिया कि चाड़ी कैम्प को मैं बन्द कर रहा हूं और मैंने चाड़ी के कैम्प को बंद किया है, और इसलिए किया कि लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे और काम नहीं कर रहे थे और मैं कह दूं कि जितनी कटौती चाड़ी में हुई है राजस्थान के अन्दर एक भी कैम्प बता दें कि 10 परसेन्ट भी पैसा राजस्थान के

(श्री परसराम मदेरणा)

कौन से रिलीफ कैम्प में मिला है। और जिस कटौती की बात करते हैं जनरल कटौती 90 परसेन्ट की बात करते हैं–मैं समझता हूं कि किसी भी रिलीफ वर्क में नहीं हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन जो रिलीफ मिनिस्टर का गांव है उसमें 90 परसेन्ट कटौती हुई है।

मैं निवेदन कर दूं कि टास्क को इम्पोज़ करने के बारे में इस सदन में लास्ट ईयर वाक आउट हुआ था और मैंने माननीय विरोधी पक्ष के नेता से भी बात की थी, और मैंने कहा था कि टास्क को इम्प्लीमेन्ट करेंगे तो करप्शन कम होगा और इर्रेगुलेरिटीज भी कम होगी। लेकिन टास्क को इम्प्लीमेन्ट कराया गया और लोग काम नहीं करना चाहें तो दूसरी बात है। जब मैंने 28 तारीख को काम बन्द कर दिया और रिलीफ डिपार्टमेन्ट को लिखकर भेज दिया तो पहले वाला जब पेमेन्ट हो रहा था तो मेरे पास 18 अप्रेल को रात को मेरे गांव के दो आदमी एप्लीकेशन लेकर आये। उस एप्लीकेशन के ऊपर उन्होंने दस्तखत तो नहीं किये लेकिन उन्होंने बताया कि पेमेन्ट हो रहा है उसमें सुपरवाइज़र और जूनियर इन्जीनियर बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि इस एप्लीकेशन के ऊपर दस्तखत तो करो उन्होंने कहा कि दस्तखत नहीं करेंगे क्योंकि वह गांव में लड़ाई कर लेंगे, बदमाश हैं। मेरा गांव रणजीतसिंह जी की कॉन्स्टीटूएन्सी में है। मैंने कहा कि अच्छा एप्लीकेशन को छोड़ जाइये और 19 तारीख को कहा कि गड़बड़ी है और जब उन्होंने कहा कि गड़बड़ी है तो मैंने उसी समय एस० ई० को बुलाया और कहा कि इमीडियेटली इन्क्वायरी कीजिए कि मुझे मालूम पड़ रहा है कि जूनियर इन्जीनियर पैसे खागया और उसके बाद में रणजीतसिंह जी एम० एल० ए० उस एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के साथ गये और उसी समय 5 हजार रुपये तो जूनियर इन्जीनियर से बरामद किये और जूनियर इन्जीनियर को वहीं पर सस्पेन्ड किया गया। वह केस पुलिस में चल रहा है लेकिन मैं निवेदन कर दूं कि कलेक्टर जब 20 तारीख को आये और बिना सिग्नेचर की हुई एप्लीकेशन थी-मैंने उस पर कलेक्टर को हैंड से लिखा है कि इस तरह की इर्रेगुलेरिटी हो रही है और इसको फौरन देखा जाना चाहिये और जिस आर्डर को लेकर एस. ई. रिड्यूस करे, जिस ऑर्डर को लेकर कलेक्टर रिड्यूस करे और बराबर चाड़ी के कैम्प की अटेन्डैन्स ली गयी। चीफ सेक्रेटरी को लिखा और इतनी सतर्कता के बाद माननीय सदस्य यह कहें कि आपके गांव में यह हो रहा था फलौदी और जैसलमेर के पर्सेन्टेज के बारे में भी कहें....

श्री बालसिंह सोढ़ा : डिपार्टमेन्ट को छोड़कर गांव वालों के किसी के खिलाफ केस दायर किये गये क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : सुपरवाइजर हो सकता है। पुलिस में केस है। डेफीनेटली सुपरवाइजर के खिलाफ हुआ होगा क्योंकि वह कलप्रिट है।, और मैं एक बात बता दूं कि मुझे अगस्त में मालूम पड़ा कि 2 हजार रुपया जूनियर इंजीनियर ने सुपरवाइजर से

(श्री परसराम मदेरणा)

लेकर जमा कराया। तो कुल मिलाकर 11 हजार रुपये का मामला था। उसमें से 7 हजार रुपया जमा करा दिया। मैंने उस जूनियर इंजीनियर से बात की थी उस समय एस. डी. एम. भी थे। मैंने कहा था कि मैं अरेस्ट कराऊंगा। अगर मैं दूसरी बात करता तो क्या पता पुलिस करती या नहीं और वह रुपये जो कि निकलने चाहिये वह मिलते या नहीं और वह उसी रुपये से मुकदमा लड़ता। इसलिये मैंने एस. ई. को कहा कि पहले रुपये ले लो और फिर मुकद्मा चलाओ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो यह कहना कि मेरे गांव के बारे में शिकायत आई है और मैंने कुछ नहीं किया तो आप मेरे गांव में पूछ लीजिये। हां, गांव वाले यह तो जरूर कहेंगे कि हमारे गांव का ही होकर हमारे पीछे क्यों पड़ गया, लेकिन सदन में आप यह कहें तो आपके लिये यह शोभा की बात नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : एक बात तो हो गयी कि माननीय मंत्री महोदय के गांव में सबसे कम करप्शन था यह तो तथ्य है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं उस तहसील का रहने वाला हूं और साल में एक दफ़ा गांव जाता हूं मैं, और माननीय सदस्य यह कहें कि हमारे पड़ोसी हैं तो मैं पड़ोसी के नाते जवाब दे रहा हूं····

श्री भैंरोंसिंह : मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि राजस्थान में सबसे कम करप्शन आपके गांव में है।

श्री अध्यक्ष : यह आंकड़े कहां आये हैं अभी ?

श्री विजयसिंह : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ के साल में सबसे ज्यादा करप्शन मेरे गांव में हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : वार यानी युद्ध के साल में ?

श्री विजयसिंह : बाढ़।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यहां पर एक माननीय सदस्य ने कुछ रोज पहले यह बात कही थी कि बाय के सरपंच श्री रामेश्वर लाल वहां के मेट पर गैंग लगाने के नाम पर कुछ पैसे लेता था और यह कहता है कि यह जो पैसा आता है वह मदेरणाजी तक पहुंचता है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उस सरपंच ने 27-5 को एक शिकायत की थी। मुझे वह 30 को एप्लीकेशन पेश हुई थी और 30-5-69 को मैंने उस पर इमीजियेटली यह ऑर्डर दिया था कि जिलाधीश झुंझुनूं को अविलम्ब आदेश दिये जायं कि एस० डी० ओ०, झुंझुनूं को नवलगढ़-गुडा-बाय रोड पर भेज चैक कर रिपोर्ट राज्य सरकार के पास 5 रोज में प्रस्तुत करने के लिए कहा जाय। जब मैंने यह आदेश दिया तो इस आदेश के जाने के बाद 2 जून तक रिलीफ डिपार्टमेंट इस ऑर्डर को नहीं भेज सका तो उन्होंने यह देखा कि मिनिस्टर साहब ने 5 दिन में रिपोर्ट मांगी है तो उन्होंने वायरलैस से झुंझुनूं कलेक्टर को यह कहा कि एस०डी० ओ० को तुरन्त भेजा जाय और वे जाकर

(श्री परसराम मदेरणा)

इस रोड पर चैक करें कि क्या गड़बड़ियां हो रही हैं । और उसमें खासतौर से एलिगेशन यह था कि वहां पर उपस्थिति ज्यादा है और लोग गैरहाजिर रहते हैं या बैठे रहते हैं और काम नहीं करते हैं । उसका यह भी एलिगेशन उसके अन्दर था कि वहां पर पानी पिलाने वाली लड़िकयों से पहले 100 रु० लेकर नियुक्त किया जाता है । इस तरह की कई बातें थीं । तो एस० डी० ओ० झुंझुनूं को एन्क्वायरी पर न भेजते हुए कलेक्टर झुंझुनूं ने एक चिट्ठी यहां पर भेजी 8 जून को । उन्होंने लिखा कि झुंझुनूं एस० डी० ओ० अभी पहले तो बाई-इलेक्शन खेतड़ी में हुए हैं उसमें बिजी थे । एक बीमारी फैल गई है सूरतगढ़ पंचायत समिति में उसमें बिजी हैं और 8-10 तारीख तक यह रिपोर्ट भेज देंगे । उसके बाद में 18 तारीख को जो रिपोर्ट उन्होंने जाकर दी । 12 जून को शायद एस० डी० ओ० वहां पर गये और उन्होंने कुछ कैम्प्स को चैक किया और उनके चैक करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट कलेक्टर को दी और कलेक्टर ने, 18 जून की तारीख उस पर लगी है, रिलीफ डिपार्टमेंट को भेज दी । 18 तारीख के बाद में वह रिपोर्ट हमको यहां पर मिलती है वह काफी बाद में मिलती है न मालूम क्या कारण से देर से मिली । उस पर इनवर्ड की जो तारीख लगी हुई है वह 28 जून को मिली है यह है । 28 जून को मिलने के बाद रिलीफ डिपार्टमेंट वापस कलेक्टर को लिखते हैं कि जो आदमी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए । उसकी एक कापी चीफ इन्जीनियर को भेजी । मैं इस कार्यवाही की चर्चा नहीं करता इस मामले में, लेकिन इस सरपंच ने मेरे पास में शिकायत की थी, और सरपंच ने जो शिकायतें की थीं वे सब करीब करीब पी० डब्लू० डी० से सम्बन्ध रखने वाली होती है और पूरी शिकायतें पी०डब्लू०डी० के खिलाफ हैं कि इस तरह की अनियमितताएँ हो रही हैं और काम तेजी से नहीं चल रहा है या काम नहीं कर रहे हैं, और लड्डी वालों से पैसे लिये जाते हैं, हर गैंग में आदमी गैरहाजिर रहते हैं, और काफी मात्रा में लोग गैरहाजिर रहते हैं। यह एप्लीकेशन मेरे पास 30 मई को पेश होती है । उस पर तारीख 27-5 लगी हुई है तो वह तीन दिन पहले की लगती है । मेरे कहने का मतलब यह है कि शिकायत इस रोड के बारे में आई तो मैंने उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है । किसी सरपंच से मिलने वाली बात करते हैं तो यह सरपंच इस रोड के सेंक्शन करने से पहले अपने 4-5 साथियों के साथ जरूर मेरे पास में आये थे और उस समय बरोल के तीन चार आदमी भी उनके साथ में थे । मैंने नक्शा देखा था और नक्शा मैंने इसलिए बैठ कर देखा था कि यह रोड प्लान रोड है और प्लान रोड से थोड़ा चेंज हुई है तो एप्रोच बढ़ाने की जरूरत है इसलिए मन्जूरी दी जानी चाहिए और स्केर्सिटी एफेक्टेड एरिया है । ये दो-तीन सरपंच एप्लीकेशन मुझे देकर गये थे वह फरवरी के महीने में और उसके बाद में वे नहीं आये । कल शाम को वे मुझसे जरूर मिले थे कि मेरी वजह से आपकी बदनामी हुई है ।

श्री विजयसिंह : Excuse me please......

श्री परसराम मदेरणा : मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं सरपंच का पता नहीं जानता हूं। मेरे पास एप्लीकेशन्स एक नहीं कई आती हैं। मेरे पास इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों की आई थीं, बहुत से सरपंच मेरे पास आये थे और बहुत से प्रधान आये थे और जनता के लोग भी आये थे और जनता के लोगों ने काम खोलने की बात कही थी। मैं जिस जगह भी जाता तो सैंकड़ों आदमी मुझ से मिलते थे। कई दफा डाक बंगलों में करीब-करीब 500-700 आदमियों की भीड़ रहती थी, उसमें कौन आदमी मिलता है और कौन नहीं यह याद रखना मुश्किल है। वे 5 मिनट के लिए मिलते थे, उसके बाद कभी नहीं मिले। कल शाम को जरूर मिले हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में मैं इतना ही स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में ऑनेस्टी का हाइएस्ट स्टैण्डर्ड रखा है, और अगर किसी भी तरीके का दिमाग में रहता...

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे मन्त्रियों से भी ऊंचा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके उच्चाधिकारी कितने ईमानदार हैं यह तो बता दें।

श्री विजयसिंह : मैं मन्त्री महोदय से इसी बारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपको बताया कि बहुत से आदमी इस बात को कहते हैं.........

(श्री विजयसिंहजी से) आप बैठने की कृपा करें।

श्री विजयसिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इसी ग्राम के अन्दर माननीय सदस्य बासोतियाजी को कम वोट मिले थे तो उस सरपंच को नीचा दिखाने के लिए यहां पर उन्होंने इस प्रकार एलिगेशन लगाया है।

श्री अध्यक्ष : आरम्भ रखिये।

श्री परसराम मदेरणा : वोट्स कितने मिले यह तो कलेक्टर के पास आप देख सकते हैं। उनके पास में लिस्ट हैं और इसका तो मैं आपको क्या बताऊं लेकिन वह लिस्ट मैंने भी देखी है कि कांग्रेस का उम्मीदवार बिरोल और बाय में जीता है।

श्री विजयसिंह : तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य है कि इसी रंजिश की वजह से माननीय बासोतियाजी ने सरपंच पर एलिगेशन लगाया है।

श्री अध्यक्ष : कोई मदद नहीं की जा सकती।

श्री परसराम मदेरणा : क्या रंजिश हो सकती है और क्या नहीं हो सकती हैं, लेकिन माननीय सदस्यों से मैं कहूं कि न तो मेरी रंजिश है और न उस सरपंच से मेरी कोई जान-पहचान है और न मैं उसको पहचानता हूं, न मैं उसको पहले जानता था और, न मैं कभी उस रोड पर गया। एक एप्लीकेशन रोड की सेंक्शन के लिए फरवरी में दी थी तब वे आये थे 5 मिनट के लिए और उनके साथ में 4-5 व्यक्ति थे जिनमें से एक ब्राह्मण था मुझे याद पड़ता है कि लम्बा सा था जो कि बहुत होशियार और चतुर था और उसी आदमी ने खासतौर से मुझ से बातें की थीं।

श्री भैरोंसिंह : ब्राह्मण दायमा तो नहीं था ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : लम्बा चट्टा तो जाट ही हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह ब्राह्मण का जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण था तो वह दायमा तो नहीं था ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पॉरटेन्ट बहस सदन में होने वाली है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस साल फैमिन के आपरेशन्स चलाने में जो कुछ भी अनुभव हुआ है तो आने वाले वर्षों के अन्दर इस तरह की अकाल की स्थिति में जिन किन्हीं को फैमिन रिलीफ आपरेशन्स को ऑपरेट करने का कुअवसर मिलेगा उनके लिए मैं एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो कुछ भी कठिनाइयां हमारे सामने आई हैं, जो कुछ भी दिक्कतें आई हैं, जो कमियां थीं उनमें क्या करना चाहिए, तो अकाल में कमियां नजर आई हैं ....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वर्षा नहीं हो रही है आज भी।

श्री परसराम मदेरणा : आज की हालत तो बहुत खराब है। भयंकर अकाल आने वाले साल में अगर आज जो स्थिति है और जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि ये कुछ रोज हमारे लिए बड़े निर्णायक होंगे। कुछ रोज निर्णायक हैं तो उन्होंने कहा कि हम 5-7 रोज में निर्णय लेंगे। अगर इस तरह की स्थिति होती है तो मैं यह आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा युटिलिटी के काम लिये जायें। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि····

श्री रामचन्द्र आर्य : भगवान का प्रकोप मंत्री-मण्डल पर है। इसलिए माननीय मंत्रियों को एक साल तक कहीं का दौरा नहीं करना चाहिए। इससे शायद भगवान राजी हो जाय और वर्षा हो जाय। जहां-जहां पर पैर पड़े सन्तन के तहां तहां बंटा ढार।

श्री परसराम मदेरणा : पूरे का पूरा मंत्री—मण्डल किस तरह से जाये। भूकम्प आया था उस दिन घटना हो जाती तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं इस सदन में बहुमत है कांग्रेस का।

श्री अध्यक्ष : आप भी तो उसमें साथ देते।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बाहर था।

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यहां होंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये कृपया।

श्री परशराम मदेरणा : आगे आने वाले वर्ष के अन्दर अगर अकाल की स्थिति रही तो मैं सदन के माननीय सदस्यों के सहयोग की आशा रखता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

Page No 107

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : सार्वजनिक निर्माण मंत्री बोलेंगे या नहीं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने एक बात कही थी कि सांचोर तहसील की स्थिति कुछ गम्भीर है। वहां पर आज तक बरसात नहीं है। वहां की व्यवस्था के बारे में माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) सभी माननीय सदस्यों को समय दूंगा।

(3 म० प०)

श्री भैरोंसिंह : सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बोलेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : सभी माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें। सभी को समय दूंगा। एक प्रश्न और है, श्री भैरोंसिहजी जिनकी जिज्ञासा है इस प्रश्न पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बोलेंगे क्या ? यदि नहीं, बोलना चाहते हैं तो मैं अन्य माननीय सदस्य को समय दे दूं।

श्री अमीनुद्दीन : (सा० नि० मन्त्री) (बोलने के लिए खड़े हुए)

एक माननीय सदस्य : आप की तकरीर आलादर्जे की होती है।

श्री अमीनुद्दीन : शुक्रिया। तकरीर आलादर्जे की होती है यह आयन्दा शनाख्त होगी। मैं एक दो बातों का जवाब दूंगा। अगर कोई यह समझता है कि हम अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह गलत है। मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री हूं जो मेरी जिम्मेवारी है, हम उनको ओढ़ते हैं और ओढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को यह शक हो तो वह जवाब जिस तरह से चाहते हों, मांग सकते हैं। अकाल मन्त्री के मसायल उनके हैं। वहां अकाल का काम चलता था। जिस तरीके से वह कोऑर्डिनेशन हो सकता था वह किया गया। इसी का एक जवाब देने के लिए अकाल राहत मन्त्री को रोका गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : [xxx]

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अनुपयुक्त है, इसको एक्सपंज किया जावे। आरम्भ रखिये।

श्री अमीनुद्दीन : अभी भी माननीय मन्त्री ने 100 दरखास्तें भेजीं। जिन्होंने यह 100 दरखास्तें भेजीं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि एक भी दरखास्त मेरे पास आई हो या कोई सदस्य यह फरमा सकते हों कि कोई चीज ऐसी आई हो' ' '

श्री भैरोंसिंह : वह एप्लीकेशन आपके पास आई या नहीं ?

श्री अमीनुद्दीन : अगर आई होती तो मैं यह क्यों कहता ? अगर वह दरखास्त आई हो तो अकाल मन्त्री के पास उन्होंने भेज दी हो। वह दरखास्त वहां जा सकती है। मेरे पास भेजी हो तो वह भी आगे चली गई हो।

श्री मदनसिंह : आपके विभाग में ज्यादा से ज्यादा घोटाला होता है।

---

xxx अध्यक्ष के आदेशानुसार से निकाला गया।

Page No 108

श्री अमीनुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, कोई भी ...

श्री मदनसिंह : आपने जांच की है ?

श्री अमीनुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, कोई चीज हमारे पास आई हो, शिकायत के रूप में, उस पर मैंने अमल किया है। मैं समझता हूं कि यहां ऐसे सदस्य मौजूद होंगे, मैंने किसी भी चीज में कमी नहीं छोड़ी है। यह भी देखना होगा कि यह अकाल एकाएक किस तरह से आया ? उसका मुकाबला किस तरह से किया गया ? यह कोई मजाक नहीं हैं। 15 लाख लेबर को काम में लगा दिया जाये जहां 15 लाख मजदूर काम करें। ऐसे रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है। मैं मानता हूं कि कौन इन्सान ऐसा है जिसमें कमी नहीं होती है। जिसमें कोई कमी नहीं है, वह इन्सान फरिश्ता है। मैं, अध्यक्ष महोदय, दरखास्त करूंगा कि कोई चीज भेजी तो उस पर अमल लिया। हम तभी जिम्मेदार हो सकते हैं जब हम बुरा मतलब रखते हों। तो मैं समझता हूं कि कोई कमी नहीं है। अगर है तो मुख्य मन्त्री बैठे हैं उनसे कहिये क्या कमी हुई है ? वह जवाब देने वाले हैं। वह सीधा जवाब दे सकते हैं। जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है हम उसका भुगतान भुगताने के लिए तैयार हैं।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि 33 करोड़ सड़कों के निर्माण के लिए हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : मैंने एक प्रश्न की सूचना दी थी।

श्री मदनसिंह : उनके पास आई है, उसकी जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : आप की जानकारी में यह आया है क्या ? कलेक्टर बाड़मेर ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें यह कहा था कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में 10 हजार प्रतिदिन गलत होते थे। राजस्थान पत्रिका में यह आया है।

श्री अमीनुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : पत्र में छपने के बाद भी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री अमीनुद्दीन : स्टेटमेन्ट दे देना ही काफी नहीं है। लिखकर भेजना भी जरूरी फर्ज था। वह आता तो मैं जिम्मेदार था।

श्री अध्यक्ष : श्री बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : 10 रोज पहले मैंने एक सूचना दी थी। माननीय अकाल मन्त्री जी जब जवाब देंगे तो उसका भी जबाब दे दें। तहसील सांचोर में आज दिन तक ऐसे कई गांव हैं जहां वर्षा नहीं हुई है। मवेशी निष्क्रमण पर जा रहे हैं। 15 दिन से काम बन्द होने के कारण, आसपास काम नहीं होने से वहां बहुत ही खराब हालत होने वाली है। इस बारे में राज्य सरकार ने क्या कोई कदम उठाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जालौर जिले में जहां बरसात नहीं हुई है, वहां राहत के कार्य शुरू कर दिये जायें।

Page No 109

(श्री परसराम मदेरणा)

मन्त्रिमण्डल के निर्णयानुसार 19 तारीख को यह निर्णय लिया था। 15 अगस्त के आसपास यह निर्णय लिया था। तीनों ही जिलों में काम रहेगा। लेकिन उसके बाद हमने यह निर्णय लिया है कि बीकानेर, पाली जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां बरसात नहीं हुई है। जहां कहीं बरसात नहीं हुई है, हम अकाल राहत कार्य खोलेंगे। ऐसा निर्णय ले लिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय ....

श्री फतेहसिंह : ब्यावर सारे अजमेर जिले में अमेरिकन कैथोलिक मिशनरी, क्रिश्चियनों द्वारा अकाल राहत कार्य चलाये गये हैं और अभी भी चलाये जा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : यह कार्य वहां पहले भी चलते थे और इस प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछें गये थे। राज्य सरकार ने जिस प्रकार की कैथोलिक एजेन्सी की गतिविधियां हैं उन पर थोड़ी निगरानी रखने के लिए कलेक्टर को कह दिया था। मैं समझता हूं उस एरिया से ऐसी कोई शिकायत राज्य सरकार के सामने नहीं आई है कि यह जो एजेन्सी काम करती हैं यह सेवा की भावना से नहीं है बल्कि दूसरे इरादे से, रिलीजन कन्वर्ट करने के इरादे से करती है इस प्रकार की शिकायत नहीं आई है। वैसे कलेक्टर को राज्य सरकार के आदेश भेज दिये गये हैं कि इस पर थोड़ी निगरानी रखी जाय और इस प्रकार की कोई कार्यवाही हो तो काम बन्द कर दिये जायें और सरकार को इत्तला दी जाय।

श्री फतेहसिंह : मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा राहत-कार्य बन्द कर दिये गये हैं लेकिन इन लोगों के द्वारा अब भी कार्य कराये जा रहे हैं, मांगलियावास के पास में काम चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि राहत-कार्यों को जनता का धर्म-परिवर्तन करने के लिए किया जाय यह धार्मिक भावनाओं के अन्दर एक स्लो पॉइजन किया जा रहा है। क्या आप इसकी जानकारी करेंगे ? इस बात की मुझे अच्छी तरह जानकारी है, क्योंकि इसका जिस समाज पर असर पड़ता है, उससे मैं आया हूं और मुझे निकटतम जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्रीजी इस सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि मध्य प्रदेश में अकाल के समय इस प्रकार की कार्यवाही क्रिश्चियन मिशिनरीज के द्वारा की गई और जो इस प्रकार के काम किये गये उनकी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक कानून बना दिया है, और उसके अनुसार भूख के कारण या आर्थिक संकट के कारण किसी का धर्म-परिवर्तन किया जाय तो उसके सम्बन्ध में एक्शन लिया जायगा और धर्म-परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायगी। क्या इस प्रकार का कानून राजस्थान सरकार भी बनाना चाहती है और चाहती है तो कब तक ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्षजी, अजमेर जिले में धर्म परिवर्तन की शिकायतें...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Order please.

Page No 110

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): शिकायतें आई और इस सम्बन्ध में पहले भी चर्चा सामने आई– हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं कि इस तरह के कानून की आवश्यकता है क्या ? और मध्य प्रदेश में जो यह किया गया है उससे क्या परिस्थितियां पैदा हुई हैं ? लेकिन मैं इतना निवेदन कर दूंगा कि अकाल के समय जो कोई मिशिनरीज इन्स्टीट्यूशन ने काम किया है, उन कामों के अन्दर धर्म परिवर्तन के लिहाज से यह काम काज किये गये हों, ऐसी कोई आमतौर से शिकायत सामने नहीं नहीं आई है, बल्कि कई जगह पर जो कामकाज किये गये हैं वह लोकल लोगबागों के ज़रिये से कामकाज किये गये हैं और बहुत सी जगह कासा वगैरह एजेंसी के जरिये काम किये गये उनके अन्दर दूसरे धर्म वालों ने काम किये हैं। ऐसा नहीं है बल्कि लोकल और वहां रहने वालों के जरिये वह काम किये गये। इसलिए हमारा यह लक्ष्य रहे और यही समझ कर चलें तो मैं समझता हूं कि जो बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है उसका महत्व कम कर देंगे। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो कानून बनाया गया है उस कानून का, मैंने जैसा कहा, अध्ययन करके क्या किया जाय, यह विचार करने की बात है, वैसे यह अकाल से सम्बन्धित नहीं है। जितनी आमतौर से मिशिनरीज वर्क करते हैं उन पर इसका इम्पेक्ट होता है तो इससे सम्बन्धित सारी बातों को हम एग्जामिन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी: अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने और अकाल मंत्रीजी ने जो यह स्टेटमेंट दिया है कि भूख से कोई नहीं मरा है तो मुझे तो बचपन की याद आती है जब हम तोते को सिखाते थे, राम राम सिखाना, मिट्ठू को सिखाते थे राम राम कहना और वह कहता था, राम राम। उसी तरह जब स्टेटमेंट आते हैं तो यही कहते हैं कि भूख से एक व्यक्ति भी नहीं मरा है। मैं दो मिनिट में एक ऑथेंटिक रिपोर्ट पढ़ कर सुनाता हूं, जिसमें आंखों देखा हाल है ''

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। अब नया प्रश्न नहीं। श्री रामानन्द अग्रवाल। ऑर्डर ऑर्डर। नया प्रश्न नहीं।

श्री विजयसिंह : यह बता रहे हैं कि लोग भूख से मरे हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : यह मैं अकाल राहत मंत्री और सदन के माननीय सदस्यों को पढ़ कर सुनाना चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष: Order please.

श्री दिग्विजयसिंह : यह धर्मयुग में आपका लेख आया है।

श्री ओमदत्त भाटी : [xxx]

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री ओमदत्त भाटी : धर्मयुग में आया है यह।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर। लेख नहीं। लेख नहीं। लेख नहीं। फिगर।

श्री ओमदत्त भाटी : [xxx]

---

xxx अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज

श्री ओमदत्त भाटी : आपका लेख है, आप क्यों नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो क्यों लिखा है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह लेखक कोई एक्सपर्ट नहीं है इसका। साहित्यिक कोई चीज है। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री ओमदत्त भाटी : यह सरकार यह घोषणा करती है कि भूख से कोई नहीं मरा, इसमें...

श्री अध्यक्ष : यह प्रसंग के बाहर है। लेखक एक्सपर्ट नहीं है। ऑर्डर ऑर्डर। Do not make a mess of it.

श्री ओमदत्त भाटी : यह लेख आपका छपा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। मैं इजाजत नहीं देता हूं।

यस। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस लेखक के लेख में सच्चाई हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : इसके अंदर आपका फोटो है।

श्री अध्यक्ष : यह लेखक एक्सपर्ट नहीं है। यह साहित्यिक दृष्टि है। मैंने इसे डिसएलाउ किया है।

श्री दिग्विजयसिंह : यह लेखक है कौन ?

श्री अध्यक्ष : लेखक व्यक्ति है, एक्सपर्ट नहीं है। भावुक है, कल्पनाशील है, साहित्यकार है।

श्री श्रवणलाल : यह मान लें क्या कि लेखक एक्सपर्ट नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : यह मान लें।

श्री श्रवणलाल : भावुक हैं, कल्पनाशील हैं .

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री दिग्विजयसिंह : लेखक तो एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है लेख का लेखक।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। श्री रामानन्द अग्रवाल। यस, श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अकाल सहायता मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो कार्य अकाल राहत कार्य में किये गये हैं उनमें 21 जीपें खरीदी गईं, अलग-अलग जिलों में, उनकी सूची भी मेरे पास है। भरतपुर में तीन जीपें खरीदी गईं, चित्तौड़ में एक जीप खरीदी गई, बूंदी में एक जीप खरीदी गई, भीलवाड़ा में तीन जीपें खरीदी गईं, बांसवाड़ा में तीन जीपें खरीदी गईं, उदयपुर में तीन जीपें खरीदी गईं, गंगानगर में एक जीप खरीदी गई, करौली में एक जीप खरीदी गई, जयपुर में दो जीपें खरीदी गईं, अलवर में दो जीपें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खरीदी गईं, तो क्या यह सत्य है कि इस तरीके से जो इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यह जीपें खरीदी गईं इनका पैसा अकाल राहत कार्यों के अन्दर लगाया गया है ? क्या यह स्थिति है ?

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक अकाल में जीपें खरीदने का प्रश्न है, अकाल सहायता विभाग ने जीपें जरूर खरीदी थीं, मुझे नम्बर तो याद नहीं है, बीस के आसपास थीं, सोलह थीं, बीस थीं । जीपें जरूर खरीदी थीं, उनको अलग अलग जिलों में जिलाधीशों के पास भेजा था । इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने कोई जीप खरीद ली हो, यह जानकारी फेमिन रिलीफ डिपार्टमेंट को नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सवाल यह है कि फेमिन का जो पैसा एलोकेट किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट को और उनके द्वारा जो काम राहत के निर्धारित किये गये, उस काम में इर्रिगेशन डिपार्टमेंट को भी कुछ काम दिये गये, अकाल राहत कार्य के लिए और उस काम के पैसे जीपें खरीदी गईं और उस पैसे को उस काम में लगा दिया गया, जो एक्चुअली डिपार्टमेंट में लगना चाहिये, अकाल राहत कार्यों में नहीं लगना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इन जीपों का पैसा इस तरह से आपके फेमिन रिलीफ वर्क के अन्दर लगाया गया है?

श्री परसराम मदेरणा : जो जानकारी अभी मेरे पास में उपलब्ध है उसके अनुसार तो वहां जीपें नहीं खरीदी जानी चाहिएं । इस बारे में हमारे पास इत्तला नहीं है, अगर खरीदी हैं और उनका पैसा फेमिन रिलीफ वर्क के साथ जोड़ा गया है और अलग से नहीं बताया है तो उसकी मैं जानकारी कर लूंगा । यह सही बात है कि ट्रक खरीदने के लिए सेंक्शन की थी और यदि आप ट्रक की बात कह रहे हैं ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : जीप के बारे में कह रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : जीप की सूचना मेरे पास नहीं है । हमने जीपें खरीदीं, तेईस जीपें थीं जो अलग अलग डाइरेक्टली एजेंसीज को नहीं देकर जिलाधीश के पास भेजी हैं ।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मुझे यह पूछना है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: एक प्रश्न रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सवाई माधोपुर में 484 गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये । राज्य सरकार ने उनके सम्बन्ध में नवम्बर में नोटिफिकेशन भी निकाल दिया । खुद मेरे चुनाव क्षेत्र के अन्दर 182 गांव अकालग्रस्त घोषित हुए लेकिन वहां एक भी सहायता का काम सहायक जिलाधीश ने नहीं चलाया और इस कारण वहां के जो मजदूर थे उनको दूसरे जिलों में, कोटा में, मध्य भारत में जाना पड़ा, तो जिन ऑफिसर ने बिल्कुल इतने महत्वपूर्ण कार्य को

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

आंखों से ओझल कर दिया, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं ? यह प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह हो सकता है कि भ्रष्टाचार के मामलों की आप जांच कर लेंगे लेकिन अकालग्रस्त क्षेत्र का ऐसा मामला है जिसको रिलीफ पहुंचाने की मुख्य मंत्रीजी ने बार बार घोषणा की है कि अकाल के मामले में सब काम मानवीय आधार पर किये जायेंगे। तो जो वहां एक भी काम नहीं चलाया गया है, इसके संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

दूसरे, यह जो 5 लाख 1968-69 में व्यय करना बताया है, यह तो जो बाढ़ के समय में रिलीफ दिया था, उसका है, लेकिन इसके बाद अकाल सहायता का एक भी काम वहां पर नहीं खोला गया है, इसके साथ ही जो लगान तीस सितम्बर तक पोस्टपोन किया गया था लेकिन उसकी वसूली धड़ाधड़ की जा रही है, क्या उसको रोकने का आप आदेश देंगे ?

तीसरा प्रश्न यह है कि इस दौरान में उन गांवों में, जो अकालग्रस्त थे, और अकाल से प्रभावित थे, उनमें दो गांवों में उनालू के टाईम में बहुत बड़ी भीषण अग्नि दुर्घटना हुई और काश्तकारों के खलिहानों में आग लग गई, भगवतगढ़ में आग लग गई और राजस्व अधिकारियों ने देखा कि एक लाख की क्षति हुई है, लेकिन फिर भी वहां लगान की वसूली बन्द नहीं की, न रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी, तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? यह कृपया बतायें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक प्रश्न पूछना है।

श्री अध्यक्ष : आप भी पूछ लीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फरमाया था कि बीड़ ठेकेदारों को नहीं दिये जायेंगे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बीड़ पंचायतों को दिये जायेंगे ? घास का आज इतना महत्व है तो क्या घास के बीड़ पंचायतों को दिये जायेंगे ? अगर पंचायतों को दिये जायेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचायतों में ठेकेदारों से कम गड़बड़ी नहीं है। पंचायतों के पास पन्द्रह-पन्द्रह सौ बीघा के बीड़ हैं पर वहां आज तक न तो कोई गंजी लगाई गई है और न घास ही इकट्ठा किया गया है तो एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। एक प्रश्न तो यह है कि क्या घास के बीड़ पंचायतों को दिये जायेंगे ?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जिन इलाकों में दुर्भाग्य से फिर अकाल रह जायगा, वहां के लिये क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि उन इलाकों में शराब की एक भी दुकान नहीं रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सम्वत् 2025 में भी हमारे यहां बाड़मेर जिले में अकाल था और इस साल 2026 में भी वहां अकाल है। यहां 857 गांवों में से 394 गांवों में बिलकुल वर्षा नहीं हुई है, किसी भी सूरत में वहां जमाना नहीं हो सकता, वहां अकाल हो गया दुबारा, बाकी दूसरे गांव हैं, वहां कहीं एक दफा और कहीं दो दफा वर्षा हुई है। वहां पहले 134 हजार मजदूरों की संख्या थी। अब 4 दिन पहले वहां मजदूरों की 44 हजार

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

ही संख्या हो गई है । इसके कारण वहां यह स्थिति पैदा हो गई है कि करीब 50 हजार से 80 हजार के बीच में मजदूर बिलकुल बेकार हो गये हैं । उनके लिये कोई धंधा नहीं है, कोई राहत कार्य नहीं है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनके लिये कोई नये कार्य खोलेंगे ? जो पुराने काम हैं उनमें से किसी में दो मील का काम करना है, किसी में 3 मील का काम करना है, उनमें इतने आदमी खपाये नहीं जा सकते । तो एक तो मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वहां इन लोगों के लिये नये कार्य खोले जायेंगे ।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि मैंने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि चौहटन से रामसर 25 मील की सड़क पर 2023 में 25 लाख रुपया खर्च हुआ । मैंने पी. डब्लू. डी. मिनिस्टर साहब को उसमें हुए घोटाले के सम्बन्ध में कहा, उन्होंने कलेक्टर को जांच के लिये यह सब मामला भेजा, पर इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच नहीं हुई है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या एन्टीकरप्शन से इसकी जांच करवा लेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : इसकी जांच करवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री सारण ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मेरे क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई है, वहां चिन्ताजनक स्थिति है, तो क्या अकाल मंत्रीजी जो काम बन्द कर दिये गये हैं, उनको चालू करने की ओर ध्यान देंगे ?

दूसरी बात यह है कि आपने बड़े जोशो-खरोश के साथ कहा कि चाड़ी का कैम्प उन्होंने तुरन्त बन्द कर दिया । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको क्या अधिकार था उन बेकार, जरूरतमन्द मजदूरों का काम बन्द करने का ? आप व्यवस्था नहीं कर सकते थे तो दूसरा स्टाफ भेज कर स्पेशल इन्तजाम करते । उन मजदूरों का धंधा बन्द करके आपने अपनी ड्यूटी के साथ गुनाह किया है और मजदूरों के साथ बहुत बड़ा गैर इन्साफ किया है । इसके लिये आप उत्तर दें कि आपको क्या अधिकार था उन मजदूरों का धंधा बन्द करने का ?

दूसरी बात आपने कही कि टास्क बेसिस पर कार्य करवाया । पहले सदन बैठा था तो मैंने उस समय आपको बताया था और मांग की थी कि टास्क बेसिस पर काम कीजिये, काम नाप कर दीजिये और नाप कर ही लीजिये पर न काम नाप कर दिये और न काम करने पर काम को नापा । केवल मनमाने तरीके से आपस में बैठ कर पर्सेंटेज काट लिया कि यहां 50 पर्सेन्ट काम हुआ । यहां 60 पर्सेंट काम हुआ, यहां 70 पर्सेंट काम हुआ । उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है । मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था पर उसका कोई उत्तर नहीं दिया गया । इसलिये इसका जवाब दिया जाय । मेरे क्षेत्र की और बीकानेर क्षेत्र की मुझे पूरी तरह जानकारी है कि टास्क बेसिस पर काम करवाने की बात बिल्कुल निराधार है । कोई टास्क बेसिस पर काम नहीं करवाया गया । केवल दफ्तर में कागजी कार्यवाही में हो तो पता नहीं पर प्रेक्टिकली नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि आप अकाल की भयंकरता को स्वीकार करते हैं और उसकी

(श्री दौलतराम सारण)

भयंकरता और गम्भीरता की हमेशा घोषणा करते हैं तो फिर आपने अकाल घोषित क्यों नहीं किया ? केवल अभाव की स्थिति घोषित क्यों की ? आपका इसके लिये जवाब बार 2 यही होता है कि इसमें कोई फरक नहीं है, तो फिर इतना भयंकर अकाल था तो फेमीन डिक्लेअर क्यों नहीं किया ?

चौथी बात यह है कि आपने फेमीन पीड़ित मजदूरों को मजदूरी दी, मजदूरी की दर एक रुपया, सवा रुपया और डेढ़ रुपया निर्धारित की। उसमें स्त्री और पुरुष की मजदूरी में सवा और डेढ़ का फर्क क्यों रखा ? क्या यह आपका कार्य असंवैधानिक नहीं है, डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है, गैर कानूनी नहीं है ? मैंने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भी दिया था, उस पर अवसर नहीं दिया गया, अभी केवल प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी !

श्री दौलतराम सारण : आपने बोलने का तो मुझे अवसर ही नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप खामोखा नाराज हो जाते हैं, मेरे पास कई माननीय सदस्यों के नाम आये हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : (एक माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) मेरे से खाता मत खोलो।

इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इस डिस्क्रिमिनेशन का आधार क्या है; मिनिमम वेजेज बोर्ड इसका आधार है या मजदूर अधिनियम इसका आधार है, या मंहगाई का आधार है या भावों का आधार है, क्या आधार है ? कोई न कोई तो इसका आधार होगा, उसको मैं जानना चाहता हूं।

एक मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कहते हैं, इतना काम करवाया, इतने करोड़ रुपया खर्च हुआ तो मैं जानना चाहता हूं कि जो रुपया-खर्च किया है उसके अनुपात में कितने प्रतिशत कार्य हुआ है और कितना लीकेज रहा है ? आपने मजदूरों की तो मजदूरी काट ली पर क्या कहीं सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस का चार्ज लगा कर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की, या आपने सुपरवाइजरी स्टाफ का वेतन काटा है ? उनको किस प्रकार की सजा दी है, यह भी मैं जानना चाहता हूं।

इसके अलावा यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा, मेरे पास जो भी शिकायतें आई उनके सम्बन्ध में मैंने कार्यवाही की। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे जिले, चूरू जिले, राजगढ़ के जितने कैम्प थे, उनकी शिकायतें की गई हैं, रजिस्टर्ड लेटर द्वारा पी. डब्लू. डी. के अधिकारियों के पास, कलेक्टर के पास शिकायतें की गई हैं, प्रधानों ने, सरपंचों ने उनके सम्बन्ध में उच्चस्तर से लेकर जितना मौके का स्टाफ है, उनको शिकायतें की हैं, पर जिस शिकायत से भ्रष्टाचार को रोकना था वह नहीं रुका और लाखों का भ्रष्टाचार हुआ है। मैं इस सम्बन्ध में अगर बोलता तो प्रमाण सहित बताता पर बोलने की स्थिति है नहीं, इसलिये केवल प्रश्न के रूप में रखना चाहता हूं।

इसके अलावा एक बात और रखना चाहता हूं, वह है अकाल राहत क्षेत्र के

(श्री दौलतराम सारण)

लिये अनाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में। करीब 3000 दुकानें अनाज की खोली गई। पर मजदूरों को पेमेंट 25 से 40 दिन बाद किया गया और उनको अनाज उधार देने की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिये मजदूर बहुत तकलीफ पाये हैं और भूखे पेट रह कर काम किया है, यह स्थिति कहां तक ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : मेरे 3 प्रश्न हैं।

अभी इस वक्त हमारे इलाके में फसल अच्छी है परन्तु यदि बरसात दो चार दिनों के अन्दर अन्दर नहीं हुई तो वहां भंयकर स्थिति उत्पन्न हो जायगी। उस स्थिति में आप क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं ?

दूसरा यह है कि जो कार्य अधूरे रह गये हैं, टेंक्स, केनाल्स वगैरह के जो कार्य लिये गये वे 70 परसेंट कार्य हो चुके हैं, उसको पूरा कराने के लिये क्या स्टेप्स लिये जा रहे हैं ?

तीसरा यह है कि आपने कहा कि पक्षपात नहीं किया गया। पर आपने आदेश दिये थे कि 15 अगस्त को सब जगह अकाल राहत कार्य बन्द कर दिये जायेंगे पर टोंक जिले के मालपुरा सब डिविजन में आज भी कार्य चल रहा है, अभी रोड पर मिट्टी डाली जा रही है, ट्रक और लेबर लगे हुए हैं, कार्य चल रहा है। यह पक्षपात नहीं है तो क्या है ?

श्री पूनमचंद विश्नोई : (उपाध्यक्ष) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल सहायता मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जितने भी सड़कों के या सोइल कन्जरवेशन या सिंचाई के काम खोले गए हैं, वह उस विभाग से या किसी पंचायत या पंचायत समिति या जिला राहत समिति या रिलीफ विभाग के माध्यम से स्क्रूटीनाइज करके खोले गए या जो आदमी आता गया, वहां खोलते गए ? खासतौर से मैं जोधपुर जिले के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री दौलतराम सारण : इसमें मेरा प्रश्न भी शामिल कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको सार्वजनिक नाम लिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : रिलीफ कमेटियां भी बदली गईं, कांग्रेसियों को नामीनेट किया गया।

श्री फूलचंद बाफना : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ज्यों ज्यों लगातार जंगल काटते जा रहे हैं, त्यों त्यों गत बीस वर्ष से केवल दो तीन वर्ष को छोड़कर अकाल पड़ता आया है, तो आज महसूस नहीं करते कि जब अकाल पड़ता है इस तरह तो जंगल काटने की नीति में परिवर्तन किया जाय।

श्री महेन्द्र सिंह (पीपल्दा) : मैंने जो प्रश्न पूछे थे उस संबंध में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। मैं उस संदर्भ में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि :

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डी० एस० ओ० ने अकाल पीड़ित लोगों के लिए

(श्री महेन्द्र सिंह)

फागी तहसील के लिए 700 बोरी ज्वार का परमिट दिया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ज्वार में से श्री रामेश्वर प्रसाद, नवरतन मल राजोरिया ग्राम माधोराजपुरा को 500 बोरी दी एवं 200 बोरी का गुलकंद लाल प्रेमचंद टीकल्या को परमिट जारी किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ज्वार नाथूलाल कैलाशचन्द्र, चांदपोल, जयपुर के ट्रक नं० आर० जे० एल० 8427 के द्वारा उठाया जाकर उस फर्म के गोदाम में डाली गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्म नाथूलाल कैलाशचंद्र, चांदपोल ने कुछ व्यक्तियों के नाम द्वारा अलग अलग तारीखों में बेचान किया ? उन किसानों के नाम हैं गणेश मेघवाल, नाथू मेघवाल, सुखदेव गूजर, देवकरण गूजर, केशरा गूजर, घासी गूजर, नाथू गूजर, महरू माली व सुखदेव माली। ये चानमा, होणता व माधोराजपुरा गांव के किसान हैं।

(5) क्या यह भी सही है कि इसकी जानकारी जनसंघ के प्रतिनिधि मंडल ने कलक्टर जयपुर को दी और क्या यह सही है कि कलक्टर जयपुर ने डी० एस० ओ० के नाम इसकी जांच कराने के आदेश दिए ?

(6) क्या यह भी सही है कि डी०एस० ओ० जयपुर ने तारीख 29 अगस्त को मौके पर जाकर इसकी जांच करने की तारीख फिक्स की ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

महेन्द्रसिंह : संबंधित अधिकारी मुल्जिमान से पैसे खाकर सारे केस को दबाना चाहते है। इस संदर्भ ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महेन्द्रसिंह : सारी जानकारी मंत्री महोदय से दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जब राहत कार्य प्रारंभ हुए, घोषणा के पश्चात फर्स्ट प्रायरिटी में पहले सिंचाई विभाग को प्रायरिटी दी गई थी, उसके बाद तालाब को। तो क्या यह सही है कि अजमेर जिले में तीन ही विधायक हैं। आप कहते हैं कि पार्टीवाइज काम नहीं किए। तीनों सदस्यों में से एक तो मंत्री हैं और दो उपमंत्री हैं। तो उसमें 20,28,000) 26-2-69 से 10.5.69 तक सड़कों के जो कार्य थे, उसमें सिर्फ ब्यावर खंड में और किशनगढ़ खंड, की सड़कों में डामर भी है, मिट्टी भी है, बाकी करीब 19 लाख के जो कार्य हैं तीनों मंत्रियों के क्षेत्र में हुए और जिसका विशेष फायदा हमारे सिंचाई उपमंत्री श्री जसराज, विधि उपमंत्राणी श्रीमती प्रभा मिश्रा और बाद में चांस मिला मसूदा साहब को। इससे हिसाब लगायें कि जो कुछ कार्य हुए हैं, आपने मजदूर जो भी लगाए 203, 300, 500 या 900 इनमें एक भी मजदूर ब्यावर या किशनगढ़ के खंड या उसके आसपास वाले मजदूरों को चांस नहीं, मिला। इसका मतलब है कि स्टाफ को दबाकर

(श्री भगवानदास शास्त्री)

एक बार कलक्टर से भी कहा था जसराज के मुंह से, यह काम पूरा करा दें, तो हंसी में कलक्टर साहब ने कहा मुख्यमंत्रीजी से फोन करा दें तब करा दूंगा तो उन्होंने मजाक की। वैसे बोदिया साहब के लिए हमें श्रद्धा है लेकिन यह सत्य है कि विशेषकर जो तीनों मंत्री हैं, स्टाफ को उन्होंने दबाया है कि वे काम प्रायरिटी में करा दें और सेकंड प्रायरिटी ब्यावर और किशनगढ़ खंड और अजमेर के गांवों को दी जाय।

श्री जुझारसिंह : (रामगंज मंडी) अध्यक्ष महोदय, अकाल में बहुत से गांव अकाल ग्रस्त घोषित किए गए लेकिन ऐसे ऐसे भी गांव घोषित किए गए हैं जिन में वास्तव में अकाल की परिस्थितियां नहीं थीं और ऐसे गांव अकालग्रस्त घोषित नहीं हुए हैं, जहां वास्तव में अकाल की परिस्थितियां थी। मैं कोटा और झालावाड़ जिलों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे गांव जिनमें अफीम का रकबा मिला है और उसमें एक एक काश्तकार को 10 – 10 बार पानी देना पड़ता है। जहां 10 पानी देने वाली क्षमता वाले गांव अकाल ग्रस्त घोषित हुए हैं वह खासतौर से इसलिए हुए हैं कि वहां का जो प्रतिनिधि है वह आपकी कैबोनेट में उपमंत्री हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे गांव जिनमें अकाल की परिस्थितियां नहीं थीं और जिनको अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है, आप जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री रतनलाल रोत (चौरासी) : जहां तक मुझे याद है राज्य सरकार का ऐसा इरादा था कि जब तक नया अनाज पक कर नहीं आए तब तक हरेक दुकान या जिले में अनाज दिया जाय। जहां तक डूंगरपुर का सवाल है वहां लोग माइलो और मक्का खाना पसंद करते हैं तो क्या जब तक नया अनाज नहीं आए तब तक वहां के लोगों को पूरा अनाज देने को तैयार हैं ?

दूसरी बात, डूंगरपुर जिले के अंदर और बहुत से एरियाज में काम अधूरे रह गए हैं और अकाल राहत के जो काम चल रहे थे बिजली के बजट की तरह बंद कर दिए गए। ऐसी हालत में जो अधूरे काम हैं उनको प्लान में लेकर विशेष धन एलाट करके शुरु कराने के लिए तैयार हैं ?

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए और 5 बजे तक पूछिए, मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर आज विचार होना है, वह महत्वपूर्ण प्रश्न है, सदन बहुत आकांक्षित रहा है चिंता व्यक्त करता रहा है और पौने चार बजने वाले हैं, 5 बजे के बाद सदन का समय बढ़े या नहीं, सारी स्थिति को देखकर यदि इन प्रश्नों की सीमा पर कोई नियंत्रण न करेंगे तो चलते रहेंगे। अब इसके बाद कोई प्रश्न नहीं होंगे।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा नम्र निवेदन है हमें डिबेट के समय भी बोलने का अवसर नहीं मिला•••

श्री अध्यक्ष : आपका नम्र निवेदन है लेकिन मेरा भी नम्र निवेदन है कि दूसरा विषय अधिक महत्वपूर्ण है जिसको माननीय सदस्य लेना चाहते हैं, वह प्रश्न रह जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 3 तारीख के बजाय 4 तारीख तक सदन रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट पर बहस के लिए एडवाइजरी कमेटी ने दो दिन का समय रखा है। 4 बजने को आये हैं। इसलिए आज एक घंटे में विवाद नहीं हो सकता। अगर कल पूरा दिन भी मिल जाय तो भी एक दिन ही रह जायगा। इसलिए सदन 5 व 6 तारीख तक बढ़ाना पड़ेगा। बाकी जो मोशन्स हैं, लिए जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं 4-5 प्रश्न अकाल सहायता मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न तो यह है कि अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में समस्त प्रकार की वसूलियां बंद क्यों नहीं की गई? दूसरा यह है कि आपने यहां उत्तर दिया कि कोई भी कार्य पार्टी-बाजी की वजह से शुरु नहीं किया गया तो नोहर भादरा की जनसंख्या में ज्यादा अन्तर है। नोहर की जनसंख्या ज्यादा है। पीड़ित लोग ज्यादा थे। नोहर में 7,69645 रुपये खर्च किये गये और भादरा में 1777581 खर्च किये गये हैं। तीसरा सवाल यह है कि अनाज की दुकानें कहीं भी नहीं खोली गयी हैं इसका क्या कारण है? चौथा यह है कि आपने यहां प्रश्न के उत्तर में मजदूरों की संख्या के बारे में बतलाया है। बाड़मेर की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी है। और इस प्रश्न में इस प्रकार से कहा है। मैंने यह प्रश्न इस तरह से किया, क्या यह सही है कि अकाल सहायता के कार्य पर काम करने वाले मजदूरों व उनके बच्चों की बड़ी तादाद में मृत्यु हुई है और हो रही है और यदि हां तो कुल कितने व्यक्तियों की मौत हुई है और किस कारण से? कैम्प वाइज जो मृत्यु हुई उसकी तालिका सदन की मेज पर रखें। उत्तर में कहा गया है जी नहीं। ......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें ...... जी नहीं ..... प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। प्रश्न पूछिये। ज्यादा प्रकाश नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके बावजूद 3300 आदमियों की लिस्ट दी है। तो क्या वे जिन्दा हैं। मेरे दो प्रश्न और हैं। इसके अलावा राजगढ़ के सरपंच की शिकायत है। शिकायत होने के बाद वह शिकायत अकाल सहायता मंत्री के पास आयी है और यदि नहीं आयी तो मैं यहां पेश कर रहा हूं, मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस पर इन्क्वायरी क्यों नहीं की जा रही है? फेमिन की ओर से काश्तकारों को तकाबी क्यों नहीं दी जाती हैं? लोगों के ऊंट, बैल मर गये, उनके पास कोई साधन नहीं है। एक प्रश्न और, आगे का आपका क्या प्रोग्राम है? आज ही गांवों में भयंकर अकाल पड़ने की स्थिति पैदा हो गयी है, यदि आपने.......

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पहले आ गया है। आर्डर, आर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : हजारों की तादाद में कुत्ते की मौत मरगे। मेरे ये 7 प्रश्न हैं, इनका उत्तर दिलवाया जावे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

Page No 120

श्री रामचन्द्र आर्य : इनका उत्तर मन्त्री महोदय से दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह।

राजवी श्रीरूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि चूरू डिस्ट्रिक्ट के अन्दर सात तहसीलें हैं और इन 7 तहसीलों के अन्दर 47 काम खोले गये थे। इन कामों के अन्दर से राजगढ़ तहसील के अन्दर कुल 23 काम खोले गये और बाकी की 6 तहसीलों में 23 काम खोले गये। यानि 50 पर्सेन्ट काम राजगढ़ तहसील में खोले गये जब कि वहां सेमी फेमीन था। राजगढ के सरपंच श्री सुभाष व एक एक्स एम. एल. ए. ने जैसा श्री रामचन्द्रजी आर्य ने बताया कि इन लोगों ने शिकायत की कि यहां राजगढ़ के अन्दर हर कैम्प में 30 हजार आदमियों की हाजरी फर्जी दर्ज होती है। इसकी जांच के लिये चीफ इन्जीनियर को भेजा गया। उन्होंने रोल पर 40 हजार के नाम पाये लेकिन मौके पर दस हजार आदमी मिले। इस तरह तीस हजार आदमियों की हाजरी गलत दर्ज की हुई पायी। इन दस हजार में भी तीन हजार आठ नौ साल के बच्चे थे जो पूरा आदमी दिखलाये गये थे। इसके बाद इस की बाबत में कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। इसके बाद और भी दरख्वातें दी गयी कि राजगढ में डेली 15-20 हजार मजदूरों की गलत एन्ट्री दर्ज हो रही है। लेकिन शिकायत होने के बाद भी कोई इन्क्वायरी नहीं हो रही है इसलिये मैं मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि आया आप इसकी इन्क्वायरी करा रहे हैं या नहीं। आपने क्या एक्शन लिया है या आइन्दा क्या एक्शन लेंगे या इसकी इन्क्वायरी एम. एल. ए. की कमेटी बनाकर करवायेंगे। इसमें करीब $1\frac{1}{2}$ करोड़ का घोटाला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता हूं। सिर्फ तीन बातें कहना चाहता हूं और ये तीन बातें ऐसी हैं, जिनके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो समस्त राजस्थान से सम्बन्धित प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, और वह है मजदूरी का, उजरत का। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये कि हर 15 दिन में बिना नागा किये। सरकार मजदूरी चुकाये और चुकाती दफे सरकार का यह पुनीत कर्त्तव्य है कि यह व्यवस्था करे कि अमुक हजारों मजदूरों की एक टुकड़ी को मजदूरी बांटे और वह मजदूरी बंटे, वह नियुक्त समय पर बंटे। अगर आप ऐसी एक जगह 5000 मजदूरों को उजरत चुकाते हैं तो यह प्रश्न है— खाओ, पीओ और मौज करो। तो यह गरीबों को भी दो। दस बजे, ग्यारह बजे तक, सात या आठ बजे तक समय लगे, यह व्यवस्था करनी होगी, अगर आप सरकार हैं, राहत कार्य सुचारु ढंग से करना चाहते हैं, तो पार्टीवाइज टुकड़ियां बना कर यह उनको सौंप कि अमुक पार्टी, अमुक मजदूरों की इतनी संख्या को, बराबर अमुक समय के अन्दर, हाजरी ले और उजरत दे।

दूसरा जो सवाल है, वह मेरे क्षेत्र से संबंधित है और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह गलत साबित हो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किन्तु अध्यक्ष महोदय, दस दिन और वर्षा न हुई तो जो मक्का की खड़ी फसल है वह सूख जायेगी। हमारे क्षेत्र के अन्दर राहत कार्य आधे कर दिये गये हैं और सस्ते अनाज की दुकानें भी शनैः शनैः क्रमशः बंद की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, खास करके आदिवासी क्षेत्र में हजारों आदमी ऐसे हैं जो आज भी चौबीस घन्टे में एक दफा उनको अनाज मिलता है। अगर वर्षा भी हुई तो एक महीने के अन्दर बुट्टा पकेगा और इस दरम्यान वे क्या खायेंगे? इसका सरकार खुद अनुमान कर सकती है। मेरा निवेदन है कि राहत कार्य बढ़ाये जायं, सस्ती अनाज की दुकानों की संख्या शीघ्र ही वहां बढ़ायी जाये।

तीसरी बात के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मुझे खेद है कि माननीय मुख्य मन्त्री यहां नहीं हैं। वे होते तो उनके सामने निवेदन करता। मेरे क्षेत्र के अन्दर लगातार दो साल से दुष्काल पड़ रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां आते हैं। वे मुख्य मन्त्री के नाते आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन वे आते हैं और उनकी आम सभाओं में किस पैमाने पर आर्गेनाइज होती है, इसका भी दो शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा ··

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है। मैंने प्रश्न के लिये समय दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : प्रश्नों के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने के सम्बन्ध में, यह प्रश्न इस किस्म का है कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह कहते हुए मुझे बहुत खेद है ··

श्री अध्यक्ष : आप इस विषय में बहुत कुछ पहले प्रकाश डाल चुके हैं, बहस के वक्त।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : कि ट्रक के ट्रक किराये पर किये जाते और हजारों आदमियों को ट्रकों के अन्दर लाया जाता है और उनको यह कहा जाता है कि तुम कांग्रेस के पक्ष में बनो। मैंने उनसे कहा मैं उस क्षेत्र से आया हूं। वहां से थोड़े बहुत वोट लिये हैं। मैंने कहा है, हां कहो. हम कांग्रेस के समर्थक हैं। और उन लोगों को लाया जाता है ट्रकों में उन लोगों से उस दिन काम नहीं कराया जाता है और उन लोगों को उस दिन की पूरी मजदूरी दी जाती है। यह सरकार की व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य मन्त्री के लिये मैं समझता हूं, यह शोभनीय नहीं है। उनकी आम सभा को सफल बनाने के लिये हजारों राहत कार्य के मजदूरों को चाहें वे विपक्षी दल के हों चाहे विपक्षी दल का हो या कांग्रेसी विचारधारा का हो उसको मजबूर करके ले जाया जाता है। उस दिन वह कोई काम नहीं करता फिर भी उसको पूरी मजदूरी दी जाती है। इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना यह बहुत बड़ाभारी प्रश्न है। मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसको सुधारिये यह जनतंत्र में आप स्वस्थ प्रणाली नहीं डाल रहे हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस अकाल राहत कार्यों में जितने गड़बड़ घोटाले हुए हैं क्या उनका कारण एक यह भी है कि जितने

(श्री आईदानसिंह)

भी इससे सम्बन्धित विभाग हैं उन विभागों का आपसी कोआर्डिनेशन का न होना कॉप-रेशन का न होना भी इनका एक कारण है?

श्री नाथूदास (फलासिया सु०) : केकड़ी पंचायत समिति में जो कार्य अकाल राहत के सम्बन्ध में कराया गया था वहां के मजदूरों को साढे तीन महीने से मजदूरी नहीं मिली है। इस बारे में स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। आपने फरमाया था अकाल पर बहस के समय मंत्री महोदय जवाब देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अब तक मजदूरी नहीं देने के क्या कारण हैं? वे मजदूर एस० डी० एम. कलेक्टर तक पहुंचे हैं और मुख्य अभियन्ता के पास भी गये हैं लेकिन मजदूरी नहीं मिली।

श्री नाथूलाल करोल (जमुवा रामगढ): जयपुर जिले के अन्दर अकाल राहत कार्य जो हाथ में लिये गये थे वे पूरे नहीं हुए उसमें एक रोड़ का काम कराना था जो पूरा नहीं हुआ और उसके बजाय के० एस० मेहता पी० डब्लू० डी० में इन्जीनियर हैं इन्होंने अपने फार्म तक सड़क बनवाली है, डामर रोड बनवाली है, क्या यह सही है?

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं पहला यह कि सीकर जिले में ओलावृष्टि से हुए कृषकों के नुकसान पर क्या राज्य सरकार द्वारा सहायता के लिये कुछ रकम अनुदानस्वरूप बांटने के लिये स्वीकृत की गई है, यदि हां, तो कितनी व क्या उसको बांट दी गई, नहीं तो क्या राज्य सरकार गरीब कृषकों को अब बांटने का विचार रखती है?

दूसरा प्रश्न है कि ओलावृष्टि से प्रभावित हुए कुछ कृषकों को बिना ब्याज की तकावी दी गई थी कुछ को नहीं, अब क्या उन कृषकों के पास जो गेहूं का बीज जो ओलावृष्टि से नष्ट हो गया था उनको अब उधार पर गेहूं बीज देने का विचार रखती है व तकाबी पर क्या विचार है?

तीसरा प्रश्न है मालपाणी जोइन्ट सहकारी समिति यू० पी० ने राज्य सरकार को काफी चारा मुफ्त में देने को लिखा था, यदि हां, तो उसमें राज्य सरकार ने क्या किया?

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर): एक तो मैंने अपने भाषण में कहा था पोकरन के तालाब पर जो काम हुआ हैं उसमें घोटाला हुआ है?

दूसरा फावड़े सिरकी, तगारी आदि खरीदने में लाखों का घोटाला है मंत्रीजी ने उसका जवाब नहीं दिया।

तीसरा नागौर में जो सड़ा गला चारा खरीदा गया जिसको कलेक्टर नागौर ने रिजेक्ट कर दिया था उसके बाद भी क्यों खरीदा गया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): हमारे क्षेत्र में वर्षा अधिक हो जाने के कारण वहां पर मक्का की फसल गल चुकी है। इसलिये वहां पर एक महीने तक अन्न की संभावना नहीं है। इसलिये वहां मोटा अनाज मिलना कठिन हो गया है। इसलिये क्या आप वहां की जनता की सुविधा के लिये सस्ते अनाज की दुकानें खोलने का विचार रखते हैं?

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): अध्यक्ष महोदय, जब जब और जिन जिन जिलों में

(श्री श्रवणलाल)

अकाल पड़ा है वहां मजदूरों को काम पर लगाया गया क्या अभी तक कई जिलों के मजदूरों की मजदूरी अभी तक बकाया है और वह काफी समय से चली आ रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जिस जिस जिले में जितनी जितनी बकाया मजदूरों की है उनका कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

श्री विट्ठल भाई (पीपलखूंट) : फेमिन एक्ट जो बना है जिस स्थान को अकालग्रस्त घोषित कर दिया आज उस क्षेत्र में अनाज नहीं पक्का, अकाल राहत कार्य चलाये गये और जो चल रहे थे बांसवाड़ा जिले के अन्दर उनको 15 अगस्त को ही बन्द कर दिया गया जब कि अकाल मानकर जब तक अनाज नया न आजाय तब तक चालू रखने का था उसको क्यों बन्द किया गया ?

दूसरा फेमिन एक्ट में जो फेमिन का काम करते हुए किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है उसको सहायता देने के लिये कोई प्रावधान नहीं है। हमारे इलाके के अन्दर एक औरत पर पत्थर पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई, उसके दो लड़के हैं पालन पोषण करने वाला नहीं हैं। ऐसे जो मामले होते हैं उनके लिये मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं। इस बारे में कलेक्टर से मिले उन्होंने भी कहा कि हमारे पास कोई प्रावधान नहीं इसके लिये आप क्या करने वाले हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री विट्ठल भाई : मुझे आपने अकाल पर भी बोलने नहीं दिया और अब भी आप रोक रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मुख्य मंत्री अकाल सहायता कोष में राजस्थान भर में स्थान स्थान पर व्यक्तियों द्वारा, संस्थाओं द्वारा, स्कूलों द्वारा जो धनराशि सहायतार्थ दी गई क्या सरकार उनकी सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगी ?

दूसरा राजस्थान में अकाल सहायता कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है राज्य सरकार उसकी जांच के लिये उच्च अधिकार प्राप्त आयोग की नियुक्ति करेगी ?

तीसरा महिलाओं को बालकों के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा जिस समिति का गठन किया गया था और जिस समिति ने बड़ा सराहनीय कार्य किया, क्या राज्य सरकार का ध्यान गया है ? राजस्थान के अनेक भागों में भूखे, अधभूखे लोग घास पत्ते खा खाकर अपना जीवन बिताया हैं इस प्रकार के समाचार राजस्थान सरकार के नजरों में आया है। इस समिति के अध्यक्ष महोदय ने इस बारे में अकाल राहत कार्यों के अभाव अभियोगों के बारे में धर्मयुग के स्वाधीनता विशेषांक में जो लेख लिखा है उसको सरकार ने देखा है, क्या सरकार ने उस लेख में दिये गये तथ्यों की जांच कराई है, अगर कराई है तो ऐसी परिस्थितियां भविष्य में पैदा न हों इसके लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : बड़ा महत्वपूर्ण मेरा प्रश्न है ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य; स्थान ग्रहण करें। इसके पहले कि माननीय मंत्री महोदय

(श्री अध्यक्ष)

जवाब दें, दो प्रश्न मेरे सामने हैं जिसमें से एक प्रश्न तो व्यवस्था का प्रश्न है। किसी लेखक द्वारा 'धर्मयुग' के स्वाधीनता विशेषांक में लिखे गये लेख से संबन्धित है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका नाम नहीं लिया गया।

श्री अध्यक्ष : 'धर्मयुग' के स्वाधीनता विशेषांक में जो लेख प्रकाशित हुआ है, जहां तक उस लेख का सम्बन्ध है लेख भावना, मनोविज्ञान और संवेदनशील भावना से लिखा हुआ माना जाय। वह ज्यादातर मनोविज्ञान से संबन्धित है, किसी तथ्य या किसी विशेष प्रान्त की घटनाओं से उसका कोई-ताल्लुक नहीं है। वह लेख मैंने भी देखा है। उसके ऊपरी भाग में जो राजस्थान का जिक्र किया गया है वह स्वाधीनता अंक निकालने वालों ने अपनी ओर से कर दिया है। इस लेख में राजस्थान के किसी हिस्से में पड़ रहे अकाल से संबन्धित हालातों का वर्णन हो ऐसी बात नहीं है। यह लेख भावनाओं के आधार पर तथ्यों से परे जिसमें कुछ कल्पना है, कुछ दुःख दर्द है उसको लेख में लिपिबद्ध किया गया है। इसलिये लेखक द्वारा लिखे गये लेख से संबन्धित प्रश्न यहां नहीं उठाया जाना चाहिये। यह न कोई सैन्सेस है न कोई आंकड़ों से संलग्न प्रश्न है, यह भावनाओं पर ज्यादा आधारित है। यह लेख किसी एक्सपर्ट लेखक द्वारा लिखा गया हो यह नहीं मानते हुए मैं इस प्रश्न को यहां उठाने की इजाजत नहीं देता।

श्री दौलतराम सारण : भावनायें परिस्थितियों को देखकर पैदा हुआ करती हैं, यह तो आप मानते हैं और मन में संकल्प विकल्प परिस्थितियों से ही पैदा होते हैं।

(4 म. प.)

श्री विजयसिंह (मकराना): जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।

श्री अध्यक्ष : हां, वहीं पहुंच गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न ऐसा है। भारत सरकार ने एक स्टेडी टीम राजस्थान के लिये भेजी थी। उसकी रिपोर्ट पर विचार कर सकते हैं और उसे आधार बना सकते हैं। और बहुत से एक्सपर्टों की रिपोर्टों को आधार बना सकते हैं। एस.डी.ओ.,तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर की रिपोर्टों को आधार बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि समाचार पत्रों में जो लेख छपे उसके लिखने वाले एक्सपर्ट हैं या नहीं हैं यह लेखक के कहने की बात नहीं है। यह तो सदन के माननीय सदस्यों के समझने की बात है कि आया वे एक्सपर्ट हैं या नहीं।

अब रहा यह सवाल कि ऐसे डाकूमेंट यहां रेफर किये जा सकते हैं या नहीं, तो वे लेख रेफर किये जा सकते हैं। अखबार रेफर किये जा सकते हैं, ऐसे संवाद टिप्पणियां आदि रेफर की जा सकती हैं, डाकूमेंट रेफर किये जा सकते हैं। उनके कन्ट्रेन्ट्स रेफर किये जा सकते हैं। अब यह राज्य सरकार का काम है कि वह उनको कन्ट्राडिक्ट करे।

इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि अभाव अभियोगों के सिलसिले में महिला और बाल कल्याण परिषद् संस्था के अध्यक्ष इस लेख के लेखक, मुझे मालूम नहीं, पर आपको इसकी जानकारी होगी, एक्सपर्ट है या नहीं, पर तथ्यों का विवेचन और आलोचना समालो-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चना जो उस लेखक के द्वारा आई है, वह स्वस्थ है। भावात्मक हैं, पर तथ्यों के विपरीत नहीं हैं। तीन महीने होने आये। भूखे आदमियों के लिये पत्ते और घास से अपना पेट भरने की नौबत आ पहुंची है। यह कोई कल्पना के आधार पर नहीं लिखा गया है। उन्होंने घूमकर देखा है, वहां गये हैं, वहां बच्चों को और महिलाओं को इस दयनीय हालत में देखा है। फिर यह लेखा कोई महलों में बैठकर नहीं लिखा गया है। सिविल लाइन्स में बैठकर नहीं लिखा गया है। यह उन अनुभवों के आधार पर लिखा गया है जो समिति को उन क्षेत्रों में कम्बल बांटने का, बिस्कुट बांटने का, अधिकार था जो उसने अपने अध्यक्ष को दिया था। भूखे लोगों को तौलिये कपड़े बांटने का अधिकार समिति के अध्यक्ष को दिया था। यह उस समिति के अध्यक्ष का लेख है उस समिति के अध्यक्ष साहित्य एकादमी के अध्यक्ष हैं विधान सभा के अध्यक्ष होंगे। पर जहां तक उस समिति के अध्यक्ष का प्रश्न है जिसको गठित किया था राजस्थान सरकार ने अकाल राहत के काम की जिम्मेदारी दी थी, यह जिम्मेदारी दी थी जिनको कि वे उन क्षेत्रों में जाएं और देखें वहां का क्या हाल है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बहुत अच्छे ढंग से निभाई और अपने अनुभवों के आधार पर लिखा कि वहां लोग घास पात से अपना पेट पाल रहे हैं और सरकार को चिन्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कम्प्लीमेन्ट्स तो आपने बहुत दे दिये। मैं उसको निकाल भी नहीं सकता और ले भी नहीं सकता। इस स्थिति में हूं। माननीय मन्त्री महोदय, मैं इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहना चाहता।

इससे पहले कि दूसरे प्रश्न आएं, व्यवस्था महत्वपूर्ण है। फिर रिप्लाई शुरू करेंगे।

विरोधी दल के सदस्यों के दैनिक भत्ते से इसका सम्बन्ध है। दैनिक भत्ता धरने के दिनों में जो था उससे इसका सम्बन्ध है।

धरने के दिनों का दैनिक भत्ता देने सम्बन्धी अध्यक्षीय व्यवस्था

गत सत्र में विधान सभा के विरोधी दलों के सदस्यों ने बेरी जांच आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के प्रश्न को लेकर दिनांक 21 मार्च, 1969 से विधान सभा में अपना धरना शुरू किया। यह धरना दिनांक 3 अप्रेल, 1969 को समाप्त किया गया।

विरोधी दल के कई माननीय सदस्यों ने धरने पर बैठने के उपरान्त भी अपने अपने दैनिक भत्ता बिल विधान सभा सचिवालय में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये और यह प्रमाण-पत्र भी दिया कि वे सदन की बैठकों में उपस्थित रहे।

विरोधी दल ने धरने की जो क्रिया अपनाई मैं उसके औचित्य पर यहां चर्चा नहीं करना चाहता। उनका यह कदम किस हद तक आवश्यक अथवा वांछनीय था यह तो स्वयं उनके विचार का प्रश्न है।

मैंने इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है और मैं समझता हूं कि हमारे नियमों में, जिनके अन्तर्गत माननीय सदस्यों को टी. ए., डी. ए. दिया जाता है, धरना जैसी स्थिति की कोई कल्पना नहीं की गई है जिनसे इस प्रकार के मामलों पर मार्ग दर्शन मिल सके।

सदन में धरना देना अपने आप में एक अनहोनी घटना है और माननीय सदस्यों का सदन में अपने नियत स्थानों पर न बैठकर जमीन पर बैठना भी परम्पराओं और विधि

(श्री अध्यक्ष)

विधान की अवहेलना कहा जा सकता है। परन्तु मुख्य प्रश्न मेरे समक्ष यह है कि क्या धरने की प्रोप्राइटी के प्रश्न पर सदस्यों को उस अवधि का डी. ए. दिया जा सकता है अथवा नहीं। यद्यपि मैं इस मामले की वैधानिक स्थिति का विश्लेषण इस सन्दर्भ में न करके मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय लेना उचित समझता हूं ताकि माननीय सदस्यों को किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो।

विरोधी दल के माननीय सदस्यों को 21-3-1969 तक का डी. ए. पहले ही दिया जा चुका है। जिन परिस्थितियों में धरने की कार्यवाही की गई है मैं उसका लीनियेन्ट व्यू लेता हूं और व्यवस्था देता हूं कि विरोधी दल के समस्त माननीय सदस्यों को जो 22-3-1969 से 3-4-1969 तक धरने पर बैठे रहे उनको उक्त अवधि का दैनिक भत्ता दे दिया जाय।

श्री विजयसिंह (मकराना): इसका ब्याज भी देंगे अध्यक्ष महोदय ?

श्री रामचन्द्र आर्य : छः घण्टे कार्यवाही चलती है तब इतना मिलता है, हमें तो इससे दुगुना मिलना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। कोई अनुचित काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जो अकाल पीड़ित लोग राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में गये जो अभी तक नहीं आये हैं उनके संबंध में सरकार क्या सोचती है ?

श्री परसराम मदेरणा : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा "

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir, अध्यक्ष महोदय, आपने अभी जिस प्रकार की व्यवस्था दी उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। उसका एक कारण तो यह है कि मानवीय दृष्टिकोण को आधार बनाया है। मैं इस दृष्टिकोण को बहुत ही आपत्तिजनक दृष्टिकोण मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : विवाद का विषय मत बनाइये। इसे 'मैं उचित दृष्टिकोण' ऐसा संशोधित कर देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा यह कि अवहेलना हो सकती है नियमों की और परम्पराओं की ऐसी शंका प्रकट की है। भत्ते के प्रश्न को इससे जोड़ा जाना भी उचित नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष : उससे अलग कर दिया जायगा।

माननीय मन्त्री महोदय।

राज्य की अकाल स्थिति पर अग्रेत्तर विचार

श्री परसराम मदेरणा : सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही कि उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में और माननीय चुन्नीलाल जी की कान्स्टीट्यूएन्सी में राहत के काम नहीं खोले गये। हो सकता है। लिस्ट मेरे पास नहीं है। सवाई माधोपुर जिले में हमने काफी लम्बे अरसे पहले जानकारी ली थी तो कलेक्टर ने हमें इत्तला दी कि आपके आदेशानुसार राहत काम चालू रखना चाहते हैं पर वहां पर मिनिमम वेजेज पर लोग आ नहीं रहे थे इसलिए काम प्रारम्भ नहीं किये। आखिरी दिनों में आने शुरू हुए तो काम प्रारम्भ किये गये। और दूसरी सूचना अगर माननीय सदस्यों के पास हैं कि लोगों को मजदूरी

(श्री परसराम मदेरणा)

देना जरूरी था इसके बाद भी काम प्रारम्भ नहीं किये तो इसकी मैं जांच कराऊंगा।

मांगलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायतों के जो बीड हैं उनसे भी सरकार को घास कटवानी चाहिये। इस बात को सरकार नहीं मानती। राज्य सरकार चाहती है कि पंचायतों के बीड पंचायत समितियों के पास ही रहने दिये जावें क्योंकि आजकल मवेशियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अगर इन का भी घास काट कर सरकार अपने पास ले लेती हैं तो मवेशियों को घास की बहुत दिक्कत हो जावेगी। देश की इकानोमी भी इसका तकाजा कर रही हैं और इससे इफीसियेन्सी भी बढ़ रही है। ऐसी सूचना है यहां पर।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां 394 गांवों में बरसात अभी भी नहीं हुई है। आज कलेक्टर बाड़मेर से बात हुई थी साढे दस बजे। वे बता रहे थे कि वहां मजदूरों की संख्या 83 हजार है। मैंने उनको यही कहा कि 83 हजार से भी ज्यादा बढ़ती है यह संख्या तो भी चिन्ता नहीं, मजदूरों को सब को काम दिया जावे चाहे यह संख्या $1\frac{1}{2}$ लाख तक भी पहुंच जावे। पर यह ध्यान रखा जावे कि लोग बेकार नहीं रहें क्योंकि दो साल से अकाल चल रहा है। जैसे कहा गया कि काम 15 तारीख को बन्द हो गये थे तो मैं निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार ने कोई इसके लिये नये आदेश नहीं दिये थे। कलेक्टर ने पहले लिस्ट नहीं दी और पहले के आदेश दिये हुए थे कि 15 तारीख तक यह काम चलाये जावें इसलिये पी० डब्लू० डी० ने 15 को अपने सब काम बन्द कर दिये। 15 की रात को ही मालूम पड़ने पर मैंने कहा कि गांवों के नाम भेजो और जो आवें उनको काम लेकर दो, और हमें भी लिखकर दो कि यहां यहां पर काम चालू रखे जावेंगे। लिस्ट दे दी है अब। तो असेम्बली का यह सैशन समाप्त होते ही बाड़मेर और जैसलमेर की तरफ जाने का मेरा इरादा है। अभी बरसात बहुत से गांवों में उधर नहीं हुई है। वहां काम चालू रखें जावेंगे।

डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां भी वर्षा नहीं हुई है। दो दिन पहले ऐसा फैसला हमने लिया है कि राहत काम चालू कर दिये जावें जहां बरसात नहीं हुई है। गरीब लोगों को मजदूरी मिलनी चाहिये। ऐसे अवसर पर स्टिमुलेटिव ग्रिप ने पकड़ लिया। असेम्बली का सैशन चल रहा था। दो दिन की छुट्टी ली। 9 मार्च को एस० डी० एम० रणजीतसिंहजी को साथ लेकर गये थे। मैंने काम शुरू किये थे। काम शुरू करने के बाद आगे नम्बर रख दिया था। यहां सात लगेंगे या आठ लगेंगे। मैं स्वयं गया था। आठ दिन तो काम नहीं लगे होंगे। पर बाद में दो तीन दिन में काम चालू कर दिये गये। बराबर अध्यक्ष महोदय मैंने लोगों को देखा है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो आप मानते हैं कैम्प को बन्द करने के आदेश देकर गलती की है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्या ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो आप मानते हैं कि कैम्प के काम को बन्द करने के आदेश देकर गलती की है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने गलती नहीं की लेकिन ठीक व्यवस्था हो, इसके लिये काम किया है, ओवरसियर बतायेंगे ...

Page No 128

(शोरगुल, अश्रव्य)

आप सुनिये तो सही ......

श्री हीराभाई : आप बता दीजिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, (जोर की अवाज में) आरम्भ रखिये ।

श्री परसराम मदेरणा : दूसरी बात यहां पर यह कही गई टास्क के सम्बन्ध में, आपने काम नापा नहीं है और बिना नापे जो कुछ किया है मनमाने तरीके से किया है। मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन कर दूं दुबारा जांच कराई । जोधपुर के सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियर को भेजने के बाद शिकायत करने वाले आये, नाप को बड़ा दीजिये। काम कितना कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं । माननीय सदस्यों को पता है आज इस वजह से काम······

(4.13 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

बन्द कराया है कि पब्लिक मनी है उसका ठीक प्रकार युटिलाइजेशन हो······

श्री दौलतराम सारण : मैंने आपको चिट्ठी लिखी । मेरे जिले में और बीकानेर जिले में काम की नपाई नहीं हुई ।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसी चिट्ठी आपने लिखी थी और उसकी उचित कार्यवाही के लिये मैंने विभागीय अधिकारियों को लिख दिया था – नाप तोल ठीक करनी चाहिये । इस तरह के आदेश मैंने आपकी एप्लीकेशन पर दिये थे । इतने अर्से बाद नपाई की जाय, यह भी सम्भव नहीं होता उसकी अब एन्क्वायरी कराई जाय । यह माननीय सदस्य के सोचने की बात है । अकाल और अभाव की स्थिति में आपने फर्क क्यों कर रखा है इसके काफी डिटेल्स पिछले सत्र में दे चुका हूँ । वेजेज के बारे में सवा रुपया और डेढ रुपया आदमी और औरतों का भेद नहीं है यह भेद डिग्गर (Digger) और केरियर (Carrier) का है ।

श्री दौलतराम सारण : एक भी पुरुष सवा रुपये में ··पुरुष जानते है ··

(शोर गुल, अश्रव्य)

श्री फतेहसिंह : यह लक्ष्मीकुमारीजी जानती है···

(पुनः शोरगुल, अश्रव्य)

श्री परसराम मदेरणा : मजदूरों के मजदूरी के आधार क्या हैं ? महंगाई भी है । इस साल वेजेज बढ़ाये हैं । दूसरा आधार यह है कि काफी संख्या के अन्दर केटिल पापूलेशन स्केर्यसिटि अफैक्टेड है, उनको थोड़ी बहुत उसमें बचत रहे इसलिए भी किया है । सेन्ट्रल स्टडी टीम आई थी उसने इस बात को कहा था जितने भाव बढ़े है उस हिसाब से नहीं बढ़ाना चाहिये था । ग्यारह करोड़ रुपये इससे बढ़ जाते हैं । हमने कहा मजदूरों पर यह खर्च हो जायेगा । उनके पास कपड़े नहीं हैं, केटिल पापूलेशन ज्यादा है, केटिल ब्रिडिंग का काम ज्यादा होता है । मवेशियों को पालने के लिये अगर दो चार आने उनके पास बच जाते हैं तो यह अच्छी बात है, कपड़े उनके पास नहीं हैं, कपड़ों की जरुरत है इसलिये इस मजदूरी को कम नहीं करना चाहते हैं । हमने भारत सरकार को लिख दिया । जितनी शिकायतें मेरे पास आई हैं मैंने उन शिकायतों को आगे उचित कार्यवाही करने के लिये भेज दिया है । उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 70 परसेन्ट काम हुआ 30 परसेन्ट

(4. 16. म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

काम बकाया है। जिन जिलों में अकाल की स्थिति नहीं है, वहां काम मैं प्रारम्भ करने वाला नहीं हूं। अकाल के बाद में प्लान के जरिये या डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट की छोटी सिंचाई के जरिये जो पैसे वह देते रहते हैं या सिंचाई विभाग की योजनाओं के अन्दर प्रावधान होगा तो उस काम को करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आपने 15 अगस्त के बाद काम बन्द कर दिये हैं, मालपुरा में काम अभी भी चल रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : पहले आप सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजयसिंह : जो काम मालपुरा में चल रहा है....

श्री परसराम मदेरणा: धन के अभाव में काम नहीं कर सकते हैं....

(श्री परसराम मदेरणा व श्री दिग्विजसिंह साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री दिग्विजय सिंह : मालपुरा में काम चल रहा है, टोंक जिले में 15 अगस्त से काम बन्द कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में बोल रहे हैं; आप बैठ जाइये।

श्री दिग्विजय सिंह : यह तो बासोतिया नहीं है जिसको दबा देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस बात है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने मुझे 3 पाइन्ट कहे हैं.... ...

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय को अर्ज कर रहा हूं.......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

डिबेट के साधारण नियम यह हैं कि एक पक्ष के माननीय सदस्य बोले तो दूसरे पक्ष वाले शांति से सुनें—हस्तक्षेप न करें। माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं इसलिये कृपया आप बाधा न पहुंचायें।

श्री फतेहसिंह : हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। सब लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सबके साथ समान व्यवहार है, आप बैठ जाइये।

(माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर)

आप भी वही गलती कर रहे हैं। मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं आपस में बीच बचाव रहे टकराव न हो। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे शान्त चेहरे की तरफ देखें और इस तरफ देखकर ही बोलें तो न बीच बचाव की स्थिति होगी और न टकराव होगा।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा मतलब कहने का यह है कि माननीय सदस्य मैंने आपके एक पाइन्ट का उत्तर दिया है। दो का और दे रहा हूं। आपने मुझसे तीन उत्तर पूछे हैं। आपने एक सिंचाई की बात पूछी है दूसरी बात आपने यह पूछी है, अकाल की स्थिति के बारे में कि टोंक जिले में अकाल की स्थिति है तो मैं इसके बारे में जानकारी कर लूंगा। अभी तक जहां बरसात नहीं हुई हैं और जहां हालत बिल्कुल खराब है, अकाल की भयंकर स्थिति हैं, स्केयरसिटी ऐरिया घोषित है वहां काम शुरू करेंगे। दूसरी बात मालपुरा में राहत कार्य चलने के बारे में कही। राज्य सरकार ने 15 अगस्त से राहत कार्य बन्द कर दिये हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

अगर कहीं चल रहे तो कानूनी रूप से नहीं चलने चाहिये और अगर चल रहे हैं तो मैं आज ही रात को जानकारी करूंगा, टोंक जिले में नहीं चल रहे हैं और मालपुरा की कान्सटीट्यूएन्सी में कैसे चल रहे है। मुझे जानकारी नहीं है।

(बीच में माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान डालने पर)

मेरी बात को सुन लीजिये। मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा जो जंगल कट रहे हैं, जंगल किसी तरह सुरक्षित रखने चाहिये, इसका सम्बन्ध वन मंत्री जी से है। पीपलदा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा डी. एस. ओ. के सम्बन्ध में एक बात कही अकाल पीड़ित लोगों के लिये फागी में ज्वार का परमिट दिया इस तरह का कोई मामला उठाया है जिसको मैं मेरी प्रोसीडिंग में नहीं लिख सका हूं। आपके पास लिखित में कोई चीज है तो वह मुझे दे दें नहीं तो कल प्रोसीडिंग्स को देख कर जांच करवा लूंगा।

श्री विजयसिंह : प्रोसीडिंग्स में सब कुछ आ गया है।

(माननीय सदस्यों के बीच में व्यवधान डालने पर, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

श्री परसराम मदेरणा : अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही 19 लाख तीन मंत्रियों की कान्सटीटूऐन्सी में खर्च हो गये। मैं उसकी जानकारी करा कर कह सकता हूं कितने खर्च हुए हैं। जो कुछ मेरी जानकारी है जिलाधीश के रिकमन्डेशन पर राहत कार्य खोले गये हैं। रिलीफ डिपार्टमेंट से एक भी काम नहीं खोला गया है। उनके सजेशन को कलेक्टर ने माना है या नहीं। सभी काम जो जिलाधीश के पास आये हैं, हमने सेंकशन किये हैं।

अब रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि जिन गांवों में 10 वाटरिंग हुआ है उनको भी स्केयरसिटी डिक्लेयर किया गया है। तो जब तक मेरे पास जिन्सवार गिरदावरी नहीं हो तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य मुझे एक लिस्ट दे दें जिसमें उन गांवों के नाम हों कि जहां 10 वाटरिंग हुआ है और उनको स्केयरसिटी डिक्लेयर किया है। जिन्सवार गिरदावरी में 50 परसेन्ट खराबा दर्ज किया है तो उसके बाद में कलेक्टर की रिपोर्ट पर ही हम स्केयरसिटी डिक्लेर करते हैं इसलिए मैं जांच कर लूंगा और माननीय सदस्य मुझे गांवों की लिस्ट दे दें।

यहां पर चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य ने अनाज के बारे में कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने वहां पर मक्का भी भेजी है और माइलो भी भेजा है और हम डूंगरपुर के बारे में बहुत पर्टीकुलर हैं क्योंकि यह आदिवासी इलाका है और दूसरे जिलों के मुकाबले में डूंगरपुर में जो धान भेजा हैं वह देरी से पहुंचा है। अब माइलो लेट आया अमेरिका से तो मेरा तो दोष नहीं था उसमें। परन्तु ज्योंही आया हमने सबसे पहला कन्साइनमेंट डूंगरपुर को भेजा है।

यहां पर नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि नोहर और भादरा के अन्दर पक्षपात किया गया है और उन्होंने खर्चे की लिस्ट दी। वह सही नहीं थी। मैंने जो उत्तर दिया है और उन्होंनें जो कहा है उसमें गड़बड़ी है। मेरे पास फिगर कुछ और हैं और उनके पास कुछ

(श्री परसराम मदेरणा)

और हैं। वह 17 लाख बता रहे थे। तो मैंने 17 लाख की लिस्ट नहीं दी है। भादरा में ज्यादा खर्च शायद आपको इसलिए दिख रहा है कि भादरा और राजगढ़ की इन्टर डिस्ट्रिक्ट सड़क है और उनकी उपयोगिता पंजाब से जोड़ने की थी इसलिए उस सड़क पर 4 लाख रुपया खर्च हुआ है उसको निकाल देते हैं तो ज्यादा डिफरेन्स रहने वाला नहीं है। फिर आपने कहा कि रिकवरी बन्द क्यों नहीं की। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने रिकवरी सभी की बन्द की। लेकिन पंपिंग सैट, ट्रेक्टर वगैरह की····

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है। नोहर में 2 लाख 10 हजार रुपये दिये हैं और भादरा में 5 लाख 88 हजार रुपये दिये हैं और इस तरह से बिलकुल पक्षपात बरता गया है। नोहर के गांवों की जन संख्या भी ज्यादा है और वहां पर काम कम करवाया गया और वहां ज्यादा करवाया गया।

श्री परसराम मदेरणा : अभी भी अभाव की स्थिति बनी हुई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी लिस्ट के मुताबिक ही मैंने कहा है।

एक माननीय सदस्य : चुन्नीलाल इन्दलिया के यहां ज्यादा काम हुआ है इनसे पूछ लो।

श्री रामचन्द्र आर्य : चुन्नीलाल इन्दलिया को खरीद सकते हैं लेकिन रामचन्द्र को नहीं खरीद सकते।

श्री परसराम मदेरणा : मैं माननीय सदस्य को इतना ही जवाब दे सकता हूं कि हमने जानबूझकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है और उसके बाद में भी खर्चा एक में कम हो गया और एक में ज्यादा हो गया है तो यह तो उनके देखने की बात थी क्योंकि प्रस्ताव ही जिलाधीश ही भेजते हैं और उनको हम सेंक्शन करते हैं मैं निवेदन कर दूं कि आगे ऐसी स्थिति रही तो ऐसी डिस्क्रिमिनेशन राज्य सरकार नहीं करेगी।

उसके बाद में नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सभी तरह के लोन ट्रेक्टर, पम्पिंग सेट और कुओं के लोन है इसलिये हमने उनकी वसूली नहीं रोकी कि ट्रेक्टरों के लिए बहुत कम लोगों को लोन दिया गया है और ऐसे लोग मुश्किल से सौ या डेड सौ के आसपास होंगे और वह भी कई सालों पहले दिया गया था और ट्रेक्टर्स से लोगों ने बहुत आमदनी कर ली थी और कई लोग ग्रेवल से ट्रान्सपोर्ट करने का काम भी कर रहे हैं ट्रेक्टर्स के जरिये इसलिए हमने देखा कि ट्रेक्टर्स की इन्सटालमेन्ट्स बन्द नहीं की जायें और पम्पिंग सेट के भी नहीं रोके जायें···

श्री रामचन्द्र आर्य : सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं। कृषि विभाग ने आपके आदेश नहीं माने और सारी वसूलियां हुई है गरीबों से।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी, माननीय अकाल सहायता मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि अभी अभी चूरू जिले में नोटिस दिये हैं। आप कहें तो एक नोटिस की प्रतिलिपि अब भी है और आपके आर्डर्स के खिलाफ नोटिस दिये हैं। 42 हजार 400 रुपये आपके आर्डर्स के खिलाफ वसूल किये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : उनको वसूली नहीं करनी चाहिए थी । मेरे ख्याल से वसूली का आपका एक रेज्योल्यूशन आया था पार्टी का उसमें वसूली का रेफरेन्स था उसमें कलेक्टर को पूछा कि इस तरह की वसूली जो रोक दी है वह नहीं होनी चाहिए । ऐसे आदेश दिये थे फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि चूरू के कलेक्टर आज यहीं पर हैं मैं उनको आदेश दूंगा कि जो राज्य सरकार की वसूली की बात है वह नहीं की जानी चाहिए ।

दूसरे सिद्धपुर के सरपंच के बारे में कहा । उसमें माननीय सदस्य को खुद को मालूम है कि वहां पर शिकायत आने के बाद कार्यवाही की गयी और भागते हुए जुनियर इंजीनियर को पकड़ा गया, उसको सस्पेन्ड किया गया और उसकी जांच चल रही है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय एक व्यवस्था का सवाल है । व्यवस्था का सवाल यह है कि माननीय श्री रामचन्द्र जी आर्य ने जोश में एक माननीय सदस्य के जबाब में खरीदने वाली बात के लिए कहा है । मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे परिवार का जनमा हुआ आदमी नहीं हूं और मुझे राज्य सरकार या राज्य सरकार के मन्त्री खरीद सकें दूसरे खरीद सकें ऐसी बात नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई बुरी मन्शा नहीं थी । वह बारबार कहते हैं कि चुन्नीलाल इन्दलिया से पूछ लो । मेरा यह भावार्थ नहीं था । अगर मैंने कोई ऐसी बात कही है तो मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : शाम को अपने दल में बात कर लीजिये आप ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जो माननीय सदस्य ने कहा उससे मुझे एतराज है और वे अपने शब्द वापिस लें ।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपस का मामला है जाने दीजिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे संगीन मामला तो बासोतियाजी का है ।

श्री परसराम मदेरणा : एक माननीय सदस्य ने कहा कि मैंने प्रश्न पूछा था और मुझे इनफर्मेशन नहीं दी । वह इनफर्मेशन इसलिए नहीं दे सके कि वह हमारे पास कलेक्ट नहीं हुई होगी और ज्योंही कलेक्ट हो जायेगी वह बाद में दे दी जायेगी ।

दूसरे सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक शिकायत हुई थी और उसकी याने राजगढ़ की जांच क्यों नहीं की । तो उपाध्यक्ष महोदय, जब जून में मैं माउन्ट आबू में था तो उस समय एक अखबार में मैंने पढ़ा जिसकी कटिंग मेरे पास आई थी कि राजगढ़ में इस तरह की गडबड़ियां हो रही हैं तो मैंने माउन्ट आबू से कलेक्टर्स की कान्फ्रेन्स थी 15 को और 16 तारीख को मैंने कुछ आफिसर्स को वहां पर रोका था और वहीं से मैंने टेलीफोन पर कहा कि इमीडियेटली प्रासीड करें और उसके साथ ही साथ डिप्टी मिनिस्टर पी० डब्लू० डी० को भी मैंने टेलीफोन किया था कि वहाँ पर फर्जी हाजरियां हैं तो लोगों की एबसेन्ट की जानी चाहिये और वह वहां गये थे और जाने के बाद लोगों को कम भी किया था और चीफ

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्जीनियर ने एक स्पेशल पार्टी भी भेजी थी और कुछ ओवरसीयर्स को सस्पेन्ड किया है, जूनियर इन्जीनियर को भी सस्पेन्ड किया है। इस तरह कार्यवाही चल रही है।

आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पेमेन्ट टाइम पर होना चाहिए। मैं भी मानता हूं इसको। कई जगह देरी हुई है, देरी नहीं होनी चाहिए थी और जिन लोगों ने देरी की है उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया लेकिन आगे ध्यान रखेंगे कम से कम लेबर को लगाया जाये क्योंकि ज्यादा आदमी लगाने के बाद ट्रान्सपोर्ट के साधन नहीं होते हैं, जीपें नहीं होती है, और वहीं आदमी इन्सपेक्शन करते हैं, वही मेजरमेन्ट करते हैं और वही आदमी पैसा उठाते हैं। इस तरह की कुछ प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज थीं जिससे माननीय सदस्य स्वयं परिचित हैं।

उसी तरह से अनाज की व्यवस्था के लिये आसपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा तो वह व्यवस्था की जायगी। मैं इसके लिए डूंगरपुर जिले में और आसपुर में हो रही अनाज की व्यवस्था करने के बारे में चिंतित हूं और जल्दी से व्यवस्था वहां पर करने के लिए ध्यान में रखा जायेगा।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कोआर्डिनेशन का जिक्र किया और इसलिए कोआर्डिनेशन हो सभी कामों के लिए प्लानिंग के अन्दर कोआर्डिनेशन हो। इसलिए एक स्पेशल आफिसर नियुक्त किया गया है डूंगरपुर में डिपार्टमेंटल कोआर्डिनेशन किस तरह हो सकता है यह मामला सरकार के विचाराधीन है। नान—कोआर्डिनेशन की बात नहीं है। लोकल आफिसर्स के बीच में कहीं कहीं पर कोआर्डिनेशन नहीं रहता है। उस जगह पर करने की कोशिश की गई है कि उनमें कोआर्डिनेशन रहे।

माननीय नाथूलालजी ने कुछ बातें कहीं यहां पर। अभी वे हैं नहीं यहां पर जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पोकरन के तालाब के सम्बन्ध में एक बात कही· ·

श्री डूंगाराम राजोरिया : उन्होंने गेनोर से पारली रोड के बारे में कहा था कि वह अकाल राहत के लिए स्वीकृत हुई थी, लेकिन वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब अपने फार्म पर ले गये उसे रोड को अकाल राहत के तहत जो काम होना था गेनोर से पारली रोड का वह नहीं होकर वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब का वहां पर एक फार्म है उस तरफ ले गये। इसके बारे में·······

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सदस्य इसका जिक्र कर रहे हैं कि कहां पर सड़क चली गई। कब आई और चली गई·······

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसकी जांच होगी या नहीं अकाल राहत कमेटी···

श्री परसराम मदेरणा : इसके बारे में जानकारी करके ही सूचना दे सकता हूं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि टी० एन० टी० की परचेजेज के मामले में गड़बड़ियां हुई है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि इनको परचेजेज करने के लिए एक सेन्ट्रल परचेजिंग ओथोरिटी होगी और

Page No 134

(श्री परसराम मदेरणा)

वह चीफ इन्जीनियर इस मामले में होगा। चीफ इन्जीनियर ने आल इंडिया बेसिस पर टेन्डर इन्वाइट करके पर्चेजेज की है। जब बाद में कुछ स्थिति बिगड़ती है तो 10-15 हजार तगारी फावड़े खरीदने के लिए एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को इसके लिए आर्म किया गया था। कितने का दिया था यह मुझे मालूम नहीं है इस वक्त, लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है कि कुछ आदेश दिये गये थे एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स के नाम, लेकिन जो बल्क परचेजेज की गई है वे आल इंडिया के बेसिस पर टेंडर इन्वाइट करके सेन्ट्रल परचेजिंग आथोरिटी जो चीफ इन्जीनियर थे उन्होंने जयपुर में की है। इसके बारे में जो पावर एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स को थी वह छीन ली गई थी और इसके लिए चीफ इन्जीनियर को ही सक्षम बनाया था टी० एन० टी० के लिए

श्री बालसिंह सोढा : 68-69 में जो परचेजेज हुई थी उसके सम्बन्ध में कहा था।

श्री परसराम मदेरणा : 68-69 का कहा था तो गवर्नमेंट का डिसीजन हुआ है, 69 के मार्च के अन्दर, साल खत्म हुआ करता है गवर्नमेंट का अक्टूबर और नवम्बर में। यह केबिनेट का डिसीजन है गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट से मेरा मतलब रिलीफ डिपार्टमेंट से है कि उसका डिसीजन नहीं था। यह केबिनेट का डिसीजन हुआ है और डिसीजन से परचेजेज किये गये हैं ..

श्री बालसिंह सोढा : जहां पर परचेजेज के बारे में गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो जाय।

श्री परसराम मदेरणा : परचेजेज के बारे में आप पर्टीकूलर शिकायत कर दें और आप बता दें कि किस प्रकार की गड़बड़ हुई है और किसने की है तो जांच करा लूंगा उसके ऊपर।

पोकरण के तालाब के सम्बन्ध में बात कही है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी पोकरण गये थे तो वहां के लोगों ने उनसे रिप्रेजेन्टेशन किया था कि यहां की म्युनिसिपेलिटी को ग्रामीण क्षेत्र के बराबर यों तो कर दिया लेकिन यहां पर गरीब आदमी बहुत हैं। इसलिए पोकरण के तालाब पर काम उनको दिया गया और उनको काम देना जरूरी था। आपने वहां पर गड़बड़ी का कहा और एक औरत का भी आपने नाम दिया था तो उसकी जांच के लिए मैंने कलेक्टर को लिखा है। मैंने उनसे टेलिफोन से पूछा था तो उन्होंने कहा कि पता नहीं तो मैंने उनसे रिटिन में पूछा है कि जांच करने के बाद जो कुछ भी गड़बड़ियां हों और आप फरदर सहयोग दें और मुझे बतायें इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

यह कड़बी के बारे में जांच के लिए आपने कहा कि जो कड़बी खरीदी थी नागौर से तो कड़बी की वहां पर तत्काल आवश्यकता थी और जैसलमेर में बिल्कुल घास नहीं था तो दो हजार क्विन्टल कड़बी के लिए नागौर के कलेक्टर को इजाजत दी थी कि मार्केट रेट पर मिलती है उसके आस पास जल्दी से खरीद कर बीकानेर को दे दो। वह सितम्बर के एण्ड में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक का था। इसके पहले थोड़ी बहुत गड़बड़ की है तो मैं नहीं कह सकता।

(श्री परसराम मदेरणा)

अगर कहीं गड़बड़ है तो मुझे दिखाइये। इमरजेन्सी की सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए यह इस तरह से परचेज करना अत्यन्त आवश्यक हो गया था क्योंकि जैसलमेर की गायों को बचाने के लिए कोई कड़बी नहीं थी। और माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसकी जांच एस. डी. ओ. के यहां चल रही है। उसके पश्चात् कार्यवाही की जायगी।

हिन्डौन से आने वाले माननीय सदस्य ने आवेदन-पत्रों के बारे में कहा है तो वे इस समय माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं। इसी तरह से जो यहां पर माननीय विट्ठल भाई ने कहा कि मजदूरी मिलने से लोगों को बचाया जा सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें प्रश्न की कोई बात नहीं है। यदि आवश्यकता हुई राहत कार्य खोलने की वहां पर, राज्य सरकार राहत-कार्य जरूर खोलेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी करिये वह वक्त खत्म नहीं हो रहा अभी तक।

श्री आईदानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, एक प्रश्न का जवाब बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : अपने जवाब में मंत्री महोदय ने पूरी कोशिश कर ली है उसके बाद में अभी तक कोई सवाल बच गये हों तो समयाभाव के कारण उनको लेना कठिन है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) आर्डर प्लीज।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : लगान वसूली के बारे में नहीं कहा है।

समितियों का गठन

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान बाल विधेयक, 1969 पर प्रवर समिति में निम्न माननीय सदस्य होंगे :—

(1) श्री बी० एन० जोशी,
(2) श्री रामचरण,
(3) श्री शिवनाथसिंह,
(4) श्री पी० के० चौधरी,
(5) श्री मूलचन्द डागा,
(6) श्री सहदेव शर्मा,
(7) श्रीमती मदनकौर,
(8) श्रीमती गौरीपूनिया,
(9) श्री रामनारायण चौधरी,
(10) श्री अमीलाल यादव,
(11) श्री भूरालाल,
(12) श्री देवीलाल (उदयपुर, सराड़ा)
(13) श्री मनफूलाराम,
(14) श्री सूरजमल,
(15) श्री कल्याणमल,
(16) श्री बलवन्तारांम,
(17) श्री शीशराम औला,
(18) श्री मनोहरसिंह मेहता,
(19) श्री रामसिंह कुड़ी,
(20) श्री हरिवल्लभ शर्मा,
(21) श्री बालसिंह सोढ़ा,
(22) श्री लादूराम सुलानियां,
(23) श्री भगवानदास शास्त्री,
(24) श्री गंगासहाय,
(25) श्री केदारनाथ।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार

राज्य मंत्री समाज-कल्याण (श्री विशम्भरनाथ जोशी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, 1966-67 (सोलहवीं रिपोर्ट) पर, जो दिनांक 21 मार्च, 1969 को सदन की मेज पर रखी गई थी, विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर विचार होने से पूर्व मेरी आपत्ति है। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने इस पर विचार करने के लिए दो दिन नियत किये थे। आज पौने पांच बज रहे हैं जब कि इसको विचारार्थ ले रहे हैं तो इस पर टाइम बढ़ेगा या कल ही खत्म होगा यह फर्मादें ताकि इसके आधार यह पर चर्चा हो।

यह दुर्भाग्य है कि महत्वपूर्ण विषयों को सबसे बाद में रखा जाता है। इस पर उधर के माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं और इधर के माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं, और इस प्रश्न को इस प्रकार से टाला जाता है और इसका बाद में टाइम रखा जाता है जबकि कोई भी इस पर नहीं बोल पाता है। इससे तो अच्छा यह हो कि हम इसको मान लेते हैं और अपने अधिकार को वापिस लेते हैं इस पर बोलने का। हम आप से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यह बताया जाय कि कितने टाइम तक इस पर बोलेंगे कब सरकार का जवाब होगा? उधर के माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे और इधर के माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। तो हम आप से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को ......

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है कि कल से आगे सदन चलेगा या नहीं यह तो कार्य सलाहकार समिति निर्णय करती है। आज इस पर चर्चा शुरू कर दी जाय और यदि माननीय सदस्यों की इच्छा होगी तो डेढ़ दो घन्टे का टाइम इसके लिए और बैठ जायेंगे। उसके बाद में कल का पूरा दिन है और उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं होगा तो कल और समय बढ़ा दिया जायगा, और यदि कार्य सलाहकार समिति सत्र की अवधि को बढ़ाती है तो उस स्थिति में इस पर आगे और विचार किया जा सकता है।

श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि आज चूंकि समय ज्यादा लग गया है इसलिए आज ही कम से कम दो घन्टें ज्यादा बढ़ा दिये जायें कि जिससे बोलने वालों को अवसर मिल जायगा।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मुख्यमंत्री जी की इस बात पर हमें सख्त ऐतराज है। माननीय मुख्यमंत्री जी 6 महीने से पहले सत्र नहीं बुलाते हैं और फिर सदन में इस तरह से बिजीनेस रखते हैं कि रोज अनसर्टेन्ली रहती है, और कभी बिजीनेस पूरा इस हाउस में

(श्री दौलतराम सारण)

डिसकस नहीं होता है और हम हमेशा देखते हैं कि इतनी बड़ी सदन की अवमानना करते हैं और उपेक्षा करते हैं यह इस सदन के सारे माननीय सदस्य फील करते हैं । कभी एक घन्टा बढ़ाते हैं और कभी दो घन्टा बढ़ाते हैं रोजाना हम एक-एक, दो-दो घन्टे ओवर टाइम नहीं बैठ सकते हैं । क्यों इस तरह से सदन का टाइम बढ़ाया जाता है ? इनको चाहिये कि सदन को समय पर बुलायें और ज्यादा अवसर दें ताकि ज्यादा अच्छी तरह से सदन अपने विचार व्यक्त कर सकें । लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी पता नहीं कि किस कारण से घबराते हैं और किस कारण से सदन की कार्यवाही को जल्द बन्द कराना चाहते हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं कि हर जगह पार्लियामेंट में और सब जगह जो बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है कार्यक्रम उसके अनुसार सदन चले उसकी जिम्मेदारी सब तरह के लोगों की है, और जो कुछ मैं कह रहा हूं वह केवल इसी दृष्टि से कह रहा हूं कि जो बिजीनेस एडवाइजरी कमेटी थी उसने जो कार्यक्रम तय किया था उसके अनुसार कार्य सम्पन्न हो जाय, उसी पर कहना चाहता हूं। घबराने की बात नहीं है और घबराने का हमेशा कहते रहते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 2 घन्टा 15 मिनिट बढ़ाया जाय ।

श्री दौलतराम सारण : संसदीय प्रणाली के अन्दर किसी भी सदन के अन्दर इस प्रकार से रोजाना एक-दो घन्टे का समय नहीं बढ़ाया जाता हैं और सदन का समय पहले ही निर्धारित होता है और पहले के निर्धारण के अनुसार कार्यवाही की जाती है लेकिन हमारे यहां राजस्थान में रोज जो है एक दिन बढ़ेगा, फिर कल दो दिन के लिए बढ़ेगा, और परसों फिर तीन दिन के लिए बढ़ता है, इस तरह से रोज कार्यवाही बढ़ाई जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । इसमें थोड़ी अपनी खुद की भी देखने की बात है । और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने मिल कर तय किया कि 3 तारीख को सायंकाल सत्रावसान हो जाएगा । उससे पहले फेमीन की रिपोर्ट पर चर्चा होगी । लेकिन बदकिस्मती से जब चर्चा होती है ...

श्री दौलतराम सारण : यह उपाध्यक्ष महोदय, सही नहीं है । अकाल पर बहस कई दिन से चल रही है । एक दिन में इतना ज्यादा बिजीनेस रख देते हैं कि माननीय सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष: इसके लिए जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : अनसर्टेन कोई कार्य नहीं कर सकते हैं ।

(शोरगुल)

एक माननीय सदस्य: नेता लोग बोल लें ।

श्री गंगासहाय : इतने समय में हम यहां क्या कर सकते हैं । हम इसलिए यहां पर नहीं आते हैं, भत्ता कमाने के लिए नहीं आते हैं । हम यहां इसलिए आते हैं कि जनता के लिए कुछ होना चाहिए । कुछ नहीं हुआ है ।

(शोर गुल अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । एक सदस्य ही बोलें ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कोई समय नहीं होता है ।

(लगातार शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । आर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : रात भर चलायें ।

(लगातार शोरगुल)

श्री मूलचन्द डागा : आधे घन्टे का समय होता है । दो दो घन्टे भाषण करते हैं । दो दो घन्टे बोलते हैं ।

(लगातार शोरगुल)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री विजयसिंह : डागा साहब बीच में घोंचा पैदा करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष: आप भी शामिल हैं । आर्डर प्लीज ।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम अपने पर विचार व्यक्त करने जा रहे हैं, बड़ा दुर्भाग्य है कि दो साल के बाद में तो यह रिपोर्ट पेश होती है और वह रिपोर्ट भी बजट सैशन में पेश न होकर दूसरा सैशन चलता है उसमें लाई जाती है । उसमें भी भेदभाव बरता जाता है । सबसे लास्ट में रिपोर्ट पेश करते हैं । उस पर फिर रात के 11 बजे तक चर्चा होती है ।

श्री उपाध्यक्ष : रात के 11 बजे तक चर्चा होती है तो यह समझा जाना चाहिए कि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री महोदय देखते भी कम हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सुनने की बात है । देखने की क्या बात है ।

श्री श्रवणलाल : अधिकतर लोग 11 बजे तक बैठ नहीं पाते हैं । अधिकतर उपस्थित न होकर अपनी भावना को व्यक्त करने से वंचित रह जाते हैं । इसके अलावा जब समय निर्धारित किया जाता है कि अमुक समय पर...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो विशेषता है ।

श्री श्रवणलाल : जब भी मंत्री महोदय, उस विषय पर वक्तव्य देते हैं तो ऐसे बोलते हैं जैसे फ्रण्टियर मेल जा रही हो । न कोई सदस्य प्रश्न पूछ सकता है...

श्री उपाध्यक्ष : Order, please.

श्री श्रवणलाल : जो सब्जेक्ट हमने विचारों में व्यक्त किया, कोई स्पष्टीकरण नहीं कर पाते हैं । इसलिए मैं आपके द्वारा चाहूंगा कि दो दिन तो बताये गये हैं, वह भी कम हैं । इसके लिए पूरे 3 दिन रखे जायें । चौथे दिन मंत्री महोदय जवाब दें । जब तक पूरा विचार नहीं कर लिया जाये तब तक यह बीच में नहीं रोका जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी शुरू कर दीजिए ताकि उसकी पूर्ववर्तिता हो जाये ।

श्री विजयसिंह : कार्य सलाहकार समिति ने अकाल पर दो दिन का टाईम दिया है। वह बहुत कम दिया है। ऐसा मालूम होता है कि कार्य सलाहकार समिति के माननीय सदस्यों को अधिकतर घर के काम होते हैं।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री विजयसिंह : अगर उनको घर का काम होता है तो उनको घर बैठ जाना चाहिए। यहां आना नहीं चाहिए। जो लीडर कहलाते हैं। वह ···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। लीडर होने का आप को भी सौभाग्य हो सकता है। उसकी क्या बात है ? मैं समझता हूं कि चर्चा शुरू हो जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया: शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हर पार्टी वाला नारा लगाता है। मैं देखता हूं कि अनुसूचित जाति की इस रिपोर्ट पर बहस होने के लिए किस प्रकार का किया जाता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मुझे ऐसा मालूम होता है कि जनसंघ ने माननीय सदस्य को इस रिपोर्ट पर बोलने को नहीं कह रखा है, इसीलिए इस वक्त बोल रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यमन्त्री महोदय उसे इसलिए टालना चाहते हैं कि इससे सरकार के काले कारनामे जनता के सामने नहीं आ पायें।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया: इसके लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर, आर्डर।

(शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया: इस पर राजनीतिक तौर पर गम्भीरता से विचार किया जाये। समय बढ़ाया जाये। रात्रि का समय निर्धारित नहीं किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। श्री जयनारायण सालोदिया।

(लगातार शोरगुल)

श्री शंकरलाल: 2 घंटे का समय बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव रखा है, जहां तक समय बढ़ाये जाने का सम्बन्ध है, वह ऐसे लोग विरोध करें जो कि, जिस वक्त धरना दिया था, रात रात भर बैठे थे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: यह कहना ठीक नहीं है। (लगातार शोरगुल कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री शंकरलाल: यह तरीका ठीक नहीं है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोलेंगे। इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय······

(लगातार शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य श्री शंकरलाल ने कहा है कि हम धरने पर बैठे हैं इसलिए हम रात भर बैठ सकते हैं। मैं उनको यह कहना चाहता हूं...

(शोर गुल-अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

(लगातार-शोरगुल)

श्री श्रवणलाल : तीन दिन के लिए...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप थोड़ा बैठ जायें।

बिरधारामजी आप बैठ जायें।

(लगातार शोरगुल—अश्रव्य)

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आप चर्चा शुरू होने दीजिए। बाद में पाइन्ट आफ आर्डर उठा सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया।

(लगातार-शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : पहले समय बढ़ा दिया जाये। एक दिन और बढ़ा दिया जाये।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शंकरलालजी ने कहा था कि हम रात भर धरने पर बैठे थे। तो मैं उनको यह कहना चाहता हूं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शंकरलाल जी ने यह कहा था, हम धरने पर रात भर बैठे थे। जैसे कोई विवाह मंडप में...

(शोरगुल, अश्रव्य)

धरने पर बैठने की बात अलग है।

(लगातार, शोरगुल)

श्री बिरदाराम : हर महकमें में 12½% हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने बिना नाम पुकारे ही शुरू कर दिया।

श्री बिरदाराम : हमको साढ़े 12 परसेंट मिलना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं।

(शोरगुल)

और जो जमीन है, जो ऐसी जमीन है, वह भूमिहीन काश्तकारों को, भूमिहीनों को दी जाय...

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री बिरदाराम : जो भूमिहीन काश्तकार हैं उनमें....

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके पाइन्ट आफ आर्डर पर आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री बिरदा राम : जो काश्तकारों को जमीन एलाट होती हैं ..

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं. ....

श्री बिरदा राम : आप बैठिये थोड़ा।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्यों बैठ जाऊं ?

श्री बिरदाराम : जो काश्तकार हैं उन में जो शिडयूल्ड कास्टस् और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं .....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री बिरदाराम : उनके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। वह वहां पर नौकर रहते हैं और भूमि के मालिक दूसरे रहते हैं, जमीन किसी के नाम पर होती है....

श्री जयनारायण सालोदिया: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। माननीय सदस्य की यह मन्शा है, कि डिबेट को चालू नहीं करना चाहिये। अगर इस तरह यह बोलते रहेंगे तो हम भी बोलेंगे और इनको नहीं बोलने देंगे और न लिखने देंगे। मैं यह कह रहा हूं—

श्री बिरदाराम : बोल लेना, आप भी बोल लेना।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह क्या ऊट पटांग बोल रहे हैं। आप (श्री बिरदा राम) क्या कह रहे हैं ? इनका क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री विजय सिंह : क्या है इनका पाइंट आफ आर्डर ?

श्री बिरदा राम: इसलिए मेरा निवेदन है कि शिडयूल्ड कास्ट्स के लिए साढे बारह पर्सेन्ट भूमि होनी चाहिए, जिस प्रकार.......

(व्यवधान, शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : वह सुनने को तो तैयार हों। सुनें तो सही माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री बिरदाराम : नौकरी के लिए साढ़े बारह पर्सेन्ट रखा है उसी तरह भूमि के मामले में साढ़े बारह पर्सेन्ट भूमि रखनी चाहिए....

श्री जयनारायण सालोदिया : वही साढ़े बारह पर्सेन्ट !

श्री बिरदाराम : जो भूमिहीन काश्तकार हैं, उनको भूमि देकर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को कुए खोदने के वास्ते भी लोन देना चाहिए। शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो लोग हैं उनको साढ़े बारह पर्सेन्ट कुए के लिए धन देना जरूरी है, और साढ़े बारह पसन्ट सिंचाई के साधन भी होना जरूरी है, जब साढ़े बारह पर्सेन्ट हर जगह हो तो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को और हरिजनों को मकान के लिए भी लोन मिलना जरूरी है। इसके अलावा जो कालोनी बनी हैं उनमें भी साढ़े बारह पर्सेन्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स के होना जरूरी है....

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पर बोल रहे हैं। इन्होंने क्या पोइन्ट ऑफ आर्डर रेज किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। इन्होंने तो चर्चा शुरू कर दी है इस पर।

श्री जयनारायण सालोदिया : नहीं नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री विजय सिंह : हम भी हमारी चर्चा शुरू करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसके आदेश से यह चर्चा शुरू हुई है, किनके आदेश से यह चर्चा कर रहे हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : हम भी हमारी चर्चा शुरू करेंगे। आपको यही डिबेट का स्टेन्डर्ड करना है तो हम भी चर्चा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य चर्चा करना नहीं चाहें-मैं क्या यह समझूं। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। मैंने माननीय जयनारायण जी का नाम चार दफा पुकारा लेकिन वह प्रांगण को अपने हाथ में नहीं रख सके। यह हिम्मत वाले माननीय सदस्य थे, इन्होंने पन्द्रह मिनिट के व्यवधान के पश्चात् प्रांगण को अपने हाथ में ले लिया और चर्चा शुरू कर दी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। मैं यह मानता हूं कि इन्होंने आधा भाषण (व्यवधान) आॅर्डर प्लीज इन्होंने आधा भाषण तो समाप्त कर दिया है। अब इनको भाषण समाप्त करने दीजिये। उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य बोल सकेंगे। आर्डर प्लीज। तो रेगुलेराइज इस तरह हो जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है····

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न वह माननीय सदस्य नहीं समझे, वह एलाऊ नहीं करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं समझते हैं। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह नहीं समझते हैं तो हम भी नहीं समझते हैं। व्यवस्था के प्रश्न पर आप दूसरे माननीय सदस्यों को तो आज्ञा देकर बिठा देंगे, उनको आप अनुमति दे रहे हैं बोलने की। आप उनको आज्ञा दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप व्यवस्था का प्रश्न उठा लीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह मांग की थी, डिबेट शुरू होने के पूर्व यह मांग की थी कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है. इस पर इसी तरह हाउस एडजोर्न होने के समय डिबेट होती है, जिसके कारण सारे माननीय सदस्य डिबेट में भाग नहीं ले सकते हैं और न अपना पाइन्ट आफ व्यू रख सकते है गवर्नमेंट के सामने इसके अलावा समाज कल्याण की मांग किसी मांग के साथ होती नहीं है, इसलिये इस पर चर्चा नहीं होती है। केवल डिस्कशन करने का यही रिपोर्ट एक माध्यम है

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जिसको भी सरकार डिले से पेश करती है और फिर भी सरकार यह मन्शा रखती है कि इस पर विचार नहीं हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे अपने अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं, हमारे जो अधिकार हैं, जैसे और जगह सुरक्षित रखे हैं वैसे ही यहां पर भी सुरक्षित रखें। फिर भी अगर आपका यह निर्णय हो ...

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान होने पर) Order please.

श्री जयनारायण सालोदिया : इस तरह शुरू की जायगी चर्चा तो हम भी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जैसा मैंने निवेदन किया, इस समय का बंटवारा कार्य सलाहकार समिति करती है और आसन अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करता है कि समय सीमा के अन्दर पूरा काम हो। लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति यह बन जाती है कि जिन माननीय सदस्य के हाथ में प्रांगण आ जाता है, वह सोचते हैं कि सारी बात मैं आज ही कह दूं। नतीजा यह होता है कि कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अनुसार जो विषय एक बजे आना चाहिए, वह बदकिस्मति से पौने पांच बजे, तीन बजे या चार बजे आता है। कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट को जब यह सदन स्वीकार कर लेता है उसके पश्चात् आसन के हाथ में यह नहीं है कि दिन वह बढ़ा सके हमारे हाथ में तो इतना ही है कि आपकी सलाह से समय को बढ़ा सकें। आप दो घण्टे बैठें, तीन घण्टे बैठें, चार घण्टे बैठें-जितने समय भी सदन बैठना चाहे आसन अपना सहयोग देने को और अपनी सेवायें देने को तैयार है। जहां तक समय का प्रश्न है, जो अकाल पर चर्चा हुई उसमें समय ज्यादा ले लिया। अच्छा यह होता कि सवा चार बजे इस पर डिबेट शुरू हो जाती। लेकिन माननीय सदस्यों ने उस पर ज्यादा समय ले लिया। एक तरफ यह प्रचार किया जाता है कि इसको सीरिअसली नहीं लेते हैं, दूसरी तरफ इस पर विचार करने में माननीय सदस्य यह कह कर बाधा उपस्थित करने लगते हैं कि इसमें यह गलती रह गई, वह रह गई। अगर उस वक्त डिबेट शुरू हो जाती तो आधा भाषण आपका पूरा हो गया होता। लेकिन बीच में आपने और प्रश्न दिया और बिरदारामजी, आप जानते हैं बिलकुल पिछली बैंचों पर बैठने वाले हैं, उनके कब्जे में प्रांगण आ गया तो उन्होंने हिम्मत के साथ में डिबेट शुरू कर दी। मैंने उसे उचित समझा। अब अगर आप पाईन्ट आफ ऑर्डर से उनको बैठाना चाहें तो वह कहा मानेंगे। इसलिए मैं आशा करके चलता हूं कि उनका आधा भाषण तो हो गया है और आधा और हो जायगा और इस प्रकार चर्चा शुरू हो जायगी। उसके बाद सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है तो एक घण्टे, दो घण्टे या तीन घण्टे और बैठ जायेंगे। आज चर्चा इस पर शुरू हो जाती है तो कल समय पर चर्चा फिर शुरू होगी। अब जो एक दिन बढ़ाने का प्रश्न है, तो सदन के सभी पक्षों के नेता कार्यसलाहकार समिति में बैठते हैं, वह यदि निर्णय ले लेंगे तो और समय बढ़ाया जायगा। इसमें वाद-विवाद का प्रश्न किधर है-यह मैं समझ नहीं सका।

श्री विजयसिंह : समय बढ़ाने का वादविवाद का प्रश्न है। उधर तो पांच सात माननीय सदस्य बैठते हैं और इधर हमें अकेले ही बैठना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । समय नहीं बढ़ाया जायेगा । इसमें वादविवाद का प्रश्न नहीं उठता है । समय नहीं बढाया जायगा । साथ ही माननीय सदस्यों की ओर से भी आसन को सहयोग देना पड़ेगा । जब आसन आपसे निवेदन करे कि आप कृपया स्थान ग्रहण करें, उस वक्त आप स्थान ग्रहण कर लें और जब आपको अनुमति मिल जाय कि आप बोलें उस वक्त आप बोलें । पोइन्ट आॅफ आर्डर हो तो वास्तव में वह पाइन्ट आॅफ आर्डर हो । ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो तो ध्यान आकर्षण के रूप में उसे लाया जाय । यह सभी माननीय सदस्यों के सहयोग से चल सकता है । आसन जो है, इस पर बैठने वाला व्यक्ति है वह सदन का सेवक है और जितने इस सदन के नियम हैं वह भी सदन के द्वारा बनाये हुए हैं । उनमें ऐसा भी प्रावधान है कि अगर किसी नियम को कुछ समय के लिए सस्पेन्ड करने की जरूरत पड़े तो सदन सर्वोपरि है, वह सस्पेन्ड कर सकता है । इसमें ऐसी कौनसी बात है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिबेट चालू करें ।

श्री उपाध्यक्ष : उचित यही होगा कि माननीय बिरदा राम जी काफी बोल गये हैं, दुबारा फिर दोहरायेंगे । इसलिए माननीय बिरदा राम जी अपना भाषण चालू रखें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन का समय बढ़ाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति होगी तो ..

श्री सतीशन्द्र अग्रवाल : घन्टा दो घन्टा बढ़ा दें

श्री उपाध्यक्ष : आपने तो सब काम कर लिये हैं इसलिये जितना हम समय बढ़ायेंगे…

श्री भेरोंसिंह : हम बोलेंगे । हमारा काम कहां हुआ है, हम रिपोर्ट पर डिस्कशन करेंगे ।

श्री विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह रोज रोज समय बाढ़या जाता है, इसके विरोध में मैं वाक आउट करता हूं ।

(श्री विजय सिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : आपको और कोई काम है क्या ? इतना यह क्या कर रहे हैं ?

(5 म. प.)

श्री बिरदाराम : शिड्यूलड कास्ट और शिड्यूलड ट्राईब के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए कर्जा देना जरूरी हैं....

श्री डूंगाराम राजोरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं····

(श्री डूंगाराम राजोरिया और श्री बिरदाराम साथ साथ बोलते रहे अश्रव्य)

आर्डर, आर्डर ।

श्री बिरदाराम : जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको नौकरियों में 12।। प्रतिशत स्थान दिये जाने चाहिये ····

श्री डूंगाराम राजोरिया : इतनी महत्वपूर्ण बहस हो रही हैं तो मंत्री महोदय को यहां रहना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय दो तीन यहां मौजूद हैं और वे सुन रहें हैं ।

श्री बिरदाराम : हमारे जालौर जिले में बहुत से गरीब आदिवासी और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, उनको कर्जा देना बहुत जरूरी है । कर्जे से वे लोग कुएं खुदवा सकते हैं, मशीनें ले सकते हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नम्बर-वाइज कर्जा मिलना चाहिये । शिड्यूल्डकास्ट के किसी व्यक्ति के पास ट्रेक्टर नहीं होगा । उनको ट्रेक्टर खरीदने के लिए कर्जा मिलना चाहिए । उनको मकान बनाने के लिए कर्जा मिलना चाहिए शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को पहले समाज कल्याण विभाग से सब्सिडी मिलती थी वह भी बन्द कर दी गई है । इसलिए मेरा निवेदन है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मकान बनाने के लिए दो चार हजार रुपया मिलना जरुरी है जिससे कि वे मकान बना सकें ।

गरीबों के झोंपड़े कदीम से उनकी जमीनों में बने हुए हैं, पटवारी रिपोर्ट करता है और तहसीलदार उसको वहां से हटा देता है । जो ऊंचे वर्ण के लोग हैं, वे हाईकोर्ट में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं पर शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब लोग कोर्ट में नहीं जा सकते मुकदमा नहीं लड़ सकते, क्योंकि वे गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, कोर्ट में लड़ने के लिए वे पैसा कहां से लावें । इसलिए वे लोग निराश हो कर बैठ जाते हैं और पीढ़ियों से शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के पट्टाशुदा मकान हैं, खेत हैं, उनमें कुएं खुदे हुए हैं, मकान बंधे हुए है, उनको जूतों से मारकर उसके मकान से, उसकी जमीन से बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी जमीन पर, कुओं पर दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, खेती दूसरे करते हैं और गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है । इतना जुल्म शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ होता है; वह जुल्म नहीं होना चाहिये क्योंकि वे गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको एस. डी. ओ., कलेक्टर और सेक्रेटेरियेट में ऊंची ऊंची जगहों पर रखा जाना चाहिये ।

हमने देखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव से लोग पेश आते हैं । इसके लिये वे लोग केस करते हैं तो भेदभाव के कारण उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है, उल्टे उन्हीं पर 182 का केस लागू कर दिया जाता है । जो लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको सजा देना तो दूर उल्टे उन्हीं पर 182 का केस लागू हो जाता है । तो इस तरह का अन्याय शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ नहीं किया जाना चाहिये । 22 तारीख को रिपोर्ट दी गई है कि रेगरों के साथ अन्याय किया गया है, पर जो रिपोर्ट दी गई उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है । ऐसे ऐसे जुल्म शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ होते हैं । एक रेगर का 20 साल से उसकी जमीन पर कब्जा है, वह उस जमीन में खेती कर रहा है उसको कहते हैं कि यह जमीन छोड़ो नहीं तो तुमको मारपीट कर हटा दिया जायगा । उसने 18 आदमियों के साथ केस किया है, वह 18 आदमी जामनी से छूटे हुए हैं, ऐसे ऐसे जुल्म होते हैं, ऐसी रिपोर्ट मन्त्री महोदय के पास हैं । तो मेरा निवेदन है कि इतने जुल्म होते हैं । उनको उनके

(श्री बिरदाराम)

खेत में जाकर धमकियां दी हैं कि खेत से बाहर निकलो, औरतों ने कहा कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्होंने रिपोर्ट की है कि हमारे साथ इस तरह के जुल्म होते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में जल्दी फैसला करना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): बिरदारामजी जुल्मों की बात कह रहे हैं, वे इस जुल्मी सरकार के साथ क्यों बैठे हुए हैं।

(5. 5 म. प.)

(श्री कृष्ण कुमार गोयल सभापति, पदासीन)

श्री बिरदाराम : शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सहायता के रूप में, कर्ज के रूप में पैसा मिलना जरूरी है जिससे वे अपनी अच्छी स्थिति कर सकें, अपने रहने के लिये घर बना सकें, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे बना सकें। हमारे क्षेत्र जालोर में बहुत से गरीब आदमी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। उनको कर्जा मिलेगा तो वे कुएं खुदवा सकेंगे, कुओं पर मशीनें लगा सकेंगे ट्रेक्टर खरीद सकेंगे और वे गरीब आदमी आसानी से आगे बढ़ सकेंगे। तो समाज कल्याण से इन लोगों को आसानी से कर्जा मिलना चाहिये, जिससे कि वे लोग अपनी हालत सुधार सकें। ऐसा भी देखा गया है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के नाम से दूसरे लोग कर्जा उठा लेते हैं और आधा रुपया खा जाते हैं। इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिये इस प्रकार का इन्तजाम किया जाना चाहिये कि समाज कल्याण विभाग जो कर्जा दे उसमें शिड्यूल्ड कास्ट के नुमायन्दे रखे जायं। समाज कल्याण विभाग में, खादी बोर्ड में तो शिड्यूल्ड कास्ट के सेंट परसेंट आदमी होने चाहिये। ये महकमे इन्हीं लोगों से सम्बन्ध रखने वाले हैं, इनमें भी जब शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं रखा जाता है तो दूसरे महकमों में तो उम्मीद ही क्या की जा सकती है। खाने के लिये रोटी, पहनने के लिये कपड़ा, रहने के लिये जमीन हर आदमी को देना सरकार का फर्ज है, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिये इन चीजों का इन्तजाम सरकार को करना चाहिये। इन लोगों के साथ न्याय होना चाहिये, अन्याय नहीं होना चाहिये। आज शिड्यल्ड कास्ट के लोगों के साथ बहुत सी जगहों पर अन्याय होता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अजमेर के पास कलवाड़िया ग्राम में एक हरिजन को गांव वालों ने कहा कि यह काम करो, इस पर उस हरिजन ने कहा कि मैं यह काम नहीं करूंगा तो उसको कहा गया कि देखें कल सुबह बाहर निकलना, उसने कहा जरूर निकलूंगा, वह बाहर जा रहा था तो उसकी गांड में हलबाणी डाल कर उस हरिजन को मार दिया। उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उसके साथ इतना जुल्म किया गया। गरीबों के साथ इतना जुल्म नहीं होना चाहिये। तो मैं निवेदन करूं कि जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ इस तरह के जुल्म होते हैं और उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके लिये हम क्या करें ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सिंडिकेट में जोर रखो।

श्री बिरदाराम : राष्ट्रीयकरण हुआ है बैंकों का वह तो गरीबों के लिये अच्छा हुआ है...

श्री सभापति : विषय से बाहर मत जाइये ।

श्री गिरदाराम : गरीबों को, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, नौकरियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इनके लिये एम्प्लोयमेंट कार्ड की जरूरत नहीं होनी चाहिये । शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के पढ़ते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं लेंगे फर्स्ट डिवीजन में आये हो तो उसका क्या पटता है, तुम्हारे लिये रिजर्वेशन है । यह अन्याय उनके साथ क्यों है ? फर्स्ट डिविजन में आते हैं तो उनको नौकरी मिलनी चाहिये । शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को सहायता के रूप में रुपया दिया जाना चाहिये और इन लोगों को समाज कल्याण से पैसा, कर्जा आसानी से मिलना चाहिये । शिड्यूल्ड कास्टस के विद्यार्थी चार चार मील से आते हैं, दो दो महीने पढ़ते हैं, उनके बिल पास नहीं होते हैं, उनमें रोड़े अटकाये जाते हैं । इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, मैं बड़े दुख के साथ यह बात निवेदन कर रहा हूं कि इस विभाग के प्रति जो सरकार का रवैया है, वह दुखपूर्ण है, खेदजनक है, असन्तोषजनक है । राज्य सरकार समझती क्या है ? जिनके बूते पर सरकार बैठी है, उनको इस तरह से भुलावे में रखकर उनकी मजबूरियों से, उनकी अयोग्यता से, उनकी अशिक्षा से नाजायज फायदा उठाकर, राज्य सरकार चलना चाहती है, वह नहीं चलने दिया जायगा । मैं मांग करता हूं कि अगर इस तरह की आदत सरकार की रही, अगर उनके रवैये में तबदीली नहीं आई, उनके व्यवहार में तबदीली नहीं आई तो हमें मजबूर होना पड़ेगा कि हमें भी दलितस्थान प्रांत की मांग करनी पड़ेगी । इस राज्य सरकार के हाथों में हमारे हित सुरक्षित नहीं हैं, क्या समझते हैं आप अपने को ? 40 प्रतिशत हमारे लोग बैठते हैं, हमारे वोटों पर चुनकर आप यहां बैठते हैं, राज्य हमारे बूते पर टिका हुआ है और ये लोग इस तरह की बात करते हैं तो मजबूर होकर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें राजस्थान में दलितस्थान की मांग करनी पड़े और हमारे हित सुरक्षित रखे जायं । मैं आपके मारफत ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपकी नीति है या आपके दल की ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं इस समय अनुसूचित जाति आयुक्त की रिपोर्ट पर बोल रहा हूं ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत जगह पर जाकर बोल रहे हो ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जगह जो मैंने चुनी है वह अच्छी चुनी है और मुझे पूर्ण सन्तोष है उस जगह पर और गिरधारीलालजी की बात मैं मानने वाला नहीं हूं । मैं जानता हूं कि वह क्या चाहते हैं, हमें भुलावे में रखना चाहते हैं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): मैं पूछना चाहता हूं कि दलितस्थान की घोषणा अभी की या पहले भी की ?

श्री जयनारायण सालोदिया : न मैंने घोषणा की है न मैं करता हूं । मैं कहता हूं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

कि हमें मजबूर होना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा यह मांग करने के लिए। आपके आचरण व कारनामों ने मजबूर किया है। इस गांधी शताब्दी वर्ष में जिसमें कांग्रेस के एड़ी से चोटी तक नेता डालडा नेता, फर्जी नेता हैं, कहनी व कथनी में फर्क रखने वाले नेता इस तरह की घोषणा करते हैं, कि हम अछूतों की सेवा करना चाहते हैं, ऊंचा उठाना चाहते हैं। हम जानते हैं इनकी हालत को। उन नेताओं से मैं चैलेन्ज के साथ आगाह करके कहना चाहता हूं कि क्या उनकी यही धारणा है कि इस वर्ष में इस तरह का नाटक शो करना चाहते हैं? इस तरह के झूठे चेहरे लगाकर गुमराह करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? हमने देश की आजादी में हिस्सा लिया, देश को आजाद करने में सबसे आगे रहे, हमने कतल करवाये अपने को, खून दिया और आजादी के बाद चन्द मुट्ठीभर लोग जिनको शर्मा या वर्मा कहते हैं, हमें मुट्ठी में रखना चाहते हैं, हमें दबाकर रखना चाहते हैं? हमें कोई माध्यम बनाना चाहते हैं? यह कभी नहीं होगा। आपको अपने आचरण में परिवर्तन करना चाहिए नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।

श्री श्रवणलाल : आचरण तो बता दो।

श्री जयनारायण सालोदिया : सभापति महोदय, जो रिपोर्ट अनुसूचित जातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं उनमें जो सिफारिशें की जाती हैं, उन पर राज्य सरकार तनिक भी ध्यान नहीं देती। इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की मन्शा इस वर्ग के प्रति कितनी उदासीन है। मुझे इसलिए दुःख होता है कि मैं भी इन सारी परिस्थितियों का भुक्तभोगी हूं, मुझ पर सारी समस्याओं का असर होता है। इसलिए मुझे चिंता है और दुख है कि अगर मेरी जगह सदन का कोई भी माननीय सदस्य हों और उनको ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़े, तो उनको भी दुख होना स्वाभाविक है। आज जो लोग हमें गुमराह करके, हमारे नाम से ऊंचे ऊंचे पदों पर ऊंची ऊंची जगह पर बैठते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता चाहता हूं, उनसे इस वर्ग के लिए, इस पिछड़े वर्ग के लिए, भीख मांगना चाहता हूं कि आखिर हमारे हाल पर, जो उनके द्वारा किया है, उनकी भलाई के लिए हमें पद दलित किया है, उनकी कुर्सियां कायम रखने के लिए हमें नीचे बिठाया गया है, उनके ऐशोआराम के लिए हमें भूखों मरना पड़ता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं दलित जाति की तरफ से, कि कब तक आप उन लोगों को अपना माध्यम बनाकर रखना चाहते हैं, कब तक उनकी जबान बन्द रखना चाहते हैं?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं सालोदियाजी से इस बात के लिए इत्तफाक नहीं करता हूं कि वह भीख मांग रहे हैं। अरे सामाजिक क्रांति जोरदारी के साथ होती है, डंडे के साथ में होती है, भीख मांगने से सामाजिक सुधार और सामाजिक क्रांति कभी नहीं हुई, हाथ जोड़ने से कभी क्रांति नहीं हुई। इसलिए सीधा सीधा कह दो कि ठीक तरह से होश में आ जाओ नहीं तो दूसरी तरह उखाड़कर फेंक देंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं उस क्रांति में विश्वास नहीं करता हूं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : तो सिंडीकेट मजबूत रहेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं सिंडीकेट और इन्डीकेट के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : आप चाउ एन-लाई की क्रांति चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह रिपोर्ट 1966-67 की हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, उसमें जो राजस्थान के सम्बन्ध में सिफारिशें की गई हैं उन पर मैं थोड़ा विवरण आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं। मंत्रीजी ने यह रिपोर्ट पढ़ी होगी। सन् 1966 से अब तक क्या कार्यवाही की, वह अपने उत्तर में बतायेंगे। रिपोर्ट के पेज 42 पर कालम (i) में लिखा है कि:

"जिला भरतपुर, राजस्थान के एक गांव के भंगियों ने आयुर्वेदिक औषधालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा उनसे विशेषत: फोड़ों की मरहम पट्टी करते समय या उनकी नाड़ी देखते समय भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने की शिकायत की थी। यह मामला सम्बन्धित अधिकारियों तक ले जाया गया। अभी तक उनका उत्तर नहीं आया है।"

इससे जाहिर है कि सरकार को इस रिपोर्ट को जितनी जिम्मेदारी के साथ ट्रीट करना चाहिए, वह नहीं करती है। इसके बाद रिपोर्ट के अन्य उद्धरण जो राजस्थान से सम्बन्धित हैं, आपकी आज्ञा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं पेज 53 पर आइटम नं. 8 में लिखा हुआ है :

"सांसी सुधार सभा, जयपुर के सचिव ने जिला जयपुर, राजस्थान के एक गांव में सांसी लोगों के पीने के पानी की कमी के संबंध में शिकायत की। राजस्थान सरकार ने कूप निर्माण के लिये दो हजार रुपये का अनुदान मंजूर किया है, जिस पर पंचायत समिति, विकास अधिकारी द्वारा आज तक कोई कार्यवाही की गयी प्रतीत नहीं होती है।"

इसके बाद एक उद्धरण और पढ़कर सुनाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 15 आई. टी. आई. संस्थाएं जिलों के मुख्यालयों में हैं। यह बहुत लम्बी सिफारिश है इसलिये जो मंशा है, वह बताता हूं। याने कोई ट्रेनिंग सेन्टर है। इसमें उन्होंने हर जिले का विवरण देते हुए यह टिप्पणी दी है कि इन संस्थाओं में जो सुरक्षित स्थान रखे हैं वे उनसे नहीं भरे गये हैं। वे वंचित रह गये। यह है आपका पेज नं० 58 से 59 तक। इस तरह की सिफारिशें, माननीय सभापति महोदय, रिपोर्ट में अन्य भी दी गयी हैं। वे बहुत बड़ी बड़ी सिफारिशें हैं। मैं इस रिपोर्ट पर यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जितनी भी सिफारिशें हैं, जो इसमें राजस्थान से संबंधित हैं, उनको संबंधित विभाग का, विभाग के मन्त्री महोदय ने देखा तक नहीं है। यह 66-67 की रिपोर्ट है। और मेरी जैसी कि जानकारी है, 67-68 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती तो उस पर भी विचार किया जा सकता। यह रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी है और सरकार ने उसको पेश नहीं किया है। यह दुःख का विषय है। माननीय सभापति महोदय, यह गांधी शताब्दी का वर्ष है इसलिये समाज कल्याण विभाग को और भी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

ज्यादा मुस्तैद हो जाना चाहिये। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं, जितना मैं समाज कल्याण विभाग से संबधित हूं, यह महसूस करता हूं कि यह विभाग गांधी शताब्दी के नाम पर इस तरह का प्रचार मात्र करना चाहता है लेकिन ठोस कार्यक्रम इसके पास नहीं है। यह मैं आपके इन आंकड़ों से साबित करूंगा जिनके द्वारा इस विभाग की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। माननीय सभापति महोदय, इस विभाग का करीब $20\frac{1}{2}$ लाख रुपया उन संस्थाओं में बकाया है, जिनको इन्होंने अनुदान दिया था और उन्होंने अपने यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट पेश नहीं किये हैं। इतने से छोटे से बजट में इतना बड़ा अमाउन्ट और वह भी सालों से इन संस्थाओं में रहे, यह बहुत दुःख का विषय है। मुझे जहां तक जानकारी है, इस प्रकार की संस्थाएं जिनको हमने स्वयं सेवी संस्थाओं के नाम से पुकारा है और उनको समाज कल्याण की प्रवृतियां चालू रखने के लिये अनुदान दिया है, कई साल हो जाने के बाद भी हम इन संस्थाओं से यूटि-लाइजेशन सर्टीफिकेट प्राप्त नहीं कर सके और न ही यह पूछ सके कि यह अनुदान जिस कामके लिये दिया गया था वह उस काम में खर्च हो गया है या नहीं। यह जिस काम के लिये दिया गया था, उस काम में खर्च हो जाता तो सर्टीफिकेट अब तक आ जाते। इससे यह जाहिर होता है कि जो रुपया इस काम के लिये दिया है, जो कई सालों से बकाया है, उनका यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट समाज कल्याण विभाग प्राप्त नहीं कर सका है और इन संस्थाओं ने यह रुपया प्रापर समय व प्रापर काम में नहीं लिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे ऐसी संस्थाओं को जो स्वयंसेवी संस्थाओं के नाम से पुकारी जाती हैं उनको बिना यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट लिये अनुदान दे, जबकि इतनी बड़ी रकम बकाया है और विभाग के द्वारा कार्यवाही न हो, यह दुःख का विषय है। मेरी जानकारी है कि ऐसी संस्थाओं को नियमानुसार दुबारा अनुदान नहीं दिया जाना चाहिये जबकि ऐसी संस्थाओं को दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ छात्रवृत्ति के विषय में निवेदन करना चाहता हूं।

एक तरफ तो सरकार ने यह स्वरूप दिखाया है कि कुछ मुट्ठी भर स्वयंसेवी संस्थाओं में साढ़े बीस लाख रुपया बकाया है, और दूसरी तरफ छात्रवृत्ति में सरकार हर साल कटौती करती जा रही है। छात्रवृत्ति का बजट गए साल 12 लाख का था जबकि इस साल घटाकर केवल 8 लाख ही रख दिया गया है। तो जो कान्क्रीट कम हैं, वाजिब काम हैं उनसे तो सरकार दूर हटती जा रही है और ऐसे काम जैसे कि नौकरों की तनख्वाहें, कारों का पेट्रोल, पंखों और कुर्सियों पर खर्चा, मकान का किराया आदि ऐसे कामों पर सरकार ज्यादा खर्च कर रही है जिससे शिड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई वास्तविक भला नहीं होता।

मैं मंत्रीजी से मांग करता हूं कि आप एक चार्ट बनाकर दें अपने जवाब देते वक्त कि समाज कल्याण विभाग का जितना बजट होता है उसका कितना प्रतिशत व्यवस्था पर और कितना प्रतिशत वास्तव में हम लोगों के पास पहुंचा है। छात्रवृत्ति में हम धीरे-धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। कुछ साल पहले आपने

(श्री जयनारायण खालोदिया)

निर्णय लिया था कि छट्ठी क्लास से ऊपर वालों को हम छात्रवृत्ति देंगे। इसका कोई फायदा मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि ज्यादातर लड़के गांव के पांचवीं क्लास से आगे पढ़ते ही नहीं, और उन सबकी छात्रवृत्ति आपने बन्द कर दी। तो मुझे सरकार की नियत पर ही शक होता है कि सरकार यह चाहती है कि इन लोगों को धीरे-धीरे पढ़ने से रोकना चाहिए। जब हमारे बच्चे पांचवीं से अधिक ही मुश्किल से पढ़ते हैं तो उसके ऊपर अभी यह निर्णय और ले लिया है कि इसके बाद आठवीं कक्षा से ऊपर पढ़ने वालों को ही छात्रवृत्ति देंगे। तो इसलिए मुझे सरकार की नियत पर ही शक होता है कि जब वे लड़के पांचवीं कक्षा से ऊपर तक ही नहीं पहुंचते तो आठवीं कक्षा में पढ़ने का सवाल ही नहीं उठता, तो छात्रवृत्ति किसको देंगे? ऊपर के क्लासों तक तो बहुत कम लड़के पहुंचते हैं।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति के लिए जो प्रोसीजर सरकार ने बना रखा है उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस साल से व्यवस्था में कोई चेन्ज की है और छात्रवृत्ति का कुछ हिस्सा समाज कल्याण विभाग द्वारा बंटवाया मेरे खयाल से यह छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ही बांटनी चाहिये क्योंकि वह ही जिम्मेदार विभाग है और शिक्षा विभाग को यदि यह छात्रवृत्ति बांटने का काम दिया जाता है तो वे इसको बेगार का काम समझते हैं और सप्लीमेंटरी काम समझते हैं और इस काम को टाइमली पूरा नहीं करते। इसका उदाहरण है कि समय पर आपके इन्सपेक्टर्स और हैड मास्टर्स बच्चों को फार्म नहीं देते और न ही उनके फार्मस समय पर फारवर्ड करते, और न ही उन लड़कों को समय पर छात्रवृत्ति देते हैं। इसलिए मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि छात्रवृत्ति का काम जैसे पहले समाज कल्याण विभाग से होता था उसी तरह अब भी होना चाहिए और पूरा का पूरा काम, फार्म छपवाने, फार्म भेजने और छात्रवृत्ति बांटने का समाज कल्याण विभाग को ही देना चाहिये तो छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सकती है। एक दूसरी दिक्कत यह है कि जहां तक शिक्षा विभाग की रेस्पोन्सिबिलटी का सवाल है, उसमें एक लंबा प्रोसीजर है एक उसका कार्यालय बीकानेर में है दूसरा अजमेर में है तीसरा जयपुर में है। एक गरीब लड़का कहां कहां जा सकता है? और इन तीनों को जोइन्ट मिटिंग कब जाकर होगी, और कब छात्रवृत्ति देने का निर्णय होगा ये सारी बाते ऐसी हैं जो अपने आप में दोषपूर्ण है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार की मन्शा हरिजन बालकों को आदिम जातियों के बालकों को छात्रवृत्ति देने की है तो इतने लम्बे प्रोसीजर के रखने की कोई आवश्यकता नहीं, इस प्रकार से जो दुविधापूर्ण और दूषित प्रोसीजर काम में लेते हैं, इससे उनको छात्रवृत्ति मिलने से ज्यादा असुविधा होती है। आपके जब जिला समाज कल्याण अधिकारी मौजूद है तब आपको इनकी मार्फत छात्रवृत्ति बंटवानी चाहिये ताकि वह जिले के लड़कों को सुविधापूर्वक फार्म लेकर उनमें वह छात्रवृत्ति बांट दें। इसमें सरकार को क्या दिक्कत हो सकती है?

माननीय सभापति महोदय, अब मैं विशेष छात्रवृत्तियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं…

श्री मूलचन्द डागा : आपको सुनने वाले आपके साथी कहां चले गए ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं पहले ही इस बारे में दुःख प्रगट कर चुका हूं सरकार की मन्शा यही है और वे यही चाहते हैं तो इसी प्रकार की डिबेट हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं दीवारों को और कुसियों को बोलकर सुना सकता हूं। सभापति महोदय, इस तरह से विशेष छात्रवृत्तियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं मुझे दुःख इस बात का है आज डागाजी यह कह रहे हैं आपका सुनने वाला कोई नहीं। मैं कह देना चाहता हूं कभी वो दिन भी आयेगा आप इस तरफ अल्पमत में बैठेंगे और हम बहुमत में बैठेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उस दिन हमें बड़ी खुशी होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह तो आपकी मजबूरी होगी कोई खुशी नहीं होगी माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमारी मजबूरियों का मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह आप हृदय से कह रहे हैं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : हृदय आपका काला है यह स्पष्ट दिखाई देता है। इस तरह से मैं विशेष छात्रवृत्ति के बारे में निवेदन कर रहा था। विशेष छात्रवृति दिये जाने का प्रोसीजर तो इससे भी बुरा है। उसके लिये कमेटी बनी हुई है कॉलेज एज्यूकेशन के डाईरेक्टर और विभाग के सचिव मिल कर निर्णय करते हैं। पहले तो इनकी एक जगह मिटिंग होना ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं असंभव है। इनसे समय पर छात्रवृति मिल जाय ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। वैसे वनस्थली विद्यापीठ, सेन्ट-जेवियर और इसी तरह का एक स्कूल बीकानेर में है इनके लिये विशेष छात्रवृति मिलती है। अगर आप इस प्रकार की छात्रवृति देना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं आप छात्रवृति के लिये गर्मियों की छुट्टियों में ही जब कि स्कूल और कॉलेज बन्द होते हैं उन्हीं दिनों में निर्णय क्यों नहीं ले लेते। ताकि स्कूल कॉलेज खुले उनको स्योरिटी हो जाय कि मुझे छात्रवृति मिलेगी या नहीं। लड़के लड़कियां जब भरती हो जाती हैं उसके दो महीने बाद फैसला होता है। उसके बाद शाही हुक्म जाता है कि फलां फलां लड़के या लड़की के लिये छात्रवृत्ति मन्जूर की जाती है पैसे के अभाव में जिनको छात्रवृति नहीं मिलती है उनको मजबूरन छोड़कर आना पड़ता है। प्रारम्भ में पैसा नहीं मिलने से यह दिक्कत हो जाती है। इसलिये स्कूल खुलने से पूर्व एक महीने पहले निर्णय ले लिया जाय और उससे पहले प्रार्थना पत्र मांग लिये जायं, तो स्कूल खुलने से पूर्व छात्रवृति जिस किसी को मिलनी हो वह तय हो जाय तो उनको स्कूल में भरती होने में कोई दिक्कत नहीं आयगी। जब तक संदिग्ध स्थिति में रखा जाता है तब तक वह भरती नहीं होती है। इसलिये पहले ही छात्रवृति का तय हो जाय तो संदिग्धावस्था भी नहीं रहेगी और भरती होने में दिक्कत भी नहीं आयगी।

सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने छात्रावासों के संबन्ध में निवेदन करना चाहूंगा आज आपके द्वारा दो तरह के छात्रावास चलाये जाते हैं एक तो आपका विभाग भी चलाता है दूसरे छात्रावास स्वयं सेवी संस्थायें

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भी चलाती हैं। दोनों प्रकार के छात्रावासों की व्यवस्था शोचनीय है। जो छात्रावास आपके द्वारा संचालित है उसका प्रोसीजर लम्बा होने की वजह से परेशानी है। स्वयं-सेवी संस्थाओं वालों में भी परेशानी है। इसका मुआवजा लड़के लड़कियों को भुगतवाना पड़ता है।

एक छात्रावास जो मेरी जानकारी में है, जयपुर में चलाया जाता है। आज तक उस छात्रावास के लड़कों को पूरी किताबें नहीं, पूरी ड्रेस नहीं मिली है, इसका क्या कारण है ? आज की तारीख में मैं यह कह सकता हूं कि इस छात्रावास के लड़के लड़कियों को ड्रेस नहीं मिली है और सामान नहीं मिला है। आप उनको परेशान करके देना चाहते हैं, आप जैसे उनको भीख दे रहे हैं आप उनको तरसा तरसा कर देना चाहते हैं जैसे कोई आप अपनी जेब से देने जा रहे हो। यह भावना आपकी दूषित है आप हमारी जेब से पैसा लेते हो वही तो आपको देना होता है। आप केवल हमारे पैसे के ट्रस्टी हैं, वही आप देते हैं आप इस तरह से किसी पर एहसान नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक छात्रावासों में खाने पीने की व्यवस्था का संबन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं मैंने जयपुर के छात्रावास देखे हैं, चाहे वे स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित हों या आपके छात्रावास हों, खाना पीना स्टेण्डर्ड के मुताबिक नहीं मिलता है। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावासों में उनकी मजबूरी होती है वे कहते है कि हमें महंगाई के अनुपात में पैसा नहीं मिलता है। आपके छात्रावास में तो यह नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे यहां टोंक शहर में छात्रावास है, उसका संचालन मैंने देखा है उसमें जब जब मैं जाता हूं लड़कों की दबी जबान से आवाज मिलती है; वे कहते हैं कि यहां जो रोटियां दी जाती हैं वह सीलिंग से दी जाती हैं, भर पेट रोटियां नहीं मिलती हैं। रोटी जैसी चीज पर भी सीलिंग, जो एक बालक की प्रारम्भिक मांग है उस पर भी पाबन्दी रखी जाय इससे अधिक घृणित और अमानवीय और क्या कदम हो सकता है ? ऐसे छात्रावास हैं जो अनाथालय के तौर पर हैं। ये छात्रावास के अधिकारी किस प्रकार से बालकों के साथ व्यवहार करते हैं यह निन्दनीय और अत्यन्त घृणास्पद बर्ताव है। अनाथालय की तरह बर्ताव करके क्या आप उनको भूखा मारना चाहते हैं ? उनके सामने हमेशा रोटी रोटी का ही प्रश्न रहता है। इस तरह की बातें बिल्कुल बन्द होनी चाहिये। जो स्वयं सेवी संस्थायें छात्रवास चलाती हैं उनकी एक तरह से मोनोपोली है, वे इसको एक दुकानदारी और धन्धा समझते हैं। मैं उन संस्थाओं का व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाहता उनके बारे में सभी जानते हैं। यदि किसी संस्था विशेष का नाम जानना चाहेंगे तो मैं बता दूंगा इनके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन संस्थाओं के अपने मकान हैं, जीप गाड़ियां हैं जो इनके व्यवस्थापक हैं वे किसी एम. एल. ए. या किसी मंत्री से कम नहीं हैं। तो फिर कहां से आता है पैसा ? इन संस्थाओं में लड़कों के शोषण से आता है। तो आप ऐसी संस्थाओं को मेहरबानी करके कुछ कन्ट्रोल करिये।

माननीय सभापति महोदय, छात्रावासों के लिये सुपरविजन कमेटियां आपने बना रखी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

हैं। पर यह आपके कोई आदेश नहीं हैं कि इनके क्या फंक्शन्स हैं। कब कब ये मीट करेंगी। मैं अपने तजुर्बे की बात बताता हूं। यह कमेटी कभी मीट नहीं होती। एक साल में एक बार जब छात्रों की भरती होती है तब मीट होती है। इसमें भी समाज कल्याण अधिकारी और छात्रावास का सुपरिन्टेडेन्ट मिलकर भरती होने वाले लड़कों की छांट करके एक लिस्ट बना लेते हैं और उसी पर कमेटी के सदस्यों से साइन करा लिए जाते हैं। मैं पूछता हूं क्या यही इस कमेटी का उपयोग रह गया है? मैं चाहता हूं इन कमेटियों को आप अधिकार दें। इनको मजबूत बनावें जो छात्रावासों का चैकिंग करें उनकी व्यवस्था में रुचि लें। जहां गड़बड़ियां हों उनको रोकें, उनमें प्रगति लावें। ऐसा हो तो इन की सार्थकता है नहीं तो कोई लाभ नहीं इनसे।

सभापति महोदय, नौकरियों के सम्बन्ध में भी थोड़ा निवेदन कर देना चाहता हूं। इसका जो प्रोसिजर है वह शोचनीय है। कोई इसके पीछे आधार नहीं है कोई मापदण्ड नहीं है। मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में अनुसूचित जन जातियों और जातियों की संख्या कुल जन संख्या का चालीस प्रतिशत है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : किस हिसाव से ? 28 प्रतिशत हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपके कथनानुसार 28 मान लेता हूं। लेकिन फिर इसका क्या आधार है कि 28 प्रतिशत लोगों को 12½ प्रतिशत नौकरियां ही दी जावें। और बाकी 72 प्रतिशत लोगों को 87½ प्रतिशत दी जावें। यह तो एक प्रकार का सीलिंग है। आपका षड़यन्त्र है, साजिश है। यह रिजर्वेशन नहीं कहा जा सकता, इसे तो सीलिंग ही कह सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि दिया तो 28 प्रतिशत जाना चाहिये पर जो 12½ आप देने की बात कह रहे हैं, वह भी आप नहीं दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो हम तब मानते जब आप 28 के बजाय 40 देते। जहां तक मेरी जानकारी है कोई एक भी विभाग ऐसा नहीं है जिसमें 12½ प्रतिशत का कोटा भी पूरा होता हो। मैं यह बात चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं। राजस्थान के और विभागों की तो बात छोड़िये स्वयं समाज कल्याण विभाग भी ऐसा नहीं है जिसमें 12½ प्रतिशत का कोटा पूरा हुआ हो। फिर क्या करेंगे आप? दूसरा निवेदन यह करता हूं कि यह 12½ प्रतिशत रिजर्वेशन का कोई आधार नहीं है। इसको बढ़ा कर 40 प्रतिशत किया जाना चाहिये तो माना जावेगा कि रिजर्वेशन है।

इसी तरह से कन्फर्मेशन और प्रोमोशन के मामले हैं। इसके पीछे भी कोई आधार नहीं है। जब आप सब जगह रिजर्वेशन की बात करते हैं तो फिर इस प्रोमोशन और कन्फर्मेशन में भी इसको कायम रखें। नहीं तो फिर कैसे वे आगे बढ़ेंगे? क्या आप उनको उम्र भर एल.डी.सी. और यू.डी.सी. तक ही रखना चाहते हैं। आप ऐसा करेंगे तब थोड़ा न्याय हो सकेगा आप इनको थोड़ा ऊपर उठा सकेंगे।

(5.48 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अलग अलग विभागों का अलग अलग नियम है। कोई विभाग कहता है टाइप का टैस्ट होना चाहिए। कोई कुछ टेस्ट चाहता है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रमोशन कन्फर्मेशन में भी आप स्थान नियत करिये ताकि वे लोग आगे बढ़ सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पढ़े लिखे लोगों की आज बेकारी की समस्या बड़ी विकट है। अन्य लोगों के साथ हमारी भी है। यह मैं मानता हूं। अन्यों के भी सामने यह विकट समस्या है। मैं इसे भी मानता हूं। पर सरकार यह महसूस करती है और नीति के द्वारा भी मानती है कि यह एक गरीब तबका है; दलित तबका है। कमजोर समाज का एक अंग है इसको ऊपर उठाना चाहिये इस अंग को सबल बनाना चाहिये ताकि अन्य अंगों के बराबर यह हो सके। इस लिये इसके लिये थोड़े संरक्षण की आवश्यकता है। अन्य लोग भी बेकार हैं। मेरी उनसे पूर्ण सहानुभूति है। पर यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि सारे बेकारों की सरकार एक सर्वे कराकर लिस्ट बनाए और फिर योजनाबद्ध तरीके से इस समस्या का कोई समाधान निकाले कि हम इस तरह से इतने लोगों को इस काम में इतने को इस काम में लगाना चाहते हैं। जब जाकर यह समस्या हल हो सकेगी।

आप कहेंगे इसमें स्टेट पर वजन पड़ेगा। मैं मानता हूं। यह भी मानता हूं बेकारी थोड़ी और बढ़ेगी। परन्तु आपने संकल्प किया है कि गिरे हुए दलित तबके को ऊपर उठाया जायेगा, सामान्तर लाया जावेगा दूसरे अंग के, तो इसके लिये थोड़ा विशेष प्रयास करना पड़ेगा और कुछ दिनों के लिये ज्यादा से ज्यादा नौकरियां इनको दी जाकर पहले इनकी बेकारी की समस्या को हल करके फिर दूसरी बेकारी की समस्या को हाथ में लिया जा सकता है, हालांकि पहले से ही ऊंचा तबका ऊंची ऊंची पोस्टों पर बैठा हुआ है। तो दूसरे तबके को, दलित तबके को भी थोड़ा स्थान दिया जाना चाहिये ताकि वे भी उनके समक्ष पहुंच सकें। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लड़कों की सर्वे करवा कर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनवाकर समाज कल्याण विभाग में एक प्लान बनवालें कि इन को कैसे नौकरी दी जायेगी। यह सबसे बड़ा काम समाज कल्याण विभाग का है। समाज कल्याण के नाम से बड़े बड़े आफिसर अपाइन्ट करने, बड़े बड़े मकानों पर बोर्ड लगाने से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। समाज का कल्याण तो काम करने से होगा। यह एक मिशनरी काम है, यदि सेवा की भावना से यह काम किया गया तो काम सफल हो सकेगा नहीं तो यह समाज कल्याण विभाग होते हुए भी यह सारी बातें वहीं की वहीं रह जायेंगी। यह आपके सोचने की बात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह नौकरियों में एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज का चक्कर है। कहने को तो सरकार ने यह दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लड़कों को बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज की रिकमेंडेशन से भी भरती किया जा सकता है, लेकिन होता यह है कि जो लिस्ट एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज से आती है केवल

(श्री जयनारायण सालोदिया)

उसी में से ही भरती की जाती है। मुझे खुद को इसका तजुरवा है। करीब आठ रोज पहले मेरी शिक्षा विभाग के अजमेर के निरीक्षक मिस्टर शर्मा से बात हुई तो उन्होंने मुझ से कहा कि हमारे यहां शिक्षा विभाग में तो ऐसी सीधी भरती करने की कोई बात नहीं है, हमारे यहां तो डाइरेक्टर साहब ने आदेश दे रखे हैं कि केवल एम्पलायमेंट एक्चेन्ज के द्वारा ही भरती की जाय। फिर मैं वहां के समाज कल्याण अधिकारी से मिला और उनसे सरकार का वह आदेश ले आया जिसमें यह लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लड़कों को बिना एम्पलायमेंट एक्सचेन्ज की सिफारिश के भी लिया जा सकता है, और वह आर्डर लाकर मैंने उस निरीक्षक महोदय को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हमारे यहां तो डाइरेक्टर साहब ने दूसरी तरह का आर्डर दे रखा है और हमारे यहां तो डाइरेक्टर साहब का ही आर्डर चलेगा, समाज कल्याण विभाग का नहीं। तो इस बात की तरफ आप ध्यान दें और स्थिति को स्पष्ट करें।

दूसरा आपने सचिवालय में एक स्पेशल सेक्रेटरी साहब को बिठा रखा है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लड़कों की एप्लीकेशन्स विभागों को फार्वर्ड करे। तो इससे तो और भी दिक्कत है। सारे राजस्थान के लड़के उनसे आकर ऐप्लीकेशन फार्वर्ड करवाते है, इससे तो यह अच्छा हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप एम्पलायमेंट आफिसर को ही पावर्स देदें कि वे नाम फार्वर्ड कर ले। सारे राजस्थान के आदमी जयपुर आवें और स्पेशल सेक्रेटरी से आकर ऐप्लीकेशन्स फार्वर्ड करवायें, इसमें बहुत दिक्कत होती है तो यह तरीका चेन्ज होना चाहिये। आप एम्पलायमेंट आफिसर को ही ऐप्लीकेशनें फार्वर्ड करने का अधिकार दे दें तो ज्यादा सुविधापूर्ण होगा।

तो जब सरकार ने यह नीति बना रखी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लड़कों को सर्टीफिकेट के आधार पर ही भरती किया जाये, उस हालत में मैंने जो दो उदाहरण दिये, एक शिक्षा विभाग के निरीक्षक का और दूसरा यह स्पेशल सेक्रेटरी का, तो इस बात को आप देखें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छूआछूत का मामला अभी कुछ अन्शों में है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : काफी अन्श में है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं मानता हूं कि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में काफी है। बाड़मेर से मुझे एक चिट्ठी मिली है ...

श्री श्रवणलाल : सभी जगह है।

श्री जयनारायण सालोदिया : छूआछात से यह मतलब नहीं है कि छुने से ऐतराज करते हैं, लेकिन छुआ छुत का आजकल एक नया नमूना बना रखा है। आफिसर आफिसर से छुआ छुत करता है, क्लर्क से क्लर्क छुआछुत करता है, अध्यापक अध्यापक से छुआछुत करता है और मंत्री मंत्री से छुआछुत करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार निवेदन किया है कि हर आदमी ने, हर तरीके से छुआछुत बरतने का एक अलग तरीका निकाल रखा है। आज हर दफ्तर में जाइये, हर बाबू के पास अपने अलग 2 गिलास मिलेंगे। जो अनुसूचित

(श्री जयनारायण सालोदिया)

जाति व जन जाति के लोग हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा, अच्छे तरीके के साथ उनके साथ व्यवहार नहीं हो रहा है, उनकी अच्छी सोसायटी नहीं होती है, उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। पूछते हैं यह कौन है? यह डेढ़ हैं, यह चमार है तो कहते है यह बहुत ऊंचे हो रहे हैं। यह बात हर दफ्तर में, हर क्लब में, हर सोसायटी में मौजूद है। यह भ्रान्ति हर एक के दिलों में है। आज इस प्रकार गलत तरीके बना लिये हैं। पहले उनसे बेगार ली जाती थी, अब उनसे श्रमदान लिया जाता है। बेगार के बदले में श्रमदान हो गया है। हर दफ्तर में छूआछूत बरतते हैं। यह भी एक दुखद समस्या है। इसके निवारण के लिये कुछ न कुछ करना चाहिये। इसकी पुष्टि में यह निवेदन करना चाहता हूं छूआ-छूत विरोधी कानून होते हुए राजस्थान के हर जिले में कितने मुकदमें बनायें हैं जिन्होंने छूआछूत को बरता है। ऐसे कोई मुकदमें नहीं है। गिनती के 1–2 होंगे। या तो राजस्थान में छूआछूत नहीं है या यह है कि हम कानून का पालन नहीं करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मान-नीय समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं वे जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पधारे थे। माननीय मन्त्री महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

(विराम)

(कई माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ "बोलिये," "बोलिये")

माननीय समाज कल्याण मन्त्रीजी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पधारे थे, वहां पब्लिक मीटिंग हुई और पब्लिक मीटिंग के बाद चाय पी और चाय पीने के बाद वहां के लोगों ने इस प्रकार का वातावरण बनाया कि तुम अनुसूचित जाति के लोग हो, तुमने बड़े लोगों को चाय पिलाई है, इनको निकालना चाहिएं, इनको ताड़ना देनी चाहिये...

एक माननीय सदस्य : कौन से मन्त्री थे?

श्री जयनाराण सालोदिया : ये बी.एन. जोशी साहब। उन्होंने आकर इस प्रकार की ऐप्लीकेशन दी। उन ऐतराज करने वालों में सरकारी मुलाजिम थे। हमें खेद है हमारी सरकार कुछ न कर सकी। सरकार प्रचार करे इसको खतम करना चाहिए और फिर सरकार के पास प्रार्थना पत्र दें और सरकार कुछ नहीं करे इससे बड़ी लज्जा की क्या बात हो सकती है? छूआ-छूत एक मखौल की बात हो गई है। समाज कल्याण मन्त्री जी को मालूम हो जाय कि फलां आदमी ने इस प्रकार की बात की और आपने कुछ नहीं किया। फिर क्या करते हैं समाज कल्याण मन्त्रीजी? समाज कल्याण विभाग कुछ नहीं करता है। मान-नीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से छूआ-छूत के मामले में श्रीनगर पंचायत समिति का कोई गांव था वहां तारीख 11–6–69 को श्री रामदेव, हरदेव पुत्र मंगला को दिन दहाड़े छूआ छूत को लेकर उसकी हत्या कर दी। यह मामला भी उन लोगों के द्वारा मुख्य मन्त्रीजी को भेजा गया। मुख्य मंत्रीजी को ज्ञापन दिया गया। मुख्य मन्त्रीजी वहां पधारे तो उनको ज्ञापन दिया गया। छूआ छूत के मामले में लोगों ने दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या कर दी। इस राज्य में हरिजन जाति लोगों के साथ अन्याय हो

(श्री जयनारायण सालोदिया)

रहा है और समाज कल्याण विभाग व राज्य का मन्त्री मण्डल चुप बैठा रहे और कुछ न करे''''

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। क्या सदन की अनुमति है कि एक घन्टे का समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत).

सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घन्टा और बढ़ाया जाता है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य बोले, इनके लिए नहीं क्योंकि वे पार्टी के प्रमुख नेता हैं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा आध घन्टे, 25 मिनिट, 20 मिनिट, मुकर्रर कर दें तो ज्यादा लोग भाग ले सकें।

(6 म. पं.)

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पर लागू नहीं होता है। बाकी तो इतना लम्बा बोलेंगे श्री नहीं, यह मैं आपको बता दूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे साथ राजस्थान में कानून छूआछूत का होते हुए क्या होता है। उस कानून के माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह भी सुविधा है कि जिसके द्वारा छूआछूत का मामला दर्ज करायें उन्हें वकील मुफ्त मिलना चाहिए और कानूनी-सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समाज कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक उस प्रावधान से कितना खर्चा इसके लिए किया गया, कहां खर्चा हुआ और कितने लोगों को आपने कानूनी सलाह के नाम पर सुविधायें दीं। मुझे जानकारी है कि आज तक नगण्य मात्रा में यह खर्चा किया गया है। कोई सहायता कानूनी रूप से उन लोगों को नहीं दी गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन कर रहा था कि जहां श्री बिशम्भर नाथ जी जोशी पधारे थे वहां के लोगों को शिकायत है कि पुलिस मामले को रफादफा कर रही है और पुलिस मामले को वहीं फाइनल कर देना चाहती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सभा में आप पधारे और आपके माध्यम से लोग वहां पर इस तरह करें, भगवान के लिए आप अपने लिए इस तरह की बात कीजिए कि जहां आप पधारें उसकी वजह से लोगों को परेशानी हो तो आप पुलिस को कहें कि उस केस में फाइनल नहीं होने दें और कम से कम अदालत में तो चालान करें जिससे लोगों को हिम्मत रहे कि सरकार हमारी मदद करना चाहती है और सरकार छूआछूत को मिटाना चाहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद खेती की जमीन के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं। खेती की जमीन की एक बहुत ही विकट समस्या हमारे सामने है। यों तो सरकार ने नियम बना रखे हैं कि जमीन अलॉट की जायेगी। सरकार घोषणा करती है कि हम सवाई चक में जो भूमि होगी उसमें कुछ प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को देंगे लेकिन वह घोषणा घोषणा ही रह जाती है और वह घोषणा कागजों में ही रह जाती है और जो मौके पर होता है वह विपरीत होता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

एक तो आपने जो अलाटमेंट का तरीका बना रखा है वह बहुत दूषित बना रखा है और उससे कोई भी जमीन लोगों को नहीं मिल सकती है। उस अलॉटमेंट कमेटी के सदस्य कौन कौन हैं प्रधान पंचायत समिति, विकास अधिकारी पंचायत समिति, स्थानीय तहसीलदार, सरपंच और स्थानीय एम०एस०ए० और इसमें आप देख लीजिये कि यह पांचों आदमी हैं और इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ऐसे कितने लोग हैं जो इनको प्रभावित करके जमीन हासिल कर सकते हैं ? इन पांचों को खुश करेंगे। या क्या करेंगे ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो जमीन के अलॉटमेन्ट का तरीका है इसमें जिनको जमीन दी जाती है पहले तो उनकी एप्ली-केशन ही अलॉटमेन्ट कमेटी के पास नहीं पहुंच सकती और अगर पहुंच भी जाती है तो फिर अलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्य उन लोगों से प्रभावित नहीं होते। उन लोगों से वे खुश नहीं होते हैं इसलिए उनकी दर-ख्वास्त कैंसिल कर देते हैं। कुछ लोगों को अलाटमेन्ट हो जाता है तो उनको समय पर पट्टा नहीं दिया जाता है और कब्जा नहीं दिया जाता है और आज एक आदमी को अलॉट कर दी और दूसरों को कह दिया कि तुम जाकर काश्त कर लो। एक तरफ तो आंकड़ों के अन्दर दिखा देते हैं कि इतने आदमियों को जमीन अलॉट कर दी और वही जमीन दूसरों को बता देते हैं और वह काश्त कर लेते हैं और आप कह देते हैं कि इन्होंने अतिक्रमण कर लिया और हम उस अतिक्रमण के लिए कार्यवाही कर रहे हैं तब तक बैठे रहो और इसी बीच में यह अलॉटमेन्ट वाला मामला खतम हो जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इन्डी-विजुअल केस ही नहीं मैंने एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की को-आपरेटिव सोसाइटी का केस विधान सभा में रखा। जयपुर के पास पूर्वी क्षेत्र कृषि सलाहकार समिति कूकस का केस यहां रखा। उस समय के राजस्व मंत्री श्री बृजसुन्दर जी ने सारे केस को सुनकर कहा कि मैं जांच करवाऊंगा और आपको जवाब दूंगा। बदकिस्मती ऐसी हुई कि उनका पोर्टफोलियो छिन गया लेकिन सरकार ने उस मामले में क्या किया यह कोई जान-कारी नहीं है। उन्होंने एक को-ऑपरेटिव बनाई और जमीन अलॉट हुई, उन्होंने कब्जा किया और को-आपरेटिव ने ढोल लगाई। दस साल से वहां को-आपरेटिव का बिज है और वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की को-आपरेटिव है वह काबिज है, लगान दे रही है और काश्त कर रही है। उसके बाद कुछ असरदार लोगों ने और कुछ मंत्रियों के सेक्रेटरी ने उस जमीन को अपने बाप और औरत के नाम से 30 बीघा जमीन अलॉट करवा ली और जबरदस्ती गुण्डों के मदद से लोगों को बन्दूक दिखाकर उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और मैंने इस मामले को विधान सभा में रखा। राजस्व मंत्री जी ने कहा कि मैं जांच करूंगा। मैं इसकी पत्थरगाडीं कराऊंगा, और इसको आज चार साल हो गए। उन्होंने कहा कि फीस जमा कराओ और वह फीस भी जमा करा दी लेकिन आज तक वह जमीन नहीं है। आधी जमीन में वह लोग

(श्री जयनारायण सालोदिया)

काबिज हैं और आधी जमीन में को-आपरेटिव सोसाइटी काबिज हैं। को-आपरेटिव कहती है कि हमें बचाओ यह लोग बन्दूक दिखाते हैं और हमें बाकी की जमीन पर ही कब्जा करा दो। लेकिन यह भी सरकार मानती नहीं है। यह तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में आप कुछ तो करो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह का मामला जमवा रामगढ़ में है। वहां भी कुछ लोगों ने जमीन पर पक्के मकान बना रखें हैं और कुछ कच्चे मकान बना रखे हैं। खेती करते हैं और कम से कम दस पन्द्रह साल से काबिज हैं। दस साल का कब्जा है और उनके पास पट्टा है और अभी तक और असरदार मंत्री के रिश्तेदार बताये- मैं पूरी जानकारी नहीं कर पाया हूं उन्होंने उस जमीन को अपने नाम अलॉटमेंट करा लिया और फर्जी दस्तावेज तहसील से बनवा लिये। तो इस तरह की कार्यवाहियां होती हैं हमारे साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय। आखिर कैसे यह जमीन मिल सकेगी। मैं यह मांग करता हूं कि अगर सरकार की मन्शा साफ है और सरकार उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब किसानों को भूमिहीनों को, जमीन देना चाहती है तो जो जमीन अब बची है इस गांधी शताब्दी वर्ष में सारे जमीन का सर्वे कराके एक साल के लिए उनके अलॉटमेन्ट का काम रखा जाना चाहिये और सरकार को यह आदेश देने चाहिये कि गांधी शताब्दी में जितनी सवाई चक जमीन बची है वह सिर्फ एक साल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन किसानों को ही दी जायेगी। अव्वल तो कोई जमीन बची नहीं है और अगर बची है तो उनको कुछ मिल सके ऐसा कुछ करना चाहिये। अलॉटमेन्ट के साथ ही साथ उनको उसी समय पट्टा दिया जाना चाहिये। उसी समय कब्जा दिया जाना चाहिये तब वह अलॉटमेन्ट कारगर होगा नहीं तो यह बोगस होगा और कागजों में आप आंकड़े दिखा देंगे। लेकिन वापिस उन लोगों को जमीन नहीं मिल सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चन्द मिनटों में अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। रिहायसी जमीन के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं। सरकार ने यह नियम बना रखे हैं, सरकार की मन्शा है कि जितनी भी नगरपालिकायें हैं या नगर विकास न्यास हैं वह जितनी भी स्कीम बनायें उनमें कुछ प्लाट्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सुरक्षित रखें। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका पालन नहीं हो रहा है। इसकी पालना यों नहीं हो रही है कि जो भी म्युनिसिपैलिटी या यू.आई.टी. प्लाट्स बनाती हैं या स्कीम बनाती हैं उसका नीलाम करती हैं और कुछ प्रतिशत नाममात्र के लिए रिजर्व रखती हैं। लेकिन वे रिजर्वेशन का निर्णय नहीं लेते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि जो भी यू० आई० टी० की तरफ से या नगरपरिषद् की तरफ से या नगरपालिका की तरफ से जो भी स्कीम बनाई जाय, उपाध्यक्ष महोदय, जो भी स्कीम बनाई जाय उनमें कम से कम 25 प्रतिशत अच्छे प्लॉट, अच्छे मौकों के प्लॉट हम लोगों के लिए रिजर्व किये जाने चाहिए और 20 साल की किश्तों पर रियायती कीमतों पर दिये जाने चाहिए। अगर आप कम्पीटिशन करके कम्पीटिशन के

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मारफत प्लाट्स देना चाहते हैं तो वे नहीं ले सकेंगे। कम्पीटिशन में मालदार लोगों के सामने वे नहीं टिक सकेंगे। इसलिए यदि नेकनियति से वे यह करना चाहते हैं तो इन लोगों के रिजर्वेशन के आधार पर रियायती कीमतों पर 20 साल की किश्तों पर इनको प्लॉट दिये जायं, और प्लाट्स के साथ-साथ एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार की इस तरह की नीति है, सरकार की इस तरह की स्कीम है कि जो भी प्लॉट बनायें उनको कर्जा देती है, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार की जो अल्प वेतन भोगी लोगों के लिए स्कीम्स हैं इस तरह की दो तीन स्कीमें हैं जिन पर कि कलेक्टर के द्वारा कर्जा दिया जाता है उनमें, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हर कलेक्टर को सरकार के इस तरह के आदेश होने चाहिये कि इस तरह से जो कर्जा मकान बनाने के लिए दिया जाता है उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों के लिए कुछ रिजर्वेशन रखें, तभी जाकर उन लोगों को यह कर्जा मिल सकेगा और उनके मकान पूरे हो सकेंगे, नहीं तो बाकी के असरदार लोग इन लोगों को कर्जा नहीं मिलने देंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, यों तो समाज-कल्याण विभाग भी इसमें जागरुक है वह विभाग भी चिन्तित है मकानों के मामलों में माननीय उपाध्यक्ष। पहले 750 रुपये का अनुदान किया करते थे, फिर 1000 रुपये का अनुदान किया करते थे, माननीय उपाध्यक्ष, अब इस अनुदान को तो खत्म किया है उन्होंने और दो हजार रुपये का कर्जा देने की स्कीम है उनकी। अब वह क्या स्कीम है, कैसी स्कीम है, कैसे पालन करेंगे, क्या होगा, यह तो मैं नहीं जानता हूं, न विभाग जानता है। न मैं जानता हूं कि कितना पैसा उनके पास है। यह भी मैं नहीं जानता हूं कि कैसे देना और कैसे वापस लेना यह भी नहीं जानता हूं। पहले की जो व्यवस्था है उसको बन्द कर दिया कि हम सहायता नहीं देंगे और हम दो हजार मकान के लिए कर्जा देंगे और इस तरह से देंगे। तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जो पहले की चालू स्कीम थी उसको हम खत्म करके और जो नई स्कीम हम बना रहे हैं जिसका अभी कोई प्रोसीजर हमारे पास तैयार नहीं है, कोई चीज निश्चित नहीं है कि कितना रुपया हमारे पास है, कितना लोन में लोगों को दे सकेंगे, किस आधार पर, किस तरीके पर दे सकेंगे इसका कोई तरीका नहीं है, कोई आधार नहीं है। इससे यह जाहिर होता है कि किसी का ध्यान नहीं है। समाज कल्याण विभाग की हालत यह है कि चौबेजी छब्बे जी बनने गये लेकिन दूबेजी रह गये। किसी को एक पैसा नहीं मिला समाज कल्याण विभाग की जो चाल है और जिस चाल से वह चल रहा है उससे। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि सहायता या मकान के लिये कर्जा जो भी दिया जाय वह डिस्ट्रिक्ट के आधार पर दिया जाना चाहिए, पापुलेशन के आधार पर दिया जाना चाहिये। इसका राजनैतिक तरीका नहीं होना चाहिये। मैं यह नहीं कहना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरी जानकारी में है ऐसे केसेज जिनमें राजनैतिक तरीके से इस तरह का अनुदान किया गया है और राजनैतिक तरीके से सोचा गया है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं एक बात 5 मिनिट में और निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो भी मेरे पास पुरानी रिपोर्टें हैं और जिन जिन रिपोर्टों में जो जो सिफारिशें की गई हैं उनको भी राज्य सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं। यह रिपोर्ट है, माननीय उपाध्यक्ष, 62-63 की जिसमें सिफारिश की गई है इसके पेज नम्बर 62 पर—

"ऐसे उदाहरण सामने आये हैं जिससे यह पता चलता है कि छात्रावासों में रहने वालों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृतियों, निवास, पुस्तकें, शिक्षा के उपकरण आदि का खर्चा चलाने के लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिए यह वांछनीय है कि इस प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय तो जहां तक आवश्यक हो वृत्ति में वृद्धि की जाय।"

यह एक सिफारिश 62-63 में आयोग ने की है राजस्थान के लिये। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन छात्रावासों के ढांचों में आमूलचूल परिवर्तन करें तो इसके लिए किसी कमेटी का गठन करके यह मामला उनके सुपुर्द किया जाय। गवर्नमेंट अपनी मन्शा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस कमेटी के सामने रखें, और उस कमेटी की मीटिंग बुलाकर उसके द्वारा जो छात्रावास चलते हैं जिसमें सरकारी छात्रावास और जो संस्थाओं के द्वारा छात्रावास चलाये जाते हैं, उनके तरीकों में, उनके उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवर्तन क्या हो ? किस आधार पर, किस तरह के हों, वह अभी मैं स्पष्ट नहीं निवेदन कर सकता हूं। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन छात्रावासों की जरूरत नहीं है। इसलिए इनके तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिये, और वह परिवर्तन क्या हो उसके लिए एक कमेटी बिठाई जानी चाहिये। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को प्रस्तुत करें कि इन छात्रावासों को किन शर्तों पर चलाया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की रिपोर्ट मेरे पास और हैं, लेकिन मैं समयाभाव के कारण एक-दो रिपोर्टों के उदाहरण आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष, यह रिपोर्ट सन् 65-66 की है। इसमें राजस्थान के लिए लिखा गया है—

'अड़ियात वृत्ति में अनुसूचित जाति के लिए पीने के पानी के कुए के पास तालाब बना दिये जाते हैं। पंचायतों में आम लोगों के पीछे घर के बाहर बैठना पड़ता है। सार्वजनिक पीने के पानी के साधनों तक अनुसूचित जाति के लोग नहीं पहुंच सकते हैं। स्कूलों में और धर्मशालाओं में अनुसूचित जातियों को प्रवेश नहीं है। नाई और धोबी अनुसूचित जातियों की सेवा नहीं करते हैं, अनुसूचित जातियों को सवर्ण हिन्दुओं के मोहल्लों की सड़कों पर होकर बारात नहीं ले जाने दी जाती है। अनुसूचित जातियों को ब्राह्मणों के सामने चारपाई पर नहीं बैठने दिया जाता है, अनुसूचित जातियों की पहुंच पीने के पानी के साधनों तक नहीं है, अनुसूचित जातियों का मन्दिरों में प्रवेश नहीं है। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को स्कूलों में पृथक पंक्ति में बैठाया जाता है, और उन्हें पानी के उन साधनों को नहीं छूने दिया जाता है जो सवर्ण हिन्दुओं के लिए हैं।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक पीने के पानी के साधनों पर स्वतन्त्र रूप से नहीं जाने दिया जाता है ... "

यह दूसरे प्रान्त का आगया है। माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान के लिए जो उदाहरण निवेदन किया था यह रिपोर्ट 65-66 के पेज नं० 63 पर अंकित है जो आयोग ने राजस्थान का दूर करके उसके बाद में जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसमें से मैंने यह निवेदन किया है।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं अन्त में एक ही बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार को अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को, अपनी रीति-नीति को स्पष्ट करके चलना होगा। मैं यह निवेदन कर रहा हूं जैसा कि मैंने पहले यह भी निवेदन किया था कि आज भी 22 साल की आजादी के बाद भी, गांधी जन्म-शताब्दी का ढोंग और नाटक होने के बाद आज भी हमारी समस्या, हमारी स्थिति ज्यों की त्यों मौजूद है। उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, उसमें बहुत कुछ सेवा और इस तरह की चीजों की जरूरत है अगर सरकार को इन अनुसूचित जातियों को आगे बढ़ाना है, अगर सरकार की मन्शा है कि इस गरीब तबके को ऊपर लायें, तो इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है।

तो उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज मैं सरकार का आवहान करता हूं गान्धीजी की जन्म शताब्दी के नाम पर, इसी साल आप इस तरह की प्रतिक्रिया बनायें जिससे मालूम हो सके आप हमारे शुभचिन्तक है। आप हमारे हितैषी है। इस प्रकार की बात आप कार्य रूप में परिणित करके दिखायेंगे तो ठीक है। अन्यथा आपके स्टेटमेंट और भाषणों से हमारा कुछ हित होने वाला नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह समाज के एक आवश्यक अंग हैं। इसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप करोड़ों रुपया खर्च कर दें, तो भी कुछ नहीं हो सकता यदि एक अंग में लकवा लगा हुआ है। इस के बिना देश आगे नही बढ़ सकता है। इस लिए अपने आप को बनाये रखने के लिए प्रान्त की तरक्की के लिए आप मेहरबानी करके इस अंग को आगे बढ़ायें। मजबूत बनाकर काम करने का अवसर प्रदान कीजिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बोले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगासहाय।

श्री गंगासहाय (कटूमर सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ही नहीं देश में और सारे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों की उपेक्षा होती आयी है। जो समाजवाद का दम भरने वाली सरकार है, वह भी उपेक्षा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं, उनकी धमनियों में वही खून है।

श्री अध्यक्ष : भाषण की समय सीमा 30 मिनिट होगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 30 मिनिट तो बहुत होते हैं।

श्री गंगासहाय : जिनके बल बूते पर सरकार बनाये बैठे हैं उनकी उपेक्षा करते

(श्री गंगासहाय)

हैं। यह रिपोर्ट बजट सत्र में ही प्राप्त हो गई थी। बजट सत्र में ही पेश हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस सत्र में भी सदस्यों को बार बार संघर्ष करना पड़ता है, यह बड़ी लज्जा की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब रेवेन्यू विभाग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उसके कुछ मामलों को आप के सामने रखना चाहता हूं। शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों की जमीन बिक रही हैं। उसकी पाबन्दी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है शिड्यूल कास्ट लोगों की जमीन की गैर लोगों ने बलबूते के आधार पर कब्जा कर लेते हैं। वापिस लेने में फिर उनको 8-10 साल लग जाते हैं। उनको रेवेन्यू विभाग में जाना पड़ता है। इतना ही नहीं उनको जो जमीन एलॉट होती है। तथाकथित लोग उनको कब्जा नहीं करने देते हैं। सरकार कोई मदद नहीं करती है। मेरे जिले में ऐसी कई घटनाएं हुई। तहसीलदार को लिखा है। मैं सरकार को कहूंगा जब जमीन एलाट की जाये तो कब्जा पहले कराया जाये। अन्यथा वह लोग 8–10 साल से, जीवन निर्वाह के एक मात्र साधन से वंचित हो गये हैं। और मुकदमें लड़ते लड़ते थक गये हैं। उनको गांव छोड़कर निराश होकर जाना पड़ता है। सरकार इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करें। इसी प्रकार की दूसरी समस्याएं हैं। आवास की समस्या है। गांवों में भी आबादी बढ़ रही है। शहरों में भी आबादी बढ़ रही है। सरकार ने यू० आई० टी० में 15 प्रतिशत शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को जमीन देने का नियम बनाया है लेकिन आज तक नहीं दी गई है। न जयपुर में दी गई है। दूसरे स्थानों पर गांवों में समस्या बढ़ी हुई है। सरकार के सामने प्रश्न आये हैं। आज तक भूमि की आवाज की कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में समस्या बढ़ रही है। सस्ती कीमत में भूमि एलॉट करके ज्यादा से ज्यादा रहने की व्यवस्था करें। उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं आवास की समस्या और भी गम्भीर है। अच्छी भूमि शहर में भी हो वह उनको नहीं मिलती है। शिड्यूल कास्ट जयपुर शहर में अच्छी बस्ती में मकान नहीं ले सकता है। सवर्ण लोग उसको नहीं देंगे। इसका मैं भी शिकार हो चुका हूं। सरकार उनको अच्छे मकान अच्छी सुविधा दे ताकि रहने के लिए लोग ज्यादा मकान बना सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं रिपोर्ट के कुछ अंश पढ़ना चाहता हूं। "राजस्थान में अस्पृश्यता निवारण के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रचारकों द्वारा किये गये कार्य का सर्वेक्षण उदयपुर जिले में नीची ओढान, चारभुजा तथा देलवारा ग्राम और पाली जिले में सांडेराव तथा देसूरी।

(1) हरीजन सेवक संघ तथा भारत दलित वर्ग संघ के प्रचारकों के पहले ही दौरों के पश्चात् भी पांचों में ही ग्रामों, मन्दिरों, चाय की दूकान भोजनालयों, नाई की दूकानों में प्रवेश तथा धोबियों को सेवाओं व पीने के पानी के कुओं आदि के प्रयोग के सम्बन्ध में अब भी अस्पृश्यता का व्यवहार होता था।

(2) अनूसूचित जातियों के 34 तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 4 निवेदकों

(श्री गंगासहाय)

में से 20 (53 प्र० श०) को उनके ग्रामों में प्रचारकों के दौरों के विषय में कोई जानकारी नहीं थी।

(3) प्रत्यक्षतः प्रचारक इन ग्रामों में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों से, जिनके साथ अब भी अस्पृश्यता बरती जा रही है, घनिष्ट तथा स्थायी सम्पर्क स्थापित करने में सफल नहीं हुए थे। इन प्रचारकों के सम्पर्क अधिकतर या तो ग्राम के प्रभावशाली उच्च जातियों के व्यक्तियों अथवा उनकी अपनी जातियों के व्यक्तियों तक ही सीमित रहे प्रतीत हुये।

(4) प्रचारकों द्वारा किये गये प्रचार का प्रभाव प्रत्यक्षतः स्थायी रूप का नहीं था। नाइयों, चाय के दूकानदारों आदि की जो सेवाएं अनुसूचित जातियों को उनके प्रयत्नों द्वारा उपलब्ध हुई थीं, वे प्रचारकों के ग्राम छोड़ते ही बन्द हो गईं।

(5) प्रचारकों की शिकायत यह थी वे अपने कार्य में वास्तव में इसलिए प्रभावकारी नहीं हो सके कि पुलिस ने प्रत्यक्षतः कोई रुचि नहीं दिखलाई जब कि नाइयों, चाय के दूकानदारों आदि के झगड़े जिनमें उन्होंने अनुसूचित जातियों की सेवा करने से इनकार कर दिया था, उनके सामने लाये गये।

(6) यह भी बताया गया कि स्वैच्छिक सेवा संस्थाओं द्वारा नियुक्त कुछ प्रचारकों ने अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध प्रचार करने की अपनी राजनीतिक दलों की ओर से संबन्धित पार्टी का प्रचार करने में अपना समय लगाया।

(7) भिन्न भिन्न स्वैच्छिक सेवा संस्थाओं के प्रचारकों में आपस में एकीकरण नहीं था जिसका परिणाम कार्य में दोहराव तथा प्रयत्नों का व्यर्थ होना हुआ।"

अब मैं आई. टी. आई. के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। रिपोर्ट के अंश पढ़कर सुनादूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

"राजस्थान में 15 आई. टी. आई. संस्थान थे जो मुख्यतः जिलों के मुख्य कार्यालयों वाले स्थानों में ही थे। इन संस्थानों ने 11 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए क्रमशः 12½ और 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे।

(1) अनुसूचित जातियों के लिये 539 तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 216 सुरक्षित स्थानों में से वास्तव में क्रमशः 371 (68.80 प्र. श.) तथा 33 (15.20 प्र. श.) स्थान इन जातियों के प्रार्थियों द्वारा भरे गये।

(2) जोधपुर, खेतड़ी, नागौर तथा पाली में स्थित आई. टी. आई. में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या नगण्य थी।

(3) अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विषय में भी कोई आई. टी. आई. ऐसा नहीं था जिसमें इन जातियों के लिये सुरक्षित स्थान पूरे भरे हों।

(4) अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षणार्थियों का इतना कम प्रतिनिधित्व होने का मुख्य कारण राजस्थान के 11 जिलों में आई. टी. आई. संस्थाओं का न होना है, जहां की अनुसूचित आदिम जातियों की जन संख्या 50 प्रतिशत है। राजस्थान के

(श्री गंगासहाय)

अनुसूचित क्षेत्रों में कोई आई. टी. आई. नहीं है। जयपुर के आई. टी. आई. में (केवल इसी के विषय में ही सूचना एकत्र की गई थी) 42 अनुसूचित जातियों तथा 8 अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षार्थियों में से क्रमशः 14 और 4 को छात्रवृत्तियां मिलती थीं और उन्हें 25 रुपये मासिक दिये जा रहे थे न कि 45 रुपये मासिक जो भारत सरकार ने निर्धारित किये थे।

(5) छात्रालयों की व्यवस्था अति ही संतोषप्रद थी।

(6) जयपुर के आई. टी. आई. में 64 कर्मचारियों में से 4 अनुसूचित जातियों के थे और अनुसूचित आदिम जातियों का कोई भी नहीं था। उन में से 3 चपरासी लगे थे और 1 निम्न श्रेणी लिपिका। इन जातियों में से कोई भी व्यक्ति शिक्षण कर्मचारियों में नहीं था।"

इस प्रकार सरकार के द्वारा इन लोगों के प्रति उपेक्षा इन विभागों में बरती जाय यह उचित नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कम से कम ऐसे प्रशिक्षण विभाग में तो जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए कोटा निश्चित है उसे पूरा करना चाहिए। जवाब में टैक्निकल आदमी नहीं मिलते हैं यह बता दिया जायगा, लेकिन में निवेदन करूंगा कि आज टैक्निकल आदमी भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा भी टैक्निकल एजूकेशन में जो लोगों की रुचि नहीं है उसके लिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम हाथ में लें, ऐसी सुविधायें आप प्रदान करें जिससे लोग साइन्स पढ़े और साइन्स पढ़ कर पोलीटेक्निक और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जायं। दुख की बात यह है, जो मुझे कहनी पड़ रही है कि सबसे पहले आदमी ने, जिसने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था, उसको भी एम्प्लायमेंट नहीं मिला और एक मंत्री महोदय के लड़के को एज ए स्पेशल केस असिस्टेन्ट इंजीनियर बना दिया। यह दुर्भाग्य है कि शिड्यूल कास्ट्स का सबसे पहला इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हुआ लेकिन उसको भी वर्क चार्ज में लगाया गया, वह भी कोटा में जाकर। तो इस प्रकार जो उपेक्षा बरती जा रही है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि एक तो पहले ही समाज के बहुत कम लोग इस तरह की शिक्षा पाने के लिए आगे जाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है, दूसरे जो मुश्किल से किसी तरह से खर्चा सह कर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं तो उनके साथ इस प्रकार से उपेक्षा बरती जाती है। यह इस सरकार के लिए घोर लज्जा की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेहतरों की समस्या के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि सिर पर मैला ढोने की समस्या उनके सामने है। वह आज भी सिर पर मैला ढोते हैं, इस समस्या को दूर करने के लिए इन्हें गाड़ियां देने की व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की है, जो कि उसे करनी चाहिए जिससे कि इस अमानवीय कार्य से इन्हें मुक्ति मिल सके। वैसे तो यह समाज सेवा का कार्य है, लेकिन आज समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि आज यह कार्य अमानवीय हो गया है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए म्यूनीसिपैलिटीज को अधिक से अधिक ग्रान्ट-इन-एड दें ताकि वह काम को शीघ्र पूरा करें।

(श्री गंगा सहाय)

अब मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में 116 वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं और उनके ऊपर एक वन श्रमिक सहकारी संघ बना हुआ है। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो इस वन श्रमिक सहकारी संघ में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसी कारण इसके बनते समय माननीय शोभारामजी ने इसका विरोध किया था लेकिन उस समय इस बात की कोई परवाह नहीं की गई। आज इस वन श्रमिक सहकारी संघ के लोग जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग हैं और उनको जो सुविधायें मिलती हैं, उनके लिए जो ग्रान्ट-इन-एड और सब्सीडी के लिए रुपया मिलता है उसको ऊपर ही ऊपर हड़प कर जाते हैं। यह जो सुविधायें मिलती हैं इससे उन लोगों के बंगले बनते हैं, वह लोग कारों में बैठते हैं। इसकी शिकायत की जाती है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यह लोग ठेकेदारों से मिल जाते हैं और सारा पैसा हड़प कर जाते हैं, जो सुविधायें उनको मिलती हैं उससे वह लोग वंचित रह जाते हैं।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि अन्य प्रान्तों ने इनके आर्थिक विकास के लिए सर्वेक्षण कराया है। इनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए इनकी स्थिति का सर्वेक्षण महाराष्ट्र ने कराया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सर्वेक्षण राजस्थान में कराया जाय और यह देखा जाय कि बीस-बाईस साल के अन्दर आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से यह लोग कितने ऊंचे उठे हैं, इनका स्तर कितना ऊंचा उठा है और उसको दृष्टि में रख कर आगे का प्रोग्राम बना कर चलें और इनको उच्च-स्तर तक किस प्रकार से लाया जा सकता है–इसकी योजनायें बनाई जायं।

अब मैं नौकरी के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा, 1966 में राजस्थान के अन्दर एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में 13,900 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन था, यद्यपि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बहुत कम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फिर भी यह दुर्भाग्य है कि जहां पर रजिस्ट्रेशन 13,900 व्यक्तियों का हुआ, उसमें से 1,460 नौकरी पाने वालों की संख्या है। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न यह आता है कि राजस्थान सरकार ने 290 स्थान इन लोगों के लिए सुरक्षित रखे थे लेकिन उसमें से केवल 175 जगहों के लिए ही सिलेक्शन किया गया और बाकी के स्थान के लिए सिलेक्शन नहीं किया गया। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन लोगों के लिए सुरक्षित जो बाकी की सीटें थीं, उनको क्यों नहीं भरा गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह बहाना पेश कर देंगे कि योग्य व्यक्ति नहीं मिले। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के अन्दर हर प्रकार के, हर योग्यता के लोग मौजूद हैं, लेकिन जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं, जो सिलेक्शन करने वाले लोग हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए इन लोगों की उपेक्षा की जाती है, इन लोगों को रिजेक्ट करके, अयोग्यता का बहाना करके इनकी उपेक्षा की जाती है।

(श्री गंगा सहाय)

छात्रवृत्ति के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1966-67 में राजस्थान की जो रिपोर्ट है उसका यह अंश है, परिशिष्ट दो में तालिका एक में है, 1966–67 के अन्दर छात्रवृत्ति के लिए जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे वह 1334 थे, लेकिन अब स्वीकृत कितने लड़कों को हुई है-यह देखिये, यह छात्रवृत्ति की स्वीकृति की संख्या है 3310 जब कि प्रार्थना-पत्र केवल 1334 थे वहां छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई है वह 3310 की हुई है और पाने वालों की संख्या कितनी है जिन्हें इस छात्रवृत्ति का भुगतान किया है, वह है 1310। मेरी समझ में नहीं आता कि यह डिस्क्रिपेंसी क्यों है, यह भेद क्यों है ? यह हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन्स ऊपर के लोगों की आ गई हो और ऊपर के ऊपर उन्हें छात्रवृत्ति मंजूर करदी हो, उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया हो। यह भी हो सकता है कि वह गरीब लोग हों। वैसे मुझे इसमें ऐतराज नहीं है आप गरीब लोगों को छात्रवृत्ति दें तो दें लेकिन इस प्रकार की इस रिपोर्ट में गलतियां नहीं आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान समाज कल्याण विभाग सन् 1951 से कार्य कर रहा है, तब से यह ग्रान्ट इन-एड देता रहा है और कार्य करता रहा है। मैं भी इसमें कुछ समय के लिए कार्य कर चुका हूं, एक वर्ष तक मैंने भी इस विभाग के काम का अनुभव किया है। यहां पर भी नियुक्तियों में भेद-भाव बरता जाता है। मैंने छात्रवृत्तियों के मामले में देखा है कि एप्लीकेशन्स पड़ी छोड़दी जाती हैं, गड्डी की गड्डी पड़ी रहती है। उनके पास कोई आये तो निकाल देते हैं नहीं तो पड़ी रहती हैं। यह काम थोड़े दिनों मेरे पास रहा था, एक दो महीने में इस पद पर रहा लेकिन बाद में मेरा ट्रान्सफर हो गया। लेकिन इस दौरान में मैंने देखा कि किस प्रकार इन लोगों के साथ उपेक्षा बरती जाती है। इस विभाग में 1951 से लेकर अब तक लगभग साढ़े नौ करोड़ रुपया खर्च हो चुका हैं, यह रुपया 1967-68 तक खर्च हुआ है, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लगभग 57 लाख लोगों की, यह 57 लाख 1961 की जन संख्या के आधार पर है, क्या स्थिति सुधरी है- इसका राजस्थान सरकार के इस विभाग ने क्या कोई सर्वेक्षण कराया है ? अगर नहीं कराया है तो इसका सर्वेक्षण कराये। अगर सरकार नहीं करा सकती है तो इस सदन के सदस्यों की एक समिति बना दी जाय जो इस बात की जांच करे कि इनका कितना विकास हुआ है, कितना उत्थान हुआ है और कितना नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, नौकरियों के सम्बन्ध में एक थोड़ी बात रह गई जो मैं बता देना चाहता हूं। राजस्थान के किसी विभाग में जहां तक मेरी जानकारी है- मैं एल. डी.सी. और यू.डी. सी. के लिए तो नहीं कह सकता केवल मैं बीमा विभाग के लिए कह सकता हूं, जहा इन पोस्टों पर साढ़े बारह प्रतिशत कोटा जरूर पूरा किया गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स का साढ़े बारह प्रतिशत कोटा समाज कल्याण विभाग में पूरा हुआ है या नहीं, हर पद पर पूरा हुआ है या नहीं ? इसकी क्या आप जानकारी देंगे। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगा कि कितने गजेटेड

(श्री गंगासहाय)

ऑफिसर है, कितने इन्सपेक्टर हैं, कितने दूसरे ऑफिसर हैं, कितने एल. डी. सी. हैं और कितने यू. डी. सी. हैं और कितने फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं और इनमें कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं। आप यह जानकारी मुझे दें। मेरी जानकारी के अनुसार इस विभाग में भी साढे बारह प्रतिशत कोटा पूरा नहीं हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : दिया तले अंधेरा का राज है।

श्री विशम्बर नाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप जवाब बाद में दे देना। अभी तो यह अच्छा नहीं होगा। आज तो आप हमें सुने जायं।

श्री गंगासहाय : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण का कार्य जब से विकेन्द्रीकरण हुआ है तब से मैं समझता हूं कि बहुत घट गया है। मैं आरोप लगाता हूं कि जो विकेन्द्रीकरण किया गया है उसमें पंचायतों की मार्फत जो कार्य कराने की बात थी और उसमें उनकी जो रुचि होनी चाहिए वह उन में नहीं हैं, उनमें इस कार्य के प्रति उदासीनता है। इस कारण ही जो फन्ड एलोकेट किये जाते हैं वह पड़े रहते हैं, वह एक एक वर्ष तक पड़े रहते हैं और आज भी पड़े हैं। मैं मेरे क्षेत्र के बारे में जानता हूं, चाहे आवास के लिए, चाहे कुओं के लिए, चाहे अन्य सुविधाओं के लिए जो पैसा दिया है वह आज तक युटीलाइज नहीं हुआ है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इस सम्बन्ध में पंचायत समितियां और पंचायतें उदासीन रहीं। इसके साथ ही साथ यह कहूंगा कि मेरा आरोप समाज कल्याण विभाग पर भी है कि जो सुविधाएं समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाती हैं, उनका शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में प्रचार नहीं किया जाता हैं, समाज कल्याण इनको क्या क्या सुविधाऐं देता है क्या क्या नहीं देता है, इसका प्रचार नहीं किया जाता है इससे उन लोगों को पता ही नहीं चलता है और वे लोग इन सुविधाओं से वन्चित रह जाते हैं। जो लीगल एडवाइजर देते हैं इसका, प्रोसेस इतना कठिन है कि लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। मैं खुद गया और कुछ आदमियों के लिये फार्म्स की डिमाण्ड की पर कई महीनों बाद में फार्म मिले। मेरा निवेदन है कि इन फार्मों को अंग्रेजी के बजाय हिन्दी में बनाया जाय और हर समाज कल्याण अधिकारी के पास ये फार्म्स रखे जायं ताकि मुकद्दमों में फंसने वाले लोग सहायता प्राप्त कर सकें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, क्या यह सही है कि जो मुकदमों में कानूनी सलाहकार की मदद मांगी जाती है, उसके फार्म अंग्रेजी में हैं ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : फार्म अंग्रेजी में भी हो सकते हैं, पर मैं आपकी याद दहानी के लिये बताऊं कि इस एक्ट के रूल्स नये बनाये जा रहे हैं, फार्म नये बनाये जायेंगे जो हिन्दी में होंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बनाये जा रहे हैं पर कानूनी सलाह की सुविधा शिडू-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी है, उसके लिये जो फार्म हैं वे अबतक तो अंग्रेजी में है, हिन्दी में कोई फार्म नहीं है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : इसके बारे में मैं तहकीक जानकारी करके बताऊंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इससे ज्यादा शर्म की बात विभाग के लिये नहीं हो सकती कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिये ये फार्म अंग्रेजी में रखे गये हैं।

श्री गंगासहाय: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप बेरोजगारी की समस्या को हल करना चाहते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के 98 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, उनको गांवों में रखना चाहते हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हर व्यक्ति को खेती के लिये जमीन दें, उनको जमीनों के विकास के लिए खास एड दें। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि कुटीर उद्योग जो देश की आर्थिक समृद्धि के आधार है, जिनके आधार पर हमारा यह देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, उन कुटीर उद्योगों की जब तक आप उपेक्षा करेंगे तब तक यह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अब तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है, जो करते थे वह भी छोड़ दिया है। कुटीर उद्योगों को गांव गांव में सहायता नहीं दे रहे हैं, इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो पहले सहायता थोड़ी बहुत देता था उसको भी आपने बन्द कर दिया है और आप नारा देते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने, पर वास्तव में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने देश को एक नारा दिया था कि कुटीर उद्योगों को घर घर में बढ़ावा देने से ही हमारा देश आत्मनिर्भर हो सकता है, हमारा देश तरक्की कर सकता है, पर आप महात्मा गांधी की उस बात को भूल कर गांधी शताब्दी के अवसर पर भी इस दिशा में कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

आज गांवों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की यह स्थिति है कि घड़ा लेकर पानी लाने के लिये कुओं पर जाते हैं और घंटों वहां खड़े रहते हैं इस आशा में कि कोई डोली वाला, बाल्टी वाला आये और उनके घड़े में पानी डाल दे। जहां जानवर और आदमी पिशाब करते हैं उन गन्दे तालाबों से पानी लेकर आज उनको अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। यह आपके समाजवादी समाज की तस्वीर है। समाजवादी समाज का दम भरने वाले गांधी शताब्दी के अवसर पर भी इन लोगों के लिये शुद्ध पानी का कोई प्रबन्ध नहीं करें तो इससे बढ़कर उनके लिये शर्म की और क्या बात हो सकती है ?

मैं यही निवेदन करूंगा कि जो समस्याएं मैंने रखी हैं, उन पर विचार कर।

श्री उपाध्यक्ष :

श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द (खैरथल सु.): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश आजाद हुआ, हमारे यहां हमारे देशवासियों की सरकार बनी, उस समय सरकार ने कुछ ऐसी जातियों को

(श्री गोकुलचन्द)

कुछ वर्गों में बांटा जो बहुत पिछड़ी हुई थीं, समाज में उनका बहुत अपमान होता था, उनके साथ असमानता बरती जाती थी। भारत सरकार ने उनके लिये एक आयोग की स्थापना की। उस आयोग ने समय-समय पर प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं, जिनमें सारे देश में बसी हुई पिछड़ी जातियों का नक्शा खींचा है उनके दुखों का उनकी तकलीफों का। उस रिपोर्ट को यहां लाकर हमको बहुत संतोष दिलाया है कि, हमको दूसरे प्रान्तों में रहने वाली जातियों से, उनकी हालात से, उनकी कठिनाइयों से हमें जानकारी मिली है, इसके लिये हम सरकार को धन्यवाद देते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लगभग 9,42, 54592, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोग रहते हैं। उनकी सारी दशा का वर्णन इसमें किया है। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि हम राजस्थान में रहते हैं, विधान सभा में हमें राजस्थान के लोगों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिये और उन्हीं तक हमारे अधिकार सीमित हैं। पर हमें देखने को मिला है कि दूसरे प्रान्तों में इनकी क्या स्थिति है, इसलिये मैं उसका थोड़ा जिक्र करूंगा।

बहुत आश्चर्य और अफसोस होता है, इस रिपोर्ट में बातें कही गई हैं उनको सुन कर दिल को बड़ा अफसोस होता है कि बीस वर्ष की आजादी के बाद आज भी कुछ प्रान्तों में, गांवों में हमारे भाइयों के साथ, जिनको पद-दलित कहा जाता है, उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है, उनकी स्थिति आज भी इस प्रकार की चिन्ताजनक है।

इस रिपोर्ट के भाग 2 पैरा (1) पृष्ठ 41 में एक बड़ी दर्दनाक घटना दी गई है। उसमें कहा है कि :

(1) यह बतलाया गया है कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की बारात को स्थानीय ऊंची जाति वालों द्वारा जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के एक गांव की मुख्य गली में से होकर न गुजरने दिया गया। सम्बन्धित अधिकारियों से तथ्य मंगवाये गये और यह आरोप सिद्ध हुआ। उनसे यह भी प्रकट हुआ कि पुलिस जो कि पीड़ितों की सहायता के लिये आई थी उन पर ऊंची जाति वालों द्वारा हमला किया गया। इसके परिणामस्वरूप पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई और एक व्यक्ति मारा गया।

इसी तरह पृष्ठ 42, पैरा 3 में दिया हुआ है :

कहा गया है कि जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश के एक गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्थानीय ऊंची जाति वालों ने बुरी तरह पीटा क्योंकि उसका वस्त्र एक सवर्ण व्यक्ति से छू गया था। अनुसूचित जाति के अन्य सदस्यों को भी सताया गया, उन्हें खेतों में टट्टी-पिशाब के लिये जाने से भी रोका गया और उनके पशुओं को भी खेतों में नहीं चरने दिया गया। उन्हें धमका कर यह भी मना किया कि वे पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट न करें। शिकायत की छानबीन से पता चला कि पार्टियों के विरुद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन है...

इसी पृष्ठ के पैरा 4 में दिया गया है :

(श्री गोकुलचन्द)

जिला भरतपुर, राजस्थान के एक गांव के भंगियों ने आयुर्वेदिक औषधालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा उनसे विशेषतः फोड़ों की मरहम पट्टी करते समय या उनकी नाड़ी देखते समय भेदभाव-पूर्ण व्यवहार किये जाने की शिकायत की थी। यह मामला सम्बन्धित अधिकारियों तक ले जाया गया। अभी तक उनका उत्तर नहीं मिला है।

इसी प्रकार मथुरा जिले के एक गांव में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से ऊंची जाति के व्यक्तियों ने जबरदस्ती बेगार ली, उनकी सम्पत्ति लूट ली, उन्हें पीटा और उनकी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया। अफसोस की बात है कि मैं कुछ दिनों से जनतन्त्र से और वोटों की प्रणाली से बहुत परेशान हूं। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि वहां हरिजनों की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार सिर्फ इस कारण किया गया कि पिछले सामान्य चुनावों में हरिजनों ने उनकी जाति के उम्मीदवार को वोट नहीं दिये थे।"

श्री उपाध्यक्ष : आप परेशान क्यों हैं? चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिये?

श्री गोकुलचन्द : यह बड़ा चिन्ता का विषय है कि कहीं-कहीं हरिजनों की तरक्की में रुकावटें आती हैं तो उसका कारण यह है कि गांव-गांव में चुनाव होते हैं, सरपंच बनते हैं, अलग-अलग दल बने हुए हैं। तो सरकार को सोचना चाहिये कि इन हालात से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को बचाया जाय। यदि कोई जाति किसी को वोट नहीं दे तो उसके लिये उनको दुःख उठाना पड़े, उनकी कोई सुनवाई नहीं करे तो यह बड़े दुःख की बात है।

इसी प्रकार पृष्ठ 44 में लिखा है :

(9) "जिला हिसार, हरियाणा के एक गांव के अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी बहिन का गांव के कुछ ऊंची जाति के व्यक्तियों ने अपहरण किया और उसे मार डाला और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस मामले को राज्य सरकार तक ले जाया गया और उन्होंने बतलाया कि दोषी की तलाश करने के लिये विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति की जाने के पश्चात् भी असली दोषी का अभी तक पता नहीं लग सका।

इसी प्रकार देहली के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने बतलाया कि झझर (हरियाणा) के एक ऊंची जाति के व्यक्ति ने उसकी पत्नी का अपहरण किया। उसने उसको मारने की धमकी दी यदि उसने उसके गांव में प्रवेश करने की हिम्मत की तो उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले को दर्ज करने से इन्कार कर दिया।"

यह मैं इसलिये कहता हूं कि हम कहते तो हैं पर इस प्रकार की बातें होती हैं तो हमारा दिल हिलता है। आज की राजनीति में इस प्रकार का दुर्व्यवहार पिछड़ी जाति के लोगों के साथ होता रहा तो यह जातियां कैसे जिन्दा रहेंगी?

जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के एक कस्बे के एक अनुसूचित जाति के दुकानदार

(श्री गोकुलचन्द)

ने बतलाया कि स्थानीय कॉलेज के कुछ ऊंची जाति के विद्यार्थियों ने उनकी बंद दुकान पर हमला किया और उसे मार डालने की धमकी दी क्योंकि उनकी धारणा थी कि प्रार्थी ने पिछले चुनाव में उनकी जाति के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था।

पृष्ठ 55 : "उदयपुर जिले में नीची ओढ़ान, चारभुजा तथा देलवारा ग्राम और पाली जिले में सांडेराव तथा देसूरी। पांचों ग्रामों में मंदिरों, चाय की दुकानों, भोजनालयों, नाई की दुकानों में प्रवेश तथा धोबियों की सेवाओं व पीने के पानी के कुओं आदि के प्रयोग के सम्बन्ध में अब भी अस्पृश्यता का व्यवहार होता था।" यह रिपोर्ट हरिजन सेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं ने दी है।

यह आश्चर्य की बात है, यह राजस्थान का सवाल है, इसलिए ज्यादा अफसोस होता है। मुख्य मंत्री उदयपुर के हैं। अगर उनके यहाँ ही उनके जिले में ही इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं और दुर्व्यवहार होता है तो अफसोस की बात है।

पृष्ठ 58 पर औद्योगिक विभाग के बारे में कहा है : "राजस्थान में 15 आइ०टी० आइ. संस्थान थे जो मुख्यतः जिलों के मुख्य कार्यालयों वाले स्थानों में ही थे। इन संस्थानों ने 11 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए क्रमशः 12½ और 5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे। लेकिन जोधपुर, खेतड़ी, नागौर तथा पाली में स्थित आइ०टी०आइ० में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या नगण्य थी। जयपुर के आइ०टी०आइ० में 42 अनुसूचित जातियों तथा 8 अनुसूचित आदिम जातियों के प्रशिक्षणार्थियों में से क्रमशः 14 और 4 को छात्रवृत्तियां मिलती थीं और उन्हें 25 रुपए मासिक दिए जा रहे थे न कि 45 रुपए मासिक जो भारत सरकार ने निर्धारित किए थे।"

तो दुख की बात है कि भारत सरकार 45) के लिए कहती है तो राज्य सरकार 25) क्यों देती है ऐसे विद्यार्थियों को भारत सरकार के नियमानुसार 45) मिलना चाहिए।

पैरा 5 में छात्रालयों की जो व्यवस्था है, वह भी संतोषजनक नहीं बताई गई है। इस तरफ हम बार बार सरकार का ध्यान दिलाते रहे हैं कि नाश्ते की व्यवस्था ठीक नहीं है। पहले 10 पैसे एक छात्र को नाश्ते के लिए मिलते थे उसके बाद 25 पैसे किए गए। इस जमाने में 25 पैसे से क्या नाश्ता होगा ? सुनकर अफसोस होता है। हरिजन छात्रों को अच्छा नाश्ता नहीं मिले, भोजन अच्छा नहीं मिले क्योंकि वे पिछड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर दुख होता है। मैंने छात्रावास कमेटी की मीटिंग में भी इस बात को कहा कि कम से कम उनको आटा तो बढ़िया मिलना चाहिए। सरकार छात्रावासों पर इतना रुपया खर्च करती है तो उनको आटा तो गेहूं का मिलना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि वे हरिजन हैं, मिर्ची से रोटी खाते हैं, शायद यादवजी भी मिर्ची से खाते होंगे, कोई बुराई की बात नहीं, लेकिन और लोग खायें गेहूं और उनसे इस तरह

(श्रीगोकुलचन्द)

कहा जाय तो उनको ठेस पहुंचती है । छात्रों को अच्छा खाना मिलना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कहीं भी पढ़ते हों, वह पढ़ाई में तरक्की नहीं कर सकेंगे । मंत्रीजी देखेंगे कि नाश्ते में बहुत कम पैसा दिया जाता है, उनको उस व्यवस्था में सुधार करना चाहिए ।

जितने भी हमारे छात्रावास हैं बहुत कम हैं क्योंकि अब शिक्षा का प्रसार इतना होता जा रहा है, कई गांवों से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, शहरों के स्कूलों में भर्ती होते हैं, आप खयाल करेंगे कि शहर में मकान किराए पर नहीं मिलता । पहले तो हरिजन छात्र को कोई भी मकान देने को तैयार नहीं होता, अगर बिरादरी वाले से मकान मिल जाता है तो कितना किराया देना पड़ता है । मैंने सरकार का बारबार इस ओर ध्यान आकर्षित किया है, उन छात्रों को छात्रावासों में स्थान दिया जाय या दूसरे छात्रावास बनाए जायं ।

आपको आश्चर्य होगा कि 6-7 वर्ष से एक ही छात्रावास अलवर में चलता है दूसरा आज तक नहीं बना पाए हैं । दूसरे के लिए सरकार ने घोषणा की है लेकिन वह सरकार का न होगा बल्कि अनुदान देकर चलाया जायगा । मैं समय समय पर सरकार को सुझाव देता रहा हूं कि जो छात्र छात्रावास से वंचित रह जायें उनको कम्पलसरी छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ताकि वे किराए पर मकान लेकर रहेंगे और अपनी पढ़ाई में दिलचस्पी लेंगे । यह तो कर ही देना चाहिए ।

गांवों में इस बात की भी शिकायत रही है कि कुछ गरीब लोगों की झोंपड़ियां हैं, घर हैं, मैं नहीं कहता कि केवल हरिजनों के ही हैं, लेकिन आजतक उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई है कि उनका कितनी जमीन पर कब्जा है और मालकाना अधिकार है । अगर 100 वर्ष पहले एक आदमी झोंपड़ी में रहता था, तो आज भी उस झोंपड़ी में पढ़ने के लिए उसके पास गुंजाइश नहीं । सरकार ने पंचायतों को अधिकार दिया है कि उनको जमीन दें लेकिन अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इन पंचों और सरपंचों को यही खयाल रहता है कि यदि किसी हरिजन की तरक्की के लिए कोई जमीन दे दी गई तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, चुनाव में हार जायेंगे । इसलिए सरकार की मन्शा के विरुद्ध काम हो रहा है । मवेशियों के बांधने के लिए जगह चाहिए । 25 वर्ष पहले उनके एक परिवार में कितने आदमी थे, आज उनका परिवार कितना बढ़ गया है, बच्चे हुए हैं, लड़कों ने शादी की हैं । उनके पास एक या दो घर हैं । जाएं कहां, नगरों में नगर-विकास-न्यास बन गए । गांवों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जमींदार और जागीरदारों का आतंक । हरिजनों को कौन घर बताये, कौन जमीन दे ? सरकार इस काम को चाहते हुए भी असफल रही है, उनकी प्रगति के लिए कोई काम नहीं हो सका है । अगर दरअसल सरकार कुछ काम करना चाहती है तो इसमें कड़ी कार्यवाही करे नहीं तो सारे काम पीछे रह जायेंगे । परिशिष्ट 3, 2, 25 पृष्ठ 24 पर लिखा है : राजस्थान में सुरक्षित अधिसूचित रिक्तियों की संख्या 1966 में 290 थी, 175 भरी गई और उसके बाद 115 खाली रही ।

इस प्रकार हम बार-बार चिंता व्यक्त करते हैं कि हर साल स्थानों की पूर्ति नहीं

(श्री गोकुलचन्द)

होती है और सरकार हिसाब नहीं दे पा रही है। सरकार को एक विभाग खोलना चाहिए जो इस प्रकार के आंकड़े सरकार को दे कि कौन से विभाग में कितने स्थान सुरक्षित थे और कितने स्थान भरे गए। हम जब पूछते हैं तो उत्तर मिलता है कि वे योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए स्थान हरिजनों के रिक्त रह जाते हैं। जैसे रिपोर्ट में इशारा है, इस प्रकार का विभाग सरकार को खोलना चाहिए जो जांच करे कि कितने स्थान कहां-कहां सुरक्षित थे और किन कारणों से, वे नहीं भरे गये।

राजस्थान विधान सभा में कुल 184 स्थान हैं। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें कोई निजी स्वार्थ मेरा है लेकिन हिसाब के आधार पर कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्रीजी हर प्रकार का खर्चा स्वीकार करते हैं, कई प्रकार की रियायतें माननीय सदस्यों को देने को तैयार हो जाते हैं, कर्मचारियों को कुछ रियायतें दी भी हैं लेकिन जहां पर अनुसूचित जाति के 31आदमी हैं, आदिम जाति के21,कुल मिलाकर 52 सीटें हैं लेकिन मंत्रिमण्डल में हिसाब लगायें तो बहुत कम संख्या है। तीन चार और बढ़ादें तो कुछ संतोष होगा। मैं गलत नहीं कह रहा।

श्री श्रवणलाल : 1952 से पहले से जो चले आ रहे हैं उनको नहीं लेते हैं।

श्री गोकुलचन्द : इस बात का जिक्र मैंने सरकार से समय-समय पर किया है, सरकार से प्रार्थना की है कि जो प्रमोशन वाली बात है प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों की, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है क्योंकि बराबर हमने इस बात को कहा है। प्रोमोशन के लिए सरकार रिजर्वेशन ही रख सकी है इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। लेकिन बाध्य होना चाहिये।

(7 म.प.)

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृति दी गई)

सदन की अनुमति से बैठक का समय एक घण्टे के लिये और बढ़ाया गया।

श्री गोकुलचन्द : माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार ने जो संरक्षण पिछड़ी जातियों को दिया है, उसके लिये तो हम आभारी हैं लेकिन हम यह जानना चाहेंगे कि आखिर उनके बारे में सरकार को जानकारी भी है या नहीं कि कहां कहां किस प्रकार से अनर्थ उनके साथ हो रहा है, कानून के होते हुए भी। उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिये सरकार को जिम्मेदार होना चाहिये। मैं आपको यह कह रहा था कि जो प्रोमोशन का सवाल है, वह बहुत महत्वपूर्ण है......

श्री उपाध्यक्ष : प्रोमोशन को मिनिस्टरी में तो शामिल नहीं कर रहे हैं ?

श्री गोकुलचन्द : मिनिस्टरी का तो अलग सवाल है। लेकिन यह प्रोमोशन का जो पढ़े लिखे लोग सर्विस में आते हैं उनका हमारे ऊपर दबाव रहता है कि आप हमारे लिए क्या सोचते हैं। तो मैं समझा हूं कि उनकी यह मांग वाजिब है और सरकार को

(श्री गोकुलचन्द)

इसकी व्यवस्था करनी चाहिये । लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं होती है । जानबूझ कर उनको प्रोमोशन नहीं दिये जाते हैं ।

भूमिहीनों की जो समस्या है वह बड़ी विचित्र समस्या है । गांवों में हम देखें तो बहुत सारी जमीन हमें मिल सकती है लेकिन वितरण की व्यवस्था इस प्रकार की है जो यह अलॉटमेंट कमेटियां है, उनसे हमें सन्तोष नहीं है मैं अपने जिले की बात कहता हूं । मेरे जिले के दस विधायक हैं उनमें से दो रिजर्व सीट से चुने गये हैं । वे दोनों ही अपने क्षेत्र में उस कमेटी के मेम्बर होते हैं, लेकिन 8 सीटें बराबर इस प्रकार की हैं कि जहाँ पर अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधि नहीं है । फिर हमें क्या मालूम कि उनको जमीनें दी हैं या नहीं । मैं जिस कमेटी का प्रतिनिधि हूं, अपने इलाके में, जहां पर जमीन तो है, परन्तु किसी को भी दी नहीं गई, यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि चार मीटिंग्स तहसीलदार ने बुलाई, दो-दो, चार-चार घण्टे तक मैं उनका इन्तजार करता रहा लेकिन तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे और उसने मीटिंग को अवॉइड किया और एक भी कार्यवाही अलॉटमेंट की नहीं हुई । सरपंच वगैरा के इशारे पर अनधिकृत कब्जा लोगों को करा दिया जाता है और यह रिपोर्ट कर देते हैं कि हमारे पास जमीन नहीं है । यह हमारे साथ सरासर अन्याय होता जा रहा है । हमारी यह धारणा बनती जा रही है कि सरकार कहती तो है हमारी मदद नहीं करना चाहती है । जब जमीन है तो उसका हिसाब से वितरण करना चाहिये । हिसाब से हमको मिलनी चाहिये, यदि इसी तरह से अनधिकृत कब्जे करते रहे तो हमको एक बीघा जमीन भी नहीं मिलेगी । भरतपुर में बीहड़ की जमीन को, जो फॉरेस्ट की जमीन है, लोग उसको तोड़ते जा रहे हैं । दूसरे लोगों के मुकाबले में कोई मेहतर, खटीक, चमार जमीन तोड़ने जायेगा ? उनकी हिम्मत नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष जी, राजस्व विभाग में इतनी धांधली हो रही है, असमानता हो रही है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये । भूमिहीनों और हरिजनों को बसाने के लिये ध्यान देना चाहिये और जिनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है, उनके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहियें । जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत गांव में है । पटवारी जिसको चाहे जमीन दे सकता है, राजस्व मन्त्री, मुख्य मन्त्री, एम. एल. ए. चाहे जो कुछ कहें, वह जमीन नहीं दे सकते । मैं विशेषतौर से चाहूंगा कि समाज कल्याण मन्त्री अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे कि वे हरिजनों के लिये कम से कम सरकार पर दबाव डालेंगे । इस प्रकार से हथियार न डाल देने चाहियें कि जिसके मन में आये वही जमीन पर कब्जा कर ले । आखिर राज है किसलिये ? क्या कानून मदद नहीं करता है ? अगर उसमें कोई खामी हो तो उसको आप दूर करें । यह रियायत अच्छी नहीं है । सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक और आश्चर्यजनक बात, हास्यास्पद बात इस रिपोर्ट में लिखी है कि श्रीकान्त जी आयुक्त थे इस विभाग के, वे हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गये । मेरा इन्ट्रेस्ट इसलिए है कि हरिजनों के

(श्री गोकुलचन्द)

साथ क्या होता है दुनियां में। वहां पर सांखला गांव है। दूसरे लोग और हरिजन अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं, उनका एक मन्दिर है और उसका पुजारी उनकी जाति का है। रिपोर्ट में कहा है कि उच्च जाति के लोग हरिजन वार्षिक उत्सवों में अलग-अलग नाच करते हैं परन्तु जब श्रीकान्त जी वहां गये तो उनके सामने उच्च जाति और हरिजन लोग एक जगह पर साथ-साथ नाचे। वहां पर क्या प्रोपेगन्डा हुआ। एक देवी, देवता ने देवी वक्ता की मार्फत यह आवाज उठाई कि यह जो कुछ हुआ है, गलत हुआ है। हरिजनों को सवर्णों के साथ नहीं नाचना चाहिये। हरिजनों को इसका प्रायश्चित्त करना चाहियें। इसके फलस्वरूप उनको पांच-पांच रुपये का प्रत्येक हरिजन परिवार को दण्ड दिया गया और बकरियां कटवा कर उनका बलिदान दिया गया। हंसने की बात यह है कि बकरियों का मांस उच्च जाति के लोग अकेले ही खा गये और हरिजनों को कुछ भी हिस्सा नहीं दिया। यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। खाने में भी असमानता और नाचने में भी असमानता। इस प्रकार का अनर्थ हमारे देश में हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। आज हम देश में दो पहलुओं से इन जातियों को देखते हैं। एक तो यह है अस्पृश्यता–ऊंच-नीच की भावना और दूसरी अमीरी और गरीबी की भावना। मैं इस बात को आदर की दृष्टि से देखता हूं। जो भी तरक्की का काम सरकार करे वह सभी जातियों के लिए होना चाहिये। इससे गलत विचारधारा नहीं बनेगी और विषमता भी नहीं बढ़ेगी और सरकार को यह देखना चाहिये कि जो लोग गरीब हैं, उनको वो धन्धा दें, रोजगार दें और जमीन दें। इन सब के लिये कोई योजना चलाई जानी चाहिये जिसमें सभी गरीब लोगों को हित हो। इस रिपोर्ट में भी यह माना गया है कि उच्च जातियों में ब्राह्मण सबसे अधिक सम्मान पाता है।

उनके बाद किसान और जो बीच के स्तर के आदमी है उनको लिया गया है उसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों को सबसे नीचे स्तर पर रखा गया है। मैं सरकार की इस बात की प्रशंसा करूंगा कि उसने कानून का सख्ती के साथ पालन करवाया है फिर भी इस देश में इस दिशा में बहुत कुछ सुधार नहीं हो पाया। यह रिपोर्ट इस बात की साक्षी है। हमारे देश में बहुत सी असमानतायें रही हैं। यहां जो कानून कायदे बनते हैं, सरकारी स्तर पर उसका पालन नहीं होता अधिकारियों द्वारा जान बूझकर उसकी अवहेलना की जाती हैं, वे लोग उसको सख्ती के साथ लागू करने की इच्छा नहीं रखते। इस तरह से अन्याय को बढ़ावा मिलता है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अब यह समय नहीं हैं, सतर्क रहना चाहिये, गरीबों की भलाई का बीड़ा उठाया है तो उसको पूरा करने के लिये, उसकी सफलता के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये।

(7.11 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप इसमें और भी जातियों को लेना चाहते हैं क्या ? आप क्या और जातियों की इनक्लूड करवाना चाहते हो क्या ?

Page No 178

श्री गोकुल चन्द : अगर इसमें आपको इन्क्लूड कर दिया जाता है तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। ऐसा प्रस्ताव रखा तो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी गोद में बैठ जाय तो ठीक है ?

श्री गोकुलचन्द : जोधपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में दो छात्रावास हैं। अभी अभी मुझे जानकारी मिली है उन छात्रावासों में कुछ हरिजन भी रहते हैं। उनको खाना खिलाते समय सवर्ण छात्रों से अलग बैठाया जाता है। अगर कहीं बैठ जायं तो दूसरे छात्रों के बर्तन तो दूसरे नौकर साफ करते हैं लेकिन हरिजन छात्रों को अपने बर्तन अपने आप साफ करने पड़ते हैं। आप इसकी जानकारी करिये। एक छात्र को तो इस कारण पीटा भी गया है। क्या इस प्रकार का व्यवहार इन छात्रवासों पर है इसकी जानकारी करके आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

सभापति महोदय, यह रिपोर्ट तो बहुत लम्बी है इसमें जो कुछ बातें बतायी गई वे आश्चर्यजनक है। 20 बर्ष के बाद भी इनके साथ अन्याय होते हैं। हमारे कई प्रान्तों के ऐसे कई उदाहरण हैं। परन्तु यह संतोष की बात है कि अधिकारियों की सतर्कता से हमारे यहां कोई ऐसी बातें नहीं हो पायी इससे हमें सामाजिक निराशा तो नहीं होती। हमारे यहां अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट कानून बनाया है यह बात ठीक है जमीन एक्वायर करके रहने के लिये प्लाट दिये जाते हैं मेरा यह निवेदन है कि इसमें हरिजनों एवं आदिम जातियों के लिये 15 प्रतिशत प्लॉट दिये जाने का प्रावधान है। कोटा और बूंदी में दो हजार प्लॉट काटे गये है लेकिन उनमें से एक भी हरिजन को नहीं मिला है। उसके लिये कहा जाता है कि हाई कोर्ट से स्टे आगया। बूंदी में तो नहीं आया वहां तो दिये जाते। जवाब जो दिया जाता है वह मूर्ख बनाने के सिवाय और कुछ नहीं। मेरा आप से निवेदन है कि इस बारे में आप सतर्क रहकर हमारे लिये जो प्लॉट्स रिजर्व रखे जाते हैं वह हमें मिलने चाहिये। सरकार जब किसी कानून को पास कर देती है तो उसके अनुसार कार्य होना चाहिये, उनके लिये खेती की जमीन रहने के लिये प्लॉट्स आदि दिये जाने चाहिये रिजर्व कोटा के अनुसार। इसके साथ साथ गांवों का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। व्यापारी लोग और पैसे वाले लोग तो शहरों में आकर कोठियां वना सकते हैं। हमारे यहां का पंचायत एक्ट 52-53 में बना, पंचायतों को चाहिये कि वह हरिजनों के लिये जगह दें, मकान बनाने के लिये पैसा दें। पशुओं के लिये जगह दें, चारा वगैरह रखने के लिये स्थान दें। मैं सही कहता हूं कि पंचायतें इस काम को करने में बिलकुल असमर्थ रही हैं। आपको इस काम के लिये तहसीलदार या कलेक्टर को जिम्मेदार ठहराना चाहिये। तभी जाकर इन लोगों का भला हो सकता है वरना नहीं।

मैं इस रिपोर्ट से बहुत कुछ खुश हूं और कुछ असन्तोष भी है बहुत कुछ सन्तोष भी है। देश में प्रजातंत्र आया है, चुने हुए लोगों की सरकार है हमें इस बात का संतोष है कि बहुत लोगों की हैसियत बनी है, बहुत लोगों को समान अधिकार मिले हैं। सरकार ने इस बात का प्रयास किया है जो प्रशंसा योग्य है कि जुलाई 67 से जो कॉलेज स्तर की शिक्षा जो लड़के ले रहे हैं उनको दस माह की छात्रवृत्ति 40 रुपये प्रतिमास अतिरिक्त मिलेगी, इससे हमें सन्तोष मिलता है।

(श्री गोकुलचन्द)

उन्होंने एक यह भी कदम उठाया है कि साल भर की एक साथ नहीं देकर के क्वार्टरली देनी की योजना है वह भी सराहनीय है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जुलाई से ही बट गये हैं।

श्री गोकुलचन्द जादव : जुलाई से कई जगह बट गई है इससे हमें सन्तोष है। सरकार से मैं आशा करूंगा कि जिनकी स्थिति दयनीय है उनको जितनी ज्यादा सहायता देंगे उनकी स्थिति ज्यादा सुधरेगी।

इसके अलावा मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पहले विभाग से एक त्रैमासिक पत्रिका निकला करती थी वह पिछले दिनों बन्द हो गई। जब आयुक्त सारे हिन्दुस्तान के लिये रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो राज्य सरकार को भी कम से कम अर्ध-वार्षिक नहीं तो वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये, जिसमें राजस्थान के हरिजनों की हालत सुधारने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये गये, क्या सुविधायें दी गई, क्या आदेश निकाले गये, क्या कानून बनाये गये। उनका उल्लेख उसमें होना चाहिये। उसमें तो इससे सबको जानकारी मिल सकेगी। इससे जहां सरकार के कार्यों का जनता में प्रचार होगा वहां उन लोगों को भी पता चल जायगा क्या कानून और आदेश निकाले गये है। सरकार आपके लिये यह काम कर रही है, यह भी हम उनको कह सकते हैं। इस संबन्ध में विशेष ध्यान दिया जाय।

अब मैं इस संबन्ध में बहुत ज्यादा न कह कर सरकार को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि जो अन्याय और अनर्थ इस रिपोर्ट में देखने को मिले हैं वहां राजस्थान का इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है यह खुशी की बात है। राजस्थान में असमानतायें सुनने को नहीं मिली है। पिछले साल कुछ झगड़े हुए थे। हरिजनों के जमीन के उसको हमारी राजस्थान की पुलिस ने राज्य सरकार ने हरिजनों को पीटने से बचाया है। हमारी सरकार के हाथ में हमारे अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे असन्तोष हैं उनको दूर किया जा सकता है यह वोट का राज्य है वोट प्राप्त करने के लिये जब इन लोगों के सामने जाते हैं तो असमानता मिटाने की बातें भूल जाते हैं। सरकार को यह ध्यान में नहीं रखकर कि यहां से कौन जीतता है वहां से कौन जीतता है। मजबूती के साथ इनकी भलाई के लिये कदम उठाने चाहिये।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल।

श्री नन्दलाल (पाटन सु.) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। इस विषय पर मैं भी अपने विचार प्रगट करूंगा। 1966-67 की यह रिपोर्ट है। बीस साल की आजादी के बाद हमारे राजस्थान ने इस दिशा में काफी प्रगति की है। जो रकम हरिजनों और आदि वासियों को दी जाती है वह वाजिब तौर पर खर्च होनी चाहिये जो आज नहीं होती।

हरिजनों को मकान बनाने के लिये जो रकम 750 और 1000 देते हैं वह भी अपर्याप्त है। सभापति महोदय, इसमें भी जिस प्रकार से हरिजनों को यह सहायता का रुपया दिया जाता था वह भी उन तक पूरा नहीं पहुंचता था क्योंकि वह रुपया

(श्री नन्दलाल)

समाज कल्याण विभाग द्वारा नगरपालिकाओं और पंचायतों को दिया जाता था। उस पैसे में से नगरपालिका और पंचायतें मकान बनाती हैं, एक हजार रुपया तो उनके नाम लिख देते हैं उनसे अंगूठा भी ले लेते हैं दस्तखत करा लेते हैं। पर मकान आज भी कई ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे चुनाव क्षेत्र में केशोराय पाटन में प्लान बना था। आवेदन भी दिये गये। पर प्लान आज भी अधूरी है। इसी प्रकार ग्राम लाब्रेरी में भी धन राशि दी गई थी। वह भी पूरी नहीं हो रही है।

इसी प्रकार गांवों में हरिजन आदिवासी लोगों को भूमि देने में भी काफी उपेक्षा बरती जाती है। कई दिनों तक तो पटवारी तहसीलदार अलाट ही नहीं करते। कभी ऊपर के दबाव से जमीन दे भी देते हैं तो उसमें झगड़े खड़े करवा देते हैं। गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति जमींदार कहो या जागीरदार कहो उस पर नाजायज कब्जा करके बैठ जाते हैं। राज सरकार ने उन गरीब भूमिहीन आदिवासी और हरिजनों को कानूनी सहायता देने के लिये नियम तो बना रखे हैं पर वह सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। हरिजन आदिवासी गरीब होता है। हाली गवाली का काम करता है, पूरा खाने पीने का साधन नहीं तो अदालत तक जाने की हिम्मत कहां से आवेगी। जमीन जो बड़ी मुश्किल से सरकार दिलाती है नीचे वालों की ढील से वह भी चली जाती है। ऐसे सैकड़ों केश हैं। नैनवा पाटन तहसील में हजारों केश ऐसे हैं। एस. डी. एम. और कलेक्टर के कोर्ट में पड़े हैं आज दिन तक उन पर किसी प्रकार का फैसला नहीं हुआ और जमीनों पर दूसरे लोग आज तक नाजायज कब्जा किये बैठे हैं।

आज राजस्थान में छूआछूत को लेकर काफी परिवर्तन आया है। हम जानते हैं बीस साल पहले जितनी थी उतनी आज नहीं है। पर यह भी कहने में मुझे संकोच नहीं है कि देहातों में गांवों में अभी भी काफी है। शहरों में थोड़ा फर्क पड़ा है। गांवों में अगर हरिजन या कोइ भी हरिजन आदिवासी अपनी चारपाई पर बैठता है तो गांव का दूसरा सवर्ण उसकी चारपाई पर बैठने से गुरेज करता हैं। इसलिये कानूनी सहायता से जितना सहयोग इसमें करना चाहिये वह किया जाना चाहिये।

साथ ही पीने के पानी की समस्या गांवों में पहले जैसी ही करीब करीब आज भी मौजूद है। वह मैं समझता हूं कि दस प्रतिशत भी हल नहीं हुई। आज भी गांवों में पानी की भारी समस्या है। हजारों गांव ऐसे हैं वहां सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं पीने दिया जाता। इसके लिये रिपोर्ट भी करते हैं पुलिस में भी जाते हैं तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। आज भी गन्दे नालों का पानी पीकर उनको रहना पड़ता है।

इसी प्रकार पंचायत समिति के अन्दर जो समाज कल्याण विभाग द्वारा कुआ बनाने का अनुदान दिया जाता है उसका भी सही उपयोग न होकर गलत उपयोग होता है। इसके कारण भी परेशानी है। ऐसे स्थानों पर इस पैसे से कुए बनाये जाते हैं जहां कई सवर्ण लोगों के हैं। समाज कल्याण के द्वारा कुए अलग से बनाये जाते हैं तो उनका पानी का उपयोग आ सकता है। इसलिये निवेदन

(श्री नन्दलाल)

करूंगा कि ऐसे स्थानों पर बनाये जावें जहां कि उन लोगों को पीने के लिये कोई जगह उनके ही नजदीक हो। यह सहूलियत समाज कल्याण विभाग को देनी चाहिये।

साथ ही निवेदन है कि छात्रावासों की समस्या भी विकट है। मेरे पूर्व सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाला है कि अमुक गांव में छात्रावास, में एक जाति के छात्रों के साथ अगर कोई छोटी जाति का बैठता है तो बराबर में नहीं बिठाया जाता। यह समस्या वहीं की नहीं, सारे राजस्थान की है। अगर जांच की जावे तो 99 प्रतिशत ऐसी ही मालूम पड़ेगी। यह बात भी सही है कि छात्रावास में हरिजनों के बच्चे हैं तो उनके साथ एक साथ बैठकर खाना नहीं खावेंगे। जब कि सारा पैसा और खर्चा गवर्नमेंट अपनी तरफ से व्यय करती है। तो वहां भी छूआछूत अभी है। वहां से गई नहीं है।

इसी प्रकार छात्रावासों की जिनकी व्यवस्था राज सरकार द्वारा चलाई जाती है और दस बीस साल पहले जो छात्रावास बनाये गये थे उनकी स्थिति ऐसी है कि उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। जहां सैंकड़ों लड़के उम्मीदवार होते हैं वहां केवल कुछ को प्रवेश दिया जाता है, बाकी लड़के छात्रावासों में रहने से वंचित रह जाते हैं। इसलिये ज्यादा से ज्यादा छात्रों को छात्रावास में जगह दिलाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिये।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मकान बनाने के मामले में राज्य सरकार ने आदेश निकाला है कि 750) और एक हजार का अनुदान दिया जावे। इसके बाद आज दो हजार ऋण के रूप में दिया जाता है। इसके लिये मैं निवेदन करूं कि आज की महंगाई के जमाने में रहने योग्य मकान न एक हजार में बन सकता है और न दो हजार में बन सकता है। जिस मकान में हरिजन अपने परिवार सहित रह सकें चाहे करजा दो या अनुदान दो पर कम से कम वह ढंग से रह सके इतना पैसा सरकार को देना चाहिये। केवल एक हजार या दो हजार से काम नहीं बनेगा। इसलिये मकान के लिये आवश्यक करजा या अनुदान दिया जावे। करजा भी ज्यादा दिया जावे और अनुदान भी बन्द नहीं किया जावे।

अन्त में निवेदन करूंगा कि अनुसूचित जाति के लिये जो नौकरियों की समस्या है वह दिन पर दिन विकट होती जा रही है क्योंकि कोई भी विभाग ऐसा नहीं जिसमें $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत के हिसाब से उनको लिया जाता हो। अब तक तो नहीं लिया गया। ताकि आने वाली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले और ज्यादा से ज्यादा आपकी सरकार में या निजी कारखानों में आपकी सेवा कर सकें। इसके साथ नगरपालिका के अन्दर पानी और बिजली की समस्या के बारे में निवेदन करूंगा। राज्य सरकार बहुत जोरदार घोषणा करती है कि नगरपालिका के अन्दर हम नल, बिजली की व्यवस्था करते हैं लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हम प्रार्थना करते हैं कि अमुक म्यूनिसिपैलिटी में बिजली लगानी है लेकिन समाज कल्याण विभाग बिजली नहीं लगाता। इस प्रकार पानी की समस्या को लेकर समाज कल्याण मंत्री महोदय से मिला। हमारी

(श्री नन्दलाल)

लाखेरी नगरपालिका जहां अकाल का एरिया है जहां हरिजनों को कुये से पानी नहीं भरने देते हैं हरिजन दूसरे कुओं से भरते हैं तो भी उनको नहीं भरने देते हैं लेकिन वहां पैसा न बिजली के लिये मिला और न पानी के लिये वहां हरिजनों को पानी की समस्या है। वहां पर नल लगाये जायें और कुये खुदवाये जायं इसको ध्यान में रखा जाय। साथ ही छूआछूत भी

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

बहुत ज्यादा है। होटल में आज भी चाय नहीं पी सकते। चाय पीने के लिये उनके यहां अलग अलग कप पड़े रहते हैं जो किसी पेड़ के लटकते रहते हैं या और किसी दूसरी जगह रखे रहते हैं। जब हरिजन आयेंगे तो उसी कप में पीयेंगे। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है। गान्धी शताब्दी आज हम मना रहे हैं और हरिजनों की यह हालत है कि वह निजी कप में चाय पीता है। राज्य सरकार को चाहिये कि हरिजन भी होटल में कायदे के साथ चाय पीवे। कई देहातों में नाई के द्वारा, शहरों में भी और गांवों में भी हजामत नहीं बनाते हैं। इसी प्रकार चाय वाला होटल में चाय नहीं पिलाता है। मन्दिरों के अन्दर आज हरिजन आजादी से प्रवेश नहीं कर पाता है इसलिये राज्य सरकार को चाहिये वह ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश कराये।

इसके साथ हरिजनों के लिये, छोटी जाति के लिये धोबी कपड़े नहीं धोता है, इसका पालन करवाया जाय। सरकार ने कानून बनाये हैं लेकिन हम कानून को मनाने के लिये पुलिस में जाते हैं तो उल्टे हरिजनों को डांटा जाता है और उनसे कहा जाता है, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी और उल्टी उनकी पिटाई की जाती है। ऐसे कई केसेज हैं समाज कल्याण मंत्री जी को दूंगा कोई हरिजन थाने में रिपोर्ट लिखाने जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा ज्यादा से ज्यादा हरिजनों को सुविधा दी जाय।

श्री सभापति : श्री डूंगाराम राजोरिया।

(अनुपस्थित)

श्री बलवन्त (बाड़ी) : जिस दिन हमारे गान्धी जी ने जन्म लिया, जिस दिन यह धारणा की कि हरिजनों और सवर्णों को बड़ी अच्छी तरह से बढायेंगे। अच्छी जगह पर पहुंचायेंगे। हमारी कांग्रेस सरकार आज उन्हीं कदमों पर चल रही है। हमारा लक्ष्य सही है। जो हमको कुछ कुछ कई जगह कमियां पाई जाती हैं उन कमियों को आज हमें कहने का टाइम मिला है तो कहनी पड़ रही हैं। आज जो शिड्यूल कास्ट और हरिजन कहते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। जो कुछ हमारे कर्मचारी हैं वह कुछ थोड़ी सी नजर से देखते हैं। मैं इतना बोलना नहीं जानता थोड़ा सा बोलूंगा, जो शिड्यूल कास्ट और हरिजन हैं वह गरीब, उन्होंने कर्तव्य किया है तभी तो जन्म लिया है। आप उनको फल नहीं देंगे तो कौन देगा ? आज आपको फल देना चाहिये। मेरे क्षेत्र की बात कहूं। मेरे क्षेत्र में तीन जगह नल चालू हो गये लेकिन तीन जगह ही शिड्यूल कास्ट की बस्तियों को छोड़ दिया। खैर, उन्होंने माना कि भगवान ने हमें दन्ड दिया है। हमारी सरकार को

(श्री बलवन्त)

चाहिये कि क्या हुआ है, हमारे श्री सुखाड़िया जी वहां गये तो उनका दिल इतना खराब हुआ, उन्होंने स्पष्ट कहा कि क्यों नहीं चालू हुये। उसी दिन उन्होंने इतनी ताकीद की कि नल लगने चाहियें लेकिन फिर भी हरिजनों की बस्ती में नल नहीं लगे। वह वहीं के वहीं रहे। मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैं तो इन्ही टूटे फूटे शब्दों में कहूंगा।

(माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ आवाज;) "कहे जावो")

पहली योजना तो यह है कि आज बाड़ी में 5 बस्तियां शिड्यूल कास्ट की हैं, तीन हरिजनों की हैं, वहां एक टूटी नहीं लग पाई है। आज में भी एक लाख के ऊपर चुना हुआ व्यक्ति हूं। मेरे मकान पर 6 महीने हो गये या दो महीने हो गये मेरे मकान को छोड़ दिया। मुझे दुःख हुआ तब कहना पड़ा है। बसेड़ी में तीन हरिजन बस्तियां है, दो बस्तियां हैदरी में हैं उनमें नल नहीं लगे हैं। प्रद्युम्न सिंह जी खुद गये थे, उन्होंने प्रधान से कहा। जो कार्यकर्ता है वे आपकी कर्मचारी होते हैं, उनकी नजर होनी चाहिये कौनसा काम करना है और कौनसा काम नहीं करना है। प्रद्युम्न सिंह जी ने अपने खुद के लफ्जों में कहा शिड्यूल कास्ट और हरिजनों की बस्तियों में नल लगाने चाहिये। बिजली लगानी चाहिये। मेरी कान्सटीट्यूऐन्सी की बात कह रहा हूं। तीन शिड्यूल कास्ट की बस्तियों में आज एक टूटी नहीं लग पाई। खैर, उन्होंने गुनाह किया है तो क्या हुआ लेकिन हमारी सरकार को देखना चाहिये। मेहतरों की मैं पीछे कहूंगा, जो जमीने कनवर्ट हुई खेद है उसका सदस्य मैं भी जरूर हूं, उस मीटिंग में जाता हूं। मैंने दो दो बीघा जमीन बसेड़ी के हरिजनों को दी लेकिन उनके विरुद्ध किया, उन्होंने जमीने नहीं दी। मैंने कई जगह जमीनों के लिये कहा तो वहां लोग क्या कहते हैं कि आज तू क्या बन कर आया है जमीनें तो हम ही देंगे। मैंने कहा भाई ये गरीब और शिड्यूल कास्ट के लोग हैं, गरीबी में इनका जन्म हुआ है। अगर सभी लोग शिव बन जायेंगे तो कोई शिव पर जल चढ़ाने वाला भी तो होगा। ये लोग जल चढ़ाने वाले हैं।

दूसरे लोगों को 500-500 बीघा जमीनें दे रहे हो तो इन चमारों को, हरिजनों को, वढ़इयों को भी 50 बीघा जमीन दे दो। मुझको दुःख होता है आज हमारी कांग्रेस सरकार आज हमारी सरकार नहीं होती तो दुःख नहीं मैं यह बात नहीं कहूंगा, जो बात कहूंगा वह सब सही कहूंगा।

आज हरिजनों के मामले में क्या हो रहा है ? आज मेरे वाड़ी में उनके वाल नहीं बनायें जाते हैं मेहतरों के; और उनसे इतनी छूआछूत होती हैं विशेष, और मैंने पिछली साल की असेम्बली में भी सुना था तो हमारे श्रीमान् ने कहा कि मैं टोकरी छुड़वा दूंगा और मैं रुपये दूंगा और उनके मकान बनवाऊंगा आज मैं देख रहा हूं साल भर हो गया एक भी मकान नहीं बन पाया हैं और जैसी टोकरी रखकर पहले जाते थे वैसे ही अब भी जा रहे हैं। ऐसा है कि आप थोड़ा देखें और काम करें। यह जरूर है कि यहां तुम्हारे पास बहुत तगड़ा घर है लेकिन कोई वहां से चुनकर आया हैं उसकी भी तो सुनी आखिर वह भी कुछ न कुछ कहेगा ही। और मेरा सुझाव तो यह है कि हमारी जो रिजर्व सीटें हैं हमको पूरी नहीं मिल पाती हैं।

(श्री बलवन्त)

पूरी मिल जाये तो हम कहें ही नहीं और उसमें कुछ सीटें और बढ़ादो कि जैसे जैसे लड़के पढ़ते जाते हैं तो जैसे अब साढ़े 12 पर्सेंट हैं तो उसको 20 परसेन्ट कर दो या 25 परसेन्ट कर दो बहुत अच्छा है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

और यह जो मिनिस्टर जाते हैं तो हरिजनों के यहां ही उनको खाना चाहिए और गांधीजी ने एक रूप धारण किया तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए।

हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की बेगार अभी तक खतम नहीं हुई है। बसेड़ी के पास एक गांव मिरजापुर था उसमें ठाकुर लोगों ने यह किया कि एक चमार के पास सुबह ही जाता है और वह कहता है कि मेरी झोपड़ी छानने के लिए चले। उसने कहा कि आज मैं अपनी छाऊंगा और कल तुम्हारी छा दूंगा। तो इतने में उसने लाठी मारी और वह मर गया और उसका केस चल रहा होगा। जमानत से वह छूट गये हैं। लेकिन अब हमारी कांग्रेस सरकार के जमाने में बेगार खतम हो जानी चाहिए और मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि बेगार खतम हो जाये और धौलपुर में एक कोली को मार दिया गया, दूला था, तो कांग्रेस सरकार में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हरिजनों के घरों में पानी तो होना ही चाहिए और बिजली होनी चाहिए मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री गंगासहाय–

(अनुपस्थित)

श्री किशन लाल

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय सु०): माननीय सभापति महोदय, हमारी भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए वैसे देखा जाये तो काफी काम किया है जिसकी वजह से हमारी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बहुत उन्नति हुई है और सामाजिक क्षेत्र में व आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। इससे उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है। हमारे विधान में प्रावधान है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको समान स्तर पर लाया जाये ताकि जो समाज में पिछड़ापन है तथा जो एक वर्ग समान स्तर पर नहीं है उसको समान स्तर पर लाया जा सके इसके लिए राजस्थान सरकार ने और क्या केन्द्रीय सरकार ने उनको सुविधायें देने के लिए कुछ प्रावधान रखा है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलने वाली सुविधाओं में विशेषतया जो है वह अशिक्षा को दूर करने के लिए उनके विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने की बात है। आज बहुत से हमारे विद्यार्थी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। वह किसी अंश तक पूरे रूप से नहीं मिलती है और हम देखते हैं कि बहुत से गरीब छात्र जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है और इससे उनकी शिक्षा ठीक तरह से नहीं चल पाती है और इसलिए वह शिक्षा संबंधी मिलने वाली सुविधा से वंचित रहते हैं। इसके अलावा जो उच्च शिक्षा है और उसमें जो पढ़ते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाकर उनको आगे बढ़ाया जा सके तो उसमें भी किसी अंश तक ध्यान नहीं रखा जाता है जिससे वे ऊंचे उठ सकें और उच्च डिग्री प्राप्त करके आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उनके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था नहीं है। जब उनको

(श्री किशनलाल वर्मा)

हमें समानस्तर पर लाना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके पिछड़ेपन को दूर करना है और दूसरों के बराबर अवसर देना है तो उनके लिए भी जरूरी है कि उनकी अशिक्षा को दूर करने के लिए तथा उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ ट्रेनिंग की व्यवस्था की जावे और उनको ट्रेनिंग दी जाकर डिप्लोमा इत्यादि दिये जायें जिससे उनको अच्छे रोजगार मिल सके और अपने आगे के जीवन को वह सफल बना सकें। इस ओर सरकार का विशेष ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो एडमीशन्स होते हैं उसमें भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। आज हम देखते हैं मेडिकल कॉलेज में जो दाखिल होते हैं उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है, कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता है जिसके कारण से उनको एडमीशन नहीं मिल पाता है और इससे वह उस क्षेत्र में जाने से और शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं।

इसके अलावा आज अशिक्षा को दूर करने के लिए देखा जायें तो छात्रावासों की बहुत आवश्यकता है। आज जितने छात्रावास होने चाहियें उतने नहीं हैं। छात्रावास बहुत कम संख्या में हैं। उनकी संख्या को देखते हुए छात्रावास अधिक से अधिक बनाये जाने चाहिएं तभी उनकी अशिक्षा दूर हो सकती है। इसके अलावा जो छात्रावास चलते हैं उसमें हम देखते हैं कि उनमें बड़ी अव्यवस्थायें हैं। उनमें कार्य सुचारु रूप से नहीं चलते हैं और उनमें बड़ी धांधली चलती है और उनमें जो छात्रों को सामान दिया जाता है वह पूरा नहीं दिया जाता है, उसकी क्वालिटी नीचे दर्जे की होती है और बहुत कम भी दिया जाता है और इसका एक प्रकार से बिजनेस होता है और बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दुकानदारों को ठेका दिया जाता है उसमें ऐसा देखने में आया है कि वह बहुत गड़बड़ियां करते हैं और जो हमारे हॉस्टल के सुपरिन्टेन्डेन्ट होते हैं वह ध्यान नहीं देते हैं और वे चलाकर भी गड़बड़ियां करते हैं। ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि वह चीजें चुरा कर बाजार में बेच देते हैं और पूरी तरह से जो सामान मिलना चाहिए वह सामान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की कई वार शिकायतें भी सामने आई हैं और कइयों में कार्यवाही भी हुई है और कइयों में नहीं हुई हैं और जिस प्रकार से कैदी और गुलाम अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार कहीं-कहीं उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है और उनसे इज्जत का व्यवहार नहीं किया जाता है।

आज हम देखते हैं कि यहां जयपुर में कोई छात्रावास के लिए जमीन नहीं है। शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संस्थाओं की तरफ से काफी प्रयत्न किया गया कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के काफी लोग रहते हैं तो एक छात्रावास के लिए यहां जमीन दे दी जाये और उनके लिये एक छात्रावास खोला जावे जैसे बहुत सी जगह दी गई हैं और देना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार उसके लिए ध्यान नहीं देती है। आज पूंजीपतियों के लिए यदि छात्रावास की बात आती है तो हमारी यू० आइ०टी० और अन्य कस्बों की यू०आइ०टी० उनको जमीन दे देती है। जिनसे उनको कई तरह के फायदे मिलते हैं, लेकिन गरीब वर्ग की तरफ से उनको कोई फायदा नहीं

Page No 186

(श्री किशनलाल वर्मा)

मिल पाता है इसलिए उनका ध्यान नहीं जाता है, उनका दिल दुखता है गरीबों की तरफ ध्यान देने में, गरीबों को शिक्षा देने के लिए छात्रावासों के लिए जमीन देने में। यह मेरे अनुभव की बात है। इस प्रकार से मतलब यह है कि हमारी उपेक्षा की जाती है, और हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि इस प्रकार का एक प्रावधान है कि छात्रावासों के लिए जमीनें दी जायं, छात्रावासों को बढ़ावा दिया जाय, जिससे शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विद्यार्थी छात्रावास में रहकर सुविधा प्राप्त कर सकें, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान पूरी तरह से नहीं दिया जाता है।

इसके अलावा सर्विस का मामला है तो उसमें भी देखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए साढे बारह पर्सेंट का कोटा रिजर्व है। देखा जाय तो यह बहुत कम है, उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की राजस्थान में आबादी 40 पर्सेंट है। उस आबादी को देखते हुए यह कोटा बहुत कम है। दूसरे प्रान्तों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सर्विस में जो कोटा है वह बहुत ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में यह कोटा बहुत कम है। इसके अलावा जो कोटा है उसका भी देखा जाय तो पूरी तरह से उसकी पूर्ति नहीं होती है और उसकी पूर्ति जनरल से पूरी कर ली जाती है और उनके कोटे का ख्याल नहीं रखा जाता है। इस प्रकार से उनके कोटे की पूर्ति नहीं होती है।

इसके अलावा, सर्विसेज में प्रोमोशन्स की जो बात आती है वह भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एम्प्लॉइज के लिए नहीं है, प्रोमोशन्स में उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है और इस बात की ओर ध्यान नहीं है सरकार कि जिससे उनके एम्प्लाई को प्रोमोशन्स आसानी से मिल सकें। प्रोमोशन्स नहीं मिलने के कारण उनको कोई फायदा नहीं मिलता है और उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए प्रोमोशन्स की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

आज हम देखते हैं कि गरीब वर्ग, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं वे काफी संख्या में बेरोजगार फिरते हैं। वे ऊंची-ऊंची शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं— एम० ए० भी हैं, कई ग्रेजुएट्स हैं, कई लॉ ग्रेजुएट्स हैं और इससे भी अधिक हैं, और ऊंची डिग्रियां होती हैं वे सब उनको प्राप्त हैं, लेकिन वे आज काफी संख्या में इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं लेकिन कोई रोजगार नहीं मिलता है कोई धन्धा नहीं मिलता है, कोई नौकरी नहीं मिलती है और उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम दूसरे लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का फायदा जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को मिलना चाहिए वह उन लोगों को न मिलकर दूसरे लोगों को मिलता है। हम यह देखते हैं कि हमारे यहां अभी समाज-कल्याण विभाग की तरफ से बहुत से छात्रावास चलते हैं उनमें जो व्यवस्था करने वाले जो लोग हैं वे बहुत गड़बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी अनियमितताएं बरतते हैं और नाजायज फायद

(श्री किशनलाल वर्मा)

उठाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति हम यहां राजस्थान में देखते हैं।

इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले यह बात आई थी कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम पर बहुत से दूसरे लोग,सवर्ण लोगों की इन जातियों में गोद चले जाते हैं और उनको गोद लिया बताकर कॉलेजेज में और दूसरी जगहों पर एडमिशन्स के काम में फायदा उठाते हैं, जबकि सरकार को यह पता है कि ये लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नहीं हैं, फिर भी एडमिशन उन लोगों को मिल जाता है और दूसरी सुविधाएं मिल जाती हैं, और इस प्रकार से कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं होती है जबकि देखा जाय तो यह बहुत बड़ा गम्भीर जुर्म होता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, कोई उनको सजा नहीं दी जाती है। इससे इस बात को और प्रोत्साहन मिलता है, इससे इस बात को बढ़ावा मिलता है और इस प्रकार से यह रवैया चला जा रहा है और आज यह मामला बढ़ता चला जा रहा है लेकिन इस की ओर कोई कार्यवाही न की जाकर दोषियों को दण्ड नहीं दिया जाता है।

इसके अलावा बहुत सी जगह हम यह देखते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की संस्थाएं चल रही हैं, संस्थान चल रहे हैं, उनका संचालन जो है वह दूसरे लोगों का है जबकि हम यह देखते हैं कि, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े अनुभवी हैं और उच्चकोटि के कार्यकर्त्ता हैं, सब प्रकार का उनको अनुभव है, सब प्रकार का उनमें हौसला है काम करने का, इसलिए उस काम को अच्छी तरह से चला सकते हैं। वे उस काम के लिए क्षम्य हैं, फिर भी यह काम उन लोगों को नहीं दिया जाता है और उन संस्थाओं और संस्थानों का संचालन दूसरे ही लोग करते हैं, उससे क्या होता है कि वास्तविकरूप से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का फायदा नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है और जिस उद्देश्य से संस्थाएं और संस्थान चलाए जा रहे हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है, यह एक चीज हमारे सामने है।

इसके अलावा काफी समय से हम यह भी देखते हैं कि समाज कल्याण विभाग जो हमारे यहां चल रहा है उसमें एक ही वर्ग के लोगों की ओर ज्यादा तवज्जह दी जाती है, और उन्हीं लोगों को उच्चाधिकारियों के पद पर रखा जाता है, उन्हीं को बड़े से बड़ा पद मिलता है। जब कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भी काफी संख्या में ऐसे लोग उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, उनकी तरफ तवज्जह नहीं दी जाती है। ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मौका मिल सके। सर्विसेज में नई नियुक्तियां होती हैं और जो पदाधिकारी रखे जाते हैं उनके लोगों को कम संख्या में रखा जाता है। यह बात नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स में अनुभवी कार्यकर्ता न हों, अनुभवी वे लोग नहीं हों, लेकिन उनको लेने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उस बात को एवॉइड किया जाता है और इस बात का मतलब हम देखते हैं कि समाज कल्याण विभाग में काफी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं,

(श्री किशनलाल वर्मा)

लेकिन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड टाइब्स के लोगों की जो बहुत सी जमीनें हैं उन पर बहुत से दूसरे लोगों का कब्जा है, बहुत से लोग उन पर अनधिकृतरूप से कब्जा कर लेते हैं, उनको बेदखल कर देते हैं जबकि कानून बना हुआ है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीन दूसरे लोगों को नहीं मिलेगी और न वह मिल सकती है, फिर भी दूसरी तरह से लोग फायदा उठाते हैं। ऑफिसरान को मालूम रहता है, पता रहता है कि यह शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले की जमीन है वह अन्य लोगों को नहीं बेची जा सकती है, उसका बेचान नहीं हो सकता है, उसका रहननामा नहीं हो सकता है और किसी प्रकार का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, लेकिन तहसीलदार लोग और सम्बन्धित ऑफिसरान जो हैं उसका मतलब ट्रान्सफर कर देते हैं, उसका नामान्तरण कर देते हैं और उसकी रजिस्ट्री वगैरह भी कर देते हैं। यद्यपि उनको इस बात का इल्म होता है, लेकिन कानून की अवहेलना करके ऐसे काम करते हैं। उसका मतलब यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ में एक तरह का अन्याय होता है, और जो जमीने उनके पास में रहनी चाहिएं वे जमीनें उनके पजेशन में नहीं रहती हैं और उन जमीनों का इस प्रकार से दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। और भी कई काम-धन्धे तथा उद्योग हैं जिनका मतलब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से बहुत से लोग फायदा उठाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह एक अच्छी बात नहीं है।

इसके अलावा मैं यह देखता हूं कि यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की एक प्रकार से उपेक्षा होती है। उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी वाजिब मांगों और अधिकारों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और उनकी उपेक्षा की जाती है। मेरे एक भाई ने बताया था कि यह 66-67 की रिपोर्ट जो आज बहस के लिए रखी जा रही है, वह 69 में रखी जा रही है और यह भी पता नहीं किस तरह से रख दी है आखरी दिनों में। यदि पहले की तरह से विधान सभा स्थगित हो जाती तो इस रिपोर्ट की बारी अभी भी नहीं आती।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस प्रकार से उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से उनको एवायड किया जाता है। आज जबकि इस रिपोर्ट पर बहस चल रही है तो हम देखते हैं कि मन्त्रि-गण बहुत कम संख्या में उपस्थित हैं। यह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट है, उनके लिए एक प्रकार से बेकार है, उनका इससे कोई मतलब नहीं, कोई सम्बन्ध नहीं है और वे चले गए हैं। इसके लिए समय को बढ़ाने के लिए कई लोगों ने विरोध किया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड टाइब्स के नाम पर ही वे एम. एल. ए. और मन्त्री बनते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के आधार पर वे सरकार बनाते हैं, उन्हीं लोगों की आज उपेक्षा की जाती है; उन लोगों का शोषण किया जाता

(श्री किशनलाल वर्मा)

है, उन लोगों को केवल वोटों के समय ही याद किया जाता है। सामन्ती युग में, राजा महाराजाओं और जागीरदारों के समय में जिस प्रकार से बेगार ली जाती थी वही बेगार आज इस कांग्रेस के शासन में भी देखने को मिलती है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। आज स्पष्टरूप से इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है व इस प्रकार शोषण किया जा रहा है।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, क्या सदन का समय बढ़ाया जाय ?

कई माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से बैठक का समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाता है।

(8 म० प०)

आज हम हमारे इलाकों में देखते हैं कि वोट लेने के बाद उनके पास कोई नहीं आता है। उनके साथ किस प्रकार की गुजरती है वे ही जानते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे ये सुनने वाले नहीं है। न पीछे हैं, न आगे हैं। इनका काम तो गवर्नमेंट को राजी करना है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री किशनलाल वर्मा : पंचायत समिति में लाखों रुपया खर्च किया जाता है। शिड्यूल ट्राइब्स के नाम से पैसा लेते है। दूसरे लोग, खर्च करते हैं। कई जगह शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के लिए पैसा लेते हैं। उनकी कॉलोनी बनाने के लिये पैसा लिया जाता है। पर वास्तव में वह बनाते नहीं है। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। हमारी सरकार को पता रहता है फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह एक बड़े अफसोस की बात है। किस प्रकार से उनकी उपेक्षा की जाती है। जो समाजवाद का नारा लगाते हैं। आज हम चाहते हैं कि समाजवाद को लाया जाये। गरीबी को मिटाया जाये। जो पिछड़ापन है, गरीबीपन है, उसको दूर किया जाये। वास्तव में देखा जाये तो हम समाजवाद का कोई काम नहीं करते हैं। वास्तव में उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते है। जो पूंजीवाद है उसको प्रोत्साहन मिलता हैं। जो पूंजीवाद है वह लखपति करोड़पति बन रहा है। करोड़पति अरबपति बन रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हिन्दुस्तान आजाद हुआ हैं तो आजादी हर गरीब के घर में जायेगी। आजादी जबतक गरीब की झोंपड़ी में नहीं जायगी सच्ची आजादी नहीं कही जाएगी। आज गरीब के घर में रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, उसकी हालत खराब होती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीबी की उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार एक बात हमारे सामने आती हैं कि आज हमें वास्तविकरूप में अगर शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की उन्नति करनी है तो उसका सुधार किया जाये। इसके लिए यह बड़ा जरूरी है कि जो बीमारी है उसको जड़ से मिटाया जावे। उसे जड़ से मिटाया जाये। आज छूत-छात में एक प्रकार से काफी कमी हुई है। फिर भी छूत-छात है। छूत-छात के मिटाये बिना मैं नहीं कह सकता हूं कि सामाजिक स्थिति में कोई सुधार हो

(श्री किशन लाल वर्मा)

सकता है। छूत-छात एक बड़ी बीमारी है। छूतछात से बुराई बढ़ती है। सिर पर मैला उठाने की प्रथा है। उसको खत्म किया जाय। ऐसे जो काम हैं, उन कामों को समाप्त किया जाय। जब तक छूत-छात की बीमारी नहीं मिटती है, तबतक कोई सुधार नहीं हो सकता है। तब तक हम कोई सुधार नहीं ला सकते हैं। आज शिड्यूल कास्ट व शिड्यूल ट्राइब्स के व्यक्तियों को सामाजिक अवसरों पर कोई प्रोत्साहन दिया जाता है, व इनको समानता का स्थान नहीं दिया जाता।

श्री जयनारायण सालोदिया : हियर, हियर।

श्री किशनलाल वर्मा : कानून के अनुसार उनको मिलना चाहिए। उनकी दुर्दशा होती है। उनकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : हियर हियर। अन्तरात्मा की आवाज है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अन्तरात्मा का आदमी है।

श्री किशनलाल वर्मा : जो बस्तियां हैं, उनमें पानी की सुविधा नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा। बहुत अच्छा।

श्री किशनलाल वर्मा : अगर शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को बसाना है तो उनके लिये कालोनी बनाइये। आज जयपुर में कोई कालोनी शिड्यूल्ड ट्राइब्स की नहीं है। कोई आदर्श बस्ती नहीं है। यू. आइ. टी. में जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, लखपति और करोड़पति हैं, उनका ध्यान उसकी तरफ है गरीब की तरफ नहीं हम जब उनके पास जाते हैं तो कॉलोनी के नाम जमीन देने में व कॉलोनी बनाने में उनका दिल दुखता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वास्तविक में दर्द भरी आवाज में बोलता है।

श्री किशनलाल : ऐसा वास्तविकरूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको दूसरी तरह से परेशान किया जाता है। आज वास्तव में काम नहीं होता है। जो बड़े बड़े आदमी हैं उन्हीं के लिए काम होता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके खिलाफ प्रस्ताव भी लाते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : किस के खिलाफ ?

श्री किशनलाल वर्मा : इसकी उन्नति करने के लिये मैं यह भी आवश्यक समझता हूं कि जब धार्मिक उत्सव हों उसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यल्ड ट्राइब्स को समान स्थान दिया जाये उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाये। उनके बीच आने वालों से घृणा की जाती है। नफरत की जाती है। फिर किस प्रकार आप कह सकते हैं कि हमको सामाजिक स्थिति को सुधारना है, सामाजिक स्थिति को सुधारना है तो जो मकान बनाने के लिये जो लोन देते हैं तो उनको भी लोन दिया जावे। दूसरे लोग जो सरकारी एम्पलाइज हैं उनको लोन मिलता है। लेकिन जो हम शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के है उनको मकान बनाने के लिए लोन नहीं मिलता है। लोन नहीं मिलने से उनके यहां मकान न बनने से बड़ी गन्दगी है। न पानी

(श्री किशनलाल वर्मा)

की कोई व्यवस्था है, न रोशनी की कोई व्यवस्था है। उनका वही हाल बहुत खराब है, न वहां पर सरकार ध्यान देती है, न म्युनिसिपैलिटी ध्यान देती है। मैं समझता हूं कि उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए आदर्श बस्तियों का निर्माण किया जाना आवश्यक है। मकान बनाने के लिए लोन दिये जाने की आवश्यकता है। तभी उनका स्तर ऊंचा हो सकता है। जभी हम कह सकते हैं कि वास्तव में हम काम करना चाहते हैं। दूसरे उनकी आर्थिक स्थिति की ओर भी देखना है। आज हम चाहते हैं कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की स्थिति ठीक हो तो वह तभी ठीक हो सकती है। हम चाहें कितना ही काम करलें। लेकिन अगर हम वास्तविक उन्नति नहीं करेंगे तो राजस्थान को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वह उन्नत प्रान्त नहीं कहला सकता है। जब तक कि गरीब वर्ग की तरफ ध्यान नहीं दिया जाये। ध्यान दिया जाना आवश्यक है। 40 प्रतिशत शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की आबादी है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आवश्यक है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी बना कर उनको मौका दिया जाये। सहकारिता के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाये। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं सोसाइटी बना लेते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत होती है। उनको सहकारिता में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सहकारिता के जो वास्तविक उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। वास्तव में आर्थिक स्थिति को ठीक करना है तो जो बड़े बड़े वन हैं, उनमें उनको ठेका दे सकते हैं। दूसरे जो छोटे छोटे धन्धे हैं, उद्योग धन्धे हैं, उनमें सहकारिता के आधार पर यह लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि छोटे मोटे धन्धों के अन्दर भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। आज यदि कोई शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आदमी पावर कनेक्शन के लिए जाता है तो उसको पावर कनेक्शन नहीं मिलता है, जब कि कोई पूंजीपति पावर कनेक्शन के लिए जाता है तो उसको फौरन पावर कनेक्शन मिल जाता है। इस प्रकार की इनके सामने रुकावटें आने से इनके छोटे-मोटे धन्धे भी नहीं चल सकते हैं, इनको कारोबार करने के लिए जगह नहीं मिलती है, और इसके अलावा कई प्रकार की रुकावटें आती हैं। हम, जयपुर में यह देखते हैं कि यहां पर सिन्धी और पंजाबियों के लिए दुकानें एलॉट की गई, उनके लिए नेहरू मार्केट और बापू बाजार जैसे कई बाजार बने हैं। इसी प्रकार से इनके लिए भी कुछ किया जाय तो इन लोगों की माली हालत ठीक हो सकती है, आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इन्हें लोन देने की व्यवस्था हो, लोन देने के अन्दर इनको प्राथमिकता दी जाय, इन्हें उद्योग धन्धे चलाने के लिए लोन दिया जाय और लोन देकर इनको आगे बढ़ाया जाय।

इसके अलावा मैं समझता हूं कि आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए काश्त करने के लिए जमीन एलॉट नहीं होती है। जमीन देकर काश्त करने के लिए आज सरकार की तरफ से प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही जो भूमि शिड्यूल्ड कास्ट्स और

(श्री किशनलाल शर्मा)

शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मिलती है वह बहुत कम मिलती है, कहीं पर एक बीघा कहीं पर दो बीघा जमीन दी जाती है जब कि उनके पास बिल्कुल भूमि नहीं होती है और यह लोग पूर्णतया भूमिहीन किसान होते हैं, लैंडलैस टेनेन्ट होते हैं, इनके पास एक बिस्वा जमीन तक नहीं होती है। साथ ही इनके पास रोजगार के लिए, कोई दूसरा धन्धा नहीं होता है, केवल कृषि ही इनके लिए एकमात्र धन्धा होता है। लेकिन इनको जमीन बहुत कम दी जाती है और वह भी तब देते हैं जबकि वह बहुत सी दरख्वास्तें देता हैं। इसके अलावा जब इनको जमीन मिल जाती है तो दूसरे लोग इसको सहन नहीं कर सकते हैं और यह नहीं सोचते हैं कि एक गरीब आदमी को भूमि मिली है इसको चैन से रहने दें। ऐसा नहीं सोचने के कारण उन लोगों के सामने बाधा उत्पन्न की जाती है। उसकी कलेक्ट्री में अपील होती है, बाद में रैवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के पास उसकी अपील होती है और उसके बाद में वह सरकार के सामने जाती है। इस प्रकार जितने की जमीन नहीं होती है उससे ज्यादा उनका उसमें खर्चा हो जाता हैं, उससे ज्यादा उनको परेशानी हो जाती है, हैरानी हो जाती है और बरबादी हो जाती है। वह सोचते हैं कि जमीन क्या मिली, एक प्रकार से बरबादी मिल गई। यह हालत हो गई है। इसके अलावा जो अन्य सुविधायें हैं वह भी इन बेचारों को बिलकुल नहीं मिलती है जिससे वह काश्त के धन्धे को अच्छी तरह चला सकें, और अच्छी तरह काश्त करके अपना अपना जीवन निर्वाह कर सकें अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। यही स्थिति इनके साथ में राजनैतिक क्षेत्र में भी है, राजनैतिक क्षेत्र में भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पीछे रखा जाता है, उनको पीछे धकेला जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता हैं, उनका शोषण किया जाता है और उनके साथ अन्याय और अत्याचार किया जाता है.......

श्री नत्थीसिंह वर्मा : इस अन्याय के लिए विद्रोह करो।

श्री किशनलालवर्मा: इसके साथ जो दूसरे लोग इस प्रकार की बात करते हैं, उनके द्वारा भी इनके साथ में चाल चली जाती है, उनके द्वारा झूठी और बेईमानी की बात होती है और कई प्रकार से अपना काम सीधा करके, अपना मतलब साध करके सौतेला व्यवहार किया जाता है तो किस प्रकार यह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन लोगों के लिए आप काम करना चाहते हैं। इससे मैं समझता हूं कि हम समाज को एक प्रकार से धोखा देते हैं और उनके लिए हम वास्तविकरूप से कोई काम नहीं करते हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में जो इतनी बड़ी आबादी की उपेक्षा की जाती हैं, इस आबादी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता हैं और एक प्रकार से इतने बड़े वर्ग के लिए उपेक्षा का व्यवहार होता है— इससे देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, देश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, कभी भी वह प्रगतिशील नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस ओर सरकार द्वारा

(श्री किशन लाल वर्मा)

ध्यान दिया जाय। जो नियम हैं और जो संविधान के अन्दर प्रावधान हैं कि इन वर्गों को समानस्तर पर लाया जाय दूसरे लोगों के वह तभी पूरा हो सकता है जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम करें। जब ईमानदारी से काम होगा तभी यह उद्देश्य पूरा होगा नहीं तो आपका यह मकसद कभी पूरा नहीं होगा। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : बहुत अच्छा।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इंदलिया।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा सु.) : माननीय सभापति महोदय आज हम पिछड़ी जाति की रिपोर्ट पर विचार करने जा रहे हैं। माननीय सभापति, महोदय सब जानते हैं कि इस बीस–बाइस साल की लम्बी आजादी के समय के बाद यह सरकार शायद अपने आपको मानती होगी कि हम सरकार हैं, लेकिन अगर देखा जाय तो पिछले बीस–बाइस साल में कोई सरकार नाम की चीज थी ही नहीं। माननीय सभापति जी, अपने देश की आजादी के बाद में हमारा यह देश अपने आपमें आजाद कहलाता है, यह सरकार अपने आप में जनता की सरकार कहलाती है, लेकिन इस गवर्नमेंट की, इस प्रान्त की हालत क्या है ? यहां का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है जो अपने आपको हरिजन कहलाते हैं, भंगी कहलाते हैं, जो आजाद देश के रहने वाले हैं और जनता की सरकार में बसने वाले हैं, वह हरिजन आज भी सिर पर मैला उठा कर इस आजाद हिन्दुस्तान की सड़कों पर चलते हैं, फिर भी यह सरकार अपने आपको सरकार मानती है····

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : धिक्कार है इस सरकार को।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह सरकार बिल्कुल नहीं है, यह केवल ढोंग है, जो एक पुरानी–राज व्यवस्था विदेशी एजेंटों द्वारा चलाई हुई है, यह वह है, यह जनता की सरकार नहीं है···

श्री मूलचन्द डागा : फिर यह किसकी सरकार है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह पूंजीपतियों के दलालों की सरकार है। माननीय सभापति महोदय, अगर सरकार जनता की होती और देश असल में आजाद होता तो कम से कम इस सरकार को सबसे पहले यह काम करना चाहिए था कि जो देश में बसने वाले हरिजन हैं, जो इन्सान का मैला सिर पर उठा कर चलते हैं, इस समस्या को हल करती। यह नहीं करके भी यह सरकार अपने आप में सरकार कहलाती है-यह बहुत शर्म की बात है। इस देश का हरिजन ···

श्री नत्थीसिंह : सरकार है नहीं। सरकार ने यह महकमा राज्य मंत्री को दिया है, इसका पूरा मंत्री भी नहीं बनाया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अमृत लाल जी यादव चपरासी भी हरिजन नहीं रखते हैं, जो अपने घर पर रखते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह हरिजनों के समर्थक बोले।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं कह रहा था कि सरकार अपने आपको भुलावे में न रखे। मैं कहता हूं कि आज कोई सरकार नाम की चीज नहीं है, आज बाइस साल की आजादी के बाद भी हिन्दुस्तान का हरिजन, जो पिछड़ा हुआ अंग है समाज का, वह ऊंचे लोगों की टट्टी सिर पर उठा कर चलता है। जो इस देश में जन्मी हुई बहिन और बेटियां हैं, जो मातायें हैं-जो भंगिन हैं-वह इन्सान का मैला उठाकर सड़क पर चलती हैं। मैं कहता हूं कि एक दिन मिनिस्टर लोग हरिजन महिलाओं की टट्टी सिर पर उठा कर बड़ी चौपड़ से चलें तब हम जानेंगे कि यह जनता की सरकार है, यह जनता के मिनिस्टर हैं, और देश की आजादी में विश्वास करने वाले हैं····

श्री नत्थीसिंह : समाज कल्याण मंत्री टट्टी ढोवें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लेकिन आज स्थिति यह है कि मंत्रियों के हरिजन का पल्ला भी लग जाता है तो इन लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर यह हरिजन से छू जाते हैं तो इनको स्नान करना पड़ता है, तब जाकर यह अपने आपको शुद्ध मानते हैं। सभापति महोदय, जिस प्रान्त का मिनिस्टर हरिजन से छू जाता है तो वह स्नान करता है, वह अपने आपको समझता है कि यह जनता का प्रतिनिधि है और वह सरकार में मंत्री बना बैठा है, मैं कहता हूं कि यह ढोंग है और हरिजनों को धोखा देने के सिवाय इनका कोई धन्धा नहीं है। सभापतिजी, इस बात को सभी जानते हैं कि हरिजनों के सामने आज पानी की क्या समस्या है। अमृतलालजी यादव, जो हरिजनों के नेता है, जानते हैं कि चाहे बीकानेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे सम्पूर्ण राजस्थान हो—मैं इस बात को चैलेंज करता हूं कि क्या कोई भी हरिजन आज कुंए पर जाकर पानी भर सकता है। अगर यह मेरी बात गलत है तो समाज कल्याण मंत्रीजी मेरे चैलेंज को स्वीकार करें-क्या राज्य के किसी जिले में कोई हरिजन स्वतंत्रता से कुएं पर पानी भर सकता है ? वह नहीं भर सकता। मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं, सभापति महोदय·······

श्री नत्थीसिंह : मंदिर में नहीं जा सकता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मंदिर में नहीं जा सकता और खुद मंत्री भी नहीं जा सकते। आज हरिजन मंत्री अपनी इच्छा से किसी कुएं पर पानी नहीं भर सकते हैं। इस प्रकार बाइस वर्ष की आजादी के पश्चात् भी यह अपने आपको धोखा दे रहे हैं और जनता को धोखे में रख रहे हैं। सभापति महोदय ······

श्री देवीदत्त गाड़िया : अमृतलालजी हरिजन चपरासी तक नहीं रखते हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पानी के मसले को लेकर बीकानेर के जिले में हमने एक आन्दोलन चलाया कि हम आजाद हैं, हम आजाद देश के रहने वाले नागरिक हैं, हम कुएं से शुद्ध पानी पीयें। लेकिन हुआ क्या ? सभापति महोदय, संघर्ष हुआ हरिजन और सवर्णों में और कई आदमियों का कत्ल हुआ। मैं उस परिवार का आदमी हूं, जिस परिवार में मेरे भाई की पानी के

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

मसले को लेकर डाकुओं ने हत्या कर दी थी गोली से । यह हिन्दुस्तान आजाद हिन्दुस्तान कहलाता है, यह देश के नागरिक आजाद कहलाते हैं जहां पानी के मसले को लेकर इन्सान को गोलियों से भूना जाता है । क्या आज इस देश के अन्दर पूरी आजादी है ? मैं कहता हूं कि देश की आजादी आज अधूरी है, इस आजादी को हमें पूरा करना है । सभापति महोदय, चूरू का एक झंफेऊ गांव है, वहां हरिजनों ने कहा कि हम शुद्ध पानी पीना चाहते हैं, हम हिन्दुस्तान के आजाद नागरिक हैं । उन लोगों ने इस मांग को रखा । इस बात का यादवजी को पता है कि उन हरिजनों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया । वहां पर संघर्ष हुआ और आखिर में नतीजा यह हुआ, सभापति महोदय, कि हरिजन कुएं से पानी नहीं भर सके । तब सरकार ने क्या किया ? इस सरकार ने एक व्यवस्था की, वहां आर. ए. सी. छोड़ी आर. ए. सी. की एक टुकड़ी छोड़ी, लेकिन वहां धर्म के ठेकेदारों ने आर. ए. सी. का मुकाबला किया और उन्होंने खतरा उठा कर गोलियां चलाईं । उन्होंने आर. ए. सी. का मुकाबला किया । फिर क्या हुआ ? इसमें फिर यह हुआ कि उल्टे हरिजन मारे गये ।

हरिजन कुंए से पानी नहीं भर सकें, इस बात को राजस्थान विधान सभा का रेकार्ड उठा कर देख लें । वहां संघर्ष चलता रहा, बाद में उस गांव के कुछ लोग डकैत हुए, उन्होंने हरिजनों पर हमला किया और हरिजनों को गोलियों से बींद दिया और यह राजस्थान की सरकार कहाने वाली हुकूमत उस गांव के हरिजनों के लिए पानी का इन्तजाम नहीं कर सकी । हरिजनों को लाचार होकर वह गांव छोड़ना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा । यह मेरी बात सही है, अगर गलत हो तो मैं समाज कल्याण मंत्री को चैलेंज करता हूं कि वे इसकी जांच करें कि वे हरिजन परिवार कहां बसते हैं ? आपकी सरकार हरिजनों को शुद्ध पानी पिलाने में असमर्थ रही । हरिजनों को गोलियों से मारा गया, वे लोग गांव छोड़ कर चले गये । इस राज्य के समाज कल्याण विभाग ने किसी गोली से मरे हुए हरिजन के परिवार वालों को एक रुपया भी पेन्शन का दिया हो तो बता दें ? मैं उस परिवार का व्यक्ति हूं जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भाग लिया, जागीरदारों के खिलाफ जंग लड़ा । मेरा भाई मारा गया, कांग्रेस को सिपाही दिया है, कांग्रेस के सिपाही को कफन दिया हैं, उस परिवार के एक भी व्यक्ति को पेन्सन दी हो तो मंत्री महोदय खड़े हो कर कह दें । चौधरी हंसराजजी हमारे साथी हैं, वे सब जानते हैं, उस संघर्ष में जब हम आजादी के लिये लड़ रहे थे, जागीरदारों से लड़ रहे थे, शुद्ध पानी के लिये लड़ रहे थे तो चौधरी हंसराजजी का हमारे साथ सहयोग रहा है । वे जानते हैं । हरिजन गोलियों से मारे गये थे, हमने देखा कि हमने आजादी के लिये खून दिया है, हम आजादी को कायम रखने में सहयोग दें तो हमने निश्चय किया कि शहीद मेला लगायें, अमृतलालजी यादव उस मेले में आये, उस शहीद मेले का आपने सभापतित्व किया लेकिन सभापति महोदय, हालात बता रहे हैं कि राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार की मौजूदा व्यवस्था हरिजनों के लिये क्या कर रही है और क्या करने जा रही है । आज समाज को, हरिजनों को और देश को धोखा

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

दिया जा रहा है, यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हरिजन पानी के लिये मारे जाते हैं, यह सरकार उनके लिये पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती, हरिजनों की लाशें गोलियों से छलनी छलनी कर के बिछा दीं जाती है और उनके लिये सरकार पानी का इन्तजाम नहीं कर सके तो उस सरकार को हम क्या कह सकते हैं? वह सरकार कहलाने की कतई हकदार नहीं है।

जहां तक हरिजनों को बसाने की बात है, उनको कोई जगह नहीं दी जाती है। शहरों में बसते हैं तो शहर से खदेड़ कर बाहर फेंक दिया जाता है। बीच मोहल्लों में हरिजन नहीं बस सकते, उनको शहरों से बाहर रखा जाता है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, सब लोग जानते हैं कि हरिजनों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा हैं। सरकार ने समाज कल्याण नाम का बोर्ड बना रखा है, वह बिलकुल ढोंग है। आज तक समाज कल्याण बोर्ड ने हरिजनों को बसाने के लिये, मकान बनाने के लिये कोई सुविधा नहीं दी है। टुकड़ा डाल कर हरिजनों को भुलावे में रखा है, हरिजनों को धोखे में रखा है। सरकार के मंत्री, समाज कल्याण मंत्री याद रखें, वक्त आने पर इस राजस्थान में भगतसिंह पैदा हो सकते हैं, चन्द्रशेखर आजाद पैदा हो सकते हैं, 22 साल की आजादी के समय में जो आपने हरिजनों का शोषण किया है तो राजस्थान में भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद पैदा होकर आपसे बदला लेंगे, आने वाली औलाद आपसे बदला लेगी, आपकी औलाद आपसे बदला लेगी, आपको माफ नहीं किया जा सकता। जो आपने 22 साल की आजादी में हरिजनों के साथ खिलवाड़ किया है, उसका आने वाली पीढ़ी आपसे बदला लेगी।

सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, हरिजन छात्रों का यह हाल है कि लावारिश की तरह सड़ा धान उनको दिया जाता है, वह कभी मर्जी आई तो सरकार दे मर्जी नहीं आई तो नहीं दे। छोटे छोटे लड़के तड़फ रहे हैं। मैं केवल विरोध के लिये नहीं कह रहा हूं जो जायज बात है उसको जायज कहूंगा और जो नाजायज है, उसको नाजायज कहूंगा।

जहां तक इनके लिये नौकरी का सवाल है, कहने को तो कहते हैं कि इनके लिये 12½ परसेंट का रिजर्वेशन नौकरियों में है पर आप तो कभी लेते ही नहीं हैं, कोई कम्पिटिशन में आना चाहे तो उसको कहते हैं कि आपका रिजर्वेशन हैं। तो क्या हम इस रिजर्वेशन को चाटें। न समय पर पढ़ाने का इन्तजाम करते हैं और न पढ़ जाने पर नौकरी में लेते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नौकरी देने में, भोजन देने में, मकान देने में, जमीन देने में सरकार ने इनके साथ अन्याय किया है, सौतेला व्यवहार किया है। हर मामले की रिपोर्ट उठा कर देखें तो सिवाय गन्दगी के उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है।

जहां तक हरिजनों के आर्थिक विकास का सवाल है, इनके आर्थिक विकास में सरकार ने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया है और जहां जमीन काश्त करने का सवाल है, ये कहते हैं कि हरिजनों को हम ऊंचा ले रहे हैं, राजस्थान

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

केनाल में इनको जमीनें एलोट करनी है तो कौनसी जमीन एलोट करते हैं यह चौधरी हंसराजजी जानते हैं, भोले हरिजनों को कहते हैं कि हम आपको ऊंचा ले रहे हैं, इसलिये आपको ऊंची जमीन दे रहे हैं और ऊंचे टीबों पर उनको जमीनें दी जाती हैं जहां पानी नहीं पहुंच सकता।

हरिजनों के प्रति सरकार की नीति बड़ी असंतोषपूर्ण रही है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि आज भी वक्त है आप जागरूक होइये नहीं तो आपको आने वाली आपकी खुद की औलाद माफ नहीं करेगी और आपसे रजनैतिक बदला लेगी। इसलिये समय रहते मांग करता हूं कि हृदय को विशाल करके हरिजनों की इन समस्याओं को हल करें।

श्री सभापति : श्री बीरबलराम :

सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय आध घंटा और बढाया जाता है।

श्री दिग्विजय सिंह : पानी पीने की सुविधा तो करवा दें, सुबह से बैठे हैं, समाज कल्याण मंत्रीजी पानी पीने की व्यवस्था तो करवा दें।

श्री बीरबल (सांगरिया सु) : हरिजनों और आदिवासियों के लिये जो रिपोर्ट दी है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। आगे के लिये सरकार से निवेदन है कि गांधी जयन्ती आ रही है उसमें हरिजनों के सिर पर मैला ढ़ोने को सरकार हटा देगी तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा। शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स, हरिजन जन्मजात से भूखे हैं और उनको भूखा रखा गया है, उनकी भूख को किसी भी प्रकार से मिटा दें तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे छात्रावास खोले जायं जिनमें आधे छात्र हरिजन हों और आधे छात्र सवर्ण हों ताकि छूआछूत की बीमारी जड़ से चली जाय।

सभापति महोदय, जहां तक राजस्थान कैनाल का मसला है, जमीनों का मसला है, राजस्थान कैनाल में हमारी सरकार ने डेढ़ लाख एकड़ रिजर्वेशन किया है, इसमें से 50 हजार एकड़ हम लोगों का रिजर्वेशन है। और एक लाख एकड़ करीब हरिजनों की जमीन है। एलॉटमेंट में धांधलेबाजी हुई है और ज्यादा एलॉटमेंट सवर्णों को हुई है और हरिजनों को नाममात्र एलाटमेंट हुई है। इसमें ऊबड़ खाबड़, नीची ऊंची और टीलों वाली जमीन दी गई है और बढ़िया जमीन सवर्णों को दी गई है। हमारी सरकार ने एक लाख एकड़ जमीन रिजर्व कर दी तो इसमें ढंग से वितरण हो जाय, ताकि हरिजन लोग परिवारों का पालन-पोषण ढंग से कर सकें।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि....

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है कि न तो सिंचाई मंत्री हैं, न गृह मंत्री हैं, न मुख्य मंत्री हैं और हरिजनों की रिपोर्ट पर बहस हो रही है—रोजाना हरिजनों को गिरफ्तार करते हैं, यह मामला गंभीर है, इसलिए उनका होना बहुत जरूरी है और वे यहां नहीं हैं, आप व्यवस्था दें।

Page No 198

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री मूलचन्द डागा : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय, आप व्यवस्था दें।

श्री सभापति : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : तो फिर माना जाय कि हरिजनों की बात सुनने के लिए मंत्रियों को फुरसत नहीं है, केवल राज्य मंत्री बैठे रहें, जिनकी बात कोई सुनता नहीं है। उन पर अत्याचार होते हैं, मुख्यमंत्री सुने नहीं, गृह मंत्री सुने नहीं, राजस्व मंत्री सुने नहीं, सिंचाई मंत्री सुने नहीं, अन्धे के आगे रोना दीदे अपनी खोना।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : हम तो वे काम करेंगे जिसके लिए जगजीवन रामजी कह रहे हैं कि जबरदस्ती हरिजन कब्जा करेंगे, सरकार सुनती नहीं, फिर मजबूर होना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप बोलते हैं, करते कुछ नहीं।

श्री नत्थीसिंह : आपको तो 1125) मिलने लगे हैं, आपको नहीं देखेंगे।

श्री बीरबल : कानून भी बनता है, हरिजनों को जमीन एलाट होती है, फिर उस पर नाजायज कब्जा होता है। बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है, नाजायज कब्जे से छुड़ाकर फिर उनको जमीन दिलाई जाय।

श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा सु.) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति की रिपोर्ट पर...

श्री रामसिंह कुड़ी : इनको माइक ठीक नहीं दिया जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, हरिजनों के साथ इतना भेदभाव क्यों? गृहमंत्री नहीं हैं, इसके साथ साथ माइक भी इनको ठीक नहीं दिया जाता, इतना अन्याय इनके साथ नहीं होना चाहिए।

श्री सभापति : दूसरा माइक ले लिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्री को बुलाया जाय, यह बहुत बड़ा हरिजनों का अपमान है, ये घूंट पीकर बैठे हैं।

श्री बी० एन० जोशी : I don't consider his observations worthy of notice.

श्री नत्थी सिंह : आप असलियत को जानते हैं।

श्री बी० एन० जोशी : Your and his remarks do not deserve the compliment of a reply.

श्री नत्थीसिंह : फिर अंग्रेजी ?

श्री कालूराम आर्य : हम अनुसूचित जाति की रिपोर्ट पर बहस कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में दो तीन मुद्दों पर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री कालूराम आर्य)

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र पीपाड़ और बिलाड़ा में हरिजनों की बस्ती में बिजली की लाइन नहीं लगी हुई हैं, उसके बारे में मैंने मंत्री महोदय को आगे कहा था और लिखकर भी दिया था, उस बारे में जल्दी से जल्दी लाइन लगाई जाय। इसके अलावा मंत्री महोदय से, मैंने बिलाड़ा जहां, तहसील हैडक्वार्टर हैं, पंचायत समिति है और मुन्सिफ कार्यालय है और 15-16 हजार की आबादी का कस्बा है वहां पर एक छात्रावास खोलने के लिए मंत्री महोदय से निवेदन किया था और मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन भी दिया था लेकिन नतीजा अभी तक कुछ निकला ? आपको मालूम है कि मेरा क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र है, वहां पर कोई अनुसूचित जाति का छात्रावास नहीं है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष बिलाड़ा खास में छात्रावास खोलने की व्यवस्था करेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि जोधपुर के छात्रावास में जहां शिक्षित समाज के अंदर छूआछूत की बीमारी है, वह पनप रही है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मैं अभी 30 तारीख को गांव गया था, वहां एक छात्र मेरी जाति का है, उसने आकर अपनी दर्दनाक घटना बताई कि मुझे 28 तारीख को चारणों के लड़कों ने पीटा और कहा कि यहां से बोरी बिस्तर बांधो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। यह वहां 10-15 दिन से हो रहा है""

(8-35 म. प.)

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

छात्रावास रातानाडा में गणेश चौराहा पर आया हुआ है, उसमें करीब 60 छात्र हैं। उस छात्रावास के अंदर 12-13 लड़के अनुसूचित जाति के हैं। ऐसी घटनाओं की वजह से 8 छात्रों ने वहां खाना खाना बंद कर दिया और अन्य होटलों के अंदर रोज खाना खा रहे हैं, क्या करें ? दूसरे होटल के अन्दर खायेंगे तो छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं। बड़ी दुर्दशा है वहां जोधपुर विश्वविद्यालय कालेज के छात्रावास में दो छात्रावास हैं, दोनों के अंदर मेरी जाति के लड़के हैं। सत्यदेव को पीटा है एक छात्रावास भगत की कोठी में हैं, यही हालत है, पूरे छात्रों की संख्या 60 हैं, जिसमें से 13 अनुसूचित जाति के हैं और यूनिवर्सिटी छात्रावास इंजनीयरिंग कालेज नं० 1 जो रातानाडा में है, जिसमें 80 छात्र हैं, 12 अनुसूचित जाति के छात्र हैं, जिनमें से 8 ने होटलों में खाना शुरू कर दिया है। तो आपसे विशेषतौर से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय और शिक्षित समाज के अन्दर छूआछूत की बीमारी जो फैल रही है, वहां अधिकारियों को आगाह किया जाय।

मैं दुबारा निवेदन करता हूं कि पीपाड़ और बिलाड़ा की जब यह स्थिति है तो अन्य जगहों पर क्या होगी? हरिजनों के मुहल्लों में अंधेरा है, जहां 15 हजार की आबादी है, वहां कोई लाइट का इन्तजाम नहीं है, तो इस बारे में करीब दो साल से विभाग से कहता आरहा हूं, परन्तु कुछ नहीं हुआ। मैंने विधान सभा के अन्दर सवाल भी पूछा था परन्तु कोई नतीजा नहीं हुआ। श्री परमानंद डाइरेक्टर साहब को लिख कर दिया था, उन्होंने आदेश भी दिए थे परन्तु कोई नतीजा नहीं निकला। मंत्री महोदय को मैंने मई मास में लिख कर दिया है परन्तु लाइट

(श्री कालूराम आर्य)

लगेगी या नहीं, मुझे उम्मीद नहीं। उम्मीद तब होगी जब वहां मुहल्लों के अन्दर लाइट लग जाय तो मैं आपका आभारी रहूंगा। और बिलाड़ा में एक अनुसूचित छात्रावास खोलने के बारे में आपने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को आप पूरा करेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं और इतना ही कहते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

माननीय शंभूराम जी।

श्री प्रेमसिंह : कांग्रेस पार्टी के जितने सवर्ण सदस्य हैं वे अपने अपने घर चले गये हैं या लाबी में बैठे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह शब्द काम में जो लिया गया है, वह कार्यवाही से हटाया जाये।

श्री भैरोंसिंह : इसकी जगह यह शब्द काम में लिया जाये बेचारा डागा जी यहां है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंभूराम जी।

श्री शंभूराम पटेल (लालसोट सु.): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में हायर सेकेन्डरी स्कूल है। वहां एक छात्रावास खोला जाये। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया है कि चाहे 20 हजार रुपया लग जाये मकान मैं बनवाकर दूंगा, परन्तु छात्रावास खोल दिया जाये। साल भर हो गया इस बात को आजतक कोई आश्वासन नहीं दिया है। मैं बराबर प्रार्थना करता रहा हूं कि छात्रावास खोल दिया जाये उसके मकान की व्यवस्था मैं कर दूंगा। चाहे 15-20 हजार रुपया लग जाये मकान मैं तैयार करवा दूंगा। करीबन हमारी जाति के 300 छोरे वहां पढ़ते हैं। हायर सैकेण्डरी लालसोट तहसील के बीच में मण्डावरी गांव में पड़ती है। वहां छात्रावास खोला जाये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 8-43 बजे दिनांक 3 सितम्बर, 69 को प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 514 की सूची)

यातायात विभाग के उपनिरीक्षकों के विवरण की सूची—

क्र० सं०	नाम	उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्ति की तारीख	विशेष विवरण
1.	श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता	1-1-49	ये सभी राजस्थान जन सेवा आयोग से चयनित हैं तथा स्थायी हैं। एवं राजस्थान ट्रान्सपोर्ट सबोरडीनेट सर्विस रूल्स 1963 के पूर्व नियुक्त किये गए हैं। श्री पी. सी. बोस राजस्थान जनसेवा आयोग से चयनित तो हैं परन्तु स्थायी होना शेष हैं।
2.	श्री हेमसिंह	27-1-51	
3.	श्री लक्ष्मीनाथ	3-1-53	
4.	श्री हीरालाल	21-8-50	
5.	श्री लालसिंह	12-11-52	
6.	श्री जगदीश प्रसाद	9-4-54	
7.	श्री रामप्रताप	1-4-54	
8.	श्री बागसिंह	25-8-50	
9.	श्री ओमप्रकाश	1-10-50	
10.	श्री रामजीलाल	9-4-54	
11.	श्री महावीरप्रसाद	9-2-53	
12.	श्री कन्हैयासिंह	9-4-54	
13.	श्री किशन सहाय	9-4-54	
14.	श्री चन्द्रप्रकाश स्वामी	22-6-51	
15.	श्री रामकरण	10-1-57	
16.	श्री भूराराम	8-5-57	
17.	श्री रमेशशंकर माथुर	16-2-58	
18.	श्री रामसिंह	3-3-58	
19.	श्री शिवदान सिंह	28-2-58	
20.	श्री पी. सी. बोस	13-1-58	
21.	श्री हरीसिंह राठौड़		ये परिवहन निरीक्षक, के पद पर स्थायी थे किन्तु कार्य ठीक न होने के कारण उप. निरीक्षक बना दिये गये।
22.	श्री जगदीश लाल	15-4-60	इनकी नियुक्ति संचालक यातायात ने की
23.	श्री सुखदेव प्रसाद	21-1-61	एवं बाद में उपनिरीक्षक का पद राजस्थान

24. श्री चन्द्रप्रकाश	29-10-58	जन सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर हो जाने के फलस्वरूप इन्हें संचालक, यातायात ने स्थायी किया।
25. श्री धन्नालाल	31-1-62	
26. श्री शिवचरण शर्मा		ये राजस्थान रोडवेज के स्थायी असि–स्टेन्ट ट्रैफिक इन्सपेक्टर थे। एवं बाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बनने के कारण इन्होंने अपना विकल्प राज्य सेवा का दिया। अतः इन्हें सरप्लस घोषित कर राज्य सरकार एब्जोर्प्शन कमेटी ने, यातायात उप-निरीक्षक के पद पर समावेश हेतु यातायात विभाग में भेजा एवं उक्त कमेटी के आदेशानुसार, निदेशक यातायात ने इन्हें उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थापित किया।
27. श्री मुसद्दीलाल		
28. श्री रामचन्द्र जाकेटिया		
29. श्री चन्दनसिंह राणा		
30. श्री हरीनारायण माथुर		
31. श्री सत्यप्रकाश शर्मा		
32. श्री शक्तिसिंह	26-5-66	निदेशक, यातायात ने राजस्थान ट्रान्सपोर्ट सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 27 के अन्तर्गत इन्हें एड्होक अस्थायी बेसिस पर नियुक्त किया है।
33. श्री ओमप्रकाश	26-5-66	
34. श्री रामकरण	26-5-66	
35. श्री विशम्बर दयाल	26-5-66	
36. श्री लक्ष्मणदास अगनानी	26-5-66	
37. श्री रामराज	26-5-66	
38. श्री गणपतमल माथुर	26-5-66	
39. श्री महेंद्रसिंह	26-5-66	
40. श्री रघुनंदन	26-5-66	
41. श्री मोहनलाल	26-5-66	
42. श्री गोर्धनसिंह	26-5-66	

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 525 की सूची)

सूची प्रश्न भाग-1

खाद्य निगम द्वारा राजस्थान व्हीट प्रोक्योरमेंट (लेवी ऑन डीलर) आदेश, 1966 तथा राइट ऑफ प्रीएम्प्शन के अन्तर्गत मेसर्स भगवानसहाय श्री नारायण बांदीकुई से जो विभिन्न किस्म का गेहूं क्रय किया गया था उसकी निम्नांकित दरें थीं:—

1.	शरबती, फारमी व मालवी	81/—रुपये प्रति क्विन्टल
2.	मैक्सीकन दरा व गजर	76/—रुपये प्रति क्विन्टल
3.	लाल बाय व काठा	74/—रुपये प्रति क्विन्टल

उक्त फर्म से समस्त प्रकार का 1876-95-600 क्विन्टल गेहूँ क्रय किया गया जिसकी कीमत 1,49,809-92 रुपये का भुगतान किया गया।

परिशिष्ट 3

(ता० प्र० सं० 515 की सूची)

माहवारी शक्कर वितरण सम्बन्ध को सूचना त० खारची, जिला पाली

क्रम संख्या	नाम केन्द्र जहां शक्कर वितरण की दुकान स्थित है	जनवरी 69 बोरी	जनवरी 69 वितरण मात्रा	फरवरी 69 बोरी	फरवरी 69 वितरण मात्रा	मार्च 69 बोरी	मार्च 69 वितरण मात्रा	अप्रेल 69 बोरी	अप्रेल 69 वितरण मात्रा	मई 69 बोरी	मई 69 वितरण मात्रा	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	खारची	5	150 ग्राम	7	200 ग्राम	5	150 ग्राम	5	150 ग्राम	5	150 ग्राम	
2.	गुडा मोकनसिंह	3	,,	4	,,	3	,,	3	,,	3	,,	
3.	जोजावर खासनी	2	,,	3	,,	2	,,	2	,,	2	,,	
4.	थनला	5–50	,,	7	,,	5–50	,,	5-50	,,	5–50	,,	
5.	पाचेटिया	6	,,	5	,,	3–50	,,	3–50	,,	3–50	,,	
6.	बांता	4	,,	6	,,	4	,,	4	,,	4	,,	

Page No 205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	रडवास	3	150 ग्राम	3-50	200 ग्राम	3	150 ग्राम	3-50	150 ग्राम	3-50	150 ग्राम	25 बोरी के
8.	राणावांस	4–50	,,	6	,,	4	,,	4	,,	4	,,	आवंटन पर जो
9.	गुडा सुरसिंह	2	,,	3	,,	2	,,	2–50	,,	2–50	,,	शेष हैं
10.	पलाद	5	,,	6–50	,,	5	,,	5	,,	5	,,	,,
11.	सिरीयारी	4	,,	5	,,	4	,,	4	,,	4	,,	,,
12.	जाउचा	6	,,	6–50	,,	6	,,	6	,,	6	,,	,,
13.	जोजावर	7	,,	9	,,	7	,,	7	,,	7	,,	,,
14.	देवली	3–50	,,	4–50	,,	3–50	,,	3-50	,,	3-50	,,	,,
15.	नीम्वली मान्डा	6	,,	8	,,	6	,,	6	,,	5	,,	,,
16.	भगोडा	2–50	,,	3	,,	2–50	,,	2–50	,,	2–50	,,	,,
17.	खारण	6	,,	8	,,	6	,,	6	,,	6	,,	,,
18.	गुडा रामसिंह	3	,,	4	,,	3	,,	3	,,	3	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	बिढुआ कला	3	150 ग्राम	3–50	200 ग्राम	3	150 ग्राम	3	150 ग्राम	3	150 ग्राम	25 बोरी के आवंटन पर जो शेष हैं
20.	गुडा केसरसिंह	3	,,	4	,,	3	,,	3	,,	3	,,	
21.	जेकदा	2–50	,,	3–50	,,	2–50	,,	2–50	,,	2–50	,,	,,
22.	हेमलियावास	4–50	,,	5	,,	4	,,	4	,,	4	,,	,,
23,	धामली	3	,,	4	,,	3–00	,,	3–50	,,	4	,,	,,
24.	आगदोरा	4	,,	4–50	,,	3–50	,,	3	,,	3	,,	,,
25.	सबराड	3	,,	4	,,	3	,,	3	,,	3	,,	,,
26.	दुहोड	2–50	,,	3–50	,,	2–50	,,	2–50	,,	2–50	,,	,,
27.	बाडसा	2–50	,,	3–50	,,	3	,,	3	,,	3	,,	,,
28.	सिनला	3–00	,,	3–50	,,	3	,,	3	,,	3	,,	,,
29.	चवाडिया	2–50	,,	3	,,	2–50	,,	2–50	,,	2–50	,,	,,
30.	धुन्धला	5	,,	6–50	,,	5	,,	5	,,	5	,,	,,

Page No 207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31.	सहवाज	4	150 ग्राम	5	200 ग्राम	4	150 ग्राम	3	150 ग्राम	3	150 ग्राम	25 बोरी के आवंटन पर जो शेष हैं
32.	मलसाबावड़ी	3–50	,,	4–50	,,	3–50	,,	3–50	,,	3–50	,,	
33.	हिंगोला खुर्द	2–50	,,	3–50	,,	3	,,	3	,,	2–50	,,	
34.	सेखावास	2–50	,,	3	,,	2–50	,,	2–50	,,	2–50	,,	,,
35.	कराड़ी	3	,,	3–50	,,	3	,,	3	,,	3	,,	,,
36.	कन्टालिया	6	,,	9	,,	6	,,	6	,,	6	,,	,,
37.	चिरपटिया	5	,,	6	,,	4	,,	4	,,	4	,,	,,
38.	बोपारी	3	,,	4	,,	3--50	,,	3	,,	3	,,	,,
39.	जाडन	4	,,	5	,,	4	,,	4	,,	4	,,	,,
40.	बोरनडी	3	,,	4	,,	3	,,	3	,,	3	,,	,,
41.	मारवाड़ जं०	9	,,	12	,,	9	,,	9	,,	9	,,	,,
42.	रेल्वे कर्मचारी	9	,,	12	,,	9	,,	9	,,	9	,,	,,
43.	भीमालिया	–	–	4	,,	2–50	,,	3	,,	3	,,	,,

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पोंग बांध से राजस्थान नहर को पानी

526. प्रोफेसर केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के निर्माण की पूर्ति न होने पर पोंग बांध के बन जाने पर भी राजस्थान को पानी नहीं मिल सकेगा ?

(2) यदि हां, तो राजस्थान नहर के निर्माण की क्या स्थिति है ? अभी तक निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ और भविष्य में कितना खर्च होगा ?

(3) राजस्थान नहर का सम्पूर्ण निर्माण कब तक पूरा होकर जैसलमेर जिले में रामगढ़ तक पानी पहुंच जावेगा ?

उत्तर

1. जी हां।

जबतक राजस्थान नहर और पोंग बांध साथ-साथ बन कर तैयार नहीं होंगे, राजस्थान इस स्थिति में नहीं होगा कि बांध में जमा किये हुये पानी का पूरा उपयोग कर सके।

2. राजस्थान मुख्य नहर जिसकी कुल लम्बाई 292 मील है, जिसमें 134 मील फीडर तथा लगभग 61 मील तक मुख्य नहर बन चुकी है। 61 मील से 110 मील के बीच मुख्य नहर का कार्य प्रगति पर है। नौरंगदेसर, रावतसर, जोरावरपुरा, खेतावाली, खोदान, टैटार, कनोर डिस्ट्रीब्यूटरीज पूरी हो चुकी हैं। अनूपगढ़ ब्रांच सिस्टम व सूरतगढ़ ब्रांच सिस्टम पर कार्य प्रगति पर है। सरदारपुरा, चूली तथा जैसामाटी डिस्ट्रीब्यूटरीज पर भी कार्य प्रगति पर है, घग्घर डाईवर्सन चैनल तथा अनूपगढ़ शाखा के बीच लिंक चैनल का कार्य पूरा हो चुका है। लिफ्ट चैनल का कार्य भी प्रगति पर है।

मार्च, 1969 तक राजस्थान नहर के निर्माण पर 57.13 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है।

भविष्य में राजस्थान नहर को पूरा करने के लिये लगभग 139 करोड़ रुपये की और आवश्यकता है।

3. राजस्थान नहर का सम्पूर्ण निर्माण वर्ष 1977-78 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया था। परन्तु यह तब ही संभव होगा जब इस योजना के लिये पर्याप्त धन-राशि अगले वर्षों में उपलब्ध की जावे। अभी तक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा अगले वर्षों के प्रावधानों के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नहर के पूर्ण होने पर जैसलमेर जिले में रामगढ़ तक पानी पहुंच जावेगा।

स्कूलों में बॉयोलोजी विषय

527. श्री हंसराज आर्य (भादरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष से किस-किस सैकेण्डरी तथा हायर सैकेण्डरी स्कूल में जहां पहले से

(श्री हंसराज आर्य)

साइन्स चल रही है, बायोलोजी विषय मंजूर किया है ? स्कूल वाइज सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(2) शिक्षितों की जो बेकारी बढ़ रही है इसकी रोकथाम के लिये शिक्षा पद्धति में सरकार क्या परिवर्तन करने की सोच रही है ?

(3) क्या सरकार स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ छात्र-छात्राओं को ऐसा कार्य सिखाने का विचार रखती है जिसके कारण स्कूल, कालेज छोड़ने पर विद्यार्थी अपनी जीविका खुद चला सकें ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ।

(5) क्या प्रौढ़ शिक्षा के लिये भी रात्रि पाठशालाएं चलाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

2. वैसे यह देशव्यापी समस्या है फिर भी शिक्षा विभाग राजस्थान में शिक्षा प्रणाली में सुधार करने हेतु काफी जागरूक रहा है । शिक्षा को श्रम से सम्बन्धित करने के लिये कार्यानुभव की योजना को लागू किया जा रहा है । शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये संक्षेप रूप में निम्न प्रकार की परियोजनाएं प्रारम्भ की जा चुकी हैं ।

(1) कार्यानुभव एवं शाला संगम योजनाओं को हाथ में लिया गया है ।

(2) प्राथमिक स्तर में सुधार हेतु परीक्षण संस्थान स्थापित किया गया है और वह प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु परीक्षण कर रहा है ।

(3) शिक्षित प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को भी पूर्ण रूप में परिवर्तित किया जा रहा है ।

(4) शिक्षकों के लिये 3 माह का रिफ्रेशर कोर्स भी चालू किया गया है ।

(5) मूल्यांकन इकाई, अजमेर द्वारा मिडिल स्तर की शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु परीक्षण किये जा रहे हैं और व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली के लागू करने की योजना तैयार की जा रही है ।

(6) परीक्षा प्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है ।

(7) विज्ञान शिक्षा में सुधार हेतु राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान द्वारा समय समय पर सेमीनार इत्यादि आयोजित कर कार्य किया जा रहा है । अध्यापकों को विज्ञान की आधुनिक खोजों व तकनीकी से परिचित कराने हेतु मासिक पत्रिका निकाली जा रही है । विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स लागू किया गया है ।

(8) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आंतरिक मूल्यांकन योजना को भी समस्त उच्च व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दिया है ।

(9) शिक्षकों को विभिन्न विषयों के आधुनिक परिवर्तनों से जानकारी दिलाने

(शिक्षा मंत्री)

हेतु समय-समय पर सेमीनार व रिफ्रेशर कोर्स लागू किये जाते हैं।

3. शालाओं में कार्यानुभव योजना "सीखो और कमाओ" भी चालू की गई है।

4. प्रश्न ही नहीं उठता।

5. प्रौढ़ को साक्षर करने के लिये रात्रि-पाठशालायें वर्षों से चल रही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगढ़ में रोडवेज का बस स्टेन्ड

528. **श्री सुमेरसिंह (किशन गढ़)** : क्या यातायात मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में वर्तमान में जिस स्थान पर राजस्थान रोड-वेज बस स्टेन्ड बना हुआ है उसको उस स्थान से हटवाने को नागरिकों की कई दफा संबंधित अधिकारीगण के पास दरख्वास्तें पेश हो चुकी हैं।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान काल में राजस्थान रोडवेज बस स्टेन्ड गलत स्थान पर है?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान रोडवेज बस स्टेन्ड को वर्तमान स्थान से हटाकर किशनगढ़ का पुराना पावर हाउस जहाँ बना हुआ था उस स्थान पर राजस्थान रोडवेज स्टेन्ड कायम करने की जनता ने मांग की है व खंडमंडल अधिकारी ने भी इस मोटर स्टेन्ड को किशनगढ़ के पुराने पावर हाउस के पास वाले खाली प्लॉट पर बनवाने का सुझाव दिया है?

(4) यदि हां, तो अब तक यह बस स्टेन्ड हटवाकर पुराने पावर हाउस के पास वाले बड़े सारे खाली प्लॉट पर क्यों नहीं कायम किया गया व अब कब तक इसे वहां कायम कर दिया जावेगा।

उत्तर

(1) जी हां पुराने बस स्टेन्ड को हटाने की मांग थी।

(2) 27 जुलाई 1969 से बस स्टेन्ड नई जगह पर चला गया है जो उपयुक्त हैं।

(3) जी हां

(4) अब निगम का बस स्टेण्ड मदनगंज में खुले स्थान छावड़ा कालौनी में स्थापित कर दिया गया है।

तहसील सांचोर में जानवरों के लिए चारा

529. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में माह मई व जून 1969 में चारा बिल्कुल नहीं आने से चारा डिपो पर बिल्कुल चारा उपलब्ध नहीं कराया गया? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इतने लम्बे अर्से तक चारे के अभाव में सैकड़ों मवेशी मर गई? अगर हां, तो कुल कितनी मवेशी मरीं?

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

(3) क्या यह भी सत्य है कि जिला जालोर में मई व जून, 1969 में चारा बिल्कुल नहीं आया और इससे काफी मवेशी भूख के मारे मर गईं ? अगर हां, तो जिला जालौर में इन दो महीनों में कहां कहां कितनी मवेशी मरीं ?

(4) जिला जालौर में अब तक जालौर भीनमाल, व रानीवाड़ा स्टेशनों पर कितना कितना चारा पहुंचाया गया ? क्या इतना चारा जिले के कुल मवेशियों के लिये पर्याप्त था ? अगर नहीं, तो चारे के अभाव में क्या मवेशी नहीं मरे ?

(5) अब जिला जालौर एवं विशेषतया तहसील सांचौर में चारे की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । चारा नियमित रूप से पहुंचाया जाता रहा है । इसलिये प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं ।

(4) जिला जालौर के रानीवाड़ा, भीनमाल एवं जालौर स्टेशनों पर 41,616 क्वि. चारा माह जुलाई 69 के अन्त तक पहुंचाया गया । यह चारा जिले की मांग और पूर्ति व्यवस्था को देखते हुए अपर्याप्त नहीं था ।

(5) वर्षा हो जाने के कारण इस समय चारा सप्लायी करने की व्यवस्था बन्द करदी गयी । यदि जिले के किसी भाग में चारे की समस्या उत्पन्न होती दिखाई दी तो समुचित व्यवस्था करदी जायेगी ।

श्री विजय राघव मन्दिर का चार्ज

530. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ के देवचरणदास महन्त मन्दिर श्री विजय राघव के संबंध के मामले का फैसला दिनांक 27-7-66 को सहायक राजस्व सचिव, राजस्थान जयपुर द्वारा दिया जा चुका था ? यदि हां, तो निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के निर्णय के आधार पर सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर ने उप जिलाधीश प्रतापगढ़ को दिनांक 13-6-67 को यह आदेश दिये थे कि उक्त मन्दिर का चार्ज मदनलाल पुजारी से लेकर श्री रामचरणदास को दिला दिया जावे ? यदि हां, तो उस पर उपजिलाधीश ने क्या कार्यवाही की और क्या उक्त निर्णय के आधार पर श्री रामचरणदास को चार्ज दिला दिया है ?

उत्तर

(1) जी हां, निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) जी हां, सहायक आयुक्त देवस्थान उदयपुर ने दिनांक 13-6-67 को उप जिलाधीश प्रतापगढ़ को आदेश दिये परन्तु

(श्री देवस्थान मन्त्री)

सरकार से श्री मदनलाल पुजारी को फिलहाल अलहदा नहीं करने के आदेश के कारण श्री रामचरण दास को चार्ज नहीं दिलाया गया।

सूची

प्रतिलिपि प्रत्र संख्या एफ 1(2)(5) रा० रु० /64 दिनांक 27-7-66 ओर से सहायक राजस्व सचिव, राजस्व (क) विभाग, राजस्थान, जयपुर। वास्ते निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।

विषय :— श्री देवकरणदास महन्त मंदिर श्री विजयराघवजी स्थान प्रतापगढ़ दाखिल द्वारा वसीयत बनाम श्री रामशरणदास।

प्रसंग:—आपका पत्र संख्या 186/196 मादमी/ चित्तौड़/4126 दि० 16-5-66.

सूचित करने का निर्देश है कि इस मामले पर गौर किया गया श्री देवशरणदास महन्त मंदिर श्री विजयराघवजी दिनांक 19.5.57 को फौत हो गये। श्री देवशरणदास महन्त ने तारीख 23-3-53 को वसियत के द्वारा अपना उत्तराधिकारी श्री रामचरण दास को नियुक्त किया।

अतः राज्यपाल ने श्री रामचरण को मंदिर श्री विजयराघवजी स्थान प्रतापगढ़ के महन्त मुकर्रर करने की स्वीकृति प्रदान की है।

आपके पत्र के साथ प्राप्त हुई तीनों पत्रावलियां इसके साथ भेजी जा रही है। कृपया पहुंच की रसीद भिजवावें।

साबी नदी निर्माण योजना

531. श्री गंगासहाय कोली (कठुमर सु.): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि साबी नदी प्रोजेक्ट निर्माण योजना $2\frac{1}{2}$ करोड़ की थी ?

(2) क्या यह सही है कि साबी नदी की बाढ़ से राजस्थान, हरियाना व दिल्ली तीनों प्रदेश प्रभावित होते हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस प्रोजेक्ट को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो क्या इसे चौथी पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) राजस्थान सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

1. जी हां, 2 करोड़ 40 लाख रुपये की हैं।

2. जी नहीं, केवल हरियाना एवं दिल्ली प्रदेश बाढ़ से प्रभावित होते हैं व राजस्थान प्रदेश में इसका कोई प्रभाव नहीं होता।

3. जी हां।

4. योजना की स्वीकृति केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के विचाराधीन है।

छोटी खाटू विद्यालय के निलम्बित संस्कृताध्यक्ष

532. श्री भैरों सिंह (किशनपोल, जयपुर) :

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छोटी खाटू जिला नागौर के संस्कृताध्यक्ष किस समय से निलम्बित हैं? उनको आरोप-पत्र कब दिया गया और जांच किससे करवाई गई ? कृपया आरोप पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने संस्कृताध्यक्ष को निर्दोष पाया है। यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उत्तर

(1) दिनांक 4-9-68 से निलम्बित है। आरोप-पत्र दिनांक 24-9-68 को दिया गया। मामले की प्राथमिक जांच श्री सी. एस. त्यागी भू. पू. विद्यालय उप निरीक्षक द्वारा की गई और निलम्बित कर्मचारी से चार्जशीट का जवाब प्राप्त हो जाने पर जांच अधिकारी श्री भूरालाल प्र. अ. रा. उ. मा. शाला छोटी खाटू को नियुक्त किया गया। पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जांच अधिकारी से अभी तक जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट भेजने हेतु जांच अधिकारी को निरीक्षक द्वारा तार दे दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चांदपोल झोटवाड़ा मार्ग पर बसों की सुविधा

533. **श्री लादूराम सुलानिया** (फागी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चांदपोल से झोटवाड़ा तक यात्रियों के आवागमन के लिये बसों की समुचित व्यवस्था है ? यदि, हां, तो इस मार्ग पर वर्तमान में कितनी बसों को किन किन व्यक्तियों को परमिट कितनी अवधि के लिये दिये हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इस मार्ग पर बसें निर्धारित समयानुसार चलाई जाती हैं ? यदि हां, तो निर्धारित समय सारिणी की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि जारीशुदा परमिटों के अनुसार सभी बसें प्रतिदिन इस मार्ग पर प्रातः 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक चलाई जाती है ? यदि हां, तो प्रथम बस दोनों स्थानों से कितने कितने बजे रवाना होती हैं ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि रात्रि के समय कभी कभी निर्धारित समय से पूर्व कभी 2–1 घंटे देरी से रवाना होती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त मार्ग पर प्रातः 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक निर्धारित समय अनुसार इस क्षेत्र के निवासियों के आवागमन के लिये बसें चलाने एवं समय सारिणी चांदपोल व झोटवाड़ा बस स्टेन्डों पर लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मार्ग पर चांदपोल से झोटवाड़ा तक कहीं भी बस स्टेन्ड नहीं बने हुये हैं ? यदि हां, तो

(श्री लादूराम सुलानियां)

कहां कहां ? क्या उनमें यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) बसें निर्धारित समयानुसार चलाई जाती है। समय सारिणी के अनुसार बसें 30 मिनिट के व्यवधान से चलती हैं।

(3) यह सही है कि इस मार्ग पर बसें प्रात: 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक चलाई जाती हैं। प्रथम बस का दोनों स्थानों से चलने का समय प्रातः 6 बजे है।

(4) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत आने पर मोटर मालिक के खिलाफ उचित कार्यवाही की जावेगी।

(5) इस मार्ग पर प्रात: 6 बजे से रात्रि के दस बजे तक 30 मिनट के व्यवधान से बसें चलाने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद हैं। समय सारिणी को बसों में तथा स्टेन्डों पर लगाने के आदेश दे दिये गये हैं। नियमानुसार समय सारिणी यात्री वाहनों में ही लगवाई जाती हैं, और उसके लिये व्यवस्था कर दी गई हैं।

(6) उक्त मार्ग पर चांदपोल से झोटवाड़े तक बस स्टेन्ड अभी नहीं बने हैं। परन्तु बस स्टोप निश्चित किये हुवे हैं जहां कि यात्री बस में लिये जाते हैं व उतारे जाते हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित तीन स्थानों पर बस मालिकों द्वारा शेड लगवाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है :—

(1) चांदपोल पेट्रोल पम्प।

(2) टी. बी. सेनीटोरियम।

(3) झोटवाड़ा।

अकालराहत कार्य के अन्तर्गत बाड़मेर कानोड़ वाया भीमड़ा सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के मामले

534. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर से कानोड़ वाया भीमड़ा रोड़ का कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 68-69 एवं सन् 69-70 में चला ?

(2) उक्त राहत कार्य में भ्रष्टाचार का मामले जो सामने आया उसके बारे में क्या जिला अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है ?

(3) यदि हां, तो वह कब से जांच की जा रही है तथा देरी के क्या कारण है ?

(4) इस सम्बन्ध में कब तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जायगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह जांच जनवरी, 69 से की जा रही है। प्राथमिक जांच के बाद अन्तिम जांच करने में कुछ समय लगा है, कार्य की अधिकता के कारण पूरा समय उपलब्ध नहीं होने से देरी हुई है।

(4) जांच रिपोर्ट अतिशीघ्र उपलब्ध होने की आशा है।

बांध भीमली से सिंचाई

535. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बान्ध भीमली जिला झालावाड़, में इस वर्ष पानी की कमी के कारण सिंचाई केवल एक ही बार ही की गई और फसल सूख गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बान्ध को 2-3 फीट ऊंचा बढ़ाया जाने पर काफी पानी पहुंच सकता है और सिंचाई सुविधा पूर्वक हो सकती है ?

(3) क्या यह सही है कि बार बार प्रार्थना करने पर भी इस वर्ष नहरों की सफाई नहीं की गई जिससे पानी नहीं पहुंच सका ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस बान्ध में रुके हुए पानी की काफी लिखा-पढ़ी के बाद भी नहीं खोला गया जिससे फसलें सूख गई ?

उत्तर

(1) जी हां, किन्तु सिंचाई होने वाले क्षेत्र में कोई फसल नहीं सूखी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। सदैव की भांति इस वर्ष भी नहरों की सफाई कराई गई है।

(4) जी नहीं।

ग्रीष्मकाल में सीखो और कमाओ योजना

536. श्री रिद्धिचन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) ग्रीष्मकाल में सरकार द्वारा बनाई गई योजना "सीखो और कमाओ" और रेमेडियल क्लासेज राज्य के किन किन स्कूलों में चलाई गई ? कृपया उनके नाम, छात्रों की संख्या, पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं एवं शाला प्रधान जिन्होंने स्वयं ने पढ़ाया है, के नाम की सूची पूर्ण विवरण के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। कृपया यह भी बताइये कि काम करने वाले शिक्षक, शिक्षिकाओं और प्रधानों को किस प्रकार का मुआवजा दिया गया है यदि हां, तो कब और नहीं तो अब कब तक दिया जायगा ?

(2) क्या यह सच है कि अधिकांश शालाओं में इस योजना को वहां के प्रधानों एवं निरीक्षकों ने नहीं चलाने की इच्छा प्रकट की है, हां तो क्यों, नहीं तो सभी शालाओं में क्यों नहीं पढ़ाया गया ?

(3) क्या यह सच है कि शाला प्रधान और शिक्षक इस योजना के विरुद्ध है ?

(4) क्या यह सच है कि ट्यूशन करने वाले लोगों के कारण इस योजना का पालन नहीं हो रहा है ?

उत्तर

(1) यह योजना इस वर्ष से प्रयोगात्मक तौर पर जिले व तहसील हैडक्वार्टरों तथा जिन विद्यालयों में छात्र संख्या अधिक है वहां चलाये जाने की व्यवस्था की गई है? अभी तक प्राप्त सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। इस योजना हेतु अध्यापकों

(शिक्षा मंत्री)

को ग्रीष्म अवकाश के स्थान पर् उपार्जित अवकाश दिया जावेगा। या अधिक से अधिक 100) रु. माहवार छात्रों द्वारा लिये जाने वाले 5) रु० माहवार छात्र शुल्क में से देने की व्यवस्था है ?

(2) जी नहीं। यह योजना इस वर्ष प्रयोगात्मक तौर पर चलाने का प्रस्ताव था। यदि इसमें सफलता मिली तो धीरे धीरे इस का क्षेत्र बढ़ाया जायगा।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता। योजना प्रयोगात्मक रूप में प्रारम्भ की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ऑनरेरी कन्सल्टिंग फिजीशियन की नियुक्ति

537. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने डॉक्टर हैलिंग को ऑनरेरी कन्सल्टिंग फिजीशियन नियुक्त किया है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) इस नियुक्ति से लेकर अब तक किस किस माह में कितने कितने मामलों में डॉ. हैलिंग को कन्सल्ट किया गया है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) डॉक्टर हैलिंग की उम्र क्या है व राज्य सेवा से कब निवृत्त हुए थे और उन्हें अब राज्य सरकार द्वारा क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं और उन पर अनुमानतया माहवारी का कितना खर्चा आता है ?

उत्तर

1 जी हां, डॉ० हैलिंग को राज्य सरकार ने 22-9-1953 से ऑनरेरी कन्सल्टिंग फिजिशियन नियुक्त किया है।

2 इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया। जब जब भी किसी युनिट हैड क्वार्टर को आवश्यकता होती है तो डा० हैलिंग को कन्सल्ट किया जाता रहा है।

3 डॉ० हैलिंग की आयु इस समय 72 वर्ष 5 महीने की है। (जन्म तिथि 25-3-1897) वह राज्य सेवा से दिनांक 22-9-1953 से निवृत्त हुए थे। राज्य सरकार द्वारा इस समय उन्हें 150) रु० प्रतिमाह ऑनरेरियम (By way of car allowance) व मुफ्त मकान व मुफ्त टेलिफोन की सुविधायें दी जाती हैं।

जंगलों में आग से क्षति

538. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़ सु.): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़, सब डिवीजन प्रतापगढ़ की रेन्ज देवगढ़ व प्रतापगढ़ एरिया में इस वर्ष कितने ब्लॉकों की कितने एकड़ में आग लगी ?

(श्री हरलाल मीणा)

(2) क्या यह सत्य है कि जंगलों में आग लगने पर वन विभाग की ओर से आग बुझाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया जिससे लाखों रुपयों की वन-सम्पत्ति जल कर खाक हो गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जंगलों में आग नाजायज कटाई को छिपाने के लिए लगाई जाती है? यदि हां तो विभाग जंगलों को आग से बचाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहा है?

उत्तर

(1) आग नहीं लगी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं, आग लगने पर स्थानीय वन कर्मचारी सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों को एकत्रित कर आग बुझाने का पूर्ण प्रयत्न करते हैं। वनों में आग से बचाव हेतु फायर लाइन साफ कराई जाती है व फायर वाचर्स आग को चौकस हेतु रखे जाते हैं।

पंचायत समितियों के कर्मचारियों के तबादले

539. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा पंचायत समितियों के अध्यापकों का तबादला बगैर पंचायत समिति की राय लिए एक दूसरी पंचायत समिति में कर दिये जाते हैं? यदि हां, तो इस प्रकार के राजस्थान में कितने तबादले जिला कर्मचारीवर्ग समिति द्वारा किए गए हैं? जिलेवाइज तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि एक समिति से दूसरी समिति में तबादला करने से पहले पंचायत समिति की प्रशासन कमेटी की स्वीकृति लेने का नियम है? यदि हां तो, फिर इस प्रकार से तबादला करने का जिला कर्मचारीवर्ग समिति को क्या अधिकार है?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, नोहर की प्राथमिक पाठशाला रतनपुर के अध्यापक का तबादला पंचायत समिति, भादरा में जिला कर्मचारीवर्ग समिति ने किया था? यदि हां, तो किस तारीख को तबादला हुआ और वापिस रद्द किस तारीख को हुआ और अध्यापक को वेतन नहीं देने का आदेश कब हुआ? कितने माह वेतन नहीं दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

1. नियमानुसार जिला कर्मचारीवर्ग समिति द्वारा पंचायत समितियों के अध्यापकों का एक समिति से दूसरी समिति में स्थानान्तरण जहां से स्थानान्तरण किया जाना हो और जहां स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव हो, दोनों ही पंचायत समितियों की सलाह के उपरान्त किये जाते हैं। इस प्रकार की सलाह लिये बिना किये गये स्थानान्तरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. जी नहीं।

3. जी हां। दिनांक 22-8-68 को तबादला हुआ और दिनांक 16-11-68 को रद्द किया गया। वेतन नहीं देने के कोई आदेश जिला कर्मचारीवर्ग समिति ने नहीं दिये।

जिला कर्मचारीवर्ग समितियों द्वारा बिना पंचायत समितियों की सलाह के किये गये स्थानान्तरण की
सूची

क्रम सं.	नाम जिला	स्थानान्तरित अध्यापकों की संख्या
1.	बूंदी	3
2.	सीकर	1
3.	गंगानगर	1
4.	झुन्झुनू	36
5.	सवाई माधोपुर	6

अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति

540. श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य मंत्री-मंडल ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी विद्यालय में अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाये तथा जो अध्यापक प्रतिनियुक्ति पर हैं उनको शीघ्र ही कार्य मुक्त कर दिया जाये ?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त आदेश समस्त विद्यालयों में भेज दिये हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार के उक्त आदेशों में यह भी उल्लिखित है कि प्रतिनियुक्ति के अध्यापकों को 3 दिन के अन्दर अन्दर कार्य मुक्त कर दिया जाये ?

(4) क्या यह सत्य है कि उक्त आदेशों में यह भी उल्लिखित है कि यदि 3 दिन के अन्दर अन्दर किसी प्रतिनियुक्ति वाले अध्यापक को कार्य मुक्त नहीं किया गया तो वहां के प्रधानाध्यापक की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी ?

(5) क्या यह सत्य है कि स्थानीय दरबार बहु. उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर के प्रधानाध्यापक उक्त आदेशों की लगातार तीन बार से अवहेलना कर रहे हैं ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त आदेशों की पालना नहीं, करनेवाले प्रधानाध्यापकों के खिलाफ कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

1. जी, नहीं।

2. प्रश्न नहीं उठता।

3. प्रश्न नहीं उठता।

4. प्रश्न नहीं उठता।

5. प्रश्न नहीं उठता।

बूंदी के रेन्जर का स्थानान्तरण

541. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) बिहारीलाल रेन्जर बून्दी का स्थानान्तरण किस तारीख को और कहां पर हुआ था ?

(2) क्या उसने अपने नये स्थान का चार्ज ले लिया है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(3) क्या यह सत्य है कि वह 2 माह की छुट्टी पर गया था और छुट्टी का समय समाप्त हो जाने के बावजूद भी वह छुट्टी पर ही चलता रहा है ?

(श्री केशरीसिंह हाडा)

(4) जब वह तबादले के स्थान पर नहीं आता तो विभाग उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता ?

(5) क्या यह सत्य है कि बून्दी शहर के आसपास का जंगल उसी की सिखावट से कट रहा है और विभाग उसे रोकने में अपने आपको असमर्थ महसूस करता है ?

(6) क्या इसी प्रकार पहिले भी जब बिहारीलाल रेन्जर का स्थानान्तरण कुछ वर्षों पूर्व हुआ था तब भी वह छुट्टी पर रह कर वापस बून्दी में ही रह गया और स्थानान्तरण के स्थान पर जाके चार्ज नहीं लिया ?

उत्तर

(1) 1-1-68 को कापरेन हुआ ।

(2) जी हां । चार्ज ले लिया ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

(5) जी नहीं ।

(6) जी हां ।

ग्रुप सचिवों की योजना

542. **श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा** (बाली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में किन किन पंचायत समितियों में ग्रुप सचिव योजना को लागू किया गया है ?

(2) क्या इस योजना का विभिन्न क्षेत्रों से विरोध हुआ है ? क्या इस योजना को लागू करने से और फुल टाइम सचिव नहीं मिलने से पंचायत के कार्यों में बाधा उत्पन्न हुई है ?

(3) यदि हां, तो इस योजना को लागू रखने में क्या औचित्य है ?

उत्तर

1 सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

2 पांच पंचायत समितियों ने इस योजना का सफल नहीं होने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है । इस योजना से पंचायत के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है ।

3 प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

Page No 220

सूची 65 पंचायत समितियों की जिनमें ग्रुप सचिव योजना
1 जुलाई, 1967 से लागू की गई है।

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	ग्रुप सचिवों के पदों की संख्या
1	2	3
	जिला गंगानगर	
1.	रायसिंहनगर	19
2.	हनुमानगढ़	14
3.	सूरतगढ़	8
4.	पदमपुर	11
	योग	52
	जिला अलवर	
1.	मण्डावर	13
2.	उमरैन	10
3.	बहरोड़	9
4.	थानागाजी	10
	योग	42
	जिला सीकर	
1.	दांतारामगढ़	14
	जिला अजमेर	
1.	पीसांगन	15
	जिला सवाईमाधोपुर	
1.	हिण्डोन	14
	जिला टोंक	
1.	टोंक	14

1	2	3
	जिला बूंदी	
1.	तालेड़ा	14
	जिला बांसवाड़ा	
1.	कुशलगढ़	6
	जिला जयपुर	
1.	बस्सी	13
2.	सांगानेर	11
3.	झोटवाड़ा	6
4.	फागी	10
5.	सांभर, मुख्यालय जोबनेर	11
6.	दूदू	14
7.	आमेर	13
8.	जमवारामगढ़	14
9.	शाहपुरा	9
10.	बैराठ	10
11.	कोटपूतली	12
12.	लालसोट	14
13.	चाकसू	11
	योग	148
	जिला भरतपुर	
1.	डीग	9
2.	बसेड़ी	11
3.	नगरपहाड़ी	14
4.	राजाखेड़ा	13
5.	कामां	12

1	2		3
6.	बीर		12
7.	बयाना		13
8.	रूपवास		12
9.	धौलपुर		16
10.	बाड़ी		10
11.	नदवई		11
12.	कुम्हेर		10
13.	सेवर		19
		योग	152
	जिला कोटा		
1.	लाडपुरा		7
2.	अन्ता		10
3.	बारां		7
4.	अटरू		9
5.	शाहबाद		13
6.	चेचट		8
7.	सांगोद		11
8.	सुलतानपुर		10
9.	इटावा		12
		योग	87
	जिला झालावाड़		
1.	झालरापाटन		12
2.	डग		13
		योग	25

Page No 223

1	2	3
	जिला पाली	
1.	बाली	12
2.	सुमेरपुर	10
3.	खारची	15
4.	देसूरी	7
5.	रानी स्टेशन	10
6.	रायपुर	10
	योग	64
	जिला चित्तौड़गढ़	
1.	बेंगू	8
2.	चित्तौड़गढ़	12
3.	राशमी	11
4.	कपासन	7
5.	निम्बाहेड़ा	8
	योग	46
	जिला भीलवाड़ा	
1.	शाहपुरा	10
	जिला उदयपुर	
1.	राजसमन्द	10
2.	गिर्वा	13
	योग	23
	कुल योग	726

सवाई माधोपुर तथा खंडार क्षेत्र के जंगलों में वन पशुओं आदि की सुरक्षा

543. श्री चुन्नीलाल जैलिया (खंडार सु०) : क्या वन मंत्री कह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर तथा खंडार के जंगलों में शेर, बघेरे, सूअर तथा अन्य वनपशु बहुत कम होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या शिकारी लोग, ठेकेदार तथा प्रभावशाली व्यक्ति कानून तोड़कर उक्त जानवरों का नाश कर रहे हैं ?

(3) क्या वनपशु रक्षा हेतु सवाई-माधोपुर तथा खंडार में पर्याप्त स्टाफ तथा सवारी के साधन नहीं हैं ?

(4) क्या उक्त वनपशु रक्षक स्टाफ अपनी जिम्मेवारी निभाने से डरता है ?

(5) सरकार वनपशु तथा मोर इत्यादि पक्षियों की रक्षा हेतु अब क्या सुदृढ़ कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

1. जी नहीं।

2. जी नहीं।

3. स्टाफ है। सवारी का साधन नहीं है।

4. जी नहीं।

5, वनपशु तथा मोर आदि पक्षियों की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार ने अधिनियम तथा नियम प्रचलित किये हुए हैं जिसके अनुसार वन्यपशु और पक्षियों को पूरे वर्ष भर निषेध काल में मारना दण्डनीय है। राज्य में 9 स्थानों पर सेन्चुरीज (बिहार) भी स्थापित किए गए है जहां वन्यपशु पक्षियों की सुरक्षा का वन विभाग की देखरेख में प्रबन्ध किया गया है।

अध्यापकों की बकाया

544. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डौली) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बून्दी की चारों पंचायत समितियों के प्राथमिक पाठशाला के अध्यापकों व अध्यापिकाओं की वेतन वृद्धि की रकम कितनी–कितनी कब से बकाया चल रही है ?

(2) उक्त अध्यापकों के मैडिकल बिल किन-किन पंचायत समितियों में मंजूरी के अभाव से और कब से कितनी राशि के पड़े हैं ?

(3) क्या यह सत्य है कि बारम्बार प्रधानों द्वारा अध्यापकों के उपरोक्त संबंध में प्रार्थना-पत्र ठुकरा दिये गये हैं ?

उत्तर

1. किसी पंचायत समिति में अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की वेतन वृद्धि की बकाया रकम चुकाना शेष नहीं है।

2. मंजूरी के अभाव में पंचायत समितियों में अध्यापकों के कोई मैडिकल बिल नहीं पड़े हैं। अलबत्ता पंचायत समिति, नैनवा में धनाभाव के कारण 22 बिल 782.15 पैसे का भुगतान करना है।

(पंचायत मंत्री)

पंचायत समिति, तालेड़ा में जून, 1969 में प्रस्तुत किये मैडिकल बिलों का भुगतान शेष है जिसका भुगतान शीघ्र किया जावेगा।

3 जी नहीं।

रतनगढ़ अनिवार्य शिक्षा समिति का अधिशाषी अधिकारी

545. श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रतनगढ़ अनिवार्य शिक्षा समिति के अधिशाषी अधिकारी का कार्य अगस्त, 65 से कौन करता है ? तथा उसे कब से कितना मासिक अलाउन्स मिलता है तथा किसकी आज्ञा से ?

(2) क्या इस संबंध में शिक्षा समिति एवं शिक्षा विभाग से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या शिक्षा विभागीय अनुदान इस उक्त अलाउन्स के लिये मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विभागीय ऑडिट पार्टियों द्वारा इस अलाउन्स संबंधी ऐतराज होता रहा है ? अगर हां, तो कब से और इस ऑडिट ऐतराज पर क्या कदम उठाया गया है ?

उत्तर

1. श्री सागरमल दाधीच, अधिशाषी अधिकारी का कार्य करते थे। सितम्बर, 65 से 20 रु० मासिक अलाउन्स अक्टूबर, 68 तक मिला है और तात्कालीन अध्यक्ष नगरपालिका की आज्ञा से मिला है।

2. जी नहीं।

3. शिक्षा विभाग द्वारा इस अलाउन्स पर स्वीकृति के अभाव में अनुदान नहीं दिया जाता है।

(4) शिक्षा विभागीय ऑडिट पार्टी द्वारा शुरू से ही इस अलाउन्स पर ऐतराज होता रहा है तथा अनुदान के लिये इस अलाउन्स की रकम अस्वीकृत की जाती रही है।

पंचायत समिति की आय का उपयोग

546. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या पंचायत व सामुदायिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समितियों की निजी आय को समिति द्वारा किन किन कार्यों पर खर्च किया जा सकता है ? कृपया सूची दें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति की निजी आय में से पंचायत समिति के अधिकारियों के निवास स्थान बनायें जा सकते हैं और स्कूल भवनों व पंचायतों के भवन बनाने में खर्च नहीं किया सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति उनियारा जिला टोंक द्वारा अभी हाल ही में यह निर्णय लिया है कि निजी आय में से स्टाफ क्वार्टर बनाया जावे, और दूसरे मद यानि स्कूल भवन इत्यादि में न खर्च किया जावे ? यदि हां, तो यह कहां तक उचित है ? क्या सरकार इस निर्णय पर पुनः विचार करने के पंचायत समिति को आदेश देगी ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(4) क्या राज्य सरकार स्टाफ क्वार्टर के लिये पंचायत समितियों को कोई फण्ड अलॉट करती है ? यदि हां, तो कितना कितना पैसा किस किस समिति को दिया ? आंकड़े सदन में रखें।

उत्तर

1. सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

2. जी हां, निजी आय से स्कूल व पंचायतों के भवन भी बनाए जा सकते हैं।

3. जी हां, पंचायत समिति ने दि. 30-7-69 की बैठक में एक स्टाफ क्वार्टर बनाने का निर्णय लिया है। स्कूल भवन इत्यादि पर खर्च न करने का निर्णय नहीं लिया गया।

4. जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अनुसूचित-जाति, जन-जाति तथा विमुक्त-जाति के उत्थान आदि का कार्य करने वाली संस्थाएं

547. श्री नाथूराम (बागीडोरा सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अनुसूचित-जाति, जन-जाति, विमुक्त-जाति के उत्थान आदि के निमित्त कौन-कौन से संघ, संस्थाएं आदि कार्य कर रहे हैं तथा उनके संचालक मंडल के सदस्य और पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सत्य नहीं है कि समाज कल्याण विभाग से इन्हें अर्थ सहायता तो दी जाती है किन्तु इनके दैनिक कार्य की निगरानी तथा आन्तरिक निरीक्षण की नियमित व्यवस्था नहीं है ? यदि नहीं, तो विगत 3 वर्षों में किस-किस संघ/संस्था का आन्तरिक निरीक्षण विभाग द्वारा कब-कब किया गया ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे संघों, संस्थाओं के पदाधिकारी, ऑफिस बीयरर्स, वर्कर्स आदि में अधिकांश सवर्ण हैं ? यदि नहीं, तो पद .र-तालिका जिसमें सवर्ण व अन्यत्र का विश्लेषण हो, प्रत्येक संघ/संस्था की सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ? यदि हां, अ. जा./अ. ज. जा. आदि के नियोजन कार्यक्षेत्र, सेवा आदि के बारे में सरकार के सामने क्या कार्यक्रम है ?

(स्थगित किया गया)

मोठ व बाजरे की निकासी

548. प्रोफेसर श्री केदारनाथ— (श्री गंगानगर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर में इतना भयंकर अकाल होते हुए भी यहां से मोठ, बाजरा, ग्वार तथा दूध की निकासी क्यों की जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इसके कारण इनके दाम बहुत अधिक हो गये हैं ?

(प्रो. श्री केदारनाथ)

(3) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि ग्वार, चना, मोठ और बाजरा वहां के नागरिकों और पशुओं को सुलभ भाव से मिले।

(स्थगित किया गया)

संस्कृत माध्यमिक शाला, जैसलमेर

549. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में एक संस्कृत माध्यमिक शाला चल रही है और उसमें अंग्रेजी विज्ञान व गणित विषय भी पढ़ाये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त विषयों का एक भी अध्यापक नहीं है अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में अध्यापक कब तक पहुंच जावेंगे ?

उत्तर

1. जी हां।

2. यह शाला प्रवेशिका स्तर की है जो सन् 1962 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से सम्बद्ध है। गत वर्षों में इस शाला की छात्र संख्या केवल आठवीं कक्षा तक ही रही है अतः इस ही कक्षा तक का स्टाफ पढ़ाने हेतु दिया जाता रहा है, किन्तु प्रवेशिका कक्षाओं में (नवीं एवं दशवीं) निर्धारित छात्र संख्या न होने के कारण यहां स्टाफ लगाना उचित नहीं समझा गया।

केकड़ी में छात्रावास की व्यवस्था

550. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केकड़ी नगर में राजकीय छात्रावास है ? यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं खोला गया ? क्या इसके लिये राज्य सरकार ने किसी तरह का निर्णय लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केकड़ी में करीब 30 प्रतिशत छात्र केकड़ी से बाहर विद्याध्ययन करते हैं ? यदि हां, तो क्या राजकीय छात्रावास न होने के कारण उनका विकास नहीं हो सकता ?

(3) सरकार केकड़ी में राजकीय छात्रावास कब तक खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. जी नहीं, अभी तक जनता व प्रधानाध्यापक द्वारा शाला में छात्रावास खोलने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रावास खोलने सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त न होने से राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केकड़ी में कुछ छात्र बाहर से विद्याध्ययन हेतु आते हैं। केकड़ी के आसपास करीब 6 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शालायें हैं।

3. आर्थिक सुविधा उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जावेगा ?

स्वास्थ्यता कोर के प्रशिक्षकों को सुविधाएं

551. श्री **भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वास्थ्यता कोर के प्रशिक्षकों को जो कि भारत सरकार के अधीन हैं, केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान को सौंपने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार को इस संबंध में कौन सी सुविधायें दी जावेंगी ?

(2) क्या यह सही है कि कर्नल पी. दयाल द्वारा संस्था का नाम बदलने की सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो क्या यह व्यक्तिगत राय है, अथवा विभागीय रिपोर्ट के आधार पर ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 600 प्रशिक्षकों की सेवायें अपने अधीन लेने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता देने का निश्चय किया है ? कितने समय तक सहायता प्राप्त होगी और कितनी धनराशि प्राप्त होगी ?

(4) क्या यह सही है कि प्रशिक्षकों की पिछली सेवायें जारी रहेंगीं ? यदि हां, तो किस-किस ग्रेड में ?

(5) क्या यह सही हैं कि केन्द्रीय सरकार की सहायता समाप्त होते ही प्रशिक्षकों के सर्विस में कोई चेन्जेज होंगी ? यदि हां, तो किस आधार पर सेवायें चालू रहेंगी ?

(6) क्या इन प्रशिक्षकों के राज्य में विलीन होने पर अन्य राज्य के अध्यापकों के समानस्तर होगा ? यदि हां, तो क्या सेवा-मुक्त होने पर पैन्शन आदि की सुविधायें भी अध्यापकों के समान होंगी ?

(7) क्या यह सही है कि प्रशिक्षकों द्वारा छात्र एवं छात्राओं को देश के प्रति जागरूकता एवं राष्ट्रीयता की शिक्षा दी जाती है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त 600 प्रशिक्षकों को आवास आदि समस्त सुविधायें अध्यापकों के समान शिक्षा विभाग के अधीन दी जावेंगीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

1. स्वास्थ्यता कोर के प्रशिक्षकों को जो कि भारत सरकार के अधीन हैं, राज्य सरकार को देने का प्रस्ताव केन्द्र द्वारा रखा गया था किन्तु अर्थाभाव के कारण राज्य सरकार ने लेने से इन्कार कर दिया । अतः सुविधा देने का प्रश्न नहीं उठता ।

2. ऐसी कोई नाम बदलने की सिफारिश नहीं की गई है ।

3. जी नहीं, केन्द्रीय सरकार सिर्फ 5 साल तक खर्च देने के लिए तैयार थी ।

4. प्रश्न ही नहीं उठता ।

5. केन्द्रीय सरकार के ही अधीन रहेंगे अतः प्रश्न ही नहीं उठता ।

6. प्रश्न ही नहीं उठता ।

7. प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोटा बैराज पर बोट की व्यवस्था

552. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि कोटा-बैराज पर बोट (नाव) की व्यवस्था विभाग द्वारा की हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी बोट डालने की अनुमति दी हुई है ? अगर हां, तो किस शर्त पर ?

(3) क्या यह सही है कि विभागीय बोट चम्बल सैर के लिये दिया जाता है ? अगर हां, तो किस शर्त पर ?

(4) क्या यह सही है कि विभागीय बोट चम्बल में डूब गया है ? अगर हां, तो कब व कैसे ? इसमें कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. जी नहीं ।

3. जी नहीं ।

4. जी हां, दिनांक 17-6-69 को नदी में छुपे पेड़ के ठूंठ से टकराने से बोट नदी में डूब गया था जिसे अब निकाल लिया गया है जिसकी वजह से लगभग 2000 रुपये की हानि हुई ।

परिशिष्ट 5

(अ. प्र. सं. 796 की सूची)

विवरण तालिका :—

(1) उप निदेशक शि० वि० जयपुर को पत्रांक ईडीटी/ऐस्टे/ए/5072/7/64 दिनांक 30-1-65 से	टिप्पणी हेतु तथा यह सूचित करने हेतु कि इस मामले में निर्धारित कार्यवाही नियमानुसार कर दी गई है। उप निदेशक, जयपुर ने अपने पत्र दिनांक 1-3-65 से उत्तर प्रेषित किया कि इस मामले में सारी कार्यवाही नियमानुसार कर ली गई थी।
(2) विद्यालय निरीक्षक, अलवर को पत्र क्रमांक इडीटी/एस्टे/प/से/5218/65/10 दिनांक 5-7-65 से स्मरण पत्र दिनांक 17-7-65	यह सूचित करने हेतु कि उन्होंने पनिश्मेन्ट (सजा) देने के पश्चात श्री मनोहर लाल को क्यों आरोप पत्र दिया। विद्यालय निरीक्षक ने इस पर इस मामले से संबधित पत्रावली चाही जो उन्हें दिनांक 30-7-65 को भेजी गई। अपने उत्तर दिनांक 3-8-65 में विद्यालय निरीक्षक ने सूचित किया कि श्री मनोहर लाल को दिया गया आरोप पत्र इस मामले से संबंधित नहीं था वरन दूसरे केस से संबंधित था।
(3) उप निदेशक, जयपुर पत्र क्रमांक ईडीटी/एस्टे/बीए/6432/66 से दिनांक 7-6-66 स्मरण पत्र दिनांक 30-7-66 ,, ,, ,, 31-10-66 ,, ,, ,, 31-7-67 ,, ,, ,, 12-9-67	पुनः टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु उप निदेशक, जयपुर से उत्तर दिनांक 9-9-67 को प्राप्त हुआ। क्योंकि उन्होंने वांच्छित टिप्पणी प्रेषित नहीं की अतः कुछ मामला पुनः भेज दिया गया।

(4) उप निदेशक, जयपुर को अर्ध शा० क्रमांक शिविरा/स्थापन/बी/प/6432/66 दिनांक 22-3-68 से	विस्तार से टिप्पणी देने हेतु। जवाब दिनांक 8-5-68 के पत्र से प्राप्त हुआ श्री सिंघल को नियमानुसार अपने बचाव का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया था।
(5) उप निदेशक, जयपुर को पत्र क्रमांक शिविरा/स्थापन/बी/प/6432/68 दिनांक 26-6-68 से स्मरण पत्र दिनांक 25-7-68/12-8-68	पुनः विस्तृत टिप्पणी हेतु। दिनांक 7-7-68 को जवाब प्राप्त हुआ।

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 809 की सूची)

क. सं.	नाम प्रोजेक्ट	केपिटल कास्ट 3/68 तक	राजस्व आय 67-68
1.	भाखरा	2692.09	43.04
2.	चम्बल	2057.97	17.06
3.	गंग केनाल	322.65	52.87
4.	जवाई केनाल	253.04	4.27
5.	गुडा प्रोजेक्ट	75.75	0.04
6.	पार्वती प्रोजेक्ट	112.06	(–) 0.03
7.	मैला प्रोजेक्ट	86.36	1.16
8.	मोरेल प्रोजेक्ट	50.47	—
9.	आलनिया	41.34	0.16
10.	वल्लभ नगर	77.64	0.05
11.	वैस्ट बनास	65.79	1.13
12.	अलगांव	79.92	—
13.	औराई	43.58	

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. स. 810 की सूची)

क्र.सं.	कार्य का नाम	तहसील	पंचायत समिति	अनुमानित लागत	खर्चा 31 जुलाई 69 तक
1.	अमल	सांचोर	सांचोर	2,21,000	4,42,224
2.	बांवला बान्ध	आहोर	आहोर	1,30,000	1,02,475
3.	होली गांव	सांचोर	सांचोर।	31,000	76,925
4.	गलीफा	,,	,,	30,000	65,597
5.	साकरिया	,,	,,	31,000	55,574
6.	सुराचन्द	,,	,,	40,000	53,260
7.	सुधरी	,,	,,	47,000	30,606
8.	गोमी	,,	,,	11,100	7,285
9.	सुआ की खाल	,,	,,	20,000	19,747
10.	हाकरा	,,	,,	31,000	28,005
11.	देसूरी	,,	,,	11,000	11,716
12.	साकंद	,,	,,	11,930	37,351
13.	करिया	,,	,,	60,000	32,445
14.	कैर	भीनमाल	रानीवाड़ा	22,500	2,964
15.	मालवाड़ा	,,	,,	20,800	11,975
16.	रानीवारा	,,	,,	24,300	10,656
17.	वामनवारा	,,	,,	20,000	4,729
18.	रतना की ढानी	सांचोर	सांचोर	21,630	4,293
19.	तरवानियों का नाका	,,	,,	98,000	84
20.	पालवान्ध	भीनमाल	रानीवाड़ा	1,01,000	1,35,173
21.	सिलवासन	,,	,,	98,000	81,541
					12,14,695

परिशिष्ट 8

(अ. ता. प्र. सं 820 की सूची)

भाग 2 की सूची :—

सन्	केकड़ी आउटडोर	चिकित्सालय इनडोर	सावर आउटडोर	चिकित्सालय इनडोर	सरवाड़ आउटडोर	चिकित्सालय इनडोर
1960	35,715	757	9,967	24	14,310	28
1961	35,849	844	11,143	12	14,329	77
1962	33,990	686	12,055	37	14,708	41
1963	36,581	776	13,171	45	12,296	44
1964	35,823	917	12,155	37	13,645	38
1965	35,655	1,017	11,753	27	17,720	44
1966	35,371	6,634	11,144	32	40,609	204
1967	31,340	7,614	11,667	28	17,384	103
1968	35,091	1,207	13,414	43	18,776	485

प्रश्न संख्या 637 के भाग 3 की सूची :—

सन्	केकड़ी चिकित्सालय दवाइयां	खुराक	सावर चिकित्सालय दवाइयां	खुराक	सरवाड़ चिकित्सालय दवाइयां	खुराक
1961–62	14000|–	2500/–	2500/–	300/–	2500/–	300/–
1962–63	14000/–	2500/	2500/–	300/–	2500/–	300/–
1963–64	14000/–	2500/·	2500/–	300/–	2500/–	300/–
1964–65	14000/–	2500/–	2500/–	300/–	2500/–	300/–
1965–66	14000/-	2500/–	2500/–	300/–	2500/–	300/-
1966–67	14000/-	2500/–	2500/–	300/–	2500/–	300/–
1967–68	14000|–	2500/–	3000/–	300/–	2500/–	300/–
1968–69	19600/–	3100/–	42000/=	375/–	3500/–	375/–
1969–70	19600/-	3100/–	42000/-	375/–	3500/–	375/–

परिशिष्ट 9

(अ० प्र० सं० 821 की सूची)

जिलावार सड़क कार्यों की स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला	स्वीकृत सड़कों की संख्या	अर्थ वर्क	ग्रेवलिंग	मैटलिंग	ब्लैक टापिंग
1.	बाड़मेर	127	2,694 कि.मी.	877·75 कि.मी.	61 कि.मी.	—
2.	जोधपुर	165	1,983·50 ,,	569·50 ,,	—	—
3.	झालावाड़	53	965 ,,	619 ,,	57 —	45 कि.मी.

Page No 236

परिशिष्ट 10

(अ० प्र० सं० 824 की सूची)

नलकूप जो खोदे गये और चालू किये गये

क्र.सं.	नाम जिला	संख्या जो कुएं खोदे गये	सफल नलकूप	संख्या जिन्हें चालू किया गया
1.	जैसलमेर	12	9	7
2.	जोधपुर	14	11	10
3.	बीकानेर	9	7	7
4.	बाड़मेर	15	8	8
5.	नागौर	8	6	6
6.	जालौर	1	1	1
7.	चूरु	1	1	1
	योग	60	43	40

परिशिष्ट 11

(अ. प्र. सं. 826 की सूची)

सहायता कार्यों के रूप में लिये गये सड़क कार्य व उन पर हुए व्यय की सूची

क्र० सं०		सड़क का नाम	अनुमानित व्यय जो जुलाई, 1969 तक हुआ	विशेष विवरण
1	ग्रेवलरोड़	बालदरा से रेथल	12,02,639/-	
2	,,	विसनगढ़ से धोकी	4,20,093/-	
3	,,	धोकी से नोसरा	2,02,485/-	
4	,,	रेथल से बालोरा मोवलसर रोड़	18,820/-	
5	,,	भारदा से नीलकान्त	1,15,816/-	
6	,,	कोराना से सुगालीजा	15,312/-	
7	,,	चन्दा से सखवाली	12,029/-	
8	,,	नोखा से मोहीवाड़	3,111/-	
9	,,	उमेदपुर से ग्रलावा	33,581/-	
10	,,	बाला से बाड़मेर बोर्डर	13,220/-	
11	,,	आहोर से रोहित	3,11,681/-	
12	,,	जिवाना से मोडरा	6,86,018/-	
13	,,	सालिया से सिरना होती हुई लरड़ा	9,17,823/-	
14	,,	बथोरा से बारडू	1,35,655/-	
15	,,	बालोर से रावचा	4,10,781/-	
16	,,	केसवना से गोल	25,581/-	
17	,,	गोल से बागांड़ा होती हुई बाड़मेर बोरडर तक	8,53,923/-	
18	,,	सेहला से बलेरा	3,60,997/-	
19	,,	बागली से बाकरा सड़क होती हुई संतुबाया सकत तक	2,41,351/-	
20	,,	बाखरा से बाकरा सड़क	97,511/-	
21	,,	पागरा से नरनावास	1,87,985/-	
22	,,	नरनावास से जगन्नाथ मन्दिर	—	
23	अप्रोच सड़क से लिम्बलाना		19,050/-	
24	अप्रोच सड़क से वलवाड़ा		33,432/-	
25	अप्रोच सड़क से गांव लीटा		2,496/-	
26	अप्रोच सड़क से गोरीपारसवनाथ बालोर		—	

1	2	3	4
27.	बालोरू से भीनमाल	13,01,106/- रु०	
28.	आकोली से रायपुरिया	25,00,78/- रु०	
29.	लिन्क रोड बिट्वीन बालौर बगोड़ा एण्ड आहोर रोड	—	
30.	भीनमाल से सांचोर	14,83,019/- रु०	
31.	जालौर से मोकलसर रोड	7,45,650/- रु०	
32.	भीनमाल से बगौड़ा	6,18,918/- रु०	
33.	बगौड़ा से खांका	68,118/- रु०	
34.	सांचोर से खांका	1,48,489/- रु०	
35.	मरुड़ी से भीड़ा रेल्वे स्टेशन	51,240/- रु०	
36.	कूड़ा से करड़ा	90,536/- रु०	
37.	हीरपुरा से गुजरात बोर्डर	2,39,967/- रु०	
38.	रानीवाड़ा से धनेरा	27,397/- रु०	
39.	वारगोम से धामसिन	1,937/- रु०	
40.	जसवन्तपुरा से सिलदर	3,197/- रु०	
41.	मालवारा से जसवन्तपुरा	2,56,905/- रु०	
42.	अप्रोच सड़क से आलड़ी	—	
43.	सांचोर से भावतरा	6,42,209/- रु०	
44.	सेवड़ा से झाब	1,53,822/- रु०	
45.	चितलवाना से होतीगम	3,5755/- रु०	
46.	आमली से धावल	3,398/- रु०	
47.	बीडींग बरमस अोन डीफेन्स रोड। फ्रॉम सांचोर से गुजरात बोर्डर	—	
48.	सेसवा से लुहारू	3,470/- रु०	
49.	प्रतापपुरा से गुजरात बोर्डर वाया पीर की जाल	1,99,434/- रु०	
50.	संकल बस स्टेन्ड से संकल गाव	19,272/- रु०	
51.	डूंगरी गांव से डूंगरी मिडिल स्कूल	—	
52.	सन्कल से गन्डू	45,900/- रु०	
53.	रानीवाड़ा से सांचोर	7,00,234/- रु०	
	योग	1,34,134,76/- रु०	

परिशिष्ट 12.

(अ० प्र० सं० 839 की सूची)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ 6:4 निरी/यात्रा/सकवि/67-68/39149-83, दिनांक 22-9-67 ओर से निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारियों के जो यात्रा कार्य-क्रम प्राप्त हो रहे हैं उनमें कभी कभी समन्वय का अभाव पाया गया है। राज्य में अजमेर, जयपुर एवं कोटा को छोड़कर समस्त जिलों में एक ही अधिकारी जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य करता है पर उपरोक्त तीनों में कार्य अधिकता के कारण दो दो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनके यात्रा कार्य-क्रम बहुधा ओवर लैप करते हैं और उनमें उचित कोर्डिनेशन का अभाव रहता है। अतः मोटेतौर पर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी तथा समाज कल्याण अधिकारियों में कार्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :—

(1) जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी पूर्णतया परिवीक्षा सम्बन्धी कार्य करेंगे जिसमें जिला आश्रम-गृह व कारागृह भी शामिल हैं। कार्यालय का प्रशासन एवं वित्तीय मामलों को भी यही निपटायेंगे। पर पिछड़ी जाति कल्याण कार्यों का प्रशासन समाज कल्याण अधिकारी के द्वारा ही किया जावेगा। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा सेवा सम्बन्धी समस्त कार्यों के लिये मुख्यतया पिछड़ी जाति के कल्याण कार्यों के लिये समानान्तर तथा उत्तरदायी रहेंगे।

(2) समाज कल्याण अधिकारी पिछड़ी जाति के कल्याण कार्यों के मूल एवं पूर्णरूप से देखेंगे। ये पिछड़ी जाति के कल्याण कार्यों के लिए प्रत्यक्षी उत्तरदायी होंगे।

(3) यात्रा कार्य-क्रम दोनों अधिकारी एक दूसरे के विचार विमर्श के बाद बनायेंगे ताकि जिस समय एक अधिकारी का बाहर का दौरा हो उस समय दूसरा अधिकारी मुख्यालय पर उपलब्ध रहे।

(4) यथासम्भव दोनों अधिकारियों के कार्यक्रम ओवर लैप न करें।

(5) जब एक अधिकारी यात्रा एवं अवकाश पर जावे तो दूसरा अधिकारी अनुपस्थित अधिकारी के कामकाज को देखेगा।

(6) जो कल्याण निरीक्षक जिस जिस जिले में उपलब्ध हैं वे परिवीक्षा एवं पिछड़ी जाति कल्याण कार्य दोनों ही प्रकार के कार्यों में दोनों अधिकारियों को समान रूप से योगदान करें। कल्याण निरीक्षक अपने कार्य के लिए दोनों अधिकारियों के लिए उत्तरदायी होंगे।

(7) समाज कल्याण बोर्ड के कार्यों का निरीक्षण जिला परिवीक्षा अधिकारी करेंगे।

परिशिष्ट 13

(अ. प्र. सं. 377 की सूची)

क्रमांक	नाम ग्राम	दिनांक दौरा	कार्य
1	2	3	4
1.	जसवन्तगढ़	9-6-1969	विभाग द्वारा हरिजन बस्ती में विद्युत योजना हेतु प्रदत्त धनराशि के उपयोग की।
2.	कसुम्बी	11-6-69	विभाग द्वारा हरिजन बस्ती में विद्युत योजना हेतु दी गई धनराशि के उपयोग की प्रगति देखने : केवल खम्बे गड्ढे हैं।
3.	मंगलपुरा	12-7-69	हरिजन बस्ती में जल प्रदाय योजना के अनुमानों की जांच हेतु : लगभग 300 हरिजन व्यक्तियों की बस्ती।
4.	निम्बीजोधा	12-7-69	हरिजन बस्ती में जल प्रदाय योजना के अनुमानों की जांच हेतु : लगभग 87 पिछड़ी जातियों के परिवारों को लाभ।
5.	रताऊ	12-7-69	हरिजन बस्ती में जल प्रदाय योजना के अनुमानों की जांच हेतु : लगभग 100 पिछड़ी जाति के परिवारों को लाभ।
6.	सेडी	12-7-69	हरिजन बस्ती में जल प्रदाय योजना के अनुदानों की जांच हेतु : लगभग 150 पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को लाभ।
7.	वाकलिया	12-7-69	विभाग द्वारा हरिजन बस्ती में विद्युत योजना हेतु प्रदत्त धनराशि के उपयोग की तथा विद्युत योजना प्रस्तावों की जांच।
8.	रोड़ू	12-7-69	हरिजन बस्ती में विद्युत योजना के प्रसार के अनुमानों की जांच हेतु।
9.	धोलियां	12-7-69	हरिजन बस्ती में विद्युत विस्तार के प्रस्तावों की जांच हेतु।
10.	दुजार	12-7-69	हरिजन बस्ती में विद्युत योजना के अनुमानों की जांच हेतु।

शुद्धि-पत्र

मंगलवार दिनांक 2 सितम्बर, 1969

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
8	3	खचे	खर्चे
,,	7	श्रीरामप्रसाद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
13	4	अस्थानी	अस्थायी
18	14	ववेचन	ववेश्चन
29	13	तरहसे जाते किये	तरह से किये जाते
38	5	स्वय सम्बन्धी	स्वयं के सम्बन्धी
,,	17	सरकार ने	सरकार द्वारा
40	अन्तिम से 8	अगर हो	अगर हां
,,	अन्तिम	किन कारणों	किन कारणों से
63	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोंतर	अ.स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
64	,,	,,	,,
66	,,	,,	अतारांकित प्रश्नोत्तर
117	14	श्री गणपतसिह महनोत	श्री गणपतसिह मनोत
121	4	परम्यान	दरम्यान
153	अन्तिम से 12	परसिट	परमिट
157, 159 व 161	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था	आधा घन्टे की चर्चा
178	6	दंड कथा	दंतकथा
232	17	वांग्रेसियो	कांग्रेसियों
285 से 302	शीर्षक	2 सित	2 सितम्बर
294	15	आप्के दल	आपके दल
327	1	सत्त्र	सत्र
337	11	श्री विशम्बरनाथ जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
360	12	इलसिये	इसलिये
369	अन्तिम लाइन	बर्जे	दर्जे
395	19	श्री उपाध्यक्ष	श्री सभापति